द्वादश माला, खंड 3, अंक 13

गुरुवार, 12 जून, 1998
22 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 12 जून, 1998/22 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
मुखपृष्ठ	1	गुरुवार	शुक्रवार
विषय-सूची (ii)	14	राज्य सभा से संदेश...255	राज्य सभा से सन्देश...255, 348
विषय-सूची (iii)	23	311-312	311-350
विषय-सूची (iii)	नीचे से 1	249-350	349-350
103	नीचे से 2	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)
124	9	(ख)	(ग)
142	14	श्री सिकन्दर बख्त	श्री सिकन्दर बख्त
148	4	उपर्युक्त (ङ.)	उपर्युक्त (क)
308	18	श्रीमती गीमा मुखर्जी	श्रीमती गीता मुखर्जी
327	18	श्री सी.पी. राधाराकृष्णन	श्री सी.पी. राधाकृष्णन

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिकलय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री रामलाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 12 जून, 1998/22 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	242 से 244 और 247	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	245, 246 और 248 से 261	23-41
अतारांकित प्रश्न संख्या	2434 से 2622	41-203
सभा पटल पर रखे गये पत्र		203-227
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	संगमरमर पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शान्ति लाल चपलोत	249-250
(दो)	उत्तर प्रदेश में बरेली-बदायूं मार्ग पर चौपला में रेलवे पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजवीर सिंह	250
(तीन)	उत्तर प्रदेश में एलगिन नं. 1 और एलगिन नं. 2 तथा कानपुर टैक्सटाइल मिल, कानपुर को फिर से खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	250
(चार)	बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच यमुना नदी के किनारों को पक्का करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती शीला गौतम	251
(पांच)	उड़ीसा में दैतारी से पाराद्वीप तक एक्सप्रैस राजमार्ग के रख-रखाव की समूची लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रंजीब बिस्वाल	251
(छह)	विजयवाड़ा हवाई अड्डे का प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के०एस० राव	251-252
(सात)	बांध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कोटा बेराज की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री राम नारायण मीणा	252
(आठ)	पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों के कारण होने वाले मृदाक्षरण को रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	252-253

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(नौ) उत्तर प्रदेश में जौनपुर, इलाहाबाद खंड पर गांव रायपुर, दुर्गादेवी में रेल फाटक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पारसनाथ यादव	253
(दस) तमिलनाडु में कुड्डालोर-तिरूकोविहूर-अन्नाईकाटू सलाई रेल फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम०सी० दामोदरन	253-254
(ग्यारह) वनस्पति निर्माताओं द्वारा आयातित खाद्य तेल को 8 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त किए जाने की आवश्यकता	
डा० रणजीत कुमार पांजा	254
(बारह) प्रदूषित मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
डा० बीट्रिक्स डिसूजा	254
(तेरह) नागपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	254-255
राज्य सभा से संदेश	255
(सामान्य), बजट 1998-99 — *सामान्य चर्चा*	
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	256
श्री देवेन्द्र बहादुर राय	258
श्री राम टहल चौधरी	259
डा० राम विलास वेदान्ती	260
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील	265
श्री इन्द्रजीत मिश्र	266
श्रीमती कमल रानी	267
श्री रामचन्द्र बैंदा	268
श्री अशोक प्रधान	271
श्री विनोद खन्ना	272
श्री यशवन्त सिन्हा	276-295
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	295
पारित करने के लिए प्रस्ताव	296-297

विषय	कालम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
गुजरात और राजस्थान में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति	
श्री सोमपाल	297-309
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर: स्थापित	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	309
(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	309-310
(तीन) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	
श्री बसुदेव आचार्य	310
(चार) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक (धारा 33 में संशोधन)	
श्री भगवान शंकर रावत	310-311
(पांच) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा 51 में संशोधन)	
श्री भगवान शंकर रावत	311
(छह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन आदि)	
श्री भगवान शंकर रावत	311
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 51ख का अन्त:स्थापन)	311-312
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मोहन सिंह	312
श्री सत्यपाल जैन	317
श्री वारकला राधाकृष्णन	321
कुमारी ममता बनर्जी	322
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	328
श्री सुधीर गिरि	329
श्री आदित्य नाथ	332
श्री प्रभूदयाल कठेरिया	341
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी	343
श्री चन्द्रशेखर साहू	345
श्री बासवराज पाटील सेडाम	347
श्री सी०पी० राधाकृष्णन	249-350

लोक सभा

शुक्रवार, 12 जून, 1998/22 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोयले की संयुक्त सैम्पलिंग

+
*242. श्री जयसिंहजी चौहान :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कोयले की संयुक्त सैम्पलिंग का स्थान बिजली घरों से बदलकर कोयला खान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय के कारण 15.3.1991 से 31.12.1993 तक की अवधि के लिए दावे की राशि अथवा लम्बित राशि के संबंध में कोल इंडिया लि० और गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दोनों पक्षों से विचार-विमर्श करके लम्बे समय से चले आ रहे इस मुद्दे की जांच की है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) यदि नहीं, तो लम्बे समय से लम्बित इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोयला कंपनियां 1982 तक कोयले का नमूना लिए जाने का कार्य लदान स्थल पर करती थीं। अगस्त, 1982 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परीक्षण के आधार पर नमूना लेने और गुणवत्ता संबंधी जांच का कार्य संयुक्त रूप से लदान स्थल पर किया जाए। बाद में दिसम्बर, 1986 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) के अधीन एक स्वतंत्र संगठन से नमूना लेने तथा गुणवत्ता संबंधी जांच का कार्य लदान स्थल पर करवाया जाए। चूंकि सी०ई०ए० द्वारा इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, अतः अक्तूबर, 1991 में सचिवों की समिति ने यह निर्णय लिया कि नमूना लेने तथा गुणवत्ता निर्धारण के कार्य लदान स्थल पर कोयला नियंत्रक द्वारा किए जाएंगे। इस निर्णय को अवसंरचनात्मक ढांचे से संबंधित मंत्रिमंडल समिति द्वारा जून, 1995 में कुछ संशोधनों के साथ दोहराया गया जिसमें संभरक और उपभोक्ता के बीच वैधानिक रूप से अनुबंध लागू किये जाने तथा लदान स्थल पर संयुक्त रूप से नमूना लेने और गुणवत्ता के निर्धारण का प्रावधान रखा गया है।

(ग) से (च) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार गुजरात विद्युत बोर्ड (जी०ई०बी०) और को०इं०लि० के बीच लंबे समय से चले आ रहे लंबित विवाद मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं—कोयले की गुणवत्ता और देर से किए जाने वाले भुगतान पर ब्याज। कोयले के बिलों के भुगतान संबंधी विवाद को निपटाने के लिए दिनांक 20.11.1995 को अध्यक्ष, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के बीच एक बैठक हुई, जिसमें कोयला कंपनी और विद्युत गृहों के दावों को निपटाए जाने के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। कोयला कंपनी ने जी०ई०बी० के दावों को निपटाने के लिए इस फार्मूले को प्रयुक्त किया, जिसे जी०ई०बी० ने स्वीकार नहीं किया।

तदनुसार, जी०ई०बी० को यह सलाह दी गई कि वे कोयला कंपनियों के दावों और जी०ई०बी० के प्रति-दावों के निपटारे के लिए कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को नियुक्त करे।

(छ) को०इं०लि० और जी०ई०बी० के बीच उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक अधिनिर्णायक की नियुक्ति की गई है। अधिनिर्णायक ने इस संबंध में अपना निर्णय दे दिया है। अधिनिर्णायक द्वारा दिए गए अपने निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर कोल इंडिया लि० कोयला कंपनियों की देय राशि को परिमापित कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जयसिंहजी चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना और बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में सिर्फ पूछी गई बातों पर ही इन्होंने अपना ध्यान केन्द्रित किया है। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि मार्च, 1993 के बाद कोल इंडिया-लिमिटेड को संयुक्त सैम्पलिंग का स्थान बदलने की क्या आवश्यकता हुई ? इसके पूर्व सैम्पलिंग गुजरात विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत और क्षेत्राधिकार के दायरों में किया जाता था तो फिर इस स्थान परिवर्तन के पीछे औचित्य क्या है ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, यह प्रश्न संसद के दोनों सदनों में बार-बार उठाया जाता रहा है। मैंने देखा है कि इस प्रश्न को मुख्यतया गुजरात के माननीय सदस्य उठाते रहे हैं। महोदय, मैं स्थिति को स्पष्ट करने में थोड़ा सा समय लूंगा।

नमूनों की संयुक्त जांच कोयला कंपनियों द्वारा की जाती है और उसके बाद वे कोयला विद्युत संयंत्रों को देते हैं। नमूनों की संयुक्त जांच विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जा रहे कोयलों की प्रत्याशित गुणवत्ता श्रेणी और मात्रा की पुष्टि करने के लिए की जाती है। कोयला कंपनियों

को उन्हें बढ़िया श्रेणी के कोयलों की आपूर्ति करनी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि रेलवे द्वारा लदान के बाद इसके उपभोक्ता अर्थात् विद्युत संयंत्रों तक पहुंचने से पूर्व इसकी ढुलाई के दौरान काफी चोरी होती है और इस तरह बड़ी मात्रा में कोयला चोरी कर लिया जाता है जिसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन हम उसकी भरपाई बीमा, आदि के जरिए करते हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है।

लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक सी०एल०ओ० गुड्स एक्ट, 1930 का संबंध है, कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी वैगन में कोयले की लदाई के तुरन्त बाद ही समाप्त हो जाती है। इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों द्वारा भी माना गया है।

नमूनों की जांच आई०एस०आई० के मानदण्डों के अनुसार की जाती है।

अब मैं नमूनों की जांच उतराई से लदाई के समय करने के प्रश्न पर आता हूं जिसे माननीय सदस्य ने पूछा है। यह थोड़ा क्रमवार बताना पड़ेगा। शुरू-शुरू में संयुक्त जांच लदाई के समय की गई थी। लेकिन 1982 में जब कोयला और विद्युत मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन थे तो यह निर्णय किया गया था कि परीक्षण के आधार पर, पहली बार, नमूनों की संयुक्त जांच उतराई के समय की जानी चाहिए। वर्ष 1986 में यह निर्णय किया गया कि संयुक्त जांच विद्युतघरों अर्थात् लदाई के समय की जाएगी और यह कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इसकी निगरानी करेगा। लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए हमने स्वयं अपना प्रबन्ध किया क्योंकि विद्युत इकाइयां इसे लेकर बहुत खुश नहीं थीं।

वर्ष 1991 में पुन: सचिवों की समिति, जिसमें कोयला और विद्युत सचिव भी शामिल थे, ने एक बैठक की जिसमें यह निर्णय किया गया कि जांच विद्युतघर में ही की जानी चाहिए। वर्ष 1995 में कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि संयुक्त जांच विद्युतघर में की जानी चाहिए और जिसकी निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। वर्ष 1996 में यह निर्णय किया गया कि यह काम विद्युत घर में ही किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि हमने निर्णय किया है कि नमूनों की संयुक्त जांच लदाई और उतराई के समय विद्युतघर में की जाएगी।

अठारह एजेंसियों का चयन किया गया है। विद्युतघर में जांच के समय आने वाली लागत का वहन कोयला मंत्रालय द्वारा और उतराई के समय आने वाली लागत का खर्चा उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री जयसिंहजी चौहान : क्या स्थान परिवर्तन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष और इनके मंत्रालय की अनुमति मांगी थी और क्या मंत्रिमंडलीय समिति ने भी इसकी अनुमति प्रदान की थी ? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1993 के बाद गुजरात विद्युत बोर्ड को लम्बित राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक लम्बित राशि 925 करोड़ रुपये है, जिससे राज्य विद्युत बोर्ड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या सकारात्मक कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार रखती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, हमें राज्य सरकार अथवा राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमने राज्य के मुख्य मंत्री और उपभोक्ता को जानकारी दे दी है।

माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई 923 करोड़ रु० की विवादग्रस्त धनराशि के संबंध में मेरा कहना है कि यह सही नहीं है। 1993 तक, कुल 107.65 करोड़ रु० का दावा किया गया था जिसमें से 87.86 करोड़ रु० का निपटारा कर दिया गया था। लम्बित दावा लगभग एक लाख रु० का है। कोल इण्डिया द्वारा अस्वीकृत दावा 19.78 करोड़ रु० था।

श्री पी०एस० गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि विवादग्रस्त राशि 924.74 करोड़ रु० है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उन्हें भेजे गए उस विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया था कि 1997-98 तक कुल दावा लगभग 924.74 करोड़ का था। क्या यह सही है ? जब दावा इतनी धनराशि का है तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस लम्बे समय से लम्बित विवाद का समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे ? इस विवाद को निपटाया जा सकता है। गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड बहुत बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। ये सभी देय, राशियां उसे मिलनी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री लम्बे समय से लम्बित इस विवाद का समाधान करने के लिए यथासंभव शीघ्र कोई कदम उठाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री दिलीप राय : आज तक किया गया कुल दावा लगभग 763.73 करोड़ रु० का है। हमने लगभग 130.21 करोड़ रु० दावे का निपटान कर दिया है। लम्बित दावा लगभग 29.5 करोड़ रु० का है। हमने 271.33 करोड़ रु० के दावे को अस्वीकृत कर दिया है। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए 22 जून को एक बैठक कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि अक्टूबर, 1991 में सचिवों की समिति ने यह निर्णय लिया था। मै मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं, हालांकि यह हमारी सरकार के समय हुआ, लेकिन यह प्रक्रिया उचित नहीं है कि दो अधिकारी बैठकर ऐसा निर्णय करते हैं कि सारे कोयले की जांच कहां होगी, मेरा आपसे पूछना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वे गुजरात से सम्बन्धित हों या अन्य राज्यों से सम्बन्धित हों, आप कैबिनेट में ले जाने की योजना बना रहे हैं या पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं या कंसलटेटिव कमेटीज होती हैं या जनप्रतिनिधियों से राय लेकर ही आप नीति बनाने के बारे में कोई विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, मुझे यह कहना है कि इसे हल कर दिया गया है। अब केवल लदान के समय ही नहीं होगा। सितम्बर तक लदान के स्थान और उतराई के स्थान दोनों स्थानों पर संयुक्त रूप से सैम्पल लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : ऐसा निर्णय लेने का अधिकार आप अभी भी सचिवों पर छोड़ रहे हैं, क्या उसमें जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं होगी ? इतना महत्वपूर्ण निर्णय कोई सचिव बैठकर ले ले, यह उचित नहीं है।

श्री दिलीप राय : कंसलटेटिव कमेटी से पूछेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विवाद 15.03.1991 से लेकर 31.12.1993 तक की अवधि का है, यानी दो वर्ष का यह विवाद है, आज 1998 का वर्ष चल रहा है, 1998 तक सरकार ने जो सचिवों की समिति बनाई थी, उसकी कितनी बार बैठकें हुई ? जब गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में क्वालिटी ऑफ कोल के बारे में और उस पर जो ब्याज उत्पन्न होता था, उसके बारे में विवाद था। प्रश्न बहुत सीधा था कि कोल इंडिया लिमिटेड के कोल की क्वालिटी ठीक नहीं थी और जो भुगतान होना था उसमें ब्याज की भी मात्रा थी। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 1991 से लेकर 1993 तक जो विवाद चला, क्या 1998 तक उसे निपटाने के लिए आप कोई विशेष प्रयत्न करेंगे ? अभी आपने कहा कि 785 करोड़ रुपये का क्लेम है, उसके अगेंस्ट 100 करोड़ रुपये की राशि दी है, जो शेष राशि बची है, क्या उसका निर्णय इस महीने के अंत तक करने का कष्ट करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि 763.73 करोड़ रु० में से हमें केवल 29.05 करोड़ रु० का निपटारा करना है। इसके लिए, हमने 21 तारीख को एक बैठक निर्धारित की है।

जहां तक ब्याज का संबंध है, इसे पहले ही समायोजित किया जा चुका है। हम इस बात से सहमत हैं कि भूलचूक काफी हुई है और उसके लिए 134.21 करोड़ रु० पहले ही समायोजित कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर : क्वालिटी ऑफ कोल पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेन्ट होती है उसके लिए फर्स्ट क्लास रिक्वायरमेन्ट के बदले आपने थर्ड क्लास का कोल दे दिया, जिसके चलते कई पावर प्लांट खराब हो गए और बंद हो गए। क्या सरकार इसकी तीन साइट्स पर सैम्पलिंग कराएगी—एक तो लोडिंग के समय, दूसरे अनलोडिंग के समय और तीसरे जब कोल पावर प्लांट पर जाए, उस समय, और क्या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, जैसे ड्रग में होती है, नियुक्त करेगी ताकि वह सैम्पल की रिपोर्ट करे और उसी हिसाब से पावर प्लांट के द्वारा उसको भुगतान हो ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : तीन स्थानों पर इसकी जांच करना संभव नहीं है। लेकिन हमने इसे दो स्थानों पर करने का निर्णय किया है और नमूने की जांच करने के लिए स्वंतत्र निकायों को भी संलग्न किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भत्तों पर कर

\+

***243. श्री सतनाम सिंह कैंथ :**
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए जा रहे सभी भत्तों जैसे कि महंगाई भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता/मकान किराया भत्ता आदि पर कर लगता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन भत्तों का भुगतान मूल्य वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता आदि की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों से उन पर कर वसूले जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों में इसके कारण व्याप्त आक्रोश की जानकारी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं, सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए जा रहे सभी भत्तों पर कर नहीं लगता है। *महंगाई भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति* भत्ते पर कर लगता है *मकान किराया भत्ते* पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2क के साथ पठित धारा 10(13क) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कर लगाया जाता है।

धारा 10(14) के अंतर्गत विशेष प्रकार की सरकारी ड्यूटियों के संबंध में बहुत से विशेष भत्ते निर्धारित/अधिसूचित किए गए हैं जिन पर कर नहीं लगता है। इनमें परिवहन भत्ता, पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता आदि शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्मचारियों से केवल उन्हीं भत्तों पर कर लिया जा रहा है जिन पर संविधि के तहत कर लगता है और जो ''वेतन'' के अंग होते हैं।

चूंकि महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता वेतन के ही भाग के रूप में दिए जाते हैं, अतः इन भत्तों के लिए कर्मचारियों से कर लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार को कर्मचारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों सहित सभी कर दाताओं का कर भार कम करने हेतु वर्ष 1998 के केन्द्रीय बजट में अनेक उपचारी उपायों का प्रस्ताव किया है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) आयकर देयता की न्यूनतम सीमा को 40,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० किये जाने का प्रस्ताव है।

(ii) एक लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से मानक कटौती की सीमा 20,000/- रु० से बढ़ा कर 25,000/- रु० कर दी गई है।

(iii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने के पश्चात्, अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते पर भी आयकर अधिनियम की धारा 10(14) के अंतर्गत छूट दी गई है। किन्तु नियम 2खख के साथ पठित धारा 10(14)(ii) के तहत दिनांक 13.5.98 की अधिसूचना का०आ० सं० 395(अ) के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 800/- रु० प्रति माह होगी।

[हिन्दी]

श्री सतनाम सिंह कैंथ : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि डी०ए० और सी०सी०ए० पर हम टैक्स लेते हैं। महंगाई बढ़ने के साथ ही सरकार महंगाई भत्ता देती है। अगर महंगाई न बढ़े तो वह महंगाई भत्ता नहीं देगी। महंगाई भत्ता बढ़े हुए मूल्यों को कम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है। उस पर टैक्स लेना समझ से बाहर है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सारे फैसले को रिव्यू करने के बाद डी०ए० और सी०सी०ए० को टैक्स मुक्त करेगी ?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, इन्हें कर-मुक्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और किराया भत्ता आय कर नियम, 1962 के नियम 2क के साथ पठित धारा 10(13क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन करयोग्य हैं। फिर भी विशेष भत्तों को नियम 10(14) के अन्तर्गत कर-मुक्त रखा गया है।

आगे, मुझे माननीय सदस्य से यह भी कहना है कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता व्यक्तिगत व्यय स्वरूप में आते हैं। आयकर की योजना में वैयक्तिक स्वरूप वाले किसी व्यय में कटौती का प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, आयकर-स्लैब बढ़ाने की वेतनभोगी वर्ग की यह काफी समय से लम्बित मांग थी। अतः सरकार ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। अब, बीस लाख से अधिक लोग आयकर के घेरे से बाहर आ गये हैं। इस प्रकार, सरकार वेतनभोगी वर्ग को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। अतः महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते को आयकर के दायरे से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सतनाम सिंह कैंथ : मंत्री जी ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। प्रश्न के लिखित उत्तर के पार्ट 'सी' में मंत्री जी ने माना है कि डी०ए० और सी०सी०ए० एम्प्लाई सैलरी का हिस्सा है। अगर सरकार इसे सैलरी का हिस्सा मानती है तो महंगाई बढ़ने पर डी०ए० ही बढ़ा देती है, फिर बेसिक सैलरी को क्यों नहीं बढ़ाया जाता ?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, वास्तव में सरकार मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि कर वेतनभोगी वर्ग की सहायता कर रही है। परन्तु एक बार पुनः मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते का भुगतान व्यक्तिगत व्यय के लिए किया जाता है। अतः वे करयोग्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सभी भत्ते, जैसे महंगाई भत्ता, नगर क्षति पूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता, मिलते हैं। उनमें महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ने के कारण मिलता है। अभी पिछले महीने सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि वाहन भत्ते को टैक्स मुक्त कर दिया। क्या सरकार ने महंगाई भत्ते को भी टैक्स मुक्त करने के बारे में सोचा है ?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि 1 लाख रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कठिनाई कम करने के लिए मानक छूट 20,000 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० कर दी गई है। अतः महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और मकान किराया भत्ता को आयकर से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध होने पर भी इसका स्वरूप व्यक्तिगत व्यय के लिए भुगतान का है। अतः यह करयोग्य श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर है कि क्योंकि महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और मकान किराया भत्ता वेतन के एक भाग के रूप में प्रदान किए जाते हैं, अतः ये कर्मचारियों के लिए करयोग्य हैं। परन्तु, चूंकि महंगाई भत्ता मूल्य-सूचकांक

के अनुसार परिवर्तनशील है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल न करने वाले किसी संशोधन पर विचार करेगी।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि डियरनैस अलाऊंस, सिटी कम्पनसेटरी अलाऊंस और हाउस रैंट अलाऊंस सैलरी के पार्ट के रूप में दिए जाते हैं इसलिए इन पर टैक्स लगता है। आपने जो अभी आयकर सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की है, उससे कुछ कर्मचारियों को राहत मिली है। यह भी हकीकत है कि केवल कर्मचारी वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो अपना इनकम टैक्स सही पे करता है और कुछ छिपाता नहीं है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं था इसलिए हमने विचार नहीं किया कि इनको टैक्स मुक्त किया जाए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस बात का एक्जामिन कराना चाहेगी कि डी०ए०, सी०सी०ए० और एच०आर०ए० को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए? इससे बहुत अधिक अमाउंट का असर सरकार के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन टैक्सों में ज्यादा अमाउंट नहीं है इसलिए क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करना चाहेगी कि कंसिडर करके इन से इनकम टैक्स वापस ले लिया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं। परन्तु, इसके साथ ही मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि सरकार कठिन दौर से गुजर रही है, फिर भी इसने आयकर की मानक कटौती 40,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दी है। सरकार जिस समय सत्ता में आई तो उद्योग में मंदी थी और पूरी अर्थ-व्यवस्था शून्य थी। परन्तु, फिर भी हमने मानक कटौती 40,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दी है। अत: भले ही यह अच्छा सुझाव हो, परन्तु सरकार इस चरण मे कोई आश्वासन नहीं दे सकती। तथापि, सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के आंसू पोंछे हैं। आंकड़े देखने पर माननीय सदस्य को यह मालूम पड़ेगा कि 39 लाख कर्मचारियो में से केवल दो लाख कर्मचारी करदाताओं की श्रेणी में हैं और 37 लाख कर्मचारी इस श्रेणी से बाहर हैं। अत: अच्छा सुझाव होने के बावजूद सरकार इस समय कोई वचन या आश्वासन नहीं दे सकती।

प्रो० पी०जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाये हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रास्फीती बढ़ रही है और निर्वाह-व्यय भी बढ़ रहा है। आप यह भलीभांति जानते हैं कि वेतनभोगी वर्ग ही आय-कर का सही-सही भुगतान करते हैं क्योंकि उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। सभा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता को आयकर से मुक्त रखने का अनुरोध उचित है। इस बिन्दु पर पूरा सदन एकमत है।

महोदय, अत: सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी मद्दे नजर रखते हुए कि यह एक अल्प राशि का प्रश्न है और वेतनभोगी वर्ग आय-कर का सही-सही भुगतान कर रहे हैं, क्या सरकार किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और अन्य भत्तों को आयकर से मुक्त रखने के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, वरिष्ठ सदस्य प्रो० पी०जे० कुरियन ने सदन की भावना को सही ढंग से व्यक्त किया है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। परन्तु वर्तमान आर्थिक स्थिति और अभी तक स्वीकृत कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने बजट में आयकर की मानक कटौती 40,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। इससे केन्द्रीय सरकार के 39 लाख कर्मचारियों में से 37 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और उनकी भावनाओं से भी सहमत हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री भी मेरी बातों से सहमत होंगे।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, माननीय सदस्य से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं परन्तु मंत्री के रूप में मैं इस सदन को कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे खेद है।

श्री वी०वी० राघवन : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार से पेंशन पाने वाले वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, माननीय सदस्य से मेरी अपील है कि जिन त्यागियों ने देश के लिए खून बहाया है, उनकी तुलना वेतनभोगी वर्ग के लोगों से न करें। तथापि, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। परंतु यह प्रश्न मूल प्रश्न में से नहीं उठता।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, संसद सदस्य और विधायक भी 'पब्लिक सर्वेंट' हैं। पूर्व सांसदों को पेंशन के रूप में बहुत छोटी-सी राशि मिलती है, परन्तु, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अच्छी खासी राशि प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

हम उनके पक्ष में हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। राजनेताओं को कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मैं संसद सदस्य नहीं हूं और मैं दिल्ली आता हूं तो मुझे कोई एक कप चाय के लिए भी नहीं कहेगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, हम आते हैं और चले जाते हैं। हम चुनावों में भी हार जाते हैं। इसलिए, हमें कोई भत्ता नहीं मिलता।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं, उस समय उन्हें जो रिटायर बैनिफिट्स और टर्मिनल बैनिफिट्स मिलते हैं, उसकी गणना बेसिक सैलरी और डी०ए० के आधार पर होती हैं। कहने का मतलब कि टर्मिनल बैनिफिट्स और रिटायर बेनिफिट्स में केवल उसकी बेसिक सैलरी और डी०ए० को जोड़ा जाता है। लेकिन हम जो टैक्स कैल्कुलेट कर रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं -

[अनुवाद]

चूंकि डी०ए०, सी०सी०ए० और एच०आर०ए० वेतन के हिस्से के रूप में दिये जाते हैं और कर्मचारी को प्राप्त होने वाले इन सभी पर कर लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब डी०ए० और सी०सी०ए० को सैलरी का पार्ट माना जा रहा है और उसके आधार पर ग्रेज्यूटी कैल्कुलेट की जाती है, क्या सरकार उसी हिसाब से सी०सी०ए० और एच०आर०ए० पर कर नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई विचार रखती है ? महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, वह सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का संबंध इससे नहीं है।

श्री चेतन चौहान : महोदय, मैं कर की बात कर रहा हूं। लाभ केवल मूल वेतन पर ही दिया जाता है। वेतन की यही परिभाषा है।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे राज्य मंत्री महोदय ने इस बारे में सदन को सूचित किया है कि एलाउन्सेस पर्सनल नेचर की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स के तहत उन्हें सैलरी का अंग माना गया है। माननीय सदस्यों का प्रश्न है कि रिटायरमेंट के समय डी०ए० को सैलरी के तहत जोड़ते हैं और बाकी एलाउन्सेस को जोड़ा नहीं जाता है। इसका भी कारण यही है कि उन्हें पर्सनल एक्सपेंसेस के रूप में दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद वह सरकारी अधिकारी कहां रहा, इसलिए सिटी-कम्पेंटसेटरी-एलाउन्स को उसमें कैसे जोड़ सकते हैं। इसका तर्क यही है जिसकी वजह से सरकार इन्हें नहीं जोड़ती। इनकम टैक्स कानून और हर कानून का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है और उस मकसद को ध्यान में रखा जाता है। इनकम टैक्स में यह स्थिति है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में दो तरह के कर्मचारी हैं—एक राज्य कर्मचारी और दूसरे केन्द्रीय कर्मचारी। आज तक कर वसूली दोनों जगहों से की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कर की वसूली में से कुल कितना रुपया कर से आमदनी के रूप में दिया गया ?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मूल प्रश्न से इस प्रश्न का सीधा संबंध नहीं है, मैं फिर भी माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जैसा शायद सबको ज्ञात होगा, इनकम टैक्स डिविजिनल पूल में जो रुपया आता है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच में बंटता है। उसमें से कुल राशि का 77.5 प्रतिशत हिस्सा हम राज्यों को दे देते हैं। इसलिए जितनी राशि इनकम टैक्स में कैल्कुलेट होती है, वह सारी राशि केन्द्रीय सरकार अपने पास नहीं रखती है, इसका अधिकांश भाग, दो-तिहाई भाग, हम राज्यों को दे देते हैं।

[अनुवाद]

वनस्पति और जीव जंतुओं का पेटेंट किया जाना

***244. श्री के० येरननायडु :** ''क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का बासमती चावल की तरह के विवादों से बचने के लिए आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धतियों में निहित सभी प्रकार के परम्परागत ज्ञान का तथा देश के वनस्पति और जीव जंतुओं का पेटेंट करने तथा संहिताबद्ध करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?''

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय भू-सर्वेक्षण देश की वनस्पति तथा प्राणिजातों के सर्वेक्षण और आविष्कार करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार, देश के लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र का अब तक इन संगठनों द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर वनस्पतियों की 46,000 जातियों और प्राणीजातों की 81,000 से अधिक जातियों को लेखबद्ध कर लिया गया है।

भारतीय औषधि प्रणाली से संबंधित वनस्पति जातियों और प्राणिजातियों के बारे में साहित्यिक सूचना एकत्रित करने का कार्य केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय यूनानी दवा अनुसंधान परिषद को सौंपा गया है। चूंकि इस संबंध में अधिकांशतः जानकारी जनता के प्रभुत्व में होती है, जिसमें अभिजात ग्रन्थ भी शामिल हैं, अतः विश्व में कहीं भी ऐसे उत्पादों के लिए पेटेंट मंजूर नहीं किये जा सकते हैं। पेटेंट योग्य संबंधी कार्रवाई करने हेतु आविष्कार के विषय को पेटेंट योग्य संबंधी शर्तों को पूरा करना होता है अर्थात् नवीनता, अस्फुटता और औद्योगिक व्यवहार्यता।

पेटेंटों की मंजूरी सम्बद्ध सरकारों द्वारा उनके पेटेंट कानूनों के तहत दी जाती है। जब कभी भी किन्हीं ऐसे उत्पादों के पेटेंट लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जो कि पेटेंट योग्य नहीं समझे जाते हैं, ऐसी स्थिति में इस आशय का मूल्यांकन किए जाने हेतु कि क्या पेटेंट की मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी जा सकती है, उक्त के संबंध में कदम उठाए जाते हैं। इस बारे में जब पर्याप्त सामग्री एकत्रित

हो जाती है तो मामले की पुन: जांच कराने और अंतत: उस देश में पेटेंट को निरसन कराने के लिए एक याचिका दायर करने हेतु कदम उठाये जाते हैं।

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह पेटेंट कानून संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब अमरीका ने हमारे नीम और हल्दी को पेटेंट किया था तो तब हमने विगत में अनेक समस्याओं का सामना किया। सी०एस०आई०आर० ने इसके विरुद्ध अदालत में लड़ाई लड़ी थी और अन्तत: हमने इस मुकदमें को जीता। अमरीका ने एक बार बासमती चावल का पेटेंट कर दिया। हमने इस मामले पर सभा में भी चर्चा की थी। अब, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में, 46,000 पादप और 81,000 पशु प्रजातियां हैं। पश्चिमी देश भारत की वैकल्पिक औषधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अत: मैं जानना चाहता हूं कि आपने सभी आयुर्वेदिक पादपों को पेटेंट करने और यह सुनिश्चित करने कि भारत से बाहर हमारे पौधों की तस्करी न की जाए, के लिए क्या पूर्व एहतियादी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : पेटेंट कानून के अनुसार जो कानून हमारे देश में भी हैं; आयुर्वेदिक औषधियों आदि और पादप सम्बंधी सभी चीजें हमारे देश में पेटेंट किए जाने लायक नहीं हैं।

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बार वे उन्हें पेटेंट कर दें तो हम उसके विरुद्ध अदालत में लड़ने की कोशिश करें।

दूसरा प्रश्न यह है : कि आगे और समस्याओं से बचने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी 11 पादप और पशु प्रजातियों को पेटेंट अधिनियम में शामिल किया जा सके। अन्यथा, उनके द्वारा किसी विशेष पादप को पेटेंट करने के पश्चात् हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच में हर बार उनका सामना करना पड़ेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : अन्य देशों में पेटेंट करने की स्वीकृति उस विशेष देश के कानूनों के अनुसार दी जाती है। हम हल्दी को पेटेंट किए जाने के मामले को लड़ रहे हैं और हम पटेंटे की पुन: जांच को चुनौती देने की भी तैयारी कर रहे हैं जैसा कि हमने बासमती चावल के मामले में किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि अनेक चीजों का पता लगाया गया है और विश्व में कहीं भी ऐसे उत्पादों को पेटेंट किए जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। मेरे मित्र, श्री येरननायडू ने नीम का मामला ठीक ही उठाया है। "मंत्रियों को पेटेंट किए जाने के लिए खोज के विषय अर्थात् नवीनता, अप्रकटन और औद्योगिक व्यवहार्यता की शर्तों को पूरा करना पड़ता है।" जहां तक इसका संबंध है, अनेकों प्रजातियों में से आप इस बात का कैसे पता लगाएंगे कि यहां एक भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो इस औद्योगिक व्यवहार्यता के अंतर्गत आ सकती हों ? क्या आपने कभी इसकी जांच की है ? यदि नहीं, तो कृपया इसकी जांच जरूर करें। यदि जब यह सोचते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन किया जाए तभी आपको पेटेंट कानून में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम इन सभी अतिमहत्वपूर्ण औषधीय पादपों को बचा सकें।

श्री सिकन्दर बख्त : प्रथमत: प्राणी और वनस्पतियां लोक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो आदर्श मूल पाठों सहित वर्तमान सूचना के आधार पर शासित होते हैं। जैसाकि हमारे देश में होता है। कुछ देश इस पर प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम इस तरह के प्रस्तावों पर आपस में लड़ते रहे हैं। जैसाकि मैंने हल्दी के बारे में अभी-अभी कहा था कि हमने अमरीका में पेटेंट की स्वीकृति की चुनौती दी हैं। हमने उस देश में इसकी पुन: जांच के लिए चुनौती दी और हमें इसमें सफलता मिली। हमने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या हम अपने पेटेंट कानून में सुधार अथवा संशोधना कर सकते हैं; यदि हमारे वर्तमान कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं तो हम इसमें प्राणीजात और वनस्पतिजात तथा प्रजातियों को शामिल कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे इस कार्य को पूरा कर लेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : वह एक लम्बी कार्रवाई है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : पूर्व मंत्री द्वारा पूछे गये अति-महत्वपूर्ण प्रश्न का दिया गया उत्तर असंतोषजनक है, प्रश्न सीधा-सा है। प्रश्नकर्ता यह पूछना चाहते हैं कि यह सरकार प्राणीजात और वनस्पति-जात को पेटेंट करने के लिए क्या कदम उठा रही है। उत्तर सम्भावित यह था कि क्या आप प्राणीजात और वनस्पतिजात को शामिल करने के लिए पेटेंट कानून में कोई संशोधन करने जा रहे हैं या नहीं। यही प्रश्न का सारांश था। जो कुछ होने जा रहा है उसकी आपने केवल सूचीमात्र ही दी है, मंत्रीजी इसे भली-भांति जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अधीन, भारत को अपने पेटेंट कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमने विवाद निपटान तंत्र में अपील की और हम यह मामला हार गए। भारत सरकार को अपने पेटेंट कानून में संशोधन करने के लिए 15 माह का समय दिया गया था।

अब मूल प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार पेटेंट कानून में संशोधन करने जा रही है। आप विभिन्न किस्म के पादप संरक्षण के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? जैव-विविधता विधेयक और भौगोलिक अधिधान विधेयक के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? इस प्रश्न का संबंध इन सभी चीजों से है। मंत्रीजी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार जीवित प्राणियों और सूक्ष्मजीवों को शामिल करने के लिए पेटेंट कानून में संशोधन करने जा रही है जैसाकि यह अधिदेशाधीन अथवा स्वभावत: अधिदेशाधीन है। मैं नहीं जानता कि जिस मामले को हम जिनेवा में हार गए हैं, की आप विश्व व्यापार संगठन के समक्ष किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। तो स्थिति क्या है ? कृपया हमें बताएं कि क्या आप पेटेंट कानून में संशोधन करने जा रहे हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री सिकन्दर बख्त : भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बात को दृढ़ करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व व्यापार संगठन के समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार संबंधी पहलुओं और बौद्धिक सम्पदाओं संबंधी करार शामिल है। भारत का टी०आर०आई०पी०एस० समझौते में अपनी बाध्यताओं के अनुसार आई०पी०आर० संबंधी अपने कानून और प्रचलन का पक्ष लेना अपेक्षित है। तथापि, इसके पास इसमें परिवर्तन करने के लिए जनवरी 2000 तक का समय है, और आगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों जिन्हें अब तक संरक्षित नहीं किया

गया है—मुख्यत: भेषज और कृषि रसायन क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट सुरक्षा शुरू करने के लिए जनवरी 2005 तक का समय है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : इस मामले, जिसे हम जिनेवा में हार गए थे और जिसके बारे में अगली अप्रैल के अंत में 15 माह का समय समाप्त होने जा रहा है के परिणामस्वरूप आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : तारीख जो मैंने दी है, वह सही है। मैंने आगे यह भी बताया है कि हम अपनी तरफ से यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पेटेंटों पर क्या-क्या संशोधन लाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को देखने के लिए वैज्ञानिकों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है *(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : हमारे पास अगले माह तक की समय सीमा है।

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पेटेंट पर देश भर में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। यहां भी काफी देर से सप्लीमेंट्री प्रश्नों के आधार पर चर्चा हो रही है लेकिन यह समस्या इतनी गंभीर है कि इसके बारे में हम लोगों को कुछ अलग से भी विचार करना चाहिए। हमारे यहां वनस्पतियों को पेटेंट करने के बारे में चर्चा हो रही है, वनस्पतियां आयुर्वेद का एक अंग हैं। आयुर्वेद में अनेकों इस तरह की और भी वनस्पतियां तथा नो-हाउ हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। आयुर्वेद वेद का एक अंग है, यह बहुत गंभीर मामला है। वेद की टोटल 1153 शाखाएं हैं, चार मुख्य शाखाएं हैं और सभी शाखाओं में ज्ञान-विज्ञान और नो-हाउ भरा पड़ा है। *(व्यवधान)*

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो वेद ज्ञान-विज्ञान और नो-हाउ से पटा पड़ा है, अगर उसे ही पेटेंट करा लिया जाए तो हमारी पेटेंट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्या सरकार इस मामले में सोच रही है और अगर नहीं सोच रही है तो क्यों नहीं सोच रही है ?

श्री सिकन्दर बख्त : सरकार सब कुछ सोच रही है। फिलहाल जैसा कानून हमारे मुल्क में है उसी कानून के मातहत सरकार चल सकती है। उस कानून के अंदर कोई तरमीम करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए एक कमेटी बनी है।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : उत्तर से पता चलता है कि वनस्पतिजात और प्राणीजात का पेटेंट किए जाने के बारे में विभाग में गलतफहमी है। इसके दो भाग हैं। एक, वनस्पतिजात और प्राणीजात का पेटेंट करने और दूसरी अन्य औषधियों के बारे में हैं। हमारे सुश्रुत जैसे अच्छे डॉक्टरों ने कुछ हजार वर्ष पहले आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां जो कि स्वदेशी हैं की विभिन्न किस्मों की खोज की। इसलिए, माननीय मंत्री द्वारा अलग-अलग दो हिस्से किए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। ऐसे उत्पादों के पेटेंट की विश्व में कहीं भी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। आमतौर पर, वनस्पतिजात और प्राणीजात के बारे में कठिनाई हो सकती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभाग द्वारा सुश्रुत से लेकर हमारे महान आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा प्राप्त औषधियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन सभी विकसित देशों को चेतावनी दी जा रही है जो हमारे देश पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में विभिन्न कठिनाईयों और प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए संयुक्त राज्य हल्दी का पेटेंट करना चाहता है।

कृपया इस उत्पाद से बनने वाली सभी औषधियों की सूची दें तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य स्थानों पर चेतावनी संबंधी सूचना जारी करें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैने देखा है कि भारत ने मामला लड़ा है और जीत गया है। यह रक्षात्मक कार्यवाही क्यों हो ? हम वहां पेटेंट प्राप्त होने के बाद जाते हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें पुन:परीक्षण की प्रकिया से गुजरना होता है तथा इसे अंतत: वापिस लिया जाता है। अब हम चेतावनी जारी कर सकते हैं। चेतावनी के कारण न्यायालय द्वारा यह सूचित किए जाने कि अनिवार्यता है कि चूंकि ऐसा आवेदन किया गया है तब इस संबंध में आपको क्या कहना है। कृपया यह करें। मैं ये दो बातें कहना चाहता हूं।

एक और बात *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल एक पूरक प्रश्न की अनुमति दी गई है।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं कहना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत जीव जंतुओं तथा वनस्पितियों की पहचान कर ली गई है तथा 30 प्रतिशत की पहचान शेष है। हमारे देश में केवल 46000 प्रजातियों की पहचान की गई है। कई लाख प्रजातियां हैं। मेरा सुझाव यह है कि इन्हें तुरन्त सूचीबद्ध किया जाए अन्यथा ये विकसित देश भूमंडलीकरण नीति के अंतर्गत इसमें शामिल हो जाएंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख की गई इन वस्तुओं के सर्वेक्षण तथा कूटबद्ध किए जाने का कार्य एक सतत् प्रकिया है। यह चल रही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जैसे संगठनों द्वारा इनके पूरे सर्वेक्षण कार्य को शुरू किया गया है। जैसाकि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इनके द्वारा देश के 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है। वनस्पतियों की 46000 तथा जीवों की 81000 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

इसी प्रकार केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद और केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद हमारे पास उपलब्ध सूचना के संबंध में अपनी सूची बना रही हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश अन्य देशों में पेटेंट उस देश के कानून के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। अब हमारे देश के कानून तथा अन्य देशों के पेटेंट कानूनों में कोई समरूपता नहीं है। अत: कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लेकिन हमारे द्वारा चुनौती दिया जाना लाभदायक सिद्ध हुआ है। हम पुन: परीक्षण में सफल रहे हैं तथा इसी आधार पर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : आप अब चेतावनी दायर क्यों नहीं कर

रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन आप कृपया बैठ जाएं। यह शून्य-काल नहीं प्रश्नकाल है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, यह चेतावनी जारी किए जाने से संबंधित है। मैं यही कह रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मुझे चेतावनी जारी किए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय मंत्री महोदय से कतिपय महत्वपूर्ण बातें पूछना चाहूंगा। पूर्व रिपोर्ट का और हमारे द्वारा गठित समिति का क्या हुआ। हम जिस अद्वितीय कानून को बनाने जा रहे हैं, उसका क्या हुआ। यह हमारा था। उसका क्या हुआ है? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे व्यापक क्षेत्र प्रभावित होने जा रहा है। इससे हमारी कृषि प्रभावित होने जा रही है। इससे हमारा बीज उत्पादन और इसके उत्पादक प्रभावित होंगे। सब कुछ इसपर निर्भर करता है। हमें इसके प्रति अत्यधिक चिंतित होना चाहिए क्योंकि हमने ऐसा कपास के संबंध में किया था तथा हमें सफलता मिली थी।

बासमती का क्या हुआ है? अत: हमें निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए तथा हमें इतना अवश्य क्रियाशील होना चाहिए ताकि हम भविष्य में होनेवाली घटनाओं का अनुमान लगा सकें। इसे भी आप बासमती और हल्दी की तरह हमसे छीनना चाहते हैं। निश्चितरूप से हमें इससे अत्यधिक सावधान रहना चाहिए अन्यथा या तो आप अमरीकी सम्मेलन में जायेंगे अथवा अन्य देश। अत: आपको अलग रूप से निर्णय करना है। आपको इन मामलों पर बगैर किसी विलंब के निर्णायक कार्यवाही करनी है।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, हमने अलग रास्ता पहले से ही चुन लिया है, मैं आपको इसकी सूचना दूंगा।

श्री बलराम जाखड़ : आप आवश्यकतानुसार समय लेकर बाद में सूचना दे सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं आपको आवश्यक सूचना अभी दे रहा हूं।

पेड़-पौधों पर अपने ढंग के अद्वितीय विधान पर कृषि मंत्रालय कार्य कर रहा है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने इस संबंध में अपनी समस्याओं के लिए अलग से रास्ता चुन लिया है।

श्री रूपचन्द पाल : बासमती, नीम तथा हल्दी के संबंध में अत्यधिक भ्रम है। वास्तव में विभिन्न समस्याएं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि डा० असीम चटर्जी जैसे हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा पहले ही बहुमूल्य कार्य किया जा चुका है तथा भारी संख्या में पेड़-पौधों तथा जड़ी-बूटियों पर इनकी औषधिक गुण जानने हेतु भारत की कई प्रयोगशालाओं में यह बहुमूल्य कार्य चल रही हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों के पास इतनी वित्तीय क्षमता नहीं है कि ये इन्हें विश्व स्तर पर पेटेंट करा सकें। अब क्या हो रहा है? इन वैज्ञानिकों जिन्होंने यह बहुमूल्य कार्य किया है, से कतिपय बिचौलियों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करते हैं द्वारा उन्हें आर्थिक लाभ देकर अपनी जानकारी देने हेतु संपर्क किया जाता है। अत: मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वो इन वैज्ञानिकों, जिन्होंने भारत के पेड़-पौधों तथा जूड़ी-बूटियों के औषधिक गुणों के संबंध में कतिपय निर्णायक प्रमाण प्राप्त कर चुके हैं, के लिए कुछ विशिष्ट निधि स्थापित करने हेतु तैयार है?

श्री सिकन्दर बख्त : यह सुझाव नोट कर लिया गया है। मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं। यह सच है कि हम अपने प्रजातियों को सुनिश्चित करने तथा इसकी रक्षा करने हेतु सब कुछ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 245, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को प्रश्न सं० 245 पूछने हेतु पहले ही बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : प्रश्न सं० 248 के उत्तर में वाणिज्य मंत्री ने एकदम ही भिन्न उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है :

> "भारत टी०आर०आई०पी०एस० समझौते की धारा 70.8 तथा 70.9 के अंतर्गत अंतवर्ती बाध्यताओं को 19 अप्रैल, 1999 तक पूरा करने पर सहमत हो गया है।"

दोनों मंत्रियों द्वारा अलग-अलग उत्तर दिए गए हैं। वे इस संबंध में तैयारी कर के नहीं आये हैं। *(व्यवधान)* उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा। क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 246, श्री पी० उपेन्द्र।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० सोनकर शास्त्री, आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 247, श्रीमती जयन्ती पटनायक।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमें आपका संरक्षण चाहिए। मैंने पेटेंट लॉ पर इस हाउस में बिल प्रस्तुत किया है। *(व्यवधान)* आधे घंटे की चर्चा आप इस पर एलाव कर दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 247, श्री के०एल० शर्मा।

व्यापार संबंधों पर परमाणु परीक्षण का प्रभाव

+

*247. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षण के पश्चात् कुछ देशों द्वारा भारत के विरुद्ध लगाये गये प्रतिबंधों से विकसित देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए विकसित देशों में विशेष दूत भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हालांकि, कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं किन्तु, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अमरीकी शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम, जो अन्यथा ग्लेन संशोधन के रूप में जाना जाता है, की धारा 102 के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ व्यापार संबंधी उलझनें उत्पन्न हुई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :-

(1) शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत रक्षा-सामान, रक्षा-सेवाओं या डिजाइन और निर्माण सेवाओं की बिक्री की समाप्ति और अमरीकी युद्ध-सामग्री की सूची की किसी भी मद के निर्यात के लिए लाइसेंसों की समाप्ति;

(2) संयुक्त राज्य सरकार के किसी विभाग, एजेन्सी या सहायता द्वारा किसी ऋण, ऋण-गारन्टियों या अन्य वित्तीय सहायता की मनाही;

(3) भारत को संयुक्त राज्य अमेरीका से किए जाने वाले निर्यातों के समर्थन में निर्यात-आयात बैंक को गारंटी देने, बीमा करने, या ऋण देने या ऋण देने में भागीदारी के लिए मना करना; और

(4) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस के अधीन विशिष्ट माल और प्रौद्योगिकी की भारत को निर्यात करने की मनाही।

(ख) सरकार का यह विचार है कि व्यापार प्रतिबंध, विशेषकर भारत के विरुद्ध लगाए गए व्यापार प्रतिबंध टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के अन्तर्गत परम मित्र राष्ट्र सिद्धान्त के प्रतिकूल होंगे।

(ग) से (ङ) सरकार स्थिति से निपटने के लिए स्वयं आवश्यक पहल कर रही है जिसमें भावी गतिविधियों पर चुस्त निगरानी बनाए रखना शामिल है। इन प्रतिबंधों के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की मॉनीटरिंग करके उसका जायजा लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे हैं, उन प्रतिबंधों का विशेषरूप से किस एस्पैक्ट पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उसे मीट-आउट करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के बारे में यहां जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उनका सामना हम कैसे करेंगे, उनको मीट-आउट कैसे करेंगे ? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधों के कारण इस समय जो जनरल इम्प्रैशन बन रहा है और एक स्केअर सा बन गया है, रुपया डि-वैल्यू होता जा रहा है। सारे देश में ऐसा वायु मंडल बना कि उसका इंडस्ट्री पर असर पड़ा इस स्केअर को दूर करने के लिए तथा कॉनफिडेंस क्रिएट करने के लिए मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से क्या योजना बनाई है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस माहौल की बात कही है, मुझे डर है कि कुछ दिनों तक यह माहौल ऐसा रहेगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो धमकी दी है, वह सिर्फ धमकी है। उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। जो सैंक्शन्स हैं, वे आर्म्स के कम्पोनेंट्स के एक्सपोर्ट पर हैं, वे ट्रेड सैंक्शन नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमने बहुत से कदम एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में उठाए हैं। आज सुबह आपने पढ़ा होगा कि इस बारे में रिजर्व बैंक ने भी कुछ कदम उठाए हैं। शायद माननीय वित्त मंत्री आज अपनी स्टेटमैंट में और कुछ कदमों के बारे में बताएंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुछ सैंक्शन्स के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन्स के नाते कोई कैटिगिरी बनाई जा रही है और इस तरह की कई बातें सामने आई हैं। सैंक्शन्स के बारे में आप कह रहे हैं कि जैसा माहौल बनना चाहिए वह नहीं बना, यह बात ठीक नहीं है। इसके लिए कोई टाइमिंग्स तय नहीं है कि क्या स्पैसिफाइड सैंक्शन्स होंगे ? ये सब चीजें क्लैरिफाइ न होने के बाद भी उनका इम्पैक्ट पड़ा है। लोग स्केअर फील कर रहे हैं। देश के अन्दर और बाहर इन सारी सैंक्शन्स का इम्पैक्ट एडवर्स न हो, उसे दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई प्रयास हो रहे हैं ? यदि कोई प्रयास हो रहे हैं तो उनकी डिटेल्स क्या हैं ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक-दो कदमों के बारे में बताया। आज ही वित्त मंत्री और कदमों के बारे में बताएंगे। शायद शर्मा जी ने आज सुबह पढ़ा होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है।

[अनुवाद]

अल्ब्राइट को विपरीत प्रभाव पड़ने की शंका है, इसलिए प्रतिबंधों में ढिलाई के पक्ष में है।

[हिन्दी]

यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने जो धमकियां दी हैं, वह उनके बारे में कुछ भी सीरियस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह बयान क्लिंटन की चीन यात्रा के संबंध में है। *(व्यवधान)* उस संदर्भ में वह प्रतिबंधों में छूट देने की बात कर रही थी। *(व्यवधान)* एक विशेष प्रश्न उठाया गया है और हम चिंतित हैं। मैं माननीय मंत्री को बता दूं कि यह बयान चीन पर लगाये गए प्रतिबंधों के बारे में है न कि भारत पर लगाये गये प्रतिबंधों के बारे में।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि अमरीका के दृष्टिकोण से भी चीन के मुकाबले भारत कम महत्वपूर्ण नहीं है। अमरीका इस तथ्य की उपेक्षा अथवा अनदेखी नहीं कर सकता है कि भारत एक सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि निर्यात के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और रुपये के मूल्य को बचाए रखने के लिए उसने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ और कदमों के बारे में मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री जी बताएंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार हमें यह बता रही है कि उसे इन प्रतिबंधों से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से सरकार ठीक ही कह रही है। परन्तु, यदि सरकार यह नहीं बताएगी कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों के कारण हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वह क्या कदम उठा रही है तो यह बात उचित नहीं होगी। वह सिर्फ यह कह रही है कि अमरीका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगायेगा क्योंकि इससे अमरीका ही प्रभावित होगा न कि भारत। मेरे विचार से यह धारणा सही नहीं है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर इन प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में हमारे ऊपर दूसरा अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। व्यापार के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं जो हमारे लिए हमारी आवश्यकता के अनुसार ऋण देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमें तुरन्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अतः कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके मामले में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।

जो कुछ भी किया गया उसकी प्रशंसा करते हुए देश निश्चय ही यह जानना चाहेगा कि प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है। हम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं कि प्रतिबंध नहीं लगाए जायेंगे। सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रतिबंध लगाये जाने की स्थिति में उसका क्या योजना अथवा कदम उठाए जाने का विचार है। हम यह जानना चाहेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाये गए हैं; तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? कतिपय रक्षा संबंधी वस्तुओं को छोड़कर अन्य किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के बारे में क्या हुआ ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : जहां तक प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण का संबंध है यह सही है कि वे हमें प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सहमत नहीं होंगे। परन्तु यह भी लम्बे समय तक नहीं चलेगा।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, उस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में मैंने यह पाया कि हम सभी लोग अमरीका द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं। जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों के बारे में क्या ख्याल है ? उनका क्या रवैय्या है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान ने पहले ही कह दिया है कि वह 'प्रतिबंध' जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसकी बजाय वह 'उपाय' जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा ? वे हमारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। क्या सरकार यह जानती है कि वे कौन-सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि इंग्लैंड में हुई जी-आठ की बैठक में अमरीका ने प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय को अन्य देशों से मनवाने के लिए अपना दबाव अजमाने की कोशिश की। परन्तु, इस मामले में जर्मनी सहित कोई भी देश सहमत नहीं हुआ है।

श्रीमती कृष्णा बोस : जापान के बारे में क्या हुआ ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : जर्मनी ने भारत के विरुद्ध व्यापार अथवा अन्य क्षेत्र में किसी प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है। यह सही है कि जापान सबसे अधिक गुस्सा करने वाला दूसरा देश है जिसने भारत द्वारा परमाणु विस्फोट करने की आलोचना की है। हम जापानी लोगों की भावना को समझ सकते हैं क्योंकि वे ऐसे विनाशकारी हथियार की चपेट में आने वाले पहले व्यक्ति थे। परन्तु उनके मन में जो विचार हैं उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया है।

श्री मुरली देवरा : एडीबी के बारे में क्या हुआ ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : यदि ए०डी०बी० ऋण नहीं देगा तो कोई अन्य बैंक हमारी सहायता के लिए आगे आयेगा। और कई बैंक हैं। भारत की ऋण साख कभी भी प्रभावित नहीं हुई है। यदि कोई एक बैंक हमारे लिए अपना दरवाजा बंद कर देगा तो दस बैंक हमारे लिए दरवाजा खोल देंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : हमारी पहले की सरकारों और खास तौर से कांग्रेस की सरकारों को कर्ज लेकर भीख लेने की इतनी आदत हो गई है कि काजी जी शहर के अंदेशे से दुबले क्यों, अमेरिकी सैंक्शन का क्या असर होगा, यह सोच-सोच कर वे दुबले हुए जा रहे हैं, जबकि सैंक्शन एक दुधारू तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। जितना वह हमें नुकसान करेगी, उससे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी। सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि देश के विकास में *(व्यवधान)* आपके खुद के दिए आंकड़े इस बात के गवाह हैं

कि 1991 के बाद यानी आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुल पूंजी निवेश के दो फीसदी से भी कम रहा है। इसका मतलब है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी देश का विकास करीब-करीब आंतरिक संसाधनों से हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बाहर समझाने की अपेक्षा देश में ऐसे लोग, जो कटोरा लेकर भीख मांगने की इतनी वकालत करते हैं, उनको समझाने के लिए क्या कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। *(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खराब कोयला/स्लरी की बर्बादी

***245. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० और कोल इंडिया लि० की अन्य अनुषंगी कंपनियों से निकला भारी मात्रा में खराब कोयला/स्लरी बर्बाद हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कोल इंडिया लि० की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में पड़े खराब कोयले/स्लरी के भंडार की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) इस भण्डार की बिक्री न करने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि० को कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबंधन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सांठगांठ से भारी मात्रा में कोलियरीज में पड़े खराब कोयले/स्लरी की चोरी हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे खराब कोयले/स्लरी की बिक्री/नीलामी करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं। किन्तु, समय के साथ-साथ भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को०को०लि०) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (से०को०लि०) की विभिन्न वाशरियों में स्लरी और वाशरी अवशिष्टों की कुछ मात्रा एकत्र हो गई है क्योंकि इन उत्पादों का कोई नियमित बाजार नहीं है।

(ख) को०इं०लि० की विभिन्न सहायक कंपनियों में स्लरी तथा वाशरी अवशिष्टों का स्टाक नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े मिलियन टन में)

(डाटा अनंतिम)

कंपनी	स्टाक (1.4.1998 की स्थिति के अनुसार)	
	स्लरी	अवशिष्ट पदार्थ
भा०को०को०लि०	1.440	6.978
से०को०लि०	1.109	7.912
बे०को०लि०	0.530	—

(ग) इन उत्पादों का कोई नियमित बाजार नहीं है तथा उदारीकृत बिक्री योजना के माध्यम से इनका विक्रय किए जाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस कोयले की सीमित उठान हुई है। को०इं०लि० ने सूचना दी है कि गुणवत्ता आधार पर स्टाक के मूल्यांकन के 10% की हानि के अतिरिक्त कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ है।

(घ) कोयला क्षेत्रों से कोयले की चोरी को रोकने के लिए को०इं०लि० प्रबंधन राज्य सरकार के सहयोग से सभी प्रकार के कदम उठा रहा है।

(ङ) से (छ) भा०को०को०लि० ने एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में बोली के माध्यम से नीलामी किए जाने के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों और स्लरी के विक्रय की योजना को अनुमोदित कर दिया है।

[अनुवाद]

आधारभूत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एशियाई विकास बैंक के प्रस्ताव

***246. श्री पी० उपेन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने बैंक द्वारा दी जा रही सहायता में वृद्धि करने से पूर्व शर्त के रूप में देश में आधारभूत परियोजनाओं में तेजी लाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपील

***248. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपील विश्व व्यापर संगठन ने नामंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससे भारत के व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के समक्ष संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध दायर शिकायत पर, और विवाद निपटान प्रक्रिया से गुजरने के बाद डब्ल्यू०टी०ओ० के विवाद निपटान निकाय (डी० एस० बी०) ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपनी कानूनी व्यवस्था को भेषजीय और कृषिजन्य रासायनिक उत्पादों की पेटेन्ट सुरक्षा को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर करार (ट्रीप्स करार) के अनुच्छेद 70.8 (उत्पाद पेटेन्ट के लिए आवदेनों की प्राप्ति हेतु मेल बाक्स सुविधाओं का प्रावधान) और अनुच्छेद 70.9 (ऐसे उत्पादों के लिए विशिष्ट विपणन अधिकार प्रदान करना) के अन्तर्गत दायित्वों के अनुरूप करे। ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 65 के अन्तर्गत विकासशील देश सदस्य होने के कारण भारत को 1 जनवरी, 95 से दस वर्षों की संक्रमण अवधि प्राप्त है जिससे कि वह भेषजीय और कृषिजन्य रासायनिक उत्पादों की उत्पाद पेटेन्टिंग ले सके। किन्तु, ट्रीप्स करार के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 में एक साधन प्रदान करने के लिए संक्रमणकालीन कुछ दायित्वों का भार डाला गया है, जिसके द्वारा उत्पाद के निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भेषजीय और कृषि जन्य रासायनिक उत्पादों के उत्पाद पेटेन्ट के लिए आवेदनों को 1 जनवरी, 1995 से दिया जा सकता है और विशिष्ट विपणन अधिकारों की व्यवस्था के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है जब उत्पाद निर्धारित शर्तें पूरी कर ले।

डी०एस०बी० की 13 फरवरी, 1998 को आयोजित बैठक में भारत ने उचित समयावधि के अन्तर्गत डी०एस०बी० के निर्णयों और सुझावों को लागू करने की अपनी इच्छा की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अनेक द्विपक्षीय चर्चाओं के बाद भारत ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 के अन्तर्गत अपने संक्रमणकालीन दायित्वों को 19 अप्रैल, 1999 तक पूरा करने पर सहमत हो गया है। यह वह प्रावधान है जिसका संबंध बौद्धिक संपदा अधिकारों के संभव अधिकार प्रदान से है और व्यापार पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह भारत में विनिर्मित समतुल्य उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता, सस्ते स्थानापन्नों की उपलब्धता बनाए रखे गए टैरिफ के स्तर और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भारत के अन्दर लगाए गए कीमत नियंत्रण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

यदि भारत सम्मत समयावधि में अपने दायित्व पूरे नहीं करता है तो जैसाकि डब्ल्यू०टी०ओ० करार में दिया गया है, जिस सदस्य ने विवाद निपटान प्रक्रिया शुरू की है, इसके द्वारा मुआवजा लगाया जा सकता है और रियायतों का स्थगन या अन्य दायित्वों का सहारा लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क का निर्धारण

***249. श्री रामानन्द सिंह :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद/सीमा शुल्क के अनन्तिम निर्धारण संबंधी अनेक मामले अंतिम रूप दिये जाने हेतु गत दो-तीन वर्षों से लम्बित हैं जबकि कुछ अन्य मामले 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी राशि अर्न्तग्रस्त है;

(ग) इन मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) दिनांक 31.12.97 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनंतिम निर्धारण के 590 मामले एवं सीमा शुल्क के 7389 मामले गत 2-3 वर्षों से अंतिम रूप देने के लिए लंबित पड़े हैं।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों में 1412.19 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। सीमा शुल्क के मामलों में अंतर्ग्रस्त राशि से संबंधित आंकड़ों को क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र किया जा रहा है तथा इन्हें सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्गीकरण तथा मूल्यांकन विषयों से जुड़े अनेक मामले न्यायाधिकरण एवं न्यायालयों में लंबित हैं। परियोजनाओं को मंजूरी देने से संबंधित कुछ मामलों को भी अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने में काफी समय लग गया है। निर्धारितियों से भी कुछ जानकारी अभी प्राप्त होनी है। विभाग द्वारा कुछ मामलों की जांच की जानी है। सीमा शुल्क के संबंध में, सम्यक लाइसेंस जांच रिपोर्ट, तकनीकी साहित्य के अभाव में कई मामले लंबित पड़े हैं।

(घ) अनंतिम निर्धारण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त मामले की प्रगति पर मासिक आधार पर निगरानी रख रहे हैं तथा मामलों को 6 माह के भीतर अंतिम रूप देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय में लंबित विषय-वार मामलों को एक साथ निपटाने के लिए एकत्र करने तथा न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के समक्ष शीघ्र सुनवाई याचिका दायर करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। न्यायनिर्णय के लिए और अधिक आयुक्तों को नियुक्त करके और अधिक आयुक्तालयों का सृजन करके रासायनिक प्रयोगशालाओं में कार्य का पुनर्गठन करके मामलों के न्याय-निर्णयन में तेजी लाई जा रही है। विवाद के मुद्दों को कम करने के लिए टैरिफ संरचना को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने, अंत्य प्रयोग आधारित छूटों में कमी करने जैसे उपाय भी किए गए हैं। सीमा शुल्क के क्षेत्र में एक मूल्यांकन निदेशालय को स्थापित किया गया है।

धोवनशालाओं संबंधी समिति

***250. श्री नरेन्द्र बुढानिया :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय कोयला धोवनशाला संगठन के

नियंत्रणाधीन कोयला धोवनशालाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार द्वारा तत्कालीन केन्द्रीय कोयला वाशरी संगठन (सी०सी०डब्ल्यू०ओ०) की चार वाशरियों सहित 10 विद्यमान वाशरियों के क्रियाकलापों की जांच किए जाने के लिए अगस्त, 1985 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। कोककर कोयले के आयात पर निर्भरता में कमी किए जाने के लिए, एक कार्रवाई योजना तैयार किए जाने हेतु नवम्बर, 1992 में सरकार द्वारा अन्य तकनीकी दल का गठन किया गया था। इस समिति ने भी विद्यमान वाशरियों (सी०सी०डब्ल्यू०ओ० वाशरियों सहित) के क्रियाकलापों का अध्ययन किया तथा मई, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) और (ग) 1985 में गठित विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. डा० वी०ए० आलटेकर — भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला (एन०एम०एल०) —अध्यक्ष
2. श्री पी०आर० सिन्हा — सलाहकार (परियोजना), कोयला विभाग —सदस्य
3. श्री बी० शरण — सी०जी०एम० (वाशरियां), से०को०लि०, रांची
4. श्री डी०बी० अग्रवाल — सी०सी०एस०ओ०, सेल, धनबाद —सदस्य
5. श्री सी० घोष — ए०सी०ई० (सी०पी०), भाको-कोलि, धनबाद —सदस्य
6. डा० आर०एन० सिंह — क्षेत्रीय निदेशक (मुख्यालय), सी०एम०पी०डी० डी०आई०एल० —सदस्य सचिव

समिति के विचाराधीन विषयों में इस्पात संयंत्रों को 17/—0.5% राख तत्व वाले धुले कोककर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यक्रम का प्रतिपादन करना तथा इसके लिए उपाय सुझाना था। समिति ने अक्तूबर, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(घ) विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे—(i) कच्चा कोयला फीड की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डीशेलिंग संयंत्र, (ii) साफ कोयले के उत्पादन में सुधार के लिए उत्तम कोयला परिष्करण सर्किट, तथा (iii) प्रचालन कुशलता में वृद्धि किए जाने हेतु वाशरियों को स्वचालित बनाना।

(ङ) सिफारिशों में लघु अवधि तथा दीर्घावधि, दोनों प्रकार की सिफारिशें शामिल थीं। भा०को०को०लि० की दुग्दा-II तथा सुदामडीह वाशरियों में डीशेलिंग संयंत्रों का निर्माण कार्य पूरा न किए जाने के अतिरिक्त, लघु अवधि तथा दीर्घावधि, दोनों प्रकार की सभी सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार

*251. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के कम उत्पादन और इस क्षेत्र में व्याप्त लदान संबंधी समस्याओं के कारण देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयले के भंडार के कुछ ही दिनों में समाप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि कोयले के कम उत्पादन और लदान संबंधी समस्याओं के कारण विद्युत गृहों के पास कोयले के स्टॉक पर्याप्त नहीं हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कोयले के उत्पादन में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र को प्रेषित किए जाने वाले कोयले का रेल द्वारा लदान किए जाने में भी सार्थक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत गृहों के स्टाक में 28.5.1998 से 24 दिनों की खपत के बराबर कोयले के भंडार हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के विद्युत गृहों में पिछले तीन वर्षों से विद्यमान कोयले के कुल स्टॉक का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

निम्न तारीख को स्टॉक	मात्रा ('000 टन में)
1.4.1996	5314
1.4.1997	10386
1.4.1998	17016
28.5.1998	14925

(ग) कोयला कंपनियां देश में सभी विद्युत गृहों को कोयले की संयोजित मात्रा में आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तथा उन्हें कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परस्पर समन्वय बनाया हुआ है। विद्युत गृहों को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति की अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा

जहां कहीं भी आवश्यक हो, कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

वस्तुत: कई विद्युत गृहों ने 1997-98 के दौरान पूरे वर्ष कोयले की आपूर्ति पर रोक लगा रखी थी तथा कोयले के स्टॉक के लिए स्थान की कमी होने के कारण अप्रैल, 1998 के दौरान उन्होंने कोयले की आपूर्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

[अनुवाद]

कोयले की मांग और पूर्ति में अन्तर

***252. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोयले की मांग और पूर्ति की तुलना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति का राज्यवार/कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयले की मांग और पूर्ति में कितने प्रतिशत का अंतर रहा है;

(ग) चालू वर्ष के लिए अनुमानित मांग कितनी है और संशोधित लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन अतिरिक्त कोयला उत्पादन के लिए मांग के अपर्याप्त समर्थन के कारण प्रभावित न हो तथा जिसके कारण उसका बहुत अधिक भंडार जमा हो जाएगा, किए गए विचाराधीन नए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न कोयला कंपनियों के भंडारों की स्थिति क्या थी और यह साधारण सीमा से कितना कम या अधिक है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(मिलियन टन में)

	1995-96		1996-97		1997-98•	
कंपनी	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईकोलि	29.75	27.81	31.50	29.65	32.58	27.44
भाकोकोलि	30.50	27.81	29.50	27.14	30.70	30.92
सेकोलि	35.00	30.76	35.20	32.18	33.50	33.20
नाकोलि	35.00	35.20	37.00	37.01	37.00	37.12
वेकोलि	28.25	29.01	29.50	31.23	30.50	32.51
साईकोलि	50.75	53.17	52.50	55.30	55.50	56.63
मकोलि	30.75	32.70	36.00	37.36	39.50	42.17
नाईक्रो	1.00	0.82	0.80	0.75	0.80	0.69
कोइंलि	241.00	237.28	252.00	250.62	260.00	260.63
सिंकोकंलि ग्रहीत	28.00	26.77	30.20	28.73	31.00	28.94
कोलियरियां	5.50	6.08	6.45	6.28	6.46	6.31
कुल जोड़	274.50	270.13	288.65	285.63	297.45	295.93

•अनंतिम

समग्र मांग का राज्य-वार मूल्यांकन न करके, उनका क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कोयले की आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन प्रतिवर्ष)

	1995-96		1996-97		1997-98•	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
विद्युत	191.00	184.52	210.00	199.24	205.90	210.77

1	2	3	4	5	6	7
(मिडलिंग्स)	4.00	2.35	5.00	2.58	4.10	3.59
सीमेंट	15.30	11.00	17.50	11.34	18.20	10.10
इस्पात	38.70	26.42	40.50	25.14	41.40	24.77
अन्य	53.00	49.12	57.00	50.63	57.88	49.00
	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
जोड़	298.00	271.06	325.00	286.35	323.38	294.64
(मिडलिंग्स)	6.70	2.35	7.70	2.58	6.80	3.59

•अनंतिम

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अकोककर कोयले और कोककर कोयले की मांग और आपूर्ति (कच्चे कोयले के संदर्भ में) के बीच के अंतराल की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है :-

अकोककर कोयला

1995-96	1996-97	1997-98
6%	9%	2.5%

कोककर कोयला

1995-96	1996-97	1997-98
46.5%	61.1%	67.1%

(ग) 1998-99 हेतु कोयले की समग्र मांग और उत्पादन प्रेक्षेपण का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(मिलियन टन में)

मांग	उत्पादन का लक्ष्य
325.38	306.50
(7.50)	

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिडिलिंग्स को दर्शाते हैं)

(घ) कोयला कंपनियों ने, विशेष रूप से उद्योग और छोटे उपभोक्ताओं के लिए संयोजनों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए, विभिन्न प्रक्रियाओं से छूट दे रखी है। उन्होंने पार्टियों को कोयले की शीघ्र बिक्री करने की योजनाएं भी शुरू की। ये उपाय मांग को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि स्टॉक किए जाने संबंधी मानदंडों के अनुसार विद्युत कंपनियों को स्टाक स्वीकार करना चाहिए।

(ङ) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार को०इं०लि. के विभिन्न सहायक कंपनियों में कच्चे कोयले की विक्रय योग्य स्टॉक (अनंतिम) की स्थिति, तथा उस सीमा तक, जहां तक यह सामान्य सीमा से अधिक है, का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(आंकड़े लाख टन में)

कंपनी	विक्रय योग्य स्टाक	स्टाक की सामान्य सीमा	सीमा से ऊपर के स्टाक
ईकोलि	35.91	22.86	13.05
भाकोकोलि	59.25	25.77	33.48
सेकोलि	52.04	27.67	24.37
नाकोलि	12.63	30.94	(-)18.31
वेकोलि	22.96	27.09	(-)4.13
साईकोलि	59.88	47.19	12.69
मकोलि	23.02	35.14	(-)12.12
नाईक्रो	9.29	0.57	8.72
कोइंलि	274.98	217.23	57.75

एक महीने की नियामक सीमा से अधिक कोयले के स्टॉक के एकत्र होने का मुख्य कारण, ईकोलि, भाकोकोलि और मेकोलि से हो रहे कोयले के उठान में आई कमी है।

यद्यपि साईकोलि में वर्तमान विक्रय योग्य स्टॉक नियामक सीमा से थोड़ा अधिक है, तथापि स्टाक में काफी कमी आई है, जिससे 31.3.1997 को 79.87 लाख टन के स्टाक से 31.3.1998 में यह 59.88 लाख टन हो गया है।

ना०ई०को० में स्टाक का एकत्रीकरण मुख्यतया कम मांग के कारण है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कार्ययोजना

*253. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई नई कार्ययोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के ध्येय से सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं :- चालू वर्ष के परिव्यय में अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिये 35% वृद्धि किया जाना; दो और उद्योगों नामत: कोयला तथा लिग्नाइट और पैट्रोलियम उत्पादों को लाइसेंस मुक्त किया जाना; उत्पाद शुल्क छूट के प्रयोजनार्थ लघु उद्योग की निष्पादन सीमा में वृद्धि किया जाना; नई ऋण नीति के अंतर्गत बैंक दर कम करके निधियों की लागत में कमी करना; मूल्य सूची को युक्तियुक्त करके तथा देशी उद्योगों के लिये समान स्तरीय गतिविधि क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु आयात पर 8% अतिरिक्त गैर-मोडवेट योग्य उपकरण लगाया जाना। विकास में त्वरिता लाए जाने हेतु उठाए गए कदमों को और विनिर्दिष्ट करने के लिये उद्योग संघों के साथ विचार-विमर्श को जारी रखा जाएगा।

जर्मनी द्वारा कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध

*254. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की सरकार द्वारा एजोडाईज में प्रिंटिड कपड़ों के आयात पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण भारत में प्रिंटिड कपड़ा उद्योग को भारी धक्का लगा है;

(ख) क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य और वस्त्र मंत्री को इस समस्या का समाधान करने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु एक पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) फरवरी, 1996 में राजस्थान के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि जयपुर में अनुसंधान व विकास केन्द्र स्थापित किया जाए जिसमें एजोडाईज के लिए प्रिन्टेड वस्त्रों के लिए पर्याप्त प्रबंध हों तथा वह वनस्पति के रंजकों पर अनुसंधान व विकास कार्य भी कर सके। सरकार ने वस्त्र उद्योग की परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से जयपुर में प्रतिबंधित अमीनों का परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक उपस्करों से सुसज्जित एक प्रयोगशाल की स्थापना कर दी है।

बैंकों द्वारा ऋण

*255. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने और वर्ष 1997-98 में ऋण दरों में कमी किये जाने के बावजूद कोई ऋण लेने वाला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था में इस मंदी के क्या कारण हैं; और

(ग) अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और उसे सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए खाद्य-भिन्न ऋण में हुई वृद्धि 14.2 प्रतिशत थी, जो 1996-97 में हुई 10.9 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी। निधियों के कुल प्रवाह, जिसमें खाद्य-भिन्न ऋण तथा बैंकों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों और सरकार व निजी क्षेत्र दोनों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों और शेयरों में निवेश दोनों शामिल हैं, में 1996-97 में 11.9 प्रतिशत की तुलना में 1997-98 में 17.9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई स्वीकृतियों में 1996-97 में दर्ज 14.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 1997-98 में 48.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि उनके द्वारा किए गए संवितरणों में 1996-97 में हुई 8.4 प्रतिशत की कम वृद्धि की तुलना में 1997-98 में 28.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अत:, आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि सुविधाजनक मौद्रिकता की स्थिति और निम्न उधार दरों के बावजूद 1997-98 में कोई ऋण लेने वाला नहीं है। तथापि, 1997-98 में खाद्य-भिन्न ऋण में हुई वृद्धि 1995-96 और 1994-95 की तुलना में काफी कम थी। 1997-98 में कुल ऋण लेने में आई मंदी को 1995-96 में 12.7 प्रतिशत और 1994-95 में 8.4 प्रतिशत के विपरीत 1997-98 में 6.6 प्रतिशत और 1996-97 में 5.6 प्रतिशत की साधारण औद्योगिक वृद्धि (आधार 1993-94) के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समग्र आर्थिक विकास 1996-97 में 7.5 प्रतिशत से गिरकर 1997-98 में 5 प्रतिशत हो गया।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1998-99 के पूर्वार्द्ध के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण-नीति और 1998-99 के केन्द्रीय बजट दोनों में अर्थव्यवस्था में नई जान-फूंकने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी संख्या में उपाय निहित हैं। इनमें बैंक दर को कम करके उसे 9 प्रतिशत करना, ऋण वितरण प्रणाली में, विशेषकर कृषि और मध्यम व लघु उद्योगों के लिए सुधार करना, वाटर-शेड विकास के आधार पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक आयोजना आवंटन तथा तीव्रीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम, विशाल निजी और सरकारी निवेश के जरिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, उद्योग में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशक के अनुकूल वातावरण का सृजन करना और बचतों का संवर्द्धन करने में अधिक प्रभावशाली वित्तीय व्यवस्था का निर्माण करना और निवेश को सर्वाधिक उत्पादनशील गतिविधियों में लगाने की दिशा में लक्षित कदम शामिल हैं।

हथकरघा बुनकर

*256. **श्री वैको :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा/कपड़ा बुनकरों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के बुनकरों की दुर्दशा की जानकारी है जहां वे अत्यधिक गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में राज्य-वार

कितने बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने का समाचार मिला है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में हथकरघा बुनकरों की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना है; और

(घ) क्या गत वर्ष कपड़ा उद्योग के 68000 कामगार बेरोजगार हो गए थे और लगभग 35 लाख बुनकर नई आर्थिक नीति लागू होने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) दक्षिणी राज्यों सहित अधिकतर राज्यों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान अत्यधिक गरीबी के कारण बुनकरों की भुखमरी अथवा आत्महत्या की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु हथकरघा बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा सहायता प्रदान कर रही है जिसमें निवेश आपूर्ति सहयोग, प्रशिक्षण डिजाइन निवेश, विपणन आदि। इसके अतिरिक्त कल्याण योजनायें जैसे स्वास्थ्य पैकेज योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, समूह बीमा योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना तथा बीमा योजना (नई) प्रचालन में हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 170 वस्त्र मिलें मुख्यत: वित्तीय कठिनाइयों, मजदूरी समस्याओं, हड़तालों तथा तालाबन्दी के कारण अस्थायी तौर पर बन्द पड़ी थी जबकि 50 मिलें परिसमापन के अन्तर्गत बन्द पड़ी थी। बन्द से प्रभावित कामगारों की संख्या 2 लाख से अधिक है।

स्वदेशी उद्योगों का संवर्धन

*257. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित नई उद्योग नीति का उद्देश्य स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन देना तथा उदारीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वदेशी उद्यमियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है;

(ख) क्या विभिन्न उद्योग मण्डलों इस नीति के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सरकार औद्योगिक विकास में वृद्धि किए जाने हेतु निजी निवेश को जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया जाना भी शामिल है, को प्रोत्साहन देने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति-स्पर्धात्मक बनाने और स्वदेशी, उद्यमीयता को बढ़ावा देने संबंधी उपाय किये गये हैं। सरकार के उद्देश्यों में एक उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। नीति तथा पद्धतियों में सुधार किए जाने संबंधी सुझाव उद्योग संघों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सरकारी नियंत्रण तथा कार्य-पद्धति की बाधाओं को न्यूनतम किए जाने संबंधी निरंतर कार्रवाई के अंतर्गत नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा करते समय इन सुझावों पर विचार किया जाता है ताकि निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

निर्यातकों को ऋण

*258. **श्री अशोक प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को दी गई ऋण सुविधा की समीक्षा करने के लिए सरकार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग व्यापार मण्डलों (पीएचडीसीसीआई) ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को संबोधित हाल ही में भेजे गए अपने पत्र में आरबीआई से उसके द्वारा 29.4.98 को घोषित स्लेक सीजन क्रेडिट पॉलिसी के लिए दिए गए अपने सुझावों पर विचार करने का अनुरोध किया था। इन सुझावों में शामिल हैं– निर्यात ऋण के लिए बैंक दर, सीआरआर और ब्याज दरों को कम करना। अन्य सुझावों में शामिल थे – जमा राशियों पर ब्याज-दरों का विनियमन करना, अप्रवासी भारतीयों की जमा-राशि की दरों को अधिक आकर्षक बनाना, पैंकिग ऋण – सुविधाओं के अन्तर्गत निर्यात-उत्पादन के प्रयोजनार्थ स्टॉक और सामान एवं संघटकों को शामिल करना, विदेशी उधारी की सीमाओं को बढ़ाना, ईईएफसी लेखों की पूर्ण परिवर्तनीयता आदि।

(ग) से (ङ) निर्यात संवर्धन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सतत् कार्यकलाप है और जो उद्योग व्यापार और अन्य निर्यात संवर्धन संस्थाओं के साथ तालमेल पर आधारित है। निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय नीति और संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से शुरू किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं – निर्यात और आयात नीति की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, गुणवत्ता और प्रौद्योगिक उन्नयन पर ध्यान देना और निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के प्रयास करना।

निर्यात-निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों, घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता समर्थनकारी बुनियादी सुविधाओं आदि से प्रभावित होता है और सरकार अपनी उदारीकरण की नीति के माध्यम से निर्यातों में अधिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में हाल ही में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं–डी ई पी बी की दरों में संशोधन करना, लगभग 300 नई निर्यात-मदों के लिए डी ई पी बी की दरों की घोषणा करना, गैर सरकारी बद्ध मालगोदाम स्थापित करने की अनुमति देना ताकि निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की

प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सरल और समय पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और बड़े विदेशी क्रेताओं द्वारा भारत से किए जाने वाले भारी मात्रा में आयात किए जाने को सुविधाजनक बनाना, निर्यात वृद्धि के लिए एक मध्यावधि नीति तैयार करना, फोकस एल ए सी स्कीम चलाना आदि।

निर्यात-ऋण के संबंध में आर बी आई द्वारा बैंकों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि निर्यातकों की ऋण जरूरतें पूर्ण और तात्कालिक ढंग से पूरी हों। रियायती दरों पर रुपये में ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्यातक लदान से पूर्व और लदान के बाद के चरणों में लंदन इंटर बैंक ओफर रेट (लिबोर) से जुड़ी दरों पर विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। निर्यातक अब 180 दिनों तक 11 प्रतिशत और 180 से 270 दिनों तक 14 प्रतिशत पर रुपयों में पैकिंग ऋण ले सकते हैं। लदान के बाद रुपये का ऋण 90 दिनों तक 11 प्रतिशत और 90 दिनों के बाद लदान की तिथि से छः माह की अवधि के लिए 13 प्रतिशत पर उपलब्ध है। निर्यात क्षेत्र में ऋण बे रोक-टोक दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए आर बी आई ने यह पक्का करने के लिए बैंको को निर्देश जारी किए हैं कि:

(1) वित्त की कमी से निर्यात आर्डरों की कोई हानि न हो;

(2) ऋण-सीमाओं की समय पर और पर्याप्त स्वीकृति के मामले में निर्यातक ऋण लेने वालों की शिकायतें त्वरित गति से दूर की जाएं; और

(3) जहां सम्पूर्ण विवरणों सहित आवेदन प्राप्त होते हैं वहां नई/बढ़ी हुई सीमाओं/सीमाओं के नवीनीकरण की स्वीकृति निर्धारित अवधि के भीतर दी जाती है और निर्यात-ऋण प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है और उन्हें अस्वीकृति के कारण बताए जाते हैं।

बैंकों के लिए अपने शुद्ध बैंक ऋण के 12.0 प्रतिशत के निर्यात ऋण लक्ष्य तक पहुंचना आवश्यक है।

नई औद्योगिक नीति

*259. **श्री विजय गोयल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सात वर्षों में नई आर्थिक नीति के संबंध में की गई पुनरीक्षा के आधार पर नई सरकार का विचार कोई "नई औद्योगिक नीति" तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत सात वर्षों के दौरान उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं में अब तक क्या निवेश किया गया है; और

(घ) इन आधारभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु एक ऐसी नीति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है जिसमें आधारभूत सुविधाओं के विकास पर प्रमुख रूप में बल दिया जायेगा। औद्योगिक नीति की औद्योगिक विकास की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इसे प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाने हेतु निरंतर समीक्षा की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में सुधारों को जारी रखने और निवेशकों के अनुकूल माहौल पैदा करने की सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए, सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनका कि 1998-99 के केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में उल्लेख किया गया है। इनमें विशिष्ट रूप से निम्न शामिल है—किसी परियोजना में विदेशी इक्विटी की राशि 1500 करोड़ रु० से अनाधिक होने की शर्तों के तहत विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्णय लिया जाना, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंस की सूची में शामिल (i) कोयला तथा लिग्नाइट और (ii) पैट्रोलियम (कच्चे तेल को छोड़कर) और इसके आसवन उत्पादों को इस सूची से हटाया जाना, आदि।

(ग) आधारभूत सुविधाओं से संबंधित अधिकांश कार्यकलापों का संबंध (दूरसंचार और रेलवे को छोड़कर) राज्य सरकारों से है। आधारभूत सुविधाओं में किए गए निवेश के ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के उपायों का उल्लेख 1998-99 के केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में किया गया है, जिनमें निम्न शामिल हैं — बढ़ा हुआ योजना परिव्यय (जैसे ऊर्जा, परिवहन और संचार हेतु), दूरसंचार सेवाओं, अन्तर्देशीय पत्तनों, जलमार्गों और आवासीय परियोजनाओं, विद्युत संयंत्रों आदि का वितरण तथा जनित्रण, के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए के तहत कर रियायतों को दिया जाना, और साथ ही विद्युत तथा सड़क क्षेत्रों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

*260. **डा० चिन्ता मोहन :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1998 के "दि आब्जर्वर" में "एफ०डी०आई० इनफ्लो ओनली 23 प्रतिशत ऑफ टोटल अप्रूवल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश की बहुत कम प्रतिशत धनराशि का ही वास्तव में निवेश हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कुल स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश की राशि में से वास्तविक निवेश का कितना प्रतिशत अगस्त 1992 से मार्च 1997 के दौरान किया गया; और

(घ) उक्त पूंजी निवेश अल्प मात्रा में होने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अगस्त, 1992 से मार्च, 1997 तक की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल अनुमोदित राशि 1,13,654 करोड़ रु० है तथा इसी अवधि के दौरान वास्तविक अन्तःप्रवाह 23,306 करोड़ रु० की राशि का रहा है।

अगस्त, 1992 से मार्च, 1997 तक की अवधि में अनुमोदित राशि की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक निवेश की राशि 20.5 प्रतिशत रही है।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वसूली दर (अनुमोदित अनुपात के लिए अन्तःप्रवाह) प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में भिन्न-भिन्न होती है। जबकि कतिपय क्षेत्रों जैसे इलैक्ट्रोनिक्स (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित) परिवहन तथा सेवाओं में वसूली दर लगभग 30 से 40 प्रतिशत रही है, वहीं कतिपय अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत क्षेत्रों तथा दूरसंचार में 10 प्रतिशत से नीचे रही है जो कि कुल अनुमोदित राशि का लगभग 50 प्रतिशत है। बड़ी परियोजनाओं के प्रति अन्तःप्रवाह की समयावधि का अन्तराल सामान्यतः विभिन्न घटकों के कारण लम्बी अवधि का होता है जो कि मूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कार्यक्षेत्र से बाध्य होते हैं जैसे भूमि का अधिग्रहण किया जाना, विभिन्न सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, वित्त पोषण करने संबंधी व्यवस्था से सम्बद्ध रहना आदि जिनमें कि अधिक समयावधि लगती है। अंतर्राष्ट्रीय घटकों के अतिरिक्त निम्न घटक जैसे विश्वव्यापी बाजार की परिस्थितियां तथा व्यापार के मूल सिद्धांत, जो कि प्रमुख निवेश निर्णयों का निर्धारण करते हैं, भी कुछ सीमा तक इसके लिए उत्तरदायी हैं।

[अनुवाद]

भूमिगत खानों में उत्पादन

*261. **श्री कमलनाथ :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1980, 1990 तथा 1997 के दौरान कोल इंडिया लि० की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में भूमिगत तथा खुले मुहानों वाली खानों में उत्पादन और उत्पादकता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन ठप्प पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न खानों में कोयला उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(घ) भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या मशीनीकरण पर व्यय किए गए धन से कोई परिणाम सामने आये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की भूमिगत और ओपनकास्ट खानों में कोयले का उत्पादन और उत्पादकता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कोल इंडिया लि० की भूमिगत खानों में लक्ष्य की तुलना में, उत्पादन में आई कमी का अनुमान लगाया गया है, जो निम्न है :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	कमी
1996-97	58.70	55.18	3.52
1997-98	58.05	53.98	4.07

(अनंतिम)

(घ) कोल इंडिया लि० के भूमिगत खानों में हो रहे उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) यांत्रिक लोडरों, जैसे कि भूमिगत खानों में कोयले के मुहाने पर साइड डिस्चार्ज लोडर्स और लोड हॉल डंपर्स, का उपयोग करते हुए प्राथमिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना।

(ii) चयनित भूमिगत खानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करना।

(iii) बेहतर अतिरिक्त कलपुर्जों और प्रणाली में सुधार लाए जाने के माध्यम से भूमिगत यंत्रीकृत लांगवाल मुहाने के कार्य-निष्पादन में सुधार।

(iv) बेहतर रोशनी, संवातन एवं संचार माध्यम से खानों के क्रियाकलापों की स्थिति में सुधार।

(v) जहां कहीं युक्तसंगत हो, "सभी के लिए सुलभ नौकरी" की धारणा को प्रारंभ करना।

(vi) विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र की खानों में विद्युत आपूर्ति में सुधार और चयनित स्थलों में ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना।

(vii) सभी स्तरों पर प्रबंधन में भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक संबंधों में सुधार करना।

(ङ) और (च) आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा यंत्रीकरण के माध्यम से प्राप्त की गई मात्रा से संबंधित उपलब्धि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

कंपनी	यंत्रीकरण के माध्यम से उत्पादन (मिलियन टन में)	
	1991-92	1996-97
1	2	3
ई०को०लि०	1.53	2.16
भा०को०को०लि०	1.41	3.34
से०को०लि०	0.15	0.50
वे०को०लि०	1.34	3.34
सा०ई०को०लि०	6.05	10.19
म०को०लि०	0.74	0.36
जोड़	11.22	20.39

विवरण

उत्पादन (31 मार्च का समाप्त वर्ष) (मिलियन टन में)

कंपनी	भूमिगत				ओपनकास्ट			
	1975	1980	1990	1997	1975	1980	1990	1997
ई०को०लि०	20.50	17.09	14.72	13.88	2.66	3.43	9.77	15.77
भा०को०को०लि०	15.64	15.26	13.29	10.04	2.10	4.82	13.32	17.10
से०को०लि०	5.97	6.96	4.76	3.52	12.34	17.19	23.82	28.66
ना०को०लि०	—	—	—	—	—	—	23.28	37.01
वे०को०लि०	15.73	19.43	9.94	9.86	3.53	8.70	13.07	21.37
सा०ई०को०लि०	—	—	15.65	15.81	—	—	36.13	39.50
म०को०लि०	—	—	—	1.81	—	—	—	35.55
ना०को०लि०	0.38	0.39	0.35	0.28	0.14	0.17	0.49	0.47
को०इं०लि०	58.22	59.13	58.71	55.20	20.77	32.31	119.88	195.43

उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन)

कंपनी	भूमिगत				ओपनकास्ट			
	1975	1980	1990	1997	1975	1980	1990	1997
ई०को०लि०	0.54	0.45	0.43	0.44	0.45	0.67	1.52	3.65
भा०को०को०लि०	0.44	0.51	0.48	0.47	0.60	0.99	1.91	2.75
से०को०लि०	0.50	0.51	0.45	0.41	0.77	1.37	1.81	2.64
ना०को०लि०	—	—	—	—	—	—	8.73	8.60
वे०को०लि०	0.72	0.75	0.70	0.71	2.12	2.93	3.84	4.06
सा०ई०को०लि०	—	—	0.79	0.90	—	—	6.32	9.28
म०को०लि०	—	—	—	0.68	—	—	—	12.82
ना०को०लि०	—	0.52	0.41	0.37	—	0.64	2.39	3.65
को०इं०लि०	0.54	0.55	0.55	0.57	0.76	1.26	3.08	5.12

(ना०को०लि० और सा०ई०को०लि० 1985-86 और म०को०लि० 1992-93 में कंपनी गठित की गई)।

भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारियों को वेतन भुगतान

2434. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० गत कुछ महीनों से अपने कर्मचारियों से बिना वेतन भुगतान किए काम ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1.1.1998 को छः महीनों से भी अधिक समय से बिना वेतन भुगतान के काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताते हुए तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर बकाया राशि

2435. डा० महंत चरण दास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही सूती वस्त्र की मिलों पर मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की 138 करोड़ रुपये की राशि

बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को बकाया राशि अदा करने के संबंध में निर्देश देने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 30.4.98 तक की स्थिति के अनुसार एन०टी०सी० (म०प्र०) लि० के अधीन मिलों द्वारा विद्युत के बकाया प्रभार के कारण मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को 25.90 करोड़ रुपए का भुगतान दिया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति देने के लिए विकेन्द्रीकरण

2436. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1500 करोड़ रुपये तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी के लिए राज्यों को अधिकार देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारिता के मामले पर इस मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच कोई असहमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जल विद्युत संयंत्रों और कोयला/लिगनाईट/तेल/गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में पैदा की गई विद्युत ऊर्जा के जनित्रण, पारेषण और वितरण के लिए 1500 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा की शर्त पर 100% तक विदेशी इक्विटी हेतु स्वत: अनुमोदन की अनुमति का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पावरलूम श्रमिकों का शोषण

2437. डा० जयन्त रंगपी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विद्युतकरघा श्रमिकों की दयनीय दशा और अत्यधिक आर्थिक शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस शोषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन श्रमिकों की दयनीय दशा के संबंध में कोई जांच करायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विद्युतकरघा श्रमिकों की स्थिति सुधारने और विद्युतकरघा उद्योग को नियमित करने हेतु कोई व्यापक विधान लायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इस मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में देश में विद्युतकरघा कामगारों के अत्यधिक आर्थिक शोषण तथा दयनीय दशा का कोई विशिष्ट मामला नहीं लाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) यदि सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला लाया जाएगा तो उसकी जांच की जाएगी तथा उपयुक्त अर्थोपाय द्वारा उचित सुधार किया जाएगा।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

2438. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय कपास निगम को वर्तमान कपास मौसम के दौरान कपास खरीदने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारतीय कपास निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सी०सी०आई०) महाराष्ट्र को छोड़कर कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में स्वत: ही कपास की खरीदारी करता है। तथापि, जब सरकार भारतीय कपास निगम को निर्देश देती है तो वह समस्याग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से खरीदारियां करता है। 9 जून, 1998 तक की स्थिति के अनुसार सी०सी०आई० ने चालू वर्ष के दौरान कपास की 7,99,011 गांठें की खरीदारी की थी।

हवाला घोटाला

2439. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग की जांच शाखा ने मुम्बई में 150 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले का पता लगाया है जिसमें अनेक अग्रणी कारपोरेट्स और संस्थाएं सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हवाला रैकेट में लिप्त लोगों पर कड़ी पकड़ रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जर्नादनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुम्बई में आयकर विभाग के जांच निदेशालय द्वारा चलाए गए तलाशी और जब्ती अभियानों से बड़े पैमाने पर हवाला

कारोबार का पता चला है जिसमें विभिन्न लाभ प्राप्त-कर्ताओं को बिक्री, सेवाओं और खर्चों के लिए बोगस बिल जारी करना और बिना परिसंपति वाली पवन चक्कियों को बोगस पट्टे पर देना शामिल है। इन हवाला लेनदेनों से उद्भूत होने वाली धनराशि की या तो लाभ प्राप्त-कर्ताओं के आदेश पर नकद निकासी कर ली गई है या इसे कहीं और भेज कर डकार लिया गया है। यथा अपेक्षित आगे की जांच का कार्य जारी है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

2440. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कई कम्पनियों और बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित बैंकों और कम्पनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की शेयरधारिता की सीमा में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ख) गत दो वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में सरकार द्वारा अवांछित विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) विदेशी संस्थागत निवेशकों हेतु निवेश सीमा बढ़ाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र की 15 (पन्द्रह) कंपनियों को विदेशी संस्थागत निवेशकों की शेयरधारिता 24 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की अनुमति दी गई है। बढ़ी हुई सीमा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 2 (दो) प्रस्ताव अतिरिक्त सूचना के अभाव में स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं।

(ग) और (घ) ऐसे प्रस्तावों को रिजर्व बैंक के स्तर पर स्वीकृति दी जाती है यदि वे अन्यथा सही हों और उनके लिए भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित न हो।

(ङ) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों द्वारा कुल पोर्टफोलियो निवेश की सीमाओं को कंपनी की निर्गमित और प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत के स्तर से 30 प्रतिशत किए जाने के संशोधन की अनुमति दी गई है बशर्ते :

(i) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30 प्रतिशत की बढ़ी हुई सीमा हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाए; और

(ii) कंपनी की आम सभा द्वारा 30 प्रतिशत की बढ़ी हुई सीमा को अनुमोदित करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया जाए।

[हिन्दी]

कपड़ा उत्पादन की वृद्धि दर

2441. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान, अप्रैल, 1998 तक कपड़ा उत्पादन की वृद्धि दर क्या है;

(ख) वृद्धि दर में अत्यधिक गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा कपड़ा उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वस्त्र उत्पादन और विकास की दर :

मद	इकाई	1995-96		1996-97		1997-98 (अनंतिम)	
		उत्पादन	विकास दर	उत्पादन	विकास दर	उत्पादन	विकास दर
कुल यार्न (स्पन यार्न + फिलामेंट यार्न)	मि०किग्रा०	2978	14%	3396	14%	3754	11%
कपड़ा	मि०वर्ग मी०	31891	11%	34813	9%	36701	5.4%

(ख) यद्यपि, यार्न और कपड़े दोनों के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आने का कारण वर्ष 1997-98 के दौरान अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी होना है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान वृद्धि दर और कपड़ा उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के लिए यार्न और कपड़े की अनुमानित मात्रा क्रमशः 3736 मिलियन किग्रा० और 36682 मिलियन वर्ग मीटर है जिसे पिछले वर्षों के उत्पादन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुगमता से प्राप्त कर लेने की संभावना है।

(घ) सूती वस्त्र सहित कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(1) क्षमता का सर्जन और विस्तार करने पर लगे प्रतिबंधों को केवल स्थानीय मार्ग-निर्देशनों के अध्यधीन हटा दिया गया है।

(2) लघु क्षेत्र उद्योग के एककों और विदेशी सहयोग से संबंधित स्थानीय अपेक्षाओं और शर्तों के अध्यधीन लाईसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(3) ओ०जी०एल० के अंतर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देना तथा ऐसी मशीनों के आयात पर आयात शुल्क कम करना।

(4) उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक हस्तक्षेप करना।

इसके अतिरिक्त सरकार का कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार का ब्याज की रियायती दर पर उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रु० की धनराशि से वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि का सृजन करने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी

2442. श्री महबूब जहेदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी लि० एवं बर्न एंड कंपनी लि० को अपने हाथ में ले लिया गया था एवं तत्पश्चात इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार उक्त कंपनियों का आधुनिकीकरण करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि० और इसकी इकाइयां विशेषकर रिफ्रैक्ट्री एंड सेरामिक ग्रुप, रानीगंज को घाटा हो रहा है तथा इस मसले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेज दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) युक्ति संगत तथा समन्वित विकास और रेलवे रॉलिंग स्टॉक के उत्पादन तथा अन्य मदों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन कंपनियों को लोकहित में राष्ट्रीयकृत किया गया।

(ग) और (घ) सरकार ने कंपनी को आधुनिकीकरण आदि में विनिवेश हेतु राष्ट्रीयकरण की तारीख से 64.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

(ङ) बी०एस०सी०एल० अपने सेलम यूनिट को छोड़कर रिफ्रैक्टरी एवं सिरेमिक यूनिटों के साथ हानियां उठा रही है। कंपनी को 27.11.94 को बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित कर दिया गया था।

(च) गत तीन वर्षों की कंपनी की शुद्ध हानि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	शुद्ध हानियां
95-96	(-) 86.31
96-97	(-) 76.30
97-98	(-) 85.29 (अनंतिम)

कंपनी अभी भी हानियां उठा रही है।

पैटेंट संबंधी विवाद

2443. श्री के०पी० नायडू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैटेंट और इससे सम्बद्ध अन्य जिन मामलों का भारत सामना कर रहा है उनका ब्यौरा क्या है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी०ओ०) में भारत के विरुद्ध पेटेन्ट संबंधी दो विवाद प्रारम्भ किए गए हैं।

यू०एस०ए० द्वारा दायर किए गए विवाद में यू०एस०ए० का आरोप यह था कि भारत ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रीप्स) के भेषजीय और कृषिजन्य रासायनिक उत्पादों से संबंधित धारा 70.8 (उत्पाद पेटेन्ट के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु मेलबाक्स सुविधाओं का प्रावधान) एवं धारा 70.9 (अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करना) का पालन नहीं किया है। पैनल और अपीलीय निकाय से पाया कि भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रीप्स) की धारा 70.8 और धारा 70.9 के अन्तर्गत अपने दायित्वों का पालन करना था। भारत ने 19 अप्रैल, 1999 तक इन दायित्वों का पालन करने की अपनी इच्छा का संकेत विवाद निपटान निकाय (डी०एस०बी०) को दिया है।

भारत के विरुद्ध यूरोपीय समुदाय द्वारा दायर विवाद ठीक उसी मुद्दे पर है, जो कि यू०एस०ए० द्वारा दायर किया गया, अर्थात यह कि भारत ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रीप्स) की धारा 70.8 और 70.9 का अनुपालन नहीं किया है। पैनल की प्रक्रिया चल रही है और भारत विश्व-व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के समक्ष मामले का बचाव कर रहा है।

लौंग का आयात

2444. श्री टी० गोविन्दन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान उत्पादकों को आंशिक राहत प्रदान करने के लिए नाफेड/एस०टी०सी०एल०

के माध्यम से लौंग का सारणीबद्ध आयात की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) मौजूदा आयात नीति में अलग-अलग आयातकों को लौंग का आयात करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि वे आयातित लौंग की सी०आई०एफ० कीमत का पांच गुना कीमत के बराबर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय/व्यापार योग्य विशेष आयात लाइसेंस वापस जमा करा दें। जबकि सरकारी अभिकरणों, स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन आफ इंडिया के लिए एस०आई०एल० को वापस किए बिना ही लौंग का आयात करने की अनुमति है। लेकिन यदि सार्क देशों जैसे बंगलादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या पाकिस्तान से आयात किया जाए तो लौंग का भारत में मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

वैश्य बैंक

2445. श्री विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री 21 नवम्बर, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बैंक द्वारा कृषि वित्त शाखायें खोलना अपेक्षित नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो बैंक द्वारा अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों/निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अपने प्रधान कार्यालय में बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण में कुछेक ग्रामीण शाखाओं को परीक्षण जांच के रूप में निरीक्षण के लिए शामिल किया गया है। दो ग्रामीण शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता चला है कि 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात बेला और अनागाले शाखाओं में कम थे। इन दो शाखाओं में अपात्र संस्थाओं के नाम से बचत बैंक खाता खोलने, नकदी प्राप्तियों के बदले 50,000 रु० और अधिक का डिमांड ड्राफ्ट जारी करने तथा जमाराशियां जुटाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशियों के भुगतान संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के उदाहरणों को छोड़कर कोई अन्य गंभीर नियमितताएं नहीं है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से दिए गए ऋणों की संख्या और दिए गए ऋणों के संबंध में बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	बकाया राशि (रु० लाख में)
31.3.95	99787	12076
31.3.96	100706	11084
31.3.97	101703	13987

ग्रामीण शाखाओं में पिछले तीन वर्ष के दौरान अशोध्य ऋण के रूप में बैंक द्वारा मंगवायी गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	राशि (रु० लाख में)
1994-95	27.33
1995-96	18.08
1996-97	10.28

वसूली के न हो पाने का मुख्य कारण फसल का न होना, अन्य प्राकृतिक कारण और कुछ हद तक उधारकर्ताओं द्वारा जान-बूझ कर चूक करना है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार (जिन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि (केवल राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक ही विशिष्ट कृषि वित्त शाखाएं खोलें। वैश्य बैंक किसी भी राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक नहीं है।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

2446. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितने मूल्य के नारियल जटा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से मुख्यत: नारियल जटा उत्पादों का आयात कर रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान निर्यात किये गये केयर उत्पादों का मान इस प्रकार है :-

1996-97	–	212.58 करोड़ रु०
1997-98 (अनंतिम)	–	226.51 करोड़ रु०

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात हेतु अनंतिम रूप से निर्धारित लक्ष्य 230.00 करोड़ रुपये का है।

(ग) भारत से 62 देशों को कयर उत्पादों का निर्यात किया जा

रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से कयर उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है और उसके बाद इंग्लैण्ड, हालैंड, जर्मनी, फ्रांस, इत्यादि का नम्बर आता है।

मांस एवं मांस उत्पादों का निर्यात

2447. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनिमल राइट्स इंटरनेशनल" ने मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात से होने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मूल्यांकन करने हेतु समिति गठित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चालू एपेड़ा (ए०पी०ई०डी०ए०) या किसी अन्य संगठन द्वारा मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात हेतु दी जा रही राजसहायता कितनी है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक निर्यातक को कितनी राशि दी गई है;

(घ) क्या आयातकों ने भेजे गए किसी माल को लेने से मना कर दिया है अथवा घटिया गुणवत्ता के कारण मुआवजा मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। मांस और मांस के उत्पादों का निर्यात देश में उपभोग होने वाले मांस का लगभग 3% ही बनता है। अत: एनिमल राइट्स इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तावित की गयी समिति द्वारा मांस और मांस के उत्पादों के निर्यात के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के पृथक मूल्यांकन से किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

(ग) सरकार द्वारा मांस और मांस के उत्पादों के निर्यात के लिए कोई प्रत्यक्ष नकद इमदाद नहीं दी जा रही है। परन्तु, एपीडा ने बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना, गुणवत्ता और गुणवत्ता नियंत्रण संवर्धन योजना, मांस-संयंत्रों का उन्नयन जैसी विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं जिनके अंतर्गत मांस और मांस उत्पादों सहित एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, एपीडा ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी मांस निर्यातक को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की है।

(घ) और (ङ) निर्यात अनुबंधों को परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार निजी निर्यातकों द्वारा मांस और मांस के उत्पादों का निर्यात किया जाता है। आयातकर्त्ताओं द्वारा किए गए किसी क्षति के दावे को निपटान निर्यातकों और आयातकों के बीच कर लिया जाता है। ऐसे दावों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। परन्तु, उपलब्ध विवरणों के अनुसार आयातकर्त्ताओं द्वारा किए गए क्षति के दावे इस प्रकार हैं :-

- जनवरी, 1997 में मैसर्स अल-बायदी रेस्टोरेन्ट्स एण्ड केटरिंग सर्विसेज कं०, कुवैत ने कुवैत के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रशीतित मांस के एक कंटेनर को अस्वीकृत कर दिए जाने के कारण पीएमएल इंडस्ट्रीज लि०; चण्डीगढ़ से 36,630 अमरीकी डालर की क्षति का दावा किया था।
- दिसम्बर, 1997 में मैसर्स यूरोपीयन अरब ट्रेडिंग कं०; मस्कट ने मांस के परेषन का एक भाग आंशिक रूप से डिफ्रोस्टेड रूप में प्राप्त होने के कारण उल-कुरैश एक्सपोर्ट्स, मुम्बई से 2697 अमरीकी डॉलर की क्षति का दावा किया था।

राज्य सरकारों द्वारा ऋण लिया जाना

2448. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को अपने बलबूते पर प्रतिस्पर्धात्मक दर के आधार पर ऋण लेना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के सुझावों के बारे में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) दिनांक 8 नवम्बर, 1997 को रिजर्व बैंक में राज्य सरकारों के वित्त सचिवों की बैठक में यह आम राय बनी थी कि सभी राज्य सरकारों की एक निश्चित अवधि के लिए बाजार ऋणों की प्रक्रिया, समय और ऋणावधि के लिए एक लचीला रुख अपनाना चाहिए।

(ख) इस पर भी आम सहमति हुई कि वर्ष 1998-99 में राज्य सरकारों की लचीले तरीके से अनुमोदित ऋण कार्यक्रम के तहत कम से कम 5 प्रतिशत और अधिकतम 35 प्रतिशत तक संसाधन जुटाने का विकल्प दिया जा सकता है।

(ग) अलग-अलग राज्यों को आबंटित धनराशि के एक भाग को वैकल्पिक आधार पर [5 प्रतिशत (न्यूनतम) तथा 35 प्रतिशत (अधिकतम) की सीमा] में ऋण लेने की लचीली प्रक्रिया के इस प्रस्ताव को भारत सरकार की सहमति प्राप्त है।

(घ) और (ङ) जैसा कि उत्तर (क) में दर्शाया गया है, यह सुझाव राज्य सरकारों के वित्त सचिवों की बैठक में दिया गया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सफाईकर्मी

2449. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कई कार्यालयों में कार्यरत सफाईकर्मियों को मासिक अथवा दैनिक निर्धारित मजदूरी के आधार पर बोनस संदाय अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के लाभ दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 से नियंत्रित होते हैं। इस अधिनियम की धारा 26 के अनुक्रम में 3 महीने या कम अवधि में 60 दिन की सेवाएं पूरी कर लेने वाला कोई कर्मचारी (दैनिक मजदूर या नियमित मजदूर) एक सदस्य के रूप में भविष्य निधि का पात्र है और उससे इसमें शामिल होने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बोनस संदाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी लेखा वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारीगण बोनस का भुगतान किए जाने के भी पात्र हैं बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी ने उस वर्ष में कम से कम 30 कार्य दिवस तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्य किया हो।

मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न

2450. श्री भेरू लाल मीणा :
श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारी संगठनों और संसद सदस्यों से न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं का उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार को उजागर किए जाने के लिए उत्पीड़न किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रबंधन को मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की उच्च पदों पर पदोन्नति रोकने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रबंधन की दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और प्रबंधन की कार्यवाही को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसके द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच से किसी मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भेद-भाव किए जाने अथवा उनके उत्पीड़न का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) और (घ) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पदोन्नति के मामले में किसी मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उत्पीड़न अथवा दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

धुले हुए कोककारी कोयले को गैर-कोककारी कोयले में बदलना

2451. श्री मोइनुल हसन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुले हुए कोककारी कोयले को गैर-कोककारी कोयले में बदलने के लिए गिद्दी धोवनशाला को बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा इससे तुलनात्मक रुप से कितनी बचत होगी;

(ग) क्या सरकार ने माल ढुलाई में लगे असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों के रोजगार के अवसरों के बारे में लिए गए उक्त निर्णय के सभी अवसरों के उक्त गुण-दोषों के संबंध में विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के रोजगार के अवसर पर प्रभाव न पड़ने को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की गिद्दी वाशरी दिनांक 26.5.1998 से कोककर कोयले के बदले में अकोककर कोयले की धुलाई कर रही है।

(ख) उच्च वाष्पशील अ-कोककर कोयले को धोने के लिए 1970 में गिद्दी वाशरी का प्रारंभ में निर्माण किया गया। उस समय धुले अ-कोककर कोयले के बाजार के अभाव में, कुजु और हजारीबाग क्षेत्रों से प्राप्त मध्यम श्रेणी के कोककर कोयले को धोने के लिए 1973 में वाशरी में परिवर्तन किया गया। किन्तु, फ्लो-शीट और संयंत्र के संसाधन तथा संभरित कच्चे कोयले के गुणों के कारण, मध्यम कोककर कोयले को, धुले कोयले में निहित राख की इच्छित मात्रा तक परिष्कृत नहीं किया जा सका।

धुले कोयले में निर्धारित राख की मात्रा से अधिक राख की मात्रा विद्यमान होने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) द्वारा, बाद में इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिए जाने के कारण तथा केडला कोककर कोयला वाशरी चालू किए जाने के कारण कोककर कोयले को धोने के लिए वित्तीय रूप से अव्यवहार्य वाशरी का प्रचालन बंद कर दिया गया। 1997-98 के दौरान गिद्दी वाशरी के प्रचालन से 35 करोड़ रु० का घाटा हुआ।

कोयले के आपूर्ति स्रोतों से बहुत दूर स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए धुले अ-कोककर कोयले के धीरे-धीरे विकसित बाजार से, कोयले के किफायती परिवहन के साथ-साथ पर्यावरणीय कारणों, दोनों ही दृष्टिकोण से, यह आशा की जाती है कि वाशरी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होगा।

(ग) सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद, धोने संबंधी निर्णय में परिवर्तन करके कोयला कंपनी ने अ-कोककर कोयले को धोने का निर्णय लिया। इस निर्णय से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रोजगार के अवसर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

साधारण बीमा निगम के नए क्षेत्रीय कार्यालय

2452. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधरण बीमा निगम का विचार 1998-99 के दौरान

अपनी अनुषंगी कम्पनियों के नए क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय और शाखा कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि० और न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि० ने पहले ही क्रमशः कोयम्बटूर और नागपुर में दिनांक 1.4.1998 को एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर दी है। नए क्षेत्रीय कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों और शाखा कार्यालयों की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे प्रस्तावों पर क्षेत्र के व्यापार और विकास की सम्भावना तथा साधारण बीमा निगम द्वारा निर्धारित अन्य मानदण्डों के आधार पर विचार किया जाता है।

गोवा को पर्यटन विकास के लिए जापानी सहायता

2453. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए जापानी सहायता की अपेक्षा वाला गोवा सरकार का केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री औमाक अपांग) : (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से परियोजना की बाह्य निधिकरण हेतु सिफारिश की गई है।

फ्लोट ग्लास का निर्यात

2454. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार मामलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली अगली द्विपक्षीय बैठक में भारत से फ्लोट ग्लास के निर्यात पर चर्चा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) इस समय भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंधी मामलों पर सरकारी विचार-विमर्श करने के लिए कोई द्विपक्षीय मंच नहीं है। अतः दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी मामलों पर कोई द्विपक्षीय बैठक होनी निश्चित नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत से आयात की जाने वाली अनुमत मदों की सूची में फ्लोट ग्लास भी शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पर्यटन

2455. श्री एस० अजय कुमार : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री औमाक अपांग) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय सहायता के लिए केरल सरकार से निम्नलिखित 11 परियोजनाएं प्राप्त की हैं :-

1. नालुकेट्टू विश्वदाय भवन का उन्नयन
2. कुमारकम में पर्यटक परिसर
3. मेलम्पट्टी में यात्री निवास
4. थन्नीर मुक्कम में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
5. अलपूआह में नेहरू शताब्दी पवेलियन
6. राइसबोट की खरीद
7. सचिवालयीय भवन की प्रकाशपुंज व्यवस्था
8. नामपट्ट
9. करूनागपल्ली में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
10. द ग्रेट एलीफेंट मार्च
11. केरला पिलेज उत्सव

उपर्युक्त सभी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

बैंक नोट प्रैस देवास को जल-आपूर्ति

2456. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बैंक नोट प्रैस, देवास को जल-आपूर्ति करने के बारे में कोई प्रस्ताव अनुमति हेतु लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और बैंक नोट प्रैस, देवास ने जनस्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग को जल-आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो जल-आपूर्ति के लिए किन शर्तों पर कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि मूल प्रस्ताव अक्तूबर, 1997 में प्राप्त हुआ था, परियोजना के सम्पूर्ण ब्यौरे मंत्रालय में अप्रैल, 1998 में प्राप्त हुए।

(ग) और (घ) सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से बैंक नोट प्रेस देवास के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति हेतु अनेक अनुरोध किए हैं। राज्य सरकार ने अब देवास शहर से लगभग 40 किलो मीटर दूर स्थित लखन्दर बांध से बैंक नोट प्रेस, देवास को जल की आपूर्ति के लिए एक स्कीम तैयार की है। शर्त यह है कि स्कीम की सम्पूर्ण लागत, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को चरण-वार कार्यान्वयन के अनुसार अग्रिम रूप में अदा की जानी चाहिए। स्कीम की अनुमानित लागत 9.97 करोड़ रुपए है, और इसमें आरम्भ से लेकर जलापूर्ति शुरू होने तक की अवधि 3 वर्ष है।

ई०सी०एल० तथा सी०सी०एल० में भ्रष्टाचार

2457. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ई०सी०एल० तथा सी०सी०एल० में अलग-अलग भ्रष्टाचार की घटनाओं में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों के खिलाफ कंपनीवार आज तक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार की घटनाओं में दोषी पाए गए कई व्यक्तियों को अब तक दण्ड नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने या उन्हें दंड देने में देरी के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोल इंडिया लि० के 12 व्यक्तियों, से०को०लि० के 10 व्यक्तियों तथा ई०को०लि० के दो व्यक्तियों को घूस लेने के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। से०को०लि० के 10 व्यक्तियों के मामले न्यायालय के अधीन है। ई०को०लि० के दो व्यक्तियों के मामले में, मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी गई है। मुकदमें के नतीजे आ जाने पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है।

एस०ई०सी०एल० में निधियों की हानि

2458. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०ई०सी०एल० बिलासपुर, मध्य प्रदेश ने प्रबंधन के हठी रवैये के कारण मुकदमे-बाजी पर व्यर्थ में भारी धनराशि खर्च की है जबकि अंतरग्रस्त मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो एस०ई०सी०एल०, बिलासपुर को गत तीन वर्षों के दौरान मुकदमेबाजी पर हुए खर्च के परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ;

(ग) इस प्रकार निधियों का अपव्यय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन मामलों को मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो अब तक मध्यस्थता के लिए सौंपे गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) से (च) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा अधिकतर मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निबटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता हेतु मामलों की संख्या तथा लंबित मामलों की संख्या को नीचे दिया गया है :-

1.	अभी तक मध्यस्थता हेतु मामले	—	59
2.	मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत मामले।	—	10
3.	न्यायालय के समक्ष लंबित मामले।	—	13

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम

2459. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल कंपनी लि० ने बिहार में वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वृक्षारोपण से संबंधित बकाया राशि कंपनी को वितरित कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वन विभाग इस कार्यक्रम के प्रति पूर्णतया उदासीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०) द्वारा वृक्षारोपण के कार्य अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। अत: सरकार द्वारा किसी बकाया राशि के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) जी, नहीं। बिहार और पं० बंगाल के वन विभाग वृक्षारोपण के कार्य से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इस कार्य को वे 1992-93 से प्रत्येक वर्ष भा०को०को०लि० में करते रहे हैं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आयकर विभाग में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

2460. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग की ग्रुप "बी" सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या और उनमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार आयकर विभाग की ग्रुप "बी" सेवाओं के रिक्त पदों में से कम से कम तीन प्रतिशत पदों को 1996 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 1 की धारा 33 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जहां सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रुप "बी" की 3% रिक्तियों को ग्रुप "सी" सेवाओं से पदोन्नति द्वारा भरने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन्) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम०एम०टी०सी० के रिकार्ड

2461. श्री ई० अहमद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्राहकों को की गई निकेल और जस्ते की बिक्री से संबंधित वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के कतिपय महत्वपूर्ण रिकार्ड डी०आर०ओ०, एम०एम०टी०सी० के लेखा विभाग से गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो गायब पाए गए रिकार्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1983-84 से पहले और 1985-86 के बाद के ऐसे सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के रिकार्डों के गायब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दोषी अपराधियों को दण्ड देने के लिए मामले की कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एम०एम०टी०सी० के डी०आर०ओ० की स्थापना 1981 में की गई थी और तब से एम०एम०टी०सी० में रिकार्ड उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) लागू नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

2462. श्री हरिन पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सतक्रता अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में फैले भ्रष्टाचार के संबंध में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका को मुख्य रूप से दो भागों अर्थात अवरोधात्मक और दण्डात्मक में बांटा जा सकता है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त सूचना के स्रोत की जांच करके मुख्य सतक्रता अधिकारी भ्रष्टाचार तथा अन्य दुष्कार्यों के मामलों का पता लगाने तथा कार्यवाही करने के लिए सतक्रता मामलों की जांच पड़ताल करते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतक्रता अधिकारी भ्रष्टाचार व अन्य दुष्कार्यों की गुंजाइश खत्म करने, नियमित निरीक्षण तथा आकस्मिक जांच करने, "संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची" तथा "सहमत सूची" में शामिल अधिकारियों पर नजर रखने, सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित आचरण नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वार्षिक सम्पत्ति विवरण इत्यादि की जांच करने के लिए व्यवस्था तथा प्रक्रिया की जांच जैसे अवरोधात्मक उपाय भी करते हैं।

(ग) मुख्य सतक्रता अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा सरकारी क्षेत्र

के उपक्रमों में भ्रष्टाचार रोकने तथा सतर्कता मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- केन्द्रीय पुलिस संगठनों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सतर्कता एककों में प्रतिनियुक्ति;
- सतर्कता संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा द्वितीय स्तर के कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति;
- सतर्कता की दृष्टि से संवेदनशील सूचना तथा रिकार्ड तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की पहुंच की अनुमति देना;
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सतर्कता अधिकारियों के लिए 3 वर्षों की न्यूनतम कार्यावधि सुनिश्चित करना;
- सतर्कता कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा नियुक्ति के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ विचार-विमर्श के लिए व्यवस्था करना;
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कार्यकारी निदेशकों के समकक्ष दर्जा देना; और
- विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

मकान किराया भत्ता

2463. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के आंबटितों के पति/पत्नी, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होते हैं, मकान किराया भत्ते को पाने के पात्र नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का इस नीति को बदलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी आवास के आबंटितों के पति/पत्नी को कब तक मकान किराया भत्ता दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जो कि किसी कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी है और उसे सरकारी आवास आबंटित है, तो वह पति/पत्नी मकान किराया भत्ता पाने का पात्र नहीं है क्योंकि वह मकान किराए के लिए कुछ भी व्यय नहीं करता/करती है। इस वर्तमान नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेयवेली ताप बिजलीघर

2464. डा० संजय सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बदले एक इतालवी बहुराष्ट्रीय कंपनी "अंसलडो" को मेगावाट नेवेली ताप बिजलीघर के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज का क्रयादेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्याज का आयात

2465. श्री ए०सी० जोस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में नैफेड के माध्यम से प्याज का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए गए प्याज का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास केन्द्र, रायचूर

2466. श्री एच०जी० रामुलू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायचूर, कर्नाटक में औद्योगिक विकास केन्द्र में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त केन्द्र के लिए स्वीकृत धनराशि को कर्नाटक में किसी अन्य औद्योगिक विकास केन्द्र को अंतरित किया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 1998 तक रायचूर विकास केन्द्र के लिए 680 लाख रु० जारी किये गये हैं। राज्य सरकार ने इस विकास केन्द्र में अवसंरचना के विकासार्थ लगभग 964 लाख रु० की रकम खर्च की है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई राशि से और अधिक रकम खर्च की है। इसलिये, केन्द्रीय निधियों को कर्नाटक में किसी अन्य औद्योगिक विकास केन्द्रों में नहीं लगाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के लिए पैकेज

2467. श्री चमन लाल गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व में केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत राज्य को 50 हजार करोड़

का ऋण दिया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पैकेज में कृषि ऋण को भी शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी नहीं, यद्यपि सरकार *ने दिनांक 26 मई, 1997 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों को "जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ऋणकर्ताओं के लिए ऋण सहायता स्कीम" के नाम से एक स्कीम* की घोषणा की थी, जिसमें *बैंक/वित्तीय संस्थान, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये अथवा उससे कम राशि के मूल कर्जदारी वाले मामले में सभी ऋणकर्ताओं के बकाया* ऋणों और ब्याज को बट्टे खाते में डाल सकते हैं।

(ख) से (घ) इस स्कीम में कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि ऋणों के शामिल किये जाने पर सहमति नहीं हुई, *क्योंकि इस प्रकार किसी भी सामान्य विधिवत प्रक्रिया से हटकर किए गए ऐसे ऋणों* की माफी वसूली के वातावरण को तथा साख (ऋणदाता) संस्थाओं में निधियों की वापसी (पुनरावर्तन प्रक्रिया) पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर अपवंचकों के विरुद्ध मामले

2468. डा० असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपवंचकों के विरुद्ध दायर मामलों की अद्यतन संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने लोग अपराधी पाये गए और दण्डित किया गया;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष आयकर में सभी आयकर अपवंचकों को लाने के लिए नई योजना तैयार करने का नया प्रस्ताव क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276ग(1) के अन्तर्गत आय छिपाने के लिए चलाए गए अभियोजनों की संख्या वर्ष 1995-96 में 210, वर्ष 1996-97 में 291 और वर्ष 1997-98 में 681 थी। धारा 276ग के तहत चलाए गए अभियोजनों के संबंध में दोषसिद्ध होने के मामलों की संख्या वर्ष 1995-96 में 10, 1996-97 में 7 और 1997-98 में 4 थी।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) में यह प्रावधान करने के लिए दिनांक 1.4.97 से इस आशय का संशोधन किया गया था कि कोई व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित शर्तों में से किन्हीं दो शर्तों को पूरा करता है; अर्थात् :-

1. विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अचल सम्पत्ति कब्जे में हो;
2. किसी मोटर वाहन का मालिक हो या पट्टेदार हो;
3. उसके पास टेलीफोन हो; और
4. स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी विदेशी यात्रा पर खर्च किया हो;

तो उसे आय की विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

वित्त (सं०-2) *विधेयक, 1998 में उपर्युक्त योजना का क्रेडिट कार्ड धारकों और 25,000 रु० से अधिक प्रवेश शुल्क वाले क्लब की सदस्यता लेने वालों के लिए लागू करने का प्रस्ताव है।* ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त 6 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है उसे आय की विवरणी दायर करनी होगी। आशा की जाती है कि इन नए उपबंधों से कर-दाताओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी।

कोयले की रायल्टी का उपयोग

2469. श्री नरेश पुगलीया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तरह की पुरजोर मांग है कि राज्य सरकारों को कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी का एक भाग संबद्ध प्रभावित जिलों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर तथा नागपुर जिलों के विकास पर जहां कोयला खानें स्थित हैं एक पैसा भी खर्च नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कोयले पर रायल्टी राज्य सरकार के लिए राजस्व का स्रोत है। रायल्टी से होने वाली आय को राज्य सरकार की समेकित निधि में आकलित किया जाता है तथा इस प्रकार की निधियों के विनियोग को राज्य विधायिका द्वारा ही प्राधिकृत किया जा सकता है। अतः कोयले पर रायल्टी की आय में से राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र में व्यय की जाने वाली राशि राज्य सरकार तथा राज्य विधायिका के निर्णय पर निर्भर करती है। खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में पट्टेधारी द्वारा पट्टादाता राज्य सरकार को रायल्टी की अदायगी किए जाने का प्रावधान है, परन्तु यह अधिनियम रायल्टी की आय के उपयोग की पद्धति निर्धारित नहीं करता है। अतः केन्द्रीय सरकार को इस विषय में हस्तक्षेप करने को कोई अधिकार नहीं है।

वेंकटचलापति अन्ना चत्रम न्यास को आयकर से छूट

2470. डा० सुब्रम्ण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजाबुर जिले के वेंकटचलापति अन्ना चत्रम न्यास को धार्मिक/धर्मार्थ कार्य करने वाले सार्वजनिक न्यास की श्रेणी में आयकर छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यास से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इसके न्यासियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस न्यास ने आयकर छूट प्राप्त करने के लिए आयकर विवरणी दाखिल कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) इस न्यास को सार्वजनिक और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसे धारा 10(23-ग)(V) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1991-92 तक आयकर से छूट के लिए अधिसूचित किया गया था।

(ख) यह न्यास लिखित विलेख द्वारा दिनांक 16.10.1866 को बनाया गया था और यह एक पुश्तैनी न्यास है इसके न्यासियों के नाम इस प्रकार हैं : सर्वश्री जी० बालकृष्ण मुदलियार, सदगोपा मुदलियार सैंट और मन्नार गुडी।

(ग) और (घ) न्यास द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 तक आय की विवरणी दाखिल की गई है।

[हिन्दी]

कपड़ा मजदूरों का पुनर्वास

2471. श्री रामदास आठवले :
श्री दिलीप संघानी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग के सुचारू कार्यकरण और इस उद्योग को और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने विस्थापित हुए कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकार ने मिलों के स्थाई/आंशिक रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना शुरू की है।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा ऐसी मिलों के पुनरूद्धार के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा उनकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की स्थापना की है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निधियां प्रदान नहीं की है।

(ङ) और (च) उद्योग मंत्रालय को गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड का पुनर्निर्माण करने और परिसमापन अधीन बंद वस्त्र मिलों के लिए क्षेत्रीय पुन:सर्जन योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन०आर०एफ०) से सहायता के लिए गुजरात सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रीय पुन:सर्जन योजना में निहित उपायों में राज्य सरकार के अध्यादेश द्वारा 19 बंद वस्त्र मिलों का अधिग्रहण, कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि का भुगतान के साथ-साथ परिसम्पत्तियां का पुनर्निर्माण और स्थानीय उद्यम का संवर्धन, बेरोजगार कर्मचारियों का पुन: प्रशिक्षण, बंद मिलों की परिसम्पत्तियों का उपयोग आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से क्रमश: 96.83 करोड़ रु० और 168.37 करोड़ रु० की राशि की सहायता मांगी गई है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और सुव्यवस्थित किए गए कामगारों को परामर्श देने, पुन:प्रशिक्षित और पुन: तैनात करने संबंधी योजनाओं के लिए सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में पर्यटक सर्किट

2472. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में दो पर्यटक मार्ग, अर्थात इन्दौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-मांडु-उज्जैन तथा ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो मार्ग पर्यटक मार्ग निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार पर्यटक मार्ग इन्दौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-मांडु-उज्जैन को रतलाम-मंदसौर तक बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्वीकृत होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी,

हां। मध्य प्रदेश में केन्द्रीय और राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के प्रयत्नों से निम्नलिखित परिपथों को गहन विकास हेतु पहचान की गई हैं :-

1. भोपाल सांची-इन्दौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-मांडु; और

2. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपदान की सीमा

2473. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने उपदान के भुगतान में कोई सीमा न रखने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपदान सीमा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उपदान (संशोधन), विधेयक 1997 में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सभा में लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने ग्रेज्युटी सीमा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तथापि सरकार ने ग्रेज्युटी सीमा को 2.5 लाख रु० से बढ़ाकर 3.5 लाख रु० करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 24.09.1997 से ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत देय ग्रेज्युटी सीमा को बढ़ा कर 3.5 लाख रु० करने का निर्णय लिया है।

जूट के थैलों का अनिवार्यतः प्रयोग

2474. श्री अनिल बसु :
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट बैग को अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार को जूट लैमिनेटर्स एसोसिएशन, कलकत्ता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार को पटसन बोरों के अनिवार्य प्रयोग के लिए समय बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार को जूट लैमिनेटर्स एसोसिएशन से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शतप्रतिशत आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करते हुए यूरिया के लिए आरक्षण आदेश को 5 से 10 वर्षों तक बढ़ाने, सभी उर्वरक कंपनियों द्वारा इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने, लैमिनेटिड पटसन बोरों के यूरिया की पैकिंग के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसके प्रयोग के अनुप्रयुक्त होने, आरक्षण आदेश में परिवर्तन होने से उनके एककों के बंद हो जाने, अनुरक्षित मूल्य निर्धारण योजनाओं के तहत यूरिया की पैकिंग के लिए पटसन बोरों की उच्चतर लागत की प्रतिपूर्ति करने तथा लघु क्षेत्रों के लिए ऐसे बोरों का विनिर्माण आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। स्थाई सलाहकार समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए हाल ही में दिनांक 30.4.98, 15.5.98 तथा 2.6.98 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और विचारों के विविध लाभ और हानि के ब्यौरों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया।

[हिन्दी]

बिहार में यात्री निवास का निर्माण

2475. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में यात्री निवास का निर्माण करने के बारे में राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान उक्त राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उक्त राज्य में किन-किन स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) 1997-98 के दौरान, राज्य में यात्री निवास के निर्माण हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) 1997-98 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य में 11 पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 233.07 लाख रुपए स्वीकृत किए। 1998-99 के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों एवं धन की उपलब्धता के आधार पर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत के साथ चीन का समझौता

2476. श्री रामपाल सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्सुकता दिखाई है;

(ख) क्या चीन और भारत द्वारा इस संबंध में कुछ ठोस प्रस्ताव तैयार किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी भारतीय शिष्टमण्डल ने इस संबंध में चीन का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत और चीन दोनों देशों के बीच पर्यटन व्यापार में वृद्धि के लिए किस सीमा तक समझौता हो चुका है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 1995 में तत्कालीन पर्यटन राज्य मंत्री ने पर्यटन/यात्रा व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चीन का दौरा किया था ताकि चीन के बाजार की पर्यटन संभावनाओं की उन्हें जानकारी हो सके। तथापि इस संबंध में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री द्वारा विदेश यात्रा

2477. कुमारी ममता बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980–1997 के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दौरों के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा सहित राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) मुख्यमंत्रियों के इन विदेशी दौरों पर जाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलाहाबाद बैंक को विश्व बैंक की सहायता

2478. श्री डी०एस० अहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने हाल ही में बैंक के आधुनिकीकरण, संस्थागत कार्यक्रम और 14 एटीएम की प्रतिस्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बैंक ने विश्व बैंक से कितना ऋण लिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि वह विश्व बैंक के आधुनिकीकरण संस्थागत विकास ऋण (एम०आई०डी०एल०) कार्यक्रम के अंतर्गत भाग लेने वाले बैंकों में एक है। उक्त कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद बैंक के लिए 24.4 मिलियन अमरीकी डालर रखी गई है। बैंक ने आगे यह सूचित किया है कि उपरोक्त कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ, 16 स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) प्राप्त करना शामिल है जिसमें से दो पहले ही लगाई जा चुकी हैं।

(ग) इलाहाबाद बैंक ने उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक कुल 0.80 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया है। ऋण की वर्ष-वार राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	ऋण राशि
1996-97	0.40 मिलियन अमरीकी डालर
1997-98	0.40 मिलियन अमरीकी डालर

[हिन्दी]

कोयला श्रमिकों का जीवन स्तर

2479. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार किए जाने के लिए, को०इं०लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों ने कई योजनाएं प्रतिपादित की है। कोयला श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न सांविधिक कल्याणकारी क्रियाकलापों के अतिरिक्त, राष्ट्रीयकरण के बाद से कर्मचारियों और उनके परिवारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

1. **आवासीय योजना** : वर्तमान में उपलब्ध कुल आवासों की संख्या 3,95,942 है, जिसकी आवासीय संतोषप्रदता 64.08% है।

2. **जल आपूर्ति** : राष्ट्रीयकरण के समय में केवल 2.27 लाख जनसंख्या को पेयजल की प्राप्ति की तुलना में जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत अब तक 23.30 लाख जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कर दी गई है।

3. **चिकित्सा सुविधाएं** : कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु को०इ०लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों में विशेषज्ञों सहित 1778 डाक्टर, 5846 बिस्तरों वाले 86 अस्पताल, 434 औषधालय और 690 रोगी-वाहन हैं।

4. **शिक्षा सुविधाएं** : राष्ट्रीयकरण के समय में 287 शिक्षा संस्थाओं की तुलना में अब को०इं०लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों में 1346 शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।

5. **बैंकिग सुविधाएं :** को०इं०लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारी 244 बैंकों और विस्तार काउंटरों के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करते हैं।

6. **वन रोपण :** प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा परिस्थितिकी स्थितियों में सुधार किए जाने हेतु, को०इ०लि० प्रत्येक वर्ष हरित पट्टियों के विकास का कार्य कर रही है। वर्ष 1997-98 के दौरान 78 लाख वृक्ष लगाए गए।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात को सहायता

2480. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन आवेदन पत्रों में से कितने स्वीकृत हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई वर्ष-वार, एकक-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात के उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या और मंजूर आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	मंजूर आवेदन
1995-96	168	107
1996-97	140	104
1997-98	172	126

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान गुजरात में एककों को संवितरित सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष		(रु० करोड़ में) संवितरित राशि
1995-96	—	1634.94
1996-97	—	1866.89
1997-98	—	3155.03

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

नमक उद्योग

2481. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार कितनी मात्रा में नमक का उत्पादन हुआ;

(ख) नमक उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए या किए जाने का विचार है; और

(ग) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में नमक उद्योग के विकास तथा विस्तार हेतु क्या सुविधाएं प्रदान की गई या किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आठवीं योजना अवधि के प्रत्येक कलेंडर वर्ष के दौरान देश में उत्पादित राज्यवार नमक की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नमक उद्योग के विकास के लिए चार सूची नीति अपनायी गई है :

तकनीकी सहायता

नमक कार्यों के विकास के लिए उपयुक्त नमकीन क्षेत्रों की पहचान करने, नमक कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा निगरानी करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

विकासात्मक सहायता

विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए नमक उपकर उपाय से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें खारे पानी की पूर्ति चैनल का निर्माण सड़कें, पीने के पानी की सुविधाएं, श्रमिकों के लिए विश्राम गृह, चिकित्सा सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, श्रमिकों के लिए आवासीय एकक इत्यादि शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता

सरकार बाढ़, तूफान तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नमक कार्यों की अति के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान करती है।

विकास ऋण

उन नमक विनिर्माताओं के लिए विकास ऋण प्रदान करने के हेतु एक योजना है जो अपने कार्य की पुनः स्थापना के लिए इस प्रकार का ऋण चाहते हैं।

(ग) नमक कार्यों के डिजाइन तथा नमक के गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, संरक्षात्मक बांध, स्कूल बिल्डिंग, पीने के पानी की सुविधाएं तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में नमक उद्योग के विकास तथा विस्तार को सरल बनाने के लिए श्रमिक विश्राम गृह के लिए सरकार ने तकनीकी सहायता प्रदान की है।

विवरण

सामान्य नमक का राज्य-वार उत्पादन

(आंकड़े हजार टन में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	नमक उत्पादन (कैलेन्डर वर्ष-वार) 1992	1993	1994	1995	1996
1.	राजस्थान	1159.6	1242.6	1096.7	1526.2	1131.4
2.	गुजरात	9123.9	9313.7	8681.4	8824.4	10403.5
3.	महाराष्ट्र	255.1	252.2	185.8	224.3	245.9
4.	कर्नाटक	25.7	22.5	21.9	17.2	18.9
5.	गोवा	—	—	2.2	1.7	2.5
6.	तमिलनाडु	2541.7	2465.5	2010.9	1738.8	2283.6
7.	आन्ध्र प्रदेश	393.2	337.8	262.0	139.9	276.4
8.	उड़ीसा	44.2	53.5	50.6	26.5	47.0
9.	पश्चिम बंगाल	4.8	19.0	14.2	19.3	21.7
10.	हिमाचल प्रदेश	3.1	3.1	2.1	1.9	2.5
11.	दीव और दमण	21.5	17.8	16.4	23.8	32.7
	कुल	13552.8	13727.8	12344.2	12544.0	14466.1

[हिन्दी]

सूती कपड़ों पर पाटन रोधी शुल्क

2482. श्री दादा बाबूराव परांजपे :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत, चीन, पाकिस्तान और तीन अन्य देशों से अविरंजक सुनहरा-भूरा सूती और बेड लिनेन कपड़े के आयात पर अस्थाई तौर पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) यूरोपीय समुदाय ने मिस्र, भारत, पाकिस्तान के मूल के सूती प्रकार के बेड लिनेन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है तथा चीन जनवादी गणराज्य, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा तुर्की के मूल के कुछेक अविरंजित सूती कपड़ों के आयातों पर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया है।

(ख) भारत सरकार द्वारा यूरोपीय समुदाय के साथ ब्रुसेल्स स्थित इसके दूतावास के माध्यम से तथा यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ भी व्यष्टिगत रूप से इसके मिशनों के माध्यम से इस मामले को उठाया गया है।

[अनुवाद]

बीमा कम्पनियों में कदाचार

2483. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित बीमा कम्पनियों के कार्यालयों में पकड़े गए भ्रष्टाचार, कदाचार और घोटालों के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसका अनुषंगी कम्पनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के नेतृत्व में अपने-अपने सतर्कता विभाग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा 302 पदाधिकारियों के विरुद्ध और साधारण बीमा निगम एवं इसकी चारों अनुषंगी कम्पनियों द्वारा 141 पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गयी है। ये मामले झूठे दावों का अनियमित निपटान किए जाने, निधियों का दुरुपयोग करने और उनमें जालसाजी करने, बीमा कवर की टिप्पणियों में उनके समापन से पूर्व की तारीख अंकित करने, जो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है उनका बीमा किए जाने आदि से संबंधित हैं। जीवन बीमा निगम पहले ही 95 पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडारोपण और 28 पदाधिकारियों को दोष मुक्त कर चुका है। शेष मामलों में कार्यवाहियां अभी प्रगति पर हैं। साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों के मामले में 106 पदाधिकारियों के खिलाफ भारी अथवा हल्के जुर्माने किए गए हैं; 15 मामलों में जांच पड़ताल अभी चल रही है; 2 मामलों में अपराधिक अभियोजन चलाया गया है और 18 पदाधिकारियों को दोष मुक्त किया जा चुका है।

कृषि क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋणों की वसूली

2484. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 और 1997-98 के दौरान कृषि क्षेत्र को दिये गए बैंक ऋणों की वसूली में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वसूली प्रक्रिया में सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोन्स इंडिया एच०आर० सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सिफारिशें

2485. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोन्स इंडिया एच०आर० सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता (पी०जी०एफ०आई०सी०एल०) के संगठनात्मक ढांचे की जांच करने को कहा था, की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तीन-चौथाई शीर्ष प्रबंध, अधिकारी, योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कोन्स इंडिया द्वारा दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने (पी०जी०एफ०आई० सी०एल०) द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उन्होंने कोन्स इंडिया एच०आर० सर्विसेज प्राइवेट लि० से पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के संगठनात्मक ढांचे की जांच करने के लिए नहीं कहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

चण्डीगढ़ के लिए औद्योगिक नीति

2486. श्री सत्यपाल जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में उद्योग के विकास के लिए कोई औद्योगिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी नीति कब तक बना लिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) भारत सरकार की औद्योगिक नीति, जिसका उद्देश्य उद्योगों का संवर्धन और उचित विकास है, केन्द्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित पूरे देश के लिए लागू है। राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र अपनी-अपनी औद्योगिक नीतियां तैयार करने हेतु स्वतंत्र हैं।

इजराइल के साथ व्यापार संबंध

2487. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराइल के साथ व्यापार संबंध स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में भारत इजराइल व्यापार संबंध स्थापित किए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से इजराइल को निर्यात और वहां से आयात वृद्धि दर क्या है; और

(घ) भारत इजराइल संबंध का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) इजराइल को हमारे प्रमुख निर्यात ये हैं : रत्न व आभूषण, कपास तथा मानव निर्मित रेशे/वस्त्र, काजू, कॉफी, कार्बनिक/अकार्बनिक/मूल/परिष्कृत रसायन, औषधीय तथा भेषजीय पदार्थ, इंजीनियरी वस्तुएं, हस्तशिल्प आदि। इजराइल से हमारे प्रमुख आयात ये हैं : उर्वरक, मोती, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थर, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन, मशीनरी, परियोजना सामान, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, पैट्रोलियम उत्पाद आदि।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि दर निम्नानुसार रही है :

भारत से निर्यात		भारत द्वारा आयात	
1995-96	53.5%	1995-96	(-) 3.5%
1996-97	3.6%	1996-97	21.9%
1997-98	62.9%	1997-98	26.9%

(घ) दिसंबर, 1994 में व्यापार और अर्थिक सहयोग संबंधी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाने, जनवरी, 1996 में इजराइल में भारत-इजराइल संयुक्त व्यापार तथा आर्थिक समिति की पहली बैठक आयोजित करने, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करने, मेलों में सहभागिता, भारत-इजराइल व्यापार संधि, प्रत्यक्ष व्यापार स्तरीय संबंधों की सुविधा से आदि द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने में सहायता मिली।

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के सुझाव

2488. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के संबंध में नीति और प्रक्रिया को सरल और दुरुस्त बनाने के लिये भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ को अध्ययन करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ०आई०ई०ओ०) द्वारा अभ्यावेदनों, ओपन हाऊस बैठकों इत्यादि के जरिए अपने सदस्यों से प्राप्त किए गए पृष्ठपोषण

के आधार पर सरकार के पास एक दस्तावेज वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए जाते हैं। इस वर्ष भी परिसंघ ने एक्जिम नीति और प्रक्रियाओं के बारे में कुछेक सुझाव प्रस्तुत किए थे। एफ०आई०ई०ओ० से प्राप्त निविष्टियों पर इस वर्ष एक्जिम नीति में परिवर्तन करते समय विधिवत् विचार किया गया था।

बिहार में पर्यटन स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा

2489. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा, बिहारशरीफ, पांवापुरी और बोधगया को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए हेलीकाप्टर सेवा प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है ताकि पर्यटकों की यात्रा सुविधाजनक हो;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हेलीकाप्टर सेवाएं आरंभ करने से राजकोष में कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हेलीकाप्टर सेवाएं पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड या निजी प्रचालकों द्वारा यातायात मांग और वाणिज्यिक मानदण्ड पर निर्भर करते हुए प्रदान की जाती है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग का संवर्धन

2490. श्री वैद्य विष्णुदत्त :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार पर्यटन उद्योग के उत्थान हेतु जम्मू क्षेत्र को विशेष धनराशि और परिव्यय के आबंटन करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिवासी भारतीय/विदेशी निवेशों को आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत आए और क्या भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है;

(ङ) क्या जम्मू कश्मीर और दिल्ली में पांच सितारा होटलों के प्रभारों को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। जम्मू व कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों में पर्यटक आकर्षणों तथा आधारभूत सुविधाओं का नवीनीकरण करना, 50,000 रुपए तक के ऋण माफ करने सहित राहत के उपायों द्वारा पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवन प्रदान करना शामिल है।

(ख) मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान 480.91 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है, ये परियोजनाएं, कटरा में पर्यटक आवास, जम्मू में पर्यटक स्वागत केन्द्र का उन्नयन तथा पटनीटाप में एक यात्री निवास का निर्माण करना है।

(ग) विदेशी निवेश हेतु पर्यटन को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया गया है तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यटक क्षेत्र में किसी भी परियोजना के लिए आटोमेटिक रूट के अंतर्गत 51% तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी जाती है। अनिवासी भारतीयों को 100% इक्विटी की अनुमति दी जाती है। तथापि, जम्मू व कश्मीर के संबंध में सरकार के विचाराधीन अभी कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में आए विदेशी पर्यटक आगमन नीचे दिये अनुसार था :-

वर्ष		संख्या
1995	—	21,23,683
1996	—	22,87,860
1197	—	23,74,094

(ङ) और (च) सरकार, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली या किसी अन्य स्थान में 5 सितारा होटलों की मूल्य सूचियों पर नियंत्रण नहीं रखती है। ये मूल्य सूचियां, होटलों के मालिक, मांग व पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित करते हैं।

[हिन्दी]

नोटों का परिचालन बंद करना

2491. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री दत्ता मेघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 500 रुपये मूल्य के नोटों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे देश में पांच सौ रुपये के मूल्य के नोटों को एकत्रित करके उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आदेशों के अनुपालन में भारतीय रिजर्व

बैंक के करेंसी चेम्ट्स ने इन नोटों को इकट्ठे करके जलाना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें जलाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिक्री कर की समान दर

2492. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर को समान रखने हेतु कोई प्रस्ताव लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सन् 2000 तक केन्द्रीय बिक्री कर को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) चूंकि बिक्री कर राज्यों का विषय है, इसलिए इस संबंध में राज्यों को ही निर्णय लेना होता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आयात/निर्यात नीति का सरलीकरण

2493. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयात-निर्यात मानदण्डों को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस सरलीकरण से निर्यातकों को किसी प्रकार सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) 13 अप्रैल, 1998 से लागू की गई एक्जिम नीति में संशोधनों/सुधारों के रूप में निर्यात/आयात प्रक्रियाओं में अनेक सरलीकरण किए गए हैं।

(ख) एक्जिम नीति की प्रमुख विशिष्टताओं का ब्यौरा एक्जिम नीति की मुख्य-मुख्य बातों में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ग) इस वर्ष की एक्जिम नीति में निर्यात-आयात प्रक्रियाओं में जिस सरलीकरण की शुरूआत की गई है, उससे निर्यातक समुदाय को बेहतर, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और प्रचालनों में लोचशीलता देने के अतिरिक्त उम्मीद है कि सौदों की लागत भी न्यूनतम हो जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इकाइयां

2494. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री सी०पी० राधाकृष्णन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी इकाइयां मार्च, 1998 तक राज्यवार कार्यरत थीं;

(ख) अब तक बंद पड़ी इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1997 के दौरान उक्त इकाइयों द्वारा कपड़े का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार इन कार्यरत इकाइयों को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन०टी०सी० की 119 मिलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं, जिसमें उनके मार्च, 1998 के दौरान प्रचालन की स्थिति निर्दिष्ट है।

(ख) अजोध्या वस्त्र मिल को छोड़ कर जिसे कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंद कर दिया गया है, एन०टी०सी० की कोई मिल बंद नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान इन एककों द्वारा निर्मित कपड़े और यार्न तथा उनको हुए लाभ/हानि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

मार्च, 98 के दौरान अकार्यान्वित आंशिक रूप से कार्यान्वित तथा पूर्णत: कार्यान्वित एन०टी०सी० मिलों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र० सं०	राज्य का नाम	अकार्यान्वित	मिलों की संख्या आंशिक रूप से कार्यान्वित	पूर्णत: कार्यान्वित
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	–	4	–
2.	राजस्थान	–	4	–
3.	मध्य प्रदेश	–	7	–
4.	उत्तर प्रदेश	8	3	–
5.	महाराष्ट्र	–	33	2

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	9	2	—
7.	आंध्र प्रदेश	1	5	—
8.	कर्नाटक	1	3	—
9.	केरल	—	—	5
10.	पांडेचेरी	—	—	3
11.	तमिलनाडू	—	—	13
12.	असम	—	1	—
13.	उड़ीसा	—	1	—
14.	बिहार	1	1	—
15.	पश्चिमी बंगाल	7	5	—
	कुल	27	69	23

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार निवल लाभ/हानि तथा वस्त्र तथा माक्रिट यार्न का उत्पादन

क्र० सं०	नाम	निवल लाभ/हानि 1997-98 (लाख रु० में)	उत्पादन	
			माक्रिट यार्न (एवं) (लाख/कि०ग्रा०)	वस्त्र (एवं) (लाख/मीटर)
1	2	3	4	5
	पंजाब			
1.	दयाल बाग मिल्स	−469.85	8.62	—
2.	खरार मिल्स	−213.51	7.00	—
3.	पानीपत वूलन	−546.83	—	—
4.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	−278.37	11.84	—
	राजस्थान			
5.	एडवर्ड मिल्स	−339.20	.25	—
6.	महालक्ष्मी मिल्स	−308.66	—	—
7.	उदयपुर मिल्स	−244.75	—	—
8.	श्री बिजय काटन	−287.12	.10	—
	मध्य प्रदेश			
9.	स्वदेशी टैक्सटाईल मिल्स	−715.91	1.12	—
10.	इन्दौर मालवा मिल्स	−1252.15	4.78	—
11.	हीरा मिल्स	−810.37	4.77	—
12.	बैंगाल नागपुर मिल्स	−1300.27	1.43	15.82
13.	न्यू भोपाल टैंक० मिल्स	−833.07	4.52	7.09
14.	कल्याण माल मिल्स	−1173.63	.74	—
15.	बरहानपुर ताप्ती मिल्स	−897.45	1.57	30.50
	उत्तर प्रदेश			
16.	बिजली काटन मिल्स	−242.19	3.36	—
17.	स्वदेशी नैनी	−1009.82	—	—
18.	स्वदेशी मौ० भान	−285.60	9.70	—
19.	मुईर मिल्स	−1346.33	—	—
20.	न्यू विक्टोरिया	−1331.50	—	—
21.	स्वदेशी कानपुर	−1439.71	—	—
22.	लक्ष्मी रतन	−1134.31	—	—
23.	ओथरटन	−767.46	—	—
24.	लार्ड कृष्णा	−578.10	—	—
25.	श्री बिक्रम	−297.43	—	—
26.	रायबरेली टैक्स० मिल्स	−273.69	—	—
	महाराष्ट्र			
27.	इन्दू नं०−1	−1351.74	.04	32.17
28.	इन्दू नं०−2	−1140.67	—	—
29.	इन्दू नं०−3	−1409.71	—	11.59
30.	इन्दू नं०−4	−805.80	—	23.84
31.	इन्दू नं०−5	−694.56	—	—
32.	इन्दू नं०−6	−1495.70	—	2.27
33.	माडल मिल्स	−470.67	.10	—
34.	आर०एस०आर०जी० मिल्स	−315.51	—	2.77
35.	सवत राम मिल्स	−490.42	—	.84
36.	विदर्भ मिल्स	−1129.74	—	7.56

1	2	3	4	5
37.	टाटा मिल्स	−622.06	—	1.91
38.	जाम मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स	−977.01	.06	3.11
39.	कोहिनूर नं०−1	—	—	—
40.	कोहिनूर नं०−2	—	—	—
41.	कोहिनूर नं०−3	—	—	—
42.	पोद्दार मिल्स	−722.78	.05	8.48
43.	श्री सीताराम मिल्स	−440.96	—	—
44.	श्री आर०बी०बी० ए० मिल्स	−503.66	—	31.07
45.	अपोलो मिल्स	−781.72	.51	22.24
46.	भारत मिल्स	−763.58	.09	10.49
47.	मुंबई मिल्स	−1036.03	.12	.29
48.	फिन्ले मिल्स	−1011.68	—	25.34
49.	गोल्डमोहर मिल्स	−747.23	.09	14.37
50.	न्यू सिटी मिल्स	−603.88	8.79	59.88
51.	बर्शी मिल्स	−2.25	4.70	—
52.	औरंगाबाद मिल्स	−156.09	.09	—
53.	चालीस गांव	−236.20	.77	20.02
54.	नांदेड़ मिल्स	−445.45	.18	13.54
55.	दिग्विजय मिल्स	−1269.10	.22	.59
56.	जूपीटर मिल्स	−1049.39	—	.59
57.	न्यू हिंद मिल्स	−886.46	.02	.49
58.	एल्फी स्टोन मिल्स	−807.59	—	—
59.	मधुसूदन मिल्स	−530.32	—	—
60.	धुले मिल्स	−445.83	—	3.70
61.	पोद्दार प्रोसेसर्स	−589.41	—	—
गुजरात				
62.	राजकोट	−280.78	—	—
63.	महालक्ष्मी	−911.03	—	—
64.	पेटलाद	−397.99	—	—
65.	अहमदाबाद ज्यूपिटर	−1073.17	—	—
66.	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	−1288.09	—	—
67.	विराम गांव	−658.92	—	—
68.	हिमाद्री मिल्स	−694.26	—	—
69.	न्यू मानक चौक	−731.73	.90	—
70	अहमदाबाद एन० टैक्सट०	−1056.80	1.37	—
71.	राजनगर−1	−1182.67	1.54	—
72.	राजनगर−2	—	—	—
आंध्र प्रदेश				
73.	आजमजाही मिल्स	−454.31	—	—
74.	अनंतपुर	−237.05	.09	—
75.	नटराज	−337.48	—	—
76.	नेथा	−163.24	—	—
77.	अदोनी	−137.15	—	—
78.	तिरूपति	−299.53	—	—
कर्नाटक				
79.	एम०एस०के० मिल	−723.91	—	—
80.	मिनर्वा मिल्स	−1042.97	2.84	10.70
81.	मैसूर मिल्स	−613.88	—	—
82.	श्री याल्लमा	−386.67	1.26	—
केरल				
83.	एलगप्पा मिल्स	−292.67	20.45	—
84.	कन्नौर मिल्स, कन्नौर	−67.83	15.85	—
85.	विजय मोहनी	−169.87	11.98	—
86.	पार्वती	−707.68	4.67	53.50
87.	केरल लक्ष्मी	−316.22	17.10	—
तमिलनाडु				
88.	ओमपाराशक्ति	−103.83	18.23	—
89.	कम्बोडिया	−33.41	21.11	—

1	2	3	4	5
90.	पंकजा	−34.36	15.62	—
91.	पायनियर	−35.35	13.15	—
92.	बालाराम वर्मा	−106.01	10.73	—
93.	कालेश्वरर-बी	−30.00	18.93	—
94.	कोयम्बटूर मुर्गन	23.75	6.31	57.26
95.	कुशनावेनी	−110.31	12.75	—
96.	श्री रंगविलास	20.53	25.90	—
97.	कालेश्वरर—ए	−542.76	12.51	—
98.	सी०एस० एंड डब्ल्यू०	−842.53	21.96	—
99.	सोमासुंदरम	−97.25	5.70	22.78
100.	श्री शरदा	−108.24	10.19	19.87
पांडेचेरी				
101.	स्वदेशी कॉटन	−466.59	9.19	—
102.	श्री भारती	−388.96	6.48	6.10
103.	कन्नानौर मिल्स माहे	−130.81	16.37	—
आसाम				
104.	ऐसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	−244.13	—	—
बिहार				
105.	गया कॉटन मिल्स	−385.75	—	—
106.	बिहार को०ऑप० मिल्स	−240.51	—	—
उड़ीसा				
107.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	−343.39	—	—
पश्चिम बंगाल				
108.	बंगाल फाईन मिल न० 1	−376.55	—	—
109.	आरती कॉटन मिल्स	−240.30	.15	—
110.	सोदपुर कॉटन मिल्स	−151.71	—	—
111.	बंगाल लक्ष्मी मिल्स	−453.91	—	—
112.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	−548.42	—	—
113.	लक्ष्मी नारायण	−309.96	—	—
114.	बंगाल फाईन—2	−154.15	—	—
115.	बंगाल टैक्सटाईल मिल्स	−332.82	—	—
116.	बंगासारी मिल्स	−225.26	—	—
117.	श्री महालक्ष्मी मिल्स	−479.36	—	—
118.	ज्योति मिल्स	−190.86	—	—
119.	सैन्ट्राल कॉटन मिल्स	−623.82	—	—
	कुल	−64749.81	379.26	550.77

[अनुवाद]

कर्नाटक में तंबाकू उत्पादक

2485. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान पंजीकृत तंबाकू उत्पादकों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान अनुमानित अप्राधिकृत तंबाकू उत्पादकों की संख्या कितनी है;

(ग) इन अप्राधिकृत उत्पादकों द्वारा कर्नाटक में उगाई जा रही तंबाकू की मात्रा क्या है;

(घ) कर्नाटक में तंबाकू की अप्राधिकृत खेती को रोकने के लिए तंबाकू बोर्ड ने क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक में व्यापारियों के लिए समुचित विवरण विक्रय केन्द्र प्रदान किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कर्नाटक में पंजीकृत उत्पादकों की संख्या निम्नानुसार है :

1996-97	—	1997-98
14655	—	18366

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 के लिए कर्नाटक के लिए एफ०सी०वी० तम्बाकू की कुल अधिकृत मात्रा 31.20 मिलियन किग्रा० की थी। जिसके मुकाबले कर्नाटक में नीलामी प्लेटफार्मों पर बेची गई मात्रा लगभग 45.25 मिलियन किग्रा० की थी। पंजीकृत उत्पादकों से बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदत्त तम्बाकू की उक्त अतिरिक्त मात्रा लगभग 3.55 मिलियन किग्रा० की थी और शेष मात्रा अपंजीकृत उत्पादकों से थी। तम्बाकू बोर्ड के नीलामी प्लेटफार्मों पर अपने तम्बाकू की बिक्री करने के लिए तम्बाकू किसानों को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के प्रचालन को इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 1998 की अधिसूचना द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1998 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में स्थगित कर दिया गया था।

कर्नाटक में एफ०सी०वी० तम्बाकू की अनधिकृत खेती को रोकने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछेक कदम निम्नानुसार हैं :

1. बोर्ड की उत्पादन नीति का ए०आई०आर० के माध्यम से प्रसारण किए जाने के अतिरिक्त सभी प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है।

2. जो किसान पंजीकरण की मंजूरी (पंजीकरण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार) पात्र नहीं हैं, उन्हें प्रैस और रेडियो के माध्यम से तम्बाकू की खेती न करने की सलाह दी गई है।

3. विश्व तम्बाकू उत्पादन संबंधी स्थिति और उत्पादन संबंधी विनिमयनों का अनुपालन करने की जरूरत तथा तम्बाकू का रोपण अधिकृत/पंजीकृत क्षेत्रों में ही करने तथा अधिकृत रूप से तम्बाकू की खेती न करने के बारे में उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए उन्हें गांव स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं।

4. अनधिकृत रूप से बखारों का निर्माण करने वाले/अनधिकृत रूप से तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को पता लगाना और इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों के लिए उन्हें नोटिस तामिल करना तथा राज्य सरकारों को भूमि के उपयोग में किए गए परिवर्तनों के बारे में सूचित करना।

(ङ) और (च) जी, हां। तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटक राज्य में आठ नीलामी प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

महाराष्ट्र में पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

2496. श्री माधवराव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विचाराधीन महाराष्ट्र में विशेषत: नासिक में पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की अब क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। तीन प्रस्ताव हैं परन्तु इनमें से कोई भी प्रस्ताव विशेषरूप से नासिक से संबंधित नहीं है।

(ख) तीन प्रस्ताव ये हैं :- (1) 863 करोड़ रुपए लागत की महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा मलव्ययन परियोजना, चरण-द्वितीय (2) 570 करोड़ रुपए की लागत की बम्बई IV मिडल वेतरना जलापूर्ति परियोजना (3) महाराष्ट्र के 11 जिलों की 900 करोड़ रुपए लागत की एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणात्मक सफाई परियोजना।

(ग) उपर्युक्त सभी तीनों प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2497. श्री विजय सिंह सोय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन में श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशतता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिनियुक्ति पर विदेशों के लिए चुने गये भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और इनके चयन के लिए अपनाये गये मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) आई०टी०पी०ओ० में श्रेणी-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और उसका प्रतिशत निम्नानुसार है :-

समूह	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सं०	अनुसूचित का %	अ०ज०जा० के कर्मचारियों की संख्या	अ०ज०जा० का %
क	32	17.02	8	4.25
ख	21	20.00	5	4.76
ग	92	19.49	15	3.17
घ	204	39.45	5	0.96

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए आई०टी०पी०ओ० के अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

समूह	1995		1996		1997	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
क	1	2	3	1	5	—
ख	1	—	—	—	2	1
ग	—	—	6	—	1	2
घ	—	—	1	—	—	1

(ग) प्रतिनियुक्ति पर विदेशों के लिए चयन किए जाने से संबंधित मापदण्डों में कर्मचारियों की वरिष्ठता सह-समग्र योग्यता सम्मिलित होती है। प्रत्येक अवसर की जरूरत और आकार को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आयोजित करने के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए आई०टी०पी०ओ० के अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

समूह	1995-96		1996-97		1997-98	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
क	6	2	11	3	7	2
ख	3	—	—	2	1	1
ग	—	—	—	—	—	—
घ	—	—	—	—	—	—

आयकर निपटान आयोग

2498. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर निपटान आयोग के समक्ष दायर किए जाने के पश्चात् लम्बित याचिकाएं में आयकर तथा ब्याज की कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है, यदि अधिकतम दर पर न्याय निर्णय हों; और

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जो किसी न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही के लिए स्थगन आदेश नहीं देने के बावजूद आयकर निपटान आयोग के समक्ष पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं और इनमे कितनी धनराशि कर ब्याज और जुर्माने के रूप में अंतर्ग्रस्त है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) निपटान के लिए याचिका स्वीकृत हो जाने पर, समझौता आयोग के समक्ष घोषित अतिरिक्त आय पर सम्पूर्ण कर आयकर अधिनियम की धारा 245घ(I) के अंतर्गत याचिका आदेश प्राप्त होने के 35 दिन के भीतर आवेदक द्वारा देय हो जाता है। यदि 35 दिन की निर्धारित अवधि के दौरान यह कर अदा नहीं किया जाता तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 35 दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद अदा न की गई शेष राशि पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज के साथ उक्त राशि आयकर विभाग में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 245घ(4) के अंतर्गत निपटान के अन्तिम आदेश पारित होने पर कर/ब्याज यदि कोई हो तो देय हो जाता है। इस प्रकार स्वीकृत होने के पश्चात् अन्तिम निपटान के लिए लम्बित याचिकाओं के संबंध में उसमें ग्रस्त और कर/ब्याज का पता धारा 245घ(4) के अन्तर्गत निपटान के अन्तिम आदेशों के पारित होने के बाद ही लग सकता है।

(ख) स्वीकृत होने के पश्चात् समझौता आयोग के पास पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित (1.5.1998 की स्थिति के अनुसार) मामलों की संख्या 405 है। इन मामलों में ग्रस्त कर/ब्याज/दण्ड आदि का तभी पता चलेगा जब धारा 245(घ)(4) के तहत निपटान के अन्तिम आदेश पारित हो जाएंगे।

विश्व व्यापार संगठन केन्द्र

2499. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में सांख्यिकीय आधार स्थापित करने हेतु भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का विचार विश्व व्यापार संगठन का एक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित होने की सम्भावना है;

(ग) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की सहायता करने के लिए इसी प्रकार के एक अन्य संगठन को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित केन्द्र का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होगा। केन्द्र के कार्यकलाप निम्नानुसार होंगे :-

1. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नीति संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान करना।
2. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) की बातचीत से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुसंधान कार्य, को उपलब्ध करना।
3. डब्ल्यू०टी०ओ० संबंधी मामलों के संबंध में सूचना। आंकड़ों के लिए एक भंडार ग्रह और प्रलेखन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
4. व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को डब्ल्यू०टी०ओ० संबंधी मामलों की जानकारी देने हेतु लघु अवधि के पाठ्यक्रमों, परिचयात्मक पाठ्यक्रमों और अभिज्ञान कार्यक्रमों को चलाना।
5. व्यापार और उद्योग के उपयोग के लिए प्रकाशन और पुस्तिकाएं निकालना।
6. डब्ल्यू०टी०ओ० संबंधी मामले से संबंधित सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य कार्य।

इस केन्द्र द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य आरंभ किए जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम की योजनाएं

2500. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम में लघु और अति लघु उद्योगों के संवर्द्धन और उनके निर्यात में सफलता के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को क्या सहायता/सुविधाएं दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जहां स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लघु और अति लघु उद्योगों के लिए निर्यात क्षेत्र का सृजन एवं संवर्धन करने के लिए कोई निश्चित योजनाएं नहीं चलाता, वहां एम०एम०टी०सी० ने खनिज तथा अयस्कों के क्षेत्र में उत्पादन तथा निर्यात का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं;

खान के मालिकों को उत्पाद की मूल कीमत के अतिरिक्त उत्पादन तथा विकास संबंधी प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत खान मालिकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यदि आपूर्ति आधार स्तर से अधिक होती है तो उसे समस्त मात्रा पर प्रोत्साहन मिलता है जिसमें पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर वर्ष दर वर्ष उसमें संशोधन किया जाता है। खान मालिकों को उसकी खानों के वैज्ञानिक विकास में उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी विकास प्रोत्साहन योजना के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

एम०एम०टी०सी० उत्खनन क्षेत्रों में समुचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों तथा पौधों के रोपण के लिए खान के मालिकों को वनरोपण प्रभार का भी भुगतान करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खान मालिकों की निर्यातों में रुचि बनी रहें, और दीर्घकाल में वे विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, उन्हें समय-समय पर विनिमय का लाभ भी दिया जाता है।

जहां सम्भव होता है, एमएमटीसी खान मालिकों को सीधे ही पत्तर पर सामग्री की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे स्थानीय मालवहन के लिए भी आयकर अधिनियम के तहत 80 एच०एच०सी० का लाभ प्राप्त कर सके।

एम०एम०टी०सी० उन्हें निर्यात सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और खान मालिकों के पास घरेलू मांग से बचे बेशी माल के निर्यात को सुविधाजनक बनाता है, क्योंकि विश्व बाजार में उनकी कोई पहुंच नहीं होती और वे स्वतंत्र रूप से निर्यात की व्यवस्था करने या उसके लिए सहजता जुटाने में असमर्थ होते हैं।

एम०एम०टी०सी० आर्डर प्राप्त करने तथा दस्तावेज तैयार करने, नौवहन की व्यवस्था तथा पैकिंग के लिए ऋण सुविधाएं आदि प्रदान करके उन आर्डरों को निष्पादित करने में उनकी सहायता करता है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा पत्तनों के विकास हेतु सहायता

2501. श्री अशोक नामदेव मोहोल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक देश में विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न पत्तनों के विकास के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारत में पत्तनों के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत वर्तमान परियोजनाओं हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए ब्यौरा निम्नलिखित है :-

परियोजना का नाम	परियोजना घटकों का सारांश	सहायता की राशि	स्वीकृति की तारीख	बंद होने की तारीख	ऋण उपयोग
1	2	3	4	5	6
कोयला पत्तन परियोजना	पराद्वीप पत्तन में कोयला हैंडलिंग संयंत्र और घाट तथा एन्नौर पत्तन का विकास	285 मि० अमरीकी डालर	27 अक्तूबर, 1992	30 मई, 2000	60.632 मिलियन अमरीकी डालर
मुम्बई पत्तन	पनडुब्बी पाइप लाइनों का प्रतिस्थापन, तेल गोदी का आधुनिकीकरण	97.8 मि० अमरीकी डालर	29 सितम्बर, 1997	30 सितम्बर, 2003	शून्य
चैन्नई पत्तन	विद्यमान गोदियों का पुनः-स्थापना	15.2 मि० अमरीकी डालर	29 सितम्बर, 1997	30 मार्च, 2003	शून्य

इटली के व्यापार दल की भारत यात्रा

2502. श्री तथागत सत्पथी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 के दौरान इटली के उच्च स्तरीय व्यापार दल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उस दल की यात्रा का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या इटली के व्यापार दल का भारत में संयुक्त उद्यम वाली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त व्यापार दल द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) जी, नहीं। किन्तु, चूंकि इटालियन प्रधानमंत्री का अप्रैल, 1997 में भारत का सरकारी दौरा स्थगित कर दिया गया था, इसलिए विदेश मंत्रालय में एशिया-औशीनिया के देशों में समन्वयकर्त्ता के नेतृत्व में इटली के व्यापारियों व उद्योगपतियों के 5 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल ने 20-24 अप्रैल, 1997 को भारत का दौरा किया और नई दिल्ली में सी०आई०आई० के महानिदेशक के साथ बैठकें की। ऐसा समझा जाता है कि व्यापारियों की भारतीय कम्पनियों के साथ बैठकें हुई लेकिन, कोई भी संयुक्त उद्यम सहयोग की परियोजनाएं सम्पन्न नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज

2503. श्री आदित्य नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विशेष क्षेत्र की क्षेत्रीय आर्थिक विसंगति का अध्ययन करने के लिए देश के विभिन्न भागों का हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के दूसरे भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आर्थिक पैकेज देने के वास्ते कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए धन का निर्धारण योजना आयोग करता है। सरकार पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। फिर भी राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का विकास उत्तरदायित्व प्रमुखतः राज्य सरकारों का है। चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की विकास की जरूरत राज्य के विकास योजना के अंतर्गत पूरी हो सकती है अतः केन्द्रीय सरकार के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

विजिट इंडिया वर्ष

2504. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विजिट इंडिया वर्ष के प्रस्ताव के पीछे सरकार की क्या धारणा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वाराणसी के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशी मार्किट में भारतीय पर्यटन उत्पादों को बढ़ाने और अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने संबंधी व्यापक प्रचार की ओर ध्यान देना इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य है।

(घ) जी, हां। पर्यटन संभाव्यता के साथ-साथ तीर्थ केन्द्रों को विकास के लिए, यथानिर्धारित किया जाता है।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी में निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है :-

		स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1.	वाराणसी में जन सुविधाएं	6.72
2.	वाराणसी घाट की प्रकाश पुंज व्यवस्था	16.50

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास फैडरेशन का बकाया

2505. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास फैडरेशन की कुछ राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास फैडरेशन को इस राशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) 31.3.1998 तक की स्थिति के अनुसार एन०टी०सी० को महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास परिसंघ को कपास की 36.72 करोड़ रु० की बकाया राशि का भुगतान करना है।

(ग) से (च) एन०टी०सी० द्वारा कपास उधार पर खरीदा जाता है। इसलिए, किसी भी समय कुछ बकाया राशि का भुगतान करना शेष रहता है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कपास की बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए अनुरोध किया है, लेकिन एन०टी०सी० के

पास कार्यशील पूंजी की जटिल कमी तथा घाटे होने के कारण परिसंघ को कपास की देय बकाया राशि का भुगतान बकाया हो गया है। आशा है कि एन०टी०सी० बी०आई०एफ०आर० के अनुमोदन के अनुसार पुनर्वासन पैकेज लागू होते ही निधियां उपलब्ध होने पर बकाया राशि का भुगतान कर देगा। इस समय एन०टी०सी० के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी०आई०एफ०आर० के समक्ष विचाराधीन हैं।

राज्य व्यापार निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2506. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 से राज्य व्यापार निगम में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक-सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का लाभ उठाया है;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को सभी लाभ प्रदान किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के सभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक सभी लाभ प्रदान किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) वर्ष 1995 तथा 1996 में एस०टी०सी० में विद्यमान नहीं थी। एसटीसी में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1997 में शुरू की गई थी। 67 प्रबंधकों तथा 29 कर्मचारियों को मिलाकर कुल 96 कर्मचारियों ने वी०आर०एस० को चुना था तथा उक्त योजना के अनुसार उन्हें अनुमत्य लाभों का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

बासमती चावल का निर्यात

2507. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका द्वारा बासमती चावल का पेटेण्ट प्राप्त करने के कारण भारत से बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चावल निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के अंतर्गत पेटेंटों की स्वीकृति दी जाती है। किसी खोज के संबंध में पेटेंट एक ऐसी सांविधिक स्वीकृति होती है, जिससे एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकृति प्राप्तकर्त्ता को कुछेक एकाधिकार मिल जाते हैं। पेटेंट अधिकार उस देश के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होते हैं, जहां ये प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि भारत मूल के चावल पूरी तरह से प्रभावित नहीं होंगे तथा पेटेंटी भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध यूएसए में यह दावा कर उल्लंघन की कार्रवाही कर सकता है कि उक्त चावल की गुणवत्ता उसके द्वारा पेटेंट किए गए बासमती चावल की किस्म तथा दानों के समान है।

(ख) जब भी ऐसे उत्पादों को पेटेंट किए जाने के बारे में सूचना मिलती है, जो भारत के लिए वाणिज्यिक हित के होते हैं और जो हमारे विचार से पेटेंट की योग्यता के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, तो इस बात का जायजा लेने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या पेटेंट की स्वीकृति में चुनौती दी जा सकती है। जब पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली जाती है तो उस देश में पेटेंट की पुन: जांच करने और अन्ततः उसे निरस्त किए जाने के लिए याचिका दायर करने हेतु कदम उठाए जाते हैं।

चावल निर्यातकों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में अन्य बातों के साथ-2 शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ग्रीस, यू०के० में दायर किए गए विभिन्न ट्रेडमार्क-पंजीकरणों को चुनौती देना, प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में प्रतिनिधिमण्डल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार लाना, उत्पादों के ब्रांड का संवर्धन तथा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देना

2508. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों को जाने वाले राजमार्गों के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैफेटेरिया रेस्ट हाउस स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर भारत के उत्तरांचल क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर यह योजना शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं और इनमें उत्तरांचल के स्थानीय लोगों के संभावित योगदान का अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण यथा-रेस्तराओं, जन सुविधाओं, शौचालयों और पेयजल सुविधा के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करता है। इसके अलावा सरकार ने "कैफेटेरिया रेस्ट हाउस" नामक कोई योजना नहीं शुरू की है। वर्ष 1996-97 के दौरान मंत्रालय ने उत्तरांचल क्षेत्र के लिए मार्गस्थ सुविधा प्रदान करने की योजना के तहत ऋषिकेश में स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

(ग) परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। इन सुविधाओं के सृजन से स्थानीय उत्पादों की मांग बहुत बढ़ेगी और इस प्रकार स्थानीय लोगों को रोजगार के सुअवसर मिलेंगे।

[अनुवाद]

अत्यधिक भंडार के कारण हथकरघा बुनकरों के लिए संकट

2509. श्री के० कृष्णमूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा सामग्री के अत्यधिक भंडार के न उठाए जाने की जानकारी है जिससे गरीब हथकरघा बुनकरों विशेष

रूप से तमिलनाडू के बुनकरों के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर्ट सिल्क के आयात की घोषणा से स्थिति और खराब होती जा रही है जिससे बुनकरों की स्थिति और दयनीय हो गई; और

(ग) यदि हां, तो आयात के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा हो सके ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। तमिलनाडू सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने संचित भंडार के निपटान हेतु विभिन्न उपाये किये हैं जियमें अनुदान की छूट, बिक्री के लिए प्रदर्शनकारियों का आयोजन, राज्य सरकार द्वारा खरीद आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) कृतिम तंतु (फिलमेंट) धागे से बुने हुए वस्त्रों का आयात दिनांक 31.12.1997 की अधिसूचना द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत लाया गया है। नीति के प्रभाव का निर्धारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

निर्यात पर सस्ती ब्याज दर

2510. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। 29 अप्रैल, 1998 को लदान-पूर्व ऋण दरों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप निर्यात ऋण ब्याज दर ढांचा पहले ही पर्याप्त रूप से निम्न है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समन्वित पर्यटन योजना

2511. श्री भीम दाहाल :
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समन्वित पर्यटन विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिवर्ष राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विकास पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा गठित कार्यबल ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की सुलभता एवं प्रचार सहित आधारभूत सुविधाओं के सुधार के बारे में सुझाव दिए गए हैं। कथित रिपोर्ट में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र शामिल नहीं किया गया था।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों को, गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अवमुक्त की गई राशि नीचे दिए गए अनुसार है :-

राज्य	अवमुक्त की गई राशि (रु० लाख में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
अरूणाचल प्रदेश	25.50	1.75	82.50
असम	39.00	32.66	94.20
मणिपुर	36.28	22.00	56.35
मेघालय	2.04	32.50	28.05
मिजोरम	68.94	40.44	43.50
नागालैण्ड	39.76	70.00	40.58
त्रिपुरा	22.67	56.60	40.16

गत तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग परियोजनाओं के लिए अवमुक्त की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार थी :-

वर्ष		रु० लाखों में
1995-96	—	30.72
1996-97	—	28.75
1997-98	—	16.50

एन०आई०एस०आई०ई०टी० द्वारा हैदराबाद अनुसंधान परियोजनायें

2512. श्री एम० राजैया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित शोध परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्होंने एन०आई०एस०आई०ई०टी० हैदराबाद को धनराशि दी तथा यह सहायता राशि कितनी थी; और

(ग) इस समय चल रही परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निसियट, हैदराबाद द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के सहयोग से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान लघु उद्यमियों के लिए नीति अनुसंधान पर एक अनुसंधान परियोजना आयोजित की गई थी।

(ख) उपर्युक्त अनुसंधान परियोजना 10,000 अमेरीकी डालर की राशि हेतु यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा सौंपी गई थी।

(ग) वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली (भारत तथा भूटान के लिए आई०एल०ओ० कार्यालय) द्वारा 4200 अमेरीकी डालर + 58,000 रुपये की संस्थानात्मक फीस के लिए 29 मार्च—4 अप्रैल, 1998 के दौरान नाइजीरिया से आई०एल०ओ० शिष्ट-मंडल के लिए खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण ग्रामीण विकास पर अध्ययन दौरा करने की व्यवस्था की गई थी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक विकास केन्द्र, ढाका, बंगलादेश द्वारा प्रायोजित 10,500 अमेरीकी डालर फीस के लिए 8-20 जून, 1998 के दौरान बंगलादेश से साहूकारों तथा अधिकारियों के सात सदस्यीय दल की प्रशिक्षण-कम-उद्यम यात्रा।

विद्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर अपवंचन

2513. **श्री के०एस० राव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा हाल ही में किए गये तलाशी से यह पता चला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ विद्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर का अपवंचन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्दाफाश किए गए आय-कर अपवंचन का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है तथा इसकी कार्य-प्रणाली क्या है;

(ग) क्या कुछ मामलों में अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्कूल के परिसरों की तलाशी ली गई थी।

(ख) उक्त स्कूल के निदेशक ने 4 करोड़ रुपये की धनराशि छिपाने की बात अब स्वीकार कर ली है। छिपायी गई धनराशि की सही रकम का पता लगाने और इस कार्य में अपनाई गई कार्य-प्रणाली को सिद्ध करने के लिए और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) और (घ) उक्त स्कूल को चलाने वाली संस्था के अध्यक्ष एक अनिवासी भारतीय हैं।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 में तलाशी से संबंधित मामलों के कर-निर्धारण के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में तलाशी के वर्ष से 10 पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्षों की ब्लाक अवधि के बारे में कर निर्धारण करने तथा ब्लाक अवधि से संबंधित अप्रकटित आय का 60% के हिसाब से कर निर्धारण करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में विहित परिस्थितियों में अभियोजन संबंधी कार्यवाहियां शुरू की जा सकती हैं।

असम के रूग्ण चाय बागान

2514. **श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में कुछ चाय बागान रूग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बागानों में गरीब कामगारों के उपदान और दैनिक मजूदरी के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन कामगारों को बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार इन चाय बागानों का पुनरूद्धार करने अथवा इन्हें किसी ऐसी निजी कम्पनी को बेचने अथवा पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखती हैं, जो ऋण चुकाने में समर्थ हों;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इन चाय बागानों को रूग्णता की वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है, जो सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ई०सी०एल० द्वारा अधिग्रहीत भूमि

2515. **प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ग) ऐसे परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है और प्रत्येक परिवार को मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, विभिन्न प्रकार की भूमि को मिलाकर कुल 9976.73 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई।

(ख) ई०को०लि० द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, 996 परिवार विस्थापित हो चुके हैं।

(ग) को०इं०लि० की आर० एण्ड आर० नीति तथा अक्तूबर, 1990 में अनुमोदित भारत सरकार के ''गुल्ला पैकेज'' का परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, सभी 996 परिवारों को 1.07 लाख रु० प्रति परिवार की औसत राशि से मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

[अनुवाद]

तम्बाकू की फसल

2516. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से तम्बाकू की खेती के संबंध में प्रतिबंधों में ढील न देने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू बोर्ड और अन्य सदस्यों ने तम्बाकू की खेती पर लगे वर्तमान प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विश्व बैंक सहायता

2517. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विश्व बैंक से ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थों को समाप्त करने के लिए धन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक से कुल कितना धन प्राप्त किया है; और

(ग) ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थों को कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) विश्व बैंक की ओर से अनुदान संवितरण का प्रबन्ध करता है। यह बैंक मांट्रियल प्रोतोकोल के तहत ओजोन ट्रस्ट फण्ड का प्रशासक है। 31 मार्च, 1998 तक आई०डी०बी०आई० ने उद्यमों को और संवितरण करने हेतु, 8,604,926 अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की है।

(ग) ओजोन को क्षीण करने वाले हानिकारक पदार्थों को मांट्रियाल प्रोतोकोल में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2010 तक समाप्त किया जाना है।

[हिन्दी]

आबिद हुसैन समिति

2518. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर किस तरह के और किस हद तक कदम उठाये गये हैं;

(ख) लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों में समिति की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है;

(घ) क्या सरकार इन सिफारिशों पर पुनर्विचार कर रही है जिन्हें मंजूर नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) लघु उद्यमों से संबंधित आबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1997 में प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे :-

1. लघु औद्योगिक एककों के लिए निवेश सीमा को 60 लाख रुपये (अनुषंगी एककों के लिए 75 लाख रुपये) से 300 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था।
2. अति लघु एककों के लिए निवेश सीमा को 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था।
3. संयंत्र तथा मशीनरी में 5 लाख रुपये तक निवेश रखने वाली इकाइयों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र हेतु उपलब्ध निधियों का 40 प्रतिशत, 5 लाख से 25 लाख रुपये के बीच निवेश वाली इकाइयों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य लघु उद्योग इकाइयों के लिए शेष 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।
4. सिडबी की मिश्रित ऋण योजना में संशोधन किया गया था तथा ऋण की सीमा 50,000/- रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी।

सरकार ने आबिद हुसैन समिति की विभिन्न सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समिति भी गठित की गई थी। अन्तर-मंत्रालीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने विभिन्न अन्य मामलों पर निर्णय लिया है जिनके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

समिति की उन सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो न केवल लघु क्षेत्र के हित में सोची गई थी परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के हित में भी थी और सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी।

(ग) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग ने आबिद हुसैन समिति की विभिन्न सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों को आगे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विश्व व्यापार संगठन समझौता

2519. श्री विजय गोयल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत किन शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ है;

(ख) क्या उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या लाभ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) उरूग्वे दौर के समझौतों के पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं।

1. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाला मरावेश समझौता।
2. वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय समझौते (जिसमें टैरिफ और व्यापार संबंधी-सामान्य करार 1994 शामिल है)।
3. कृषि संबंधी समझौता।
4. स्वास्थ्य और पाद्प-स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के बारे में समझौता।
5. वस्त्र एवं कलोदिंग के बारे में समझौता।
6. व्यापार की तकनीकी बाधाओं के बारे में समझौता।
7. व्यापार से संबंधित निवेश उपायों के बारे में समझौता।
8. टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद 6 को लागू करने के बारे में समझौता।
9. टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद 7 को लागू करने के बारे में समझौता।
10. लदान पूर्व निरीक्षण के बारे में समझौता।
11. उद्गम के नियमों के बारे में समझौता।
12. आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के बारे में समझौता।
13. इमदादों और प्रतिकारी उपायों के बारे में समझौता।
14. सुरक्षा संबंधी समझौता।
15. सेवाओं के व्यापार के बारे में सामान्य समझौता।
16. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता।
17. विवादों के निपटान को शासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में समझौता।
18. व्यापार नीति समीक्षा व्यवस्था।
19. बहुपक्षीय व्यापार समझौते (नागर विमान, सरकारी खरीद, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समझौता और अंतर्राष्ट्रीय गोजातीय समझौता)।

प्रत्येक समझौते के अपने-अपने अधिकार और दायित्व हैं।

(ख) और (घ) सरकार का विचार यह है कि डब्ल्यू०टी०ओ० द्वारा शासित होने वाली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था, रियायतों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अगर उचित रूप से लागू किया जाए तो इससे विश्व व्यापार में क्रमबद्धता, पारदर्शिता और भविष्य सूचक क्षमता आएगी। प्रत्येक देश द्वारा सभी सदस्य देशों को परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करना और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय व्यवहार अथवा अन्य सदस्य राष्ट्रों के उत्पादों के प्रति गैर भेदभाव पूर्व व्यवहार का सिद्धान्त, जो कि डब्ल्यू०टी०ओ० समझौतों में प्रतिष्ठापित है, टैरिफ का कम करके तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करके ज्यादा मुक्त व्यापार इमदाद सहित व्यापार को विकृत करने वाले उपायों की समाप्ति, सभी जगह कानूनों और विनियमों में एकरूपता लाने के लिए नियमों की व्यवस्थाएं जो कि राष्ट्रीय कानून के लिए दिशानिर्देश का काम करेगी तथा सीमा संबंधी उपायों का सरलीकरण इस व्यवस्था की कुछ उपलब्धियां हैं।

किन्तु इस व्यवस्था में देखी गई कुछ चुनौतियां कुछ सदस्यों द्वारा डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते के प्रावधानों को उचित रूप में लागू नहीं किया जाना है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत अपने द्वारा और अन्य विकासशील देशों द्वारा झेली जा रही कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं को डब्ल्यू०टी०ओ० के अन्दर और बाहर विभिन्न उचित मंचों पर उठाता रहा है। भारत द्वारा किए गए नवीनतम प्रयासों में 18-20 मई 1998 के दौरान जेनेवा में आयोजित डब्ल्यू०टी०ओ० के व्यापार मंत्रियों के हाल ही में सम्पन्न दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इन मामलों को उठाना शामिल है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते के उचित कार्यान्वयन के बारे में भारत की चिन्ताओं का समर्थन किया है क्योंकि मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में आम परिषद में शुरू की जाने वाली प्रक्रिया में प्रथम कार्यमद के रूप में मौजूदा डब्ल्यू०टी०ओ० समझौतों तथा निर्णयों के पूर्ण और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन का आदेश दिया गया है क्योंकि यह डब्ल्यू०टी०ओ० के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तीसरे सत्र में अपने अन्तिम सुझाव देने की तैयारी कर रही है।

विदेशी सहायता वापस लेना

2520. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिए चालू वर्ष के दौरान ऋण के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त होनी थी और जिसे संबंधित देशों द्वारा रद्द कर दिया गया है, इस ऋण की राशि और जिन देशों से यह राशि प्राप्त होनी थी उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए ऋण/सहायता अनुदान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और जिसे रोके जाने की कोई संभावना नहीं है; और

(ग) भारत के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने के संबंध में जी-8 शिखर सम्मलेन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं के लिए कोई ऋण रद्द नहीं किए गए हैं। इस बात की सम्भावना नहीं है कि सभी चालू परियोजनाओं के लिए ऋण/अनुदान-सहायता को रद्द किया जाएगा। अंतिम स्थिति को अभी उभर कर सामने आना है।

(ग) जी-8 शिखर सम्मेलन में भारत के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे।

[अनुवाद]

बचत बैंक खाते पर बीमा लाभ

2521. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एंड सिंध बैंक ने उन बचत बैंक खाता धारकों के लिए जो अपने खातों में मात्र एक हजार रुपये की न्यूनतम राशि बकाया रखते हैं एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लाभ प्रदान करने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों को भी इस प्रकार की योजना लागू करने के लिए कहने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) पंजाब एंड सिंध बैंक ने दुर्घटना बीमा कवरेज के विशेष लाभ वाली बचत से सम्बद्ध बीमा योजना प्रारंभ की है। इस योजना का केवल दिल्ली की सभी शाखाओं में बाजार परीक्षण किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

पात्रता : 5 से 70 वर्षों की आयु कोई भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति 1,000/- रुपए की निम्नतम् शेष राशि वाला व्यक्तिगत अथवा संयुक्त (नाबालिगों सहित) खाता खोल सकता है। इसमें उच्च सीमा कुछ नहीं है। विकलांग व्यक्ति भी खाता खोलने के पात्र हैं।

नामांकन सुविधा : नामांकन सुविधा केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में खाता खोलते समय उपलब्ध होती है। नामिती के नाम में परिवर्तन किया जाता जा सकता है।

बीमा कवरेज : इस योजना की मुख्य विशेषता नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि० की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी (सामूहिक) के अन्तर्गत जमाकर्ता के लिए दुर्घटना बीमा कवर है। जामाकर्ता बिना कुछ अतिरिक्त भुगतान किए बिना बीमा कवर पायेगा। 50/- रुपए का निर्धारित प्रभाग प्रति मद प्रति वर्ष (समय-समय संशोधन शर्त के अधीन) खाते में जमा/उचित ब्याज में से वसूला जायेगा।

आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा : आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवरेज। लाख रुपये है और भारतीय मुद्रा में खाता धारक नामिती को भुगतान किया जाएगा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी (सामूहिक) मृत्यु और निःशक्तता के लिए विश्वस्तरीय कवर उपलब्ध कराती है।

इस योजना के अंतगर्त किसी व्यक्ति का दावा, किसी व्यक्ति के खातों की संख्या का विचार किए बिना 1 लाख रुपये तक सीमित है। बीमा कवर, प्रीमियम के भुगतान की तारीख से प्रारम्भ होगा।

बीमा कवर, बचत बैंक खाते का समापन की तारीख से अथवा जब कभी खाते में जमा राशि न्यूनतम राशि से कम हो जाती है तबसे समाप्त होगा।

मुआवजा उपलब्ध : किसी बाहरी हिंसा अथवा सदृश्य साधन के कारण हुई शारीरिक चोट के लिए पालिसी में निर्दिष्ट किए गए अनुसार बीमा कंपनी राशि का भुगतान करेगी।

पालिसी के अंतर्गत शारीरिक चोट के फलस्वरूप निम्नलिखित परिस्थिति हो, तो उसके होने के 12 कलेंडर महीनों के अन्दर बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा:

* बीमाकृत की मृत्यु।
* दोनों आंखों की रोशनी का चला जाना।
* शारीरिक रूप से दोनों हाथों के अलग हो जाने से हुई वास्तविक हानि अथवा दोनों पैरों अथवा एक पूरे हाथ और एक पूरे पैर अथवा एक आंख की रोशनी का जाना और एक पैर अथवा एक हाथ का खोना।
* दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों, अथवा एक हाथ और एक पैर अथवा एक हाथ/पैर और एक आंख का खोना।
* किसी भी रोजगार अथवा व्यवसाय करने के लिए स्थाई और पूर्ण रूप से अक्षम हो जाना।

किसी अन्य स्थाई आंशिक अक्षमता के लिए, पोलिसी डाक्टर के मूल्याकंन और उसके प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो, के अनुसार प्रतिशतता का भुगतान किया जाएगा।

पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए खर्च : बीमित व्यक्ति के पार्थिव शरीर को उसके आवास तक ले जाने के लिए 1000/- रुपये का वास्तविक खर्च भी पालिसी में कवर होता है।

दावे : दावों का निपटाना, बीमा कंपनी द्वारा ही पालिसी की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए बीमा कंपनी को सीधे ही सम्पर्क करना होगा।

खाते का स्थानांतरण : योजना के अंतर्गत, खाताधारक सम्पूर्ण भारत में पी एस बी की किसी भी शाखा में जहां कही योजना परिचालन में है, अपने खाते का स्थानांतरण कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों का विलय

2522. डा० जयन्त रंगपी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों की वर्तमान संख्या को कम करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करने अथवा उनका किसी एकल बैंककारी कारपोरेशन में विलय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम०आर० जनार्दनन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश आयोग

2523. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने यह सिफारिश की है कि विनिवेश को वार्षिक बजट सम्बंधी कार्यवाही से अलग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) विनिवेश निधि की स्थापना की सिफारिश करते समय, विनिवेश आयोग ने विनिवेश को वार्षिक बजटीय प्रक्रिया से अलग करने की सिफारिश की है।

(ग) सरकार द्वारा विनिवेश आयोग की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन और खपत

2524. श्री अशोक प्रधान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन और खपत की मात्रा क्या रही है; और

(ख) राज्य में सीमेंट की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सीमेंट विनिर्माता संघ द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय रिपोर्टों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बड़े सीमेंट संयंत्रों का पिछले तीन वर्षों में उत्पादन एवं खपत इस प्रकार हैं :

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1995-96	11.59	67.35
1996-97	9.33	70.94
1997-98	7.47	83.82

छोटे सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन और खपत के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सीमेंट उद्योग नियंत्रण एवं लाइसेंसयुक्त है और स्थापना स्थल संबंधी स्वीकृति मिलने पर उद्यमी सभी सीमेंट संयंत्र कहीं भी स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सीमेंट का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए सरकार इस उद्योग को सम्पूर्ण आधारभूत सहायता प्रदान कर रही है। अभाव वाले क्षेत्रों में सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए सीमेंट संयंत्रों को रेल वेगन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमान

2525. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 मार्च, 1993 को मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तत्कालीन फील्ड सुपरवाइजरों को मध्य प्रदेश सरकार के अन्य समतुल्य कर्मचारियों को देय संशोधित वेतनमान देने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नाबार्ड द्वारा जारी इस आदेश को मान लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 20 मार्च, 1993 को मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तत्कालीन फील्ड सुपरवाइजरों को मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य संशोधित वेतनमान देने की अनुमति दी थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है कि मध्य प्रदेश में केवल छः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस आदेश को कार्यान्वित किया है। आदेश की शर्तों के अनुसार फील्ड सुपरवाइजरों के वेतनमान राज्य सरकार के विस्तार अधिकारी (पशु चिकित्सा) के लिए लागू वेतनमानों के समतुल्य होंगे, जोकि खंड विकास अधिकारी (साधारण ग्रेड), के वेतनमानों से अधिक हैं, जबकि ये खंड विकास अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधकों के समतुल्य हैं। इस तरह, आदेश को कार्यान्वित करने से असंगत स्थिति पैदा हो जाती, जिससे फील्ड सुपरवाइजरों को शाखा प्रबंधकों से अधिक वेतनमान मिलता। तदनुसार, नाबार्ड में इस मामले को समुचित रूप से विचार करने हेतु सरकार को सौंप दिया है।

भारत कोकिंग कोल लि० में पुरुष/महिला कर्मचारी

2526. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1973 और 1 मई, 1998 को भारत कोकिंग कोल लि० में पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या थीं;

(ख) क्या खुले मुंह वाली खानों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत कोकिंग कोल लि० में महिलाओं को नौकरी से निकालने की नीति विद्यमान है जोकि संविधान की भावना के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 1.12.1973 और 1.5.1998 की स्थिति के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लि० (भा.को.लि.) में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संस्था का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

निम्न तिथि को श्रमशक्ति	पुरुष	महिला	जोड़
1.5.1973	उ. नहीं	उ. नहीं	179781
1.12.1973	158528	16368	174896
(सबसे पहले की उपलब्ध तिथि)			
1.5.1998	123888	11082	134970

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त (ख) के भाग के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

अफ्रीका के साथ व्यापार सन्धि

2527. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुर्तगाल और अफ्रीका में पुर्तगाली बोलने वाले देश में, विशेषकर एंगोला और मोजाम्बिक के साथ व्यापार सन्धियों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) पुर्तगाल और अफ्रीका में पुर्तगाली भाषी देशों जैसे व्यापारिक साझीदारों सहित सभी देशों के साथ व्यापार संधियां बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में व्यापार और उद्योग शिष्टमण्डलों को भेजना और बुलाना, व्यापार मेलों में सहभागिता, आवधिक रूप से अधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्शों का आयोजन और प्राप्तव्य अवसरों तथा चुनौतियों का पता लगाने के लिए भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन सम्मिलित है। भारत के पुर्तगाल, अंगोला और मोजाम्बिक के साथ भी व्यापारिक करार हैं।

समूह सीमा योजना

2528. **श्री एस० अजय कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम ने किन-किन राज्यों में समूह बीमा योजना लागू की है; और

(ख) केरल में समूह बीमा योजना लागू नही किये जाने के क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार की एक पालिसी एक सीमित इमदादी पालिसी के सम्बन्ध में समान अनुपात में वहन की जाएगी। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश, असम, चण्डीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्रियानिवत किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन केरल में नहीं किया जा सका क्योंकि केरल की सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया है कि लाभभोगी के प्रीमियम भाग का भुगतान राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा। इस सुझाव का तात्पर्य योजना के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन से है, इसलिए इस योजना को राज्य में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

यू.एन.डी.पी. से अनुदान

2529. **डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत को नौवीं योजना के मूलभूत ढांचे, प्रौद्योगिकी और रोजगार संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से 200 मिलियन डालर का अनुदान मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि के उपयोग के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मूलभूत ढांचे, प्रौद्योगिकी और रोजगार में किस सीमा तक सुधार आने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) वर्ष 1997-2001 की अवधि में भारत के लिए भारत सरकार/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रथम देशी सहयोग ढांचे के अन्तर्गत लगभग 191 मिलियन अमरीकी डालर की सांकेतिक अनुदान सहायता मिलने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) सी.सी.एफ.-I के अर्न्तगत प्रस्तावित दस कार्यक्रमों में से, निम्नलिखित चार कार्यक्रम समर्थन दस्तावेजों पर पहले हस्ताक्षर किए जा चुके हैं :

प्रौद्योगिकी प्रबन्धन	10.5 मिलियन अमरीकी डालर
कम्युनिटी-बेस्ड प्रो-पूअर इनिशिएटिव्स	13.0 मिलियन अमरीकी डालर
पर्यावरण	9.0 मिलियन अमरीकी डालर
खाद्य सुरक्षा	13.0 मिलियन अमरीकी डालर

शेष छः कार्यक्रम समर्थन दस्तावेजों का शीघ्र ही अनुमोदन होने और उन पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

(घ) आर्थिक सुधार कार्यक्रम, आधारढांचे और सेवाओं के विस्तार/निजीकरण के लिए राष्ट्रीय सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे, कानूनी और विनियामक प्रणालियों में संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्मिकों को सुग्राही बनाएंगे। प्रौद्योगिकी प्रबन्धन कार्यक्रम निजी उद्योग वाले अनुसंधान और विकास संस्थानों के बीच अन्तरापृष्ठ को मजबूत करेगा, ग्रामीण रूपान्तरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाएगा, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करेगा; विकास सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुकर बनाएगा. एन.जी.ओ. नेतृत्व वाले संसाधन केन्द्रों के प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करेगा; और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा। लघु उद्योग विकास और रोजगोर कार्यक्रम,

रोजगार/आय अवसरों और वहनीय जीवन-स्तरों को बढ़ाने की दृष्टि से छोटे, लघु और ग्रामीण उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

कोयला खानों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

2530. डा० चरण दास महन्त : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो ये मंजूरियां प्रदान करने में कोयला खानों द्वारा क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं;

(ग) क्या कोयला खानों द्वारा ये शर्तें सही ढंग से पूरी की जा रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कितनी कोयला खानों को मंजूरी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। सभी नई परियोजनाओं के लिए उक्त स्वीकृतियां अपेक्षित हैं।

(ख) सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) का अनुमोदन आवश्यक है। परियोजना को एम. ओ.ई.एफ. भेजने से पूर्व, इसे सार्वजनिक सुनवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भेजा जाता है। इसे अप्रैल, 1997 में आरंभ किया गया है। सभी अनुमोदित ई.एम.पी. में यह शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य/केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 34 कोयला खानों को स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

किसानों को ऋण

2531. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश बैंकों को जारी किया है, ताकि इस क्षेत्र की ऋण मांगों को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपलब्ध कराए गए ऋण की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है और क्या इस ऋण प्रतिशतता के द्वारा कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हुई है; और यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रदान करें। सरकार क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की अनुमानित प्रतिशतता नीचे दी गई है :-

वर्ष	प्रतिशत
1992-93	15.07
1993-94	15.05
1994-95	13.91
1995-96	14.29
1996-97*	16.35

(* आंकड़े अन्तिम)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को आधारिक स्तर पर ऋणों का संवितरण 18 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से कम था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किये गए अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी योजना आयोग के कार्यकारी समूह ने वर्ष 1996-97 के लिए कृषि क्षेत्र हेतु 34,890 प्रतिशत करोड़ रुपए की कुल ऋण अपेक्षाओं का अनुमान लगाया है जिसके बदले उस वर्ष के दौरान 26,411 करोड़ रुपए की वास्तविक राशि सभी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करायी गई जो 75.7 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाती है। विभिन्न पुर्वानुमानों के आधार पर प्राप्त किए गए मांग संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए तथा उसे सहायता प्रदान करने के लिए संसाधनों की समतुल्य आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, नौवीं योजना की तैयारी के लिए कृषि ऋण और सहकारिता संबंधी कार्यकारी समूह ने योजनाविधि के दौरान कृषि के लिए ऋण के प्रवाह के बारे में कतिपय पुर्वानुमान लगाए हैं जिसके अनुसार सभी एजेंसियों से कुल ऋण के प्रवाह के वर्तमान के 33,375 करोड़ रुपए (1997-98) से बढ़कर वर्ष 2001-2002 तक 60842 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है को 18.1 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कई कदम उठाए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन कदमों में ये शामिल हैं:-

(I) वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि को 25 प्रतिशत तक ऋण का प्रवाह बढ़ाएं।

(II) नाबार्ड की वित्तीय क्षमता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी पूंजी को पिछले दो वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और इस वर्ष के अन्त तक इसे बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए तक कर दिए जाने की आशा है।

(III) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नःपूंजीकरण सहायता प्रदान की गई हैं।

(IV) बैंकों से कहा गया है कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले कृषि अग्रिमों का कार्य अलग से देखने के लिए वे विशेषज्ञ कृषि शाखाओं की स्थापना करें।

(V) बैंको से पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड अच्छा रखने वाले किसानों की संमिश्र ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है।

(VI) संस्थागत ऋण तक छोटे किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने सहकारी बैंकों से कहा है कि वे छोटे, सीमांतक और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए निधियां निर्धारित करें।

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी पेरिस सम्मेलन

2532. श्री के०पी० नायडू : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी पेरिस सम्मेलन में शामिल होने का है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

ब्रम्हपुत्र पर्यटक-स्थल के रूप में

2533. श्री के० येरननायडू : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रम्हपुत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन संबंधी गतिविधियों जैसे सड़क और रेल सम्पर्क के विकास तथा पर्यटकों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) जी, हां। असम सरकार ने ब्रम्हपुत्र में पर्यटक गतिविधियों के विकास हेतु कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, ब्रम्हपुत्र तट उत्सव का आयोजन करना, राफ्टिंग अभियान आयोजित करना, नदी क्रूज प्रचालित करना और विभिन्न पर्यटक गन्तव्यों को सड़क मार्ग से जोड़ना, सम्मिलित है।

विजयवाड़ा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखा

2534. श्री पी० उपेन्द्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह विजयवाड़ा और आस-पास के क्षेत्रों में लघु उद्योगों की भारी संख्या को देखते हुए विजयवाड़ा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखा खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग संघ, विजयवाड़ा तथा कुछ संसद सदस्यों से विजयवाड़ा में सिडबी की एक शाखा खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) सिडबी, जिसकी शाखाएं राज्य की राजधानियों में हैं, आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण के साथ लघु उद्योग समूहों में शाखा विस्तार योजना चला रहा है। लघु उद्योग इकाइयों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा विभिन्न संवंद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए सिडबी ने मार्च, 1997 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में अपना दूसरा शाखा कार्यालय पहले ही खोल दिया है। विजयवाड़ा तथा उसके आस-पास लघु उद्योग इकाइयों की आवश्यकताओं को इस समय सिडबी के हैदराबाद स्थित कार्यालय द्वारा पूरा किया जा रहा है। विजयवाड़ा में शाखा खोलने के लिए, सिडबी को प्राप्त सुझावों का, भविष्य में सिडबी की शाखा विस्तार योजना पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

पटसन की बोरियां

2535. श्री हरिन पाठक :
डा० वल्लभभाई कथीरिया :
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट और उर्वरकों को पैक करने के लिए पटसन की बोरियों की तुलना में एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैग अधिक उपयुक्त है;

(ख) क्या सरकार ने सीमेंट, उर्वरकों को पटसन की बोरियों और एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैगों में पैक करने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों का विचार सीमेंट उर्वरक और अन्य उद्योगों को पटसन की बोरियों में पैक करने की छूट देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या इन दोनों वस्तुओं का परिवहन करते समय व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जाती है जिससे उपभोक्ताओं पर आमतौर पर असर पड़ता है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (छ) सरकार को सीमेंट और उर्वरक (यूरिया) की पैकिंग के लिए एच. डी. पी. ई./ पी. पी. बोरों और पटसन बोरों की तुलनात्मक उपयुक्तता के बारे में सीमेंट उद्योग, उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र और पटसन क्षेत्र के भिन्न विचारों की जानकारी है। जबकि सीमेंट और उर्वरक उद्योगों ने दावा किया है कि एच. डी. पी. ई./ पी. पी. बोरे तकनीकी दृष्टि से बढ़िया होने, पटसन बोरों से सस्ते होने के कारण अत्यधिक उपयुक्त हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ता को पसंद हैं। लेकिन उसके विपरीत पटसन क्षेत्र ने यह दावा किया है कि यदि आई. एस. आई. विनिर्देशनों में शामिल अनुसार उचित किस्मों के पटसन बोरों में इन वस्तुओं की पैकिंग की जाए तो पटसन पैकेजिंग भी उतनी ही अच्छी है।

इस संबंध में दो अध्ययन किए गए हैं – एक एन. सी. वी. एम. द्वारा और दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। एन. सी. बी. एम. के अध्ययन से यह पता चलता है कि पटसन बोरे सीमेंट के लिए उपयुक्त हैं, हालांकि यह भी संकेत मिलता है कि एच. डी. पी. ई. बोरों की अपेक्षा इसका रिसाव मामूली अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन से यह पता चलता है कि पटसन बोरों का रिसाव अधिक है। इजिरा ने भी एक अध्ययन किया था, जिसमें एन. सी. बी. एम. के अध्ययन में बताए गए बिन्दुओं का ही पता चलता है। पटसन और सिंथेटिक बोरों में उर्वरक (यूरिया) की पैकेजिंग के संबंध में अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि तकनीकी दृष्टि से ये दोनों ही किस्मों के बोरे यूरिया की पैकिंग के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं और इस मद की पैकिंग के लिए पटसन बोरों के प्रयोग के प्रति मुख्य आपत्ति पटसन के बोरों की उच्चतर लागत होना है।

गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया है कि वह उनके राज्यों में एच. डी. पी. ई. / पी. पी. वूवन सैकस विनिर्माता उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए पटसन पैकेजिंग में आरक्षण के क्षेत्राधिकार से सीमेंट, उर्वरक (यूरिया) तथा अन्य उद्योगों को मुक्त रखा जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने यह आग्रह किया है कि मिलियन पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पटसन पैकेजिंग आरक्षण आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।

बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं की चोरी हो जाने की सम्भावना की न तो पुष्टि की जा सकती है और न ही इससे इनकार किया जा सकता है। तथापि, इन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली पैकेजिंग साधन का उनकी चोरी हो जाने की संभाव्यता से कोई सरोकार नहीं है और इन मदों के पटसन अथवा सिंथेटिक बोरों में पैक किए जाने पर भी ऐसा हो सकता है।

पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित स्थाई सलाहकार समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए हाल ही में दिनांक 30.4.98, 15.5.98 तथा 2.6.98 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और विचारों के विविध लाभ और हानि के ब्यौरों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया।

[हिन्दी]

कृषि आधरित उद्योग

2536. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : *गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्रत्येक राज्य से विदेशी निवेश के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?*

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक की अवधि में सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के कुल 635 प्रस्ताव अनुमोदित किए गये हैं। इन प्रस्तावों के क्षेत्रवार विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये अनुमोदन कागज उत्पादों सहित कागज तथा लुगदी, चीनी, किण्वन उद्योग खाद्य उत्पाद, वनस्पति तेल तथा वनस्पति, बागवानी, कृषि, पुष्प उत्पादन, चाय/काफी तथा नारियल जटा के लिए हैं।

2. ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम व देश, ईक्विटी निवेश की राशि, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनकी मासिक न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

विवरण

कृषि आधारित उद्योगों के लिए (अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक की अवधि में) अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के राज्यवार विवरण

राज्य	अनुमोदिनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	रुपये करोड़ में	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	76	12	54	892.90	8.80
असम	1	0	1	0.57	0.01
गुजरात	25	5	20	1193.22	1.77
हरियाणा	42	7	35	114.77	1.13
हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0.00	1.13
जम्मू और कश्मीर	2	1	1	8.01	0.08
कर्नाटक	81	27	54	408.93	4.03
केरल	11	2	9	25.33	0.25
मध्य प्रदेश	13	1	12	87.77	0.87
महाराष्ट्र	94	35	59	552.57	5.45
उड़ीसा	3	0	3	17.60	0.17
पंजाब	12	3	9	447.97	4.42
राजस्थान	19	5	14	19.60	0.19
तमिलनाडु	73	19	54	181.94	1.79

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	38	7	31	200.29	1.98
पं० बंगाल	13	2	11	66.92	0.66
दादर व नागर हवेली	2	2	0	0.00	0.66
दिल्ली	21	5	16	368.16	3.63
गोवा	2	0	2	14.62	0.14
पांडिचेरी	2	1	1	4.65	0.05
अन्य (दर्शाये नहीं गये)	104	30	74	5535.09	54.58
कुल	635	165	470	10140.91	

कोल इंडिया लि० द्वारा वनरोपण कार्यक्रम

2537. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कोयला परियोजनाओं के लिए प्रभावी वनरोपण कार्यक्रम शुरू करके पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई राशि और वास्तविक तौर पर प्रदान की गई राशि का राज सहायता-वार ब्यौरा क्या है तथा वास्तविक लक्ष्यों सहित 1998-99 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान बेहतर योजना और दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्रों से स्वतंत्र अनुसंधान संगठन के माध्यम से पूरे किये गए कार्यक्रमों के बारे में इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सभी खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) के अलग से अध्याय हैं। ई. एम. पी. को तैयार करने के लिए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। धसाव नियंत्रण, ऊपरी मलबा डंप को सुदृढ़ करने के अलावा, वनस्पति एवं जीव-जन्तु से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। 1998-99 के दौरान ई. एम. पी. को प्रतिपादित करने से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

से. को. लि.	कारो विस्तार ओ. का.
वे. को. लि.	1. कम्पटी भू. ग. से ओ. का.
	2. घटरोहन ओ. का.
	3. बघोदा भू. ग.
	4. मकरधोकरा-1 ओ. का.
	5. गजनदोह भू. ग.
	6. जमूनिया भू.ग.
	7. थेसगोरा – बी भू. ग.
	8. धनकासा भू. ग.
	9. मंडला साउथ भू. ग.
	10 भट्टडी डीप ओ. का.
सा.ई.को.लि.	1. शिवानी भू. ग.
	2. गयात्री भू. ग.
	3. रेहर भू. ग.
म. को. लि.	1. लिंगराज ओ. का विस्तार
	2. गर्जनबहल ओ. का.
	3. गोपालप्रसाद (वेस्ट)/हिंगुला वेस्ट ओ. का.
	4. लाजकुरा विस्तार ओ. का.
	5. पदमा ओ. का.

सांभर नमक क्षेत्र का विकास

2538. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में साम्भर नमक क्षेत्र, इस क्षेत्र के समेकित विकास हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया गया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से साम्भर नमक क्षेत्र को वापिस करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के लिए सहमत न होने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) गुधा/झापोग बांध के निर्माण, नलकूपों की खुदाई, उपस्कर की स्थापना, मीटर-गेज रेल लाइन को ब्राडगेज रेल लाइन में परिवर्तन तथा लवण धोवनशाला की स्थापना सहित विभिन्न विकास कार्यों हेतु ऋणों तथा देय ब्याज के रूप में 3.65 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से साम्भर साल्ट लिमिटेड को राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया था। अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि हस्तान्तरण कंपनी के संपूर्ण हित में नहीं होगा।

इंडियन बैंक

2539. श्री टी० गोबिन्दन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इंडियन बैंक कर्मचारी परिसंघ से इंडियन बैंक को निधियां प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां,

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किए गए मूल्यांकन और परामर्शदाताओं की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने इंडियन बैंक की शेयर पूंजी में 1750 करोड़ रुपए का अंशदान किया है ताकि बैंक के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाया जा सके। बैंक द्वारा इस राशि का साथ ही साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया गया है।

विश्व व्यापार संगठन समझौता

2540. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय सेवाएं खोलने के लिए हाल ही के विश्व व्यापार संगठन समझौता का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न व्यापार संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय सेवाओं में निम्नलिखित वचनबद्धताएं की गई हैं। सभी वचनबद्धताएं प्रविष्टि की अपेक्षाओं, घरेलू कानूनों, नियमों-विनियमों और आर.बी.आई., एस.ई.बी.आई., तथा भारत में किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के अध्यधीन हैं।

सभी क्षेत्रों नामतः बीमा, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय-सेवाएं, से एम.एफ.एन. छूट वापस ले ली गई हैं। यह एक पारस्परिक उपाय था क्योंकि हमारे सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने अपनी-अपनी एम.एफ.एन. छूटें वापस ले ली हैं।

क : बीमा और बीमा से संबंधित सेवाएं :

(1) जीवन बीमाः कोई वचनबद्धता नहीं,

(2) गैर-जीवनः भाड़े के बीमे तक सीमित,

(3) पुनर्बीमा और वापसीः भारतीय बीमा कम्पनियों से घरेलू तौर पर *अनिवार्य या वैधानिक नियोजन के बाद असम्मिलित अवशिष्ट जोखिम की सीमा तक विदेशी बीमाकर्त्ताओं के साथ* पुनः बीमा करवाया जा सकता है।

बैंकिग और अन्य वित्तीय सेवाएं :

(1) जनता से निक्षेपों और अन्य वापसी अदायगी योग्य निधियां स्वीकार करना।

(2) उपभोक्ता-ऋण, बन्धक-ऋण तथा वाणिज्यिक लेन-देन के वित्त-पोषण सहित सभी प्रकार के ऋण।

(3) क्रेडिट, प्रभार और डेबिट कार्डों, यात्री बैंकों तथा बैंकर्स ड्राफ्टों सहित सभी भुगतान और धन-हस्तांतरण सेवाएं।

(4) गारन्टियां और वचनबद्धताएं।

(5) निम्नलिखित के कारण व्यापार,

(क) धन-विपणन दस्तावेज

(ख) विदेशी मुद्रा

(ग) हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां

(6) पोर्टफोलियों प्रबन्धन, अभिरक्षण और ट्रस्ट सेवाएं।

(7) चैकों, ड्राफ्टों और अन्य दस्तावेजों के लिए अन्य बैंकों निकासी सेवाएं।

उपरोक्त कार्यकलाप केवल तीसरे उपाय अर्थात वाणिज्यिक उपस्थिति में ही अनुमत हैं, जो निम्नलिखित के अध्यधीन हैं :-

(i) केवल अपने स्वयं के देश में एक बैंक के रूप में अनुज्ञप्त तथा पर्यवेक्षित विदेशी बैंक की शाखा के प्रचालन के माध्यम से ही।

(ii) मौजूदा कानूनों के तहत लाइसेंस देने की अनुमति है।

(iii) नये प्रवेश करने वालों और मौजूदा बैंकों दोनों के लिए प्रति वर्ष 12 लाइसेंसों की सीमा।

(iv) बैंकों को अपनी शाखाओं में और उनके द्वारा अभिजात अन्य स्थानों पर ए.टी.एम. स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। लाइसेंसशुदा शाखाओं से भिन्न स्थान पर ए.टी.एम. की स्थापना को व्यापार के एक नए स्थल के रूप में माना जाता है और उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। विदेशी बैंकों द्वारा स्थापित ए.टी.एम. के लिए जारी किए गए लाइसेंसों को उपर्युक्त मद (ग) में उल्लिखित बारह लाइसेंसों को अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(v) भारत में व्यष्टिगत रूप से बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंसशुदा विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा अन्य वित्तीय सेवा कम्पनियों में अपनी स्वामित्व वाली निधियों के 10 प्रतिशत से अनाधिक अथवा निवेश की गई कम्पनी की पूंजी का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, का निवेश अभिकर्ता के रूप में जिम्मेदारी अथवा नियोजन (चाहे सार्वजनिक रूप से हो अथवा निजी तौर पर) सहित सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमों में भागीदारी और ऐसे निर्गमों से संबंधित सेवाओं का प्रावधान करना।

उपर्युक्त कार्यकलाप की अनुमति भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंसशुदा विदेशी बैंक की शाखाओं और 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी के निगमीकरण के जरिए विदेशी वित्तीय सेवा कम्पनियों को भी प्रदान की जाती है।

3. शेयर-दलाली : इस कार्यकलाप की अनुमति 49 प्रतिशत से अनधिक की विदेशी इक्विटी वाली स्थानीय रूप से निगमित संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना के जरिए प्रदान की जाती है। विदेशी इक्विटी भागीदारी मान्यता प्राप्त विदेशी शेयर दलाली कम्पनियों तक सीमित होगी।

4. वित्तीय परामर्शदात्री सेवाएं अर्थात् उपभोक्ताओं को वित्तीय मामलों, निवेश एवं पोर्टफोलियो अनुसंधान एवं सलाह, अर्जन और निगमित पुनर्संरचना और कार्य योजना पर सलाह के संबंध में वित्तीय सलाहकारों आदि द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सलाहकार सेवाएं।

उपर्युक्त कार्यकलाप की अनुमति भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंसशुदा विदेशी बैंक की शाखाओं और 51 प्रतिशत से अनधिक विदेशी इक्विटी के निगमीकरण के जरिए विदेशी वित्तीय सेवा कम्पनियों (बैंकों सहित) को भी प्रदान की जाती है।

5. फेक्टरिंग : इसकी अनुमति 51 प्रतिशत से अनधिक विदेशी इक्विटी के निगमीकरण के जरिए विदेशी वित्तीय सेवा कम्पनियों (बैंकों सहित) को प्रदान की जाती है।

6. वित्तीय पट्टाः इसकी अनुमति 51 प्रतिशत से अनधिक विदेशी इक्विटी के निगमीकरण के जरिए विदेशी वित्तीय सेवा कम्पनियों (बैंकों सहित) को प्रदान की जाती है।

7. जोखिम पूंजीः इसकी अनुमति 51 प्रतिशत से अनधिक विदेशी इक्विटी के निगमीकरण के जरिए विदेशी वित्तीय सेवा कम्पनियों (बैंकों सहित) को प्रदान की जाती है।

(ग) रिकार्ड के अनुसार व्यापार संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(घ) और (ङ) लागू नहीं होता।

निर्यात के संबंध में चूक करने वाली कंपनियां

2541. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग के लिए आवेदन के समय कंपनियों द्वारा किए गए वायदों के अनुसार निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जो पिछले तीन वर्षों में अपने निर्यात संबंधी वायदे पूरे करने में असफल रही हैं; औ

(ग) उन दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गयी प्रक्रिया में निर्यातकों को निर्धारित निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को बाध्य करते हुए कानूनी वचन पत्र दायर करना अपेक्षित होता है।

(ख) कम्पनियां अपने निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रही हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण के रूप में है।

(ग) संगत मामले डी.जी.एफ.टी. के प्रवर्तन प्रभाग को भेज दिए गए हैं, जिन्होंने ऐसी चूककर्त्ता कम्पनियों के खिलाफ न्याय निर्णयन की कार्रवाइयां शुरू की हैं।

विवरण

उन फर्मों द्वारा निर्यात-दायित्वों को पूरा न किए जाने वाले मामलों की सूची जिन्हें विदेशी सहयोग का अनुमोदन दिया गया था

1.	3/15/83/ईओसी-1	मैसर्स फूड स्पेसिओफोटिज् लि०
2.	3/4/80/ईओसी-1	मैसर्स सुमू इंजीनियरिंग
3.	3/7/79/ईओसी-1	मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कं० लि०
4.	3/19/79/ईओसी-1	मैसर्स इन्डों-फोरन कैमिकल्स्
5.	3/21/79/ईओसी-1	मैसर्स भारत लिंडर्स (प्रा०) लि०
6.	3/28/76/ईओसी-1	मैसर्स अरनल्ड-हैनीमैन
7.	3/4/78-ईओसी-1	मैसर्स न्यू स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग कं०
8.	3/10/78-ईओसी-1	मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट लि०
9.	3/19/76-ईओसी-1	मैसर्स परफेक्ट फेटेनोर (प्रा० लि०)
10.	3/5/79-ईओसी-1	मैसर्स बिओकॉन इंडिया लि०
11.	3/10/82-ईओसी-1	मैसर्स माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (इंटर०) लि०
12.	3/24/79-ईओसी-1	मैसर्स लैदर क्राफट (इंटर०) लि०
13.	3/40/76-ईओसी-1	मैसर्स कॉटन लि०
14.	3/11/77-ईओसी-1	मैसर्स इण्डियन स्पिनिंग मीक एक्ससरिज लि०
15.	3/8/89-ईओसी-1	मैसर्स इस्टर्न कैमोफार्ट लि०
16.	3/13/88-ईओसी-1	मैसर्स किर्लोस्कर न्यूमाफियर कं० लि०
17.	3/31/78-ईओसी-1	मैसर्स बैर्यलोन शूज लि०

18.	3/4/79-ईओसी-1	मैसर्स श्रीनिवास इंजीनियरिंग कं० लि०
19.	3/6/73-ईओसी-1	मैसर्स जेनिथ स्टील पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०
20.	3/13/76-ईओसी-1	मैसर्स कोनकास्ट इण्डिया (प्रा०) लि०
21.	3/44/71-ईओसी-1	मैसर्स न्यूकोन इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०
22.	3/21/78-ईओसी-1	मैसर्स इन्डो-निपोन फूड (प्रा०) लि०
23.	3/13/42-ईओसी-1	मैसर्स हिन्दुस्तान पोरोलिवर लि०
24.	3/18/77 ईओसी-1	मैसर्स सूरीनल आर ई जी एन, क्यूबा
25.	3/34/77-ईओसी-1	मैसर्स एक्सपोटर्स इण्डिया लि०
26.	3/9/84-ईओर्सा-1	मैसर्स आईएईसी, बम्बई लि०
27.	3/13/83-ईओसी-1	मैसर्स ईस्टवोस्ट पेस्टीसाइड्स
28.	3/37/77-ईओसी-1	मैसर्स इण्डियन फोरमेंस कं० लि०
29.	3/1/84-ईओसी-1	मैसर्स लेजर लैंड (प्रा०) लि०
30.	3/11/71-ईओसी-1	मैसर्स न्यू स्टॅण्डर्ड इंजीनियरिंग कं० लि०
31.	3/19/72-ईओसी-1	मैसर्स सोमेक्स फ्लैक्स एब्रोसिब्स (प्रा०) लि०
32.	3/11/73-ईओसी-1	मैसर्स चंदन इंजीनियरिंग इंडस् (प्रा०) लि०
33.	3/39/74-ईओसी-1	मैसर्स हरीश चंदर जैन
34.	3/3/70-ईओसी-1	मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज
35.	3/25/77-ईओसी-1	मैसर्स वेस्टर्न मैंक इण्डिया (प्रा०) लि०
36.	3/9/79-ईओसी-1	मैसर्स कॉर्न्डॉन स्टार डायमंड कं० लि०
37.	3/8/89-ईओसी-1	मैसर्स बॉएक्स पैकेजिंग लि०
38.	3/5/87-ईओसी-1	मैसर्स टी वी एस इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०
39.	3/6/84-ईओसी-1	मैसर्स नेशनल पेरोक्साइड लि०
40.	3/18/76-ईओसी-1	मैसर्स वेड्को आर जी एस इलैक्ट्रो प्रोडक्शन (प्रा०) लि०
41.	19/4/89-ईओसी-1	मैसर्स पेप्सी फूड लि०

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से चालू करना

2542. श्री नरेश पुगलीया :
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा का उद्देश्य क्या है; और

(ग) सरकार का सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से फिर से चालू करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन समीक्षा, उनके निष्पादन कार्य में सुधार लाने हेतु अड़चनों का पता लगाने और संभावनाओं की खोज करने की दृष्टि से समय-समय पर की जाती है।

(ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित सरकारी के रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस०आई०सी०ए०) के उपबंधों के तहत अधिदेशात्मक है। बी०आई०एफ०आर० कंपनी के पुनरूद्धार अथवा अन्यथा के लिए विभिन्न एजेंसियों जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, श्रम, प्रबन्धन आदि शामिल हैं, से परामर्श करता है। सरकार इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है जिससे कि बी०आई०एफ०आर० की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके। बी०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार स्कीमों का बारीकी से मॉनीटर किया जाता है। बी०आई०एफ०आर० एक न्यायिक-कल्प निकाय है।

कन्याकुमारी के लिए मास्टर प्लान

2543. श्री एन० डेनिस : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी को एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मास्टर प्लान को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) पर्यटक स्थलों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। 1993 में तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किए गए पर्यटन मास्टर प्लान में कन्याकुमारी की एक पर्यटक केन्द्र के रूप में पहचान की गई है। संघ सरकार ने पहले ही कन्याकुमारी में दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है, वे हैं :-

(i) समुद्र तट का भूदृश्यांकन एवं सौन्दर्यीकरण; और

(ii) कन्याकुमारी में होटल तमिलनाडु का उन्नयन।

तमिलनाडु में कोयला भंडार

2544. श्री वैको : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के काडालूर और त्रिची जिलों के समीपवर्ती जयनकोंटम क्षेत्र में लिग्नाइट / कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या-क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या जयनकोंटम में संयुक्त खनन कार्य आरंभ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण में 128 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में लगभग 1150 मिलियन टन लिग्नाइट के कुल भू-गर्भीय भंडार इंगित किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास जयमकोंडम में खनन प्रचालन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, तमिलनाडु राज्य सरकार के पास ऐसी एक परियोजना का प्रस्ताव है।

विनिवेश आयोग की सिफारिशें

2545. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग से सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों, अर्थात् (I) द इलैक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नॉलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, और (II) रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरशन को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो श्रमशक्ति सहित इन इकाइयों के संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) उसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग से निम्नलिखित पैकेज की सिफारिश की है :-

1. ऐसे कर्मचारियों के लिए जो व्यावसायिक तौर पर अर्हता-प्राप्त नहीं है, एकबारगी अदायगी के विकल्प के रूप में पेंशन और बीमा योजना।
2. व्यावसायिक तौर पर अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक अवसरों के संबंध में कैरियर हेतु परामर्श देना।
3. यदि कुछ कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के फ्रैंचाइजी/व्यावसायिक यूनिटों को संयुक्त रूप से चलाने में दिलचस्पी रखते हों तो सरकार को उपयुक्त पूर्व-अर्हताओं को तय करने के बाद ये यूनिटें उन्हें सौंपकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे मामलों में, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के संबंध में इन कर्मचारियों को देय एकमुश्त राशि परिसंपत्तियों के मूल्य के प्रति समायोजित की जा सकती है।

(ग) सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

नमक आयुक्त के कार्यालय का स्थानान्तरण

2546. श्री पी०एस० गढवी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक की 70 प्रतिशत मांग गुजरात राज्य से पूरी होती है;

(ख) क्या सरकार के पास नमक आयुक्त के कार्यालय को कलकत्ता से अहमदाबाद स्थानान्तरण करने के संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त कार्यालय को कब तक अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गुजरात के नमक विनिर्माता संघों तथा गुजरात राज्य सरकार की निरंतर मांग थी कि नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से गुजरात के किसी उपयुक्त स्थान पर इस आधार पर स्थानांतरित किया जाए कि देश में कुल नमक उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत योगदान गुजरात का है। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने 1994 में नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से गांधी नगर (गुजरात) स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये थे। किंतु अखिल भारतीय नमक विभाग कर्मचारी संघ ने सरकार के इस आदेश के विरुद्ध जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी। याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। यह मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है और इस प्रकार न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कोयला खानों का खोला जाना

2547. श्री रामदास आठवले : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोयला खानों को खोलने के संबंध में लंबित पड़े प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी कोयला खाने खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में नई कोयला खानों में निवेश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 13 नई कोयला खानों को खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त 13 नई कोयला परियोजनाओं में से एक परियोजना को अनुमोदन दे दिया है तथा यह क्रियान्वयनाधीन है, आठ परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा वे अनुमोदन दिए

जाने के विभिन्न चरणों में हैं। चार परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं/की जानी है।

बिहार में ऋण जमा अनुपात

2548. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित बैंकों सहित देश में बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात क्या है;

(ख) क्या बिहार राज्य में बैंकों के न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने संबंधी सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) मार्च, 1997 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बिहार में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कृतक बल का गठन किया है और उसमें संशोधन करने के लिए उपचारी उपाए सुझाए हैं। कृतक बल ने कई सिफारिशें की हैं। सिफारिशों पर कार्रवाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में प्रगति की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निगरानी की जाती है।

(घ) प्रशन ही नहीं उठता।

विवरण

मार्च, 1997 के पिछले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार ऋण जमा अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	77.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.7
3.	असम	35.2
4.	बिहार	38.5
5.	गोवा	25.8
6.	गुजरात	49.7
7.	हरियाणा	42.7
8.	हिमाचल प्रदेश	23.4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	38.8
10.	कर्नाटक	71.5
11.	केरल	46.9
12.	मध्य प्रदेश	52.3
13.	महाराष्ट्र	68.7
14.	मणिपुर	57.6
15.	मेघालय	14.3
16.	मिजोरम	14.8
17.	नागालैंड	24.8
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	66.9
19.	उड़ीसा	49.8
20.	पंजाब	39.1
21.	राजस्थान	44.2
22.	सिक्किम	17.7
23.	तमिलनाडु	188.3
24.	त्रिपुरा	37.8
25.	उत्तर प्रदेश	31.6
26.	पश्चिम बंगाल	58.8
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16.8
28.	चंडीगढ़	88.8
29.	दादर एवं नागर हवेली	18.6
30.	दमन एवं द्वीव	21.8
31.	लक्षद्वीप	8.8
32.	पांडिचेरी	39.8
	अखिल भारत	57.3

मूल्य सूचकांक

2548. श्री चिन्ता मोहन :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वस्तुओं के मूल्य के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग-अलग निर्धारित किया जाता है;

(ख) क्या गत वर्षों के दौरान उक्त सूचकांकों में सुधार करने के

लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम रहे?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी.आई.) जसका आधार 1981-82 है, 447 खरीद-फरोख्त की वस्तुओं, जिनमें से 90 वस्तुएं प्राथमिक उत्पाद क्षेत्र से, 20 वस्तुएं ईंधन, विद्युत क्षेत्र से और 337 वस्तुएं विनिर्मित क्षेत्र से संबंधित है, की थोक कीमतों में घट-बढ़ को साप्ताहिक आधार पर मानीटर करता है। उपभोक्ता मूल सूचकांकों में से आद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी. पी.आई. (आई. डब्ल्यू.) समान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला सूचकांक है। इसमें 260 वस्तुओं, जिनमें (1) खाद्य; (2) पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक पदार्थ; (3) आवास; (4) ईंधन और बिजली; (5) वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर; तथा (6) विविध के रूप में समूहीकृत अनेक सेवाएं शामिल हैं, की खुदरा कीमतों की घट-बढ़ की मासिक आधार पर मानीटरिंग की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखलाओं के संशोधन के लिए तथा नये आधार वर्ष की सिफारिश करने और थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किए जाने वाले वस्तुओं के समूह पर भी नए सिरे से विचार करने के लिए जुलाई, 1993 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति

2550. श्री कमल नाथ : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी अनुषंगी कम्पनियों, विशेषकर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (डब्ल्यू.सी.एल.) द्वारा अपने कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति करने पर भारी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में वार्षिक रूप से कितनी अनुमानित धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या कर्मचारियों द्वारा वास्तव में इस राशि के खर्च किए जाने का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के लिए क्या मानदंड अपनाए गए?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) यद्यपि वर्ष 1997-98 हेतु को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी लेखा-परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, तथापि वे.को.लि. सहित 1995-96 तथा 1996-97 के सहायक कंपनी-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रु० में)

कंपनी	1995-96	1996-97
इं.को.लि.	4.41	4.86
भा.को.को.लि.	3.99	5.14
से.को.लि.	3.58	3.54
ना.को.लि.	1.22	1.19
वे.को.लि.	2.78	3.78
सा.ई.को.लि.	3.40	4.46
म.को.लि.	0.87	1.04
के.खा.आ.डि.स.लि.	1.16	1.17
ना.ई.को./को.इं.लि.	1.20	1.63
समग्र-कुल को.इं.लि.	22.61	26.81

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का सत्यापन को.इं.लि. के चिकित्सा उपस्थिति नियम के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सक की सिफारिश, नुस्खे की जांच, दवा की रसीद, आदि शामिल हैं। प्रतिपूर्ति को.इं.लि. चिकित्सा उपस्थिति नियम में निर्धारित सीमा तक ही सीमित है।

लघु/मध्यम/बड़े उद्योगों की स्थापना

2551. श्री भेरू लाल मीणा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री सदशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार लघु/मध्यम/बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार के पास इस प्रकार के राज्य-वार कितने प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उदारीकृत क्षेत्र में अधिकतर उद्योग लाइसेंसमुक्त हैं जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1995, 1996 तथा 1997 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनों को राज्यवार प्राप्ति और निपटान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनों की राज्यवार प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	1995		1996		1997	
	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए
बिहार	0	–	1	आशय पत्र	0	–
कर्नाटक	1	आशय पत्र	0	–	0	–
केरल	2	1 निरस्त और 1 आशयपत्र	0	–	1	आशयपत्र
मध्य प्रदेश	1	लाइसेंस अपेक्षित नहीं	2	2 आशयपत्र	0	–
उड़ीसा	8	1 निरस्त और 7 आशयपत्र	0	–	0	–
पंजाब	2	2 आशयपत्र	0	–	0	–
पांडिचेरी	0	–	0	–	1	लाइसेंस अपेक्षित नहीं
तमिलनाडु	0	–	3	1 निरस्त और 2 आशयपत्र	0	–
कुल	14	14	6	6	2	2

निजी क्षेत्र के बैंक

2552. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी क्षेत्र के कितने बैंक कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के कितने नए बैंक खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र के बैंक खोलने हेतु कई प्रस्ताव लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की 35 बैंककारी कंपनियां कार्यरत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1994 से 1997) के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में 9 नए बैंक स्थापित किए गए हैं तथा एक शहरी सहकारी बैंक ने स्वयं को गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक में बदल लिया है। इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई नया बैंक स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अप्रैल, 98 तक, गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए उनके पास 40 आवेदन लम्बित हैं। ये आवेदन कार्रवाई के विभिन्न स्तरों में हैं और इन पर चरणों में विचार किया जा रहा है। अतः ऐसा कोई भी निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं होगा जिसके भीतर सभी लम्बित आवेदनों पर विचार कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल व्यापार

2553. श्री गोरधन भाई जादव भाई जावीया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल व्यापार में काफी असंतुलन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार (करोड़ रुपये में) नीचे दिया गया है :-

वर्ष	भारत से निर्यात	भारत से आयात	संतुलन
1995-96	536.45	166.95	(+) 369.50
1996-97	588.35	227.45	(+) 360.85
1997-98	596.17	351.53	(+) 244.61

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस; कलकत्ता।

व्यापर संतुलन भारत के पक्ष में रहा है परन्तु, नेपाल को भारत के निर्यात में 1996-97 में 9.67% तक और 1997-98 में 1.34% तक की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में नेपाल से भारत को हुए निर्यातों में क्रमशः 36.24% और 54.57% की वृद्धि रही है।

(ख) नेपाल में कच्ची सामग्री और अन्य औद्योगिक निविष्टियों की दुर्लभता, औद्योगिक विकास और तकनीकी कुशलता के न्यून स्तर और विद्युत की कमी को भारत के पक्ष में रहे व्यापार संतुलन के कुछ कारणों के रूप में देखा जा सकता है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार और व्यापार में असंतुलन को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) अपने-अपने क्षेत्रों से भारत-नेपाल सीमा के आर-पार मुक्त और निर्बाध रूप से माल लाने-ले-जाने की अनुमति दी गई है;

(ii) दोनों देश अपने-अपने बाजारों में सभी प्राथमिक उत्पादों के लिए सीमा-शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाते हैं;

(iii) भारत अपारस्परिक आधार पर लघु निषेधात्मक सूची को छोड़कर नेपाल द्वारा कच्ची सामग्री प्राप्त करने के स्रोत पर ध्यान दिए बिना सभी नेपाली विनिर्माण उत्पादों के लिए सीमा-शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त भारतीय बाजार में पहुंच मुहैया करता है;

(iv) नेपाल ने भारत से सामान्य आयात-शुल्क की दरों में 20% तक की कटौती के आयातों को बढ़ाया है;

(v) नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा नेपाल को उन अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है जिनकी निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात किए जाने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है।

(vi) भारत सरकार नेपाल सरकार को भारत में विनिर्मित और नेपाल के निर्यातित सामानों पर उत्पाद-शुल्क को वापस करती है। नेपाल सरकार भारत द्वारा वापस किए गए उत्पाद-शुल्क की मात्रा तक ऐसे सामानों पर आयात-शुल्क का उदग्रहण नहीं करती है;

(vii) द्विपक्षीय व्यापार के लिए माल का आवागमन भारत-नेपाल सीमा पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा नियंत्रित 22 जांच चौकियों से किए जाने की अनुमति दी गई है;

(viii) द्विपक्षीय व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने हेतु आवधिक बैठकें आयोजित करने के लिए सरकारी स्तर के प्रतिनिधित्व वाली अन्तर्सरकारी समिति (आई जी सी) स्थापित की गई है। भारत के सहयोग से नेपाल में निष्पादित की जा रहीं परियोजनाओं की प्रगति उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल (एच एल टी एफ) स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और नेपाल वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (एफ एन सी सी आई) ने एक कार्यकारी दल गठित किया है और वाणिज्यिक तथा आर्थिक अन्योन्यक्रिया बढ़ाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन (एम ओ सू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ix) भारत सरकार ने नेपाल में भारतीय निवेश के अनुमोदनों को सुकर बनाने के लिए एक विशेष नेपाल विंडो स्थापित की है। मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशों में निवेश के निमित्त भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा "फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेज" के लिए 4 मिलियन अमरीकी डालर की सामान्य सीमा को भारतीय रुपयों में नेपाल में भारतीय निवेशों के लिए बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है; और

(x) नेपाल सहित सभी सार्क सदस्य देशों के मामले में अमरीकी डालर में निवेश के निमित्त "फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेज" के लिए 4 मिलियन अमरीकी डालर की सामान्य सीमा को बढ़ाकर 8 मिलियन अमरीकी डालर तक कर दिया गया है।

इलायची का उत्पादन

2554. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इलायची का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ख) इलायची का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या भारत में वैज्ञानिकों ने इलायची की अधिक उत्पादन करने वाली नयी किस्में विकसित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997-98 में इलायची की उत्पादकता 149 कि.ग्रा./हेक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए कुछेक उपायों में शामिल हैं :-

(i) उच्च उत्पादन वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति;

(ii) पुनर्रोपण हेतु सहायता;

(iii) सिंचाई तथा भूमि विकास हेतु सहायता;

(iv) विस्तार सेवाएं; तथा

(v) कृषि प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण।

(ग) और (घ) भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आई सी आर आई) द्वारा इलायची की उच्च उत्पादन वाली तीन किस्में अर्थात् आई सी आर आई - 1, आई सी आर आई-2, तथा आई सी आर आई-3 जारी की गई हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पी वी-1 जारी की गई है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा भी सीसीएस-1 तथा मुडीगेरी-1 किस्मों को जारी किया गया है।

विदेशी विनिवेश संवर्धन बोर्ड एफ.आई.पी.बी. में सुधार करना

2555. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी विनिवेश संवंधन बोर्ड (एफ.आई.पी. बी.) को पुनर्गठित किया है और निवेशकों के आवेदनों को तुरंत निपटाने के लिए पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पुनर्गठन के बाद भी बहुत से विदेशी निवेश से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या विदेशी निवेशकों के मामलों की जांच करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय और प्रशासकीय मंत्रालय में जारी मतभेद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मतभेद को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । सरकार ने जुलाई, 1996 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) का पुनर्गठन किया है और बोर्ड के स्पष्ट उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित किया है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी, भेदभाव रहित और समयबद्ध बनाया जा सकें।

(ख) उपर्युक्त उपायों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उत्साहवर्धक प्रवृत्ति रही है।

(ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, इस क्षेत्र में लागू नीति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों की टिप्पणियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर सिफारिशें करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात संवर्धन परिषद्

2556. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निर्यात संवर्द्धन के लिए काम कर रही निर्यात संवर्द्धन परिषदों का ब्यौरा क्या है और ऐसी परिषदों के कार्य क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में इन निर्यात संवर्धन परिषदों के 31-3-98 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो मूल्यांकन के निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य-निष्पादन का परिषद्वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यातकों के हितों की पूर्ति और प्रभावी ढंग से करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यप्रणाली की पुनसंरचना और उनके नेटवर्क को सुदृढ करने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान किए गए/प्रस्तावित नये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन 11 निर्यात संवर्धन परिषदें हैं तथा 9 परिषदें वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं। इन परिषदों की एक सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है। निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ख) से (ङ) इन परिषदों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित आधार पर विशेष रूप से तब की जाती है जब उनके बजट सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है और जब संसद के दोनों सभा पटलों पर रखे जाने के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा आवधिक रूप से भी विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर की जाती है और जहां आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकार इन परिषदों को सुदृढ करने के लिए समय-समय पर प्रयास करती है ताकि निर्यातक समुदाय की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यों को सीमित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि निर्यात संवर्धन परिषदों को पुनः व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय में महाराष्ट्र सरकार के ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

(1) परिधान संवर्धन परिषद (ऐप्क), नई दिल्ली

(2) मूल रसायन भेषज सामग्री एवं सौंदर्य प्रसाधन संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल) बम्बई

(3) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोची

(4) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(5) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल), कलकत्ता

(6) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्स प्रोसिल), मुंबई

(7) इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात सवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(8) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईप्क), कलकत्ता

(9) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (ग्जेप्क), मुंबई

(10) हस्त शिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(11) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (हेप्क), मद्रास

(12) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई

(13) चर्म निर्यात परिषद, (सी एल ई), मद्रास

(14) ओवरसीज कन्स्ट्रकशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बम्बई

(15) प्लास्टिक एवं किनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई

(16) शैलक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता

(17) खेल कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(18) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई

(19) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(20) बिजली करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद

विवरण-II

निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रमुख कार्य ये हैं :

(क) निर्यात को विकसित करने और उसे बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों को वाणिज्यिक रूप से उपयोगी सूचना और सहायता प्रदान करना;

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन में सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, उत्पाद विकास अभिनव परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को व्यावसायिक परामर्श देना, इत्यादि;

(ग) विदेशों में बाजार के अवसरों का पता लगाने के लिए विदेशों में अपने सदस्यों के शिष्टमण्डलों के दौरों का आयोजन कराना;

(घ) भारत और विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता की बैठकों में भागीदारी आयोजित करना;

(ङ) केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर निर्यातक समुदाय और सरकार के बीच सम्पर्क बढ़ाना; और

(च) एक सांख्यिकीय आधार का निर्माण करते हुए देश के निर्यात एवं आयात, अपने सदस्यों के आयात एवं निर्यात, तथा अन्य संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े प्रदान करना।

जूट का समर्थन मूल्य

2557. **श्री रंजीब बिस्वाल :**
श्री अमर रायप्रधान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो जूट विपणन को नियमित करने और इन राज्यों में जूट उत्पादकों को समर्थन मूल्य का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष में कच्चे जूट को असम और बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचा गया था; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय जूट निगम द्वारा विशेषकर असम और उत्तरी बंगाल में कच्चे जूट की खरीद न करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सहित देश में पटसन उपजकर्ता अपने उत्पाद के लिए समर्थन कीमत प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ स्थानों पर न्यूनतम समर्थन कीमत और बाजार में प्रचलित कीमत के बीच कीमत अन्तर बहुत सामान्य थी। विभागीय क्रय केन्द्र उपजकर्ताओं से कच्चे पटसन की खरीददारी कर रहे थे।

(घ) अन्य क्षेत्रों की ही तरह भारतीय निगम ने जुलाई, 1997 के अन्त में असम और उत्तर बंगाल में खरीदारी शुरु कर दी थी। भारतीय पटसन निगम के 32 विभागीय क्रय केन्द्रों ने 1.84 लाख गांठों की खरीद की। भारतीय पटसन निगम के 26 विभागीय क्रय केन्द्रों के असम और मेघालय में पटसन की 1.71 लाख गांठों की खरीदारी की।

चीनी मिलों को ऋण

2558. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महाराष्ट्र में जिन चीनी मिलों को लाइसेंस दिये गये थे उन्हें अब तक ऋण प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त चीनी मिलों को ऋण कब तक दे दिया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं

2559. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री मोहन सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि विदेशी पर्यटक भारत आने में हिचकते हैं क्योंकि यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर

निर्दोष विदेशी पर्यटकों को दलालों और शहर में चल रहे अवैध पर्यटक कार्यालयों के एजेन्टों और दलालों द्वारा लूटे जाने के बारे में जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध पर्यटक कार्यालयों के दलालों और एजेन्टों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कौन-कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी बड़े हवाई हडडों का उन्नयन किया जा रहा है ताकि भुगतान संबंधी सुविधाएं निःशुल्क और बेहतर ढंग से प्रदान की जा सके।

(ङ) जी, हां।

(च) पर्यटन विभाग ने संदेहास्पद संगठनों के एजेंटों और दलालों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों से विचार-विमर्श किया है।

[अनुवाद]

जापान के साथ समझौता

2560. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी राजदूत और उनके मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार जापान द्वारा भारत में 10 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 4,157 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की अदायगी के लिए क्या-क्या शर्तें हैं;

(ग) उक्त 10 विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कौन-कौन से राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि 1997-98 के ऋण पैकेज के अन्तर्गत 10 परियोजनाओं के लिए 31.10.1997 को वित्त सचिव और भारत में जापान के राजदूत के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस ऋण की वापसी-अदायगी 10 वर्ष की रिआयती अवधि के बाद 20 वर्ष में की जाएगी। सामान्य परियोजनाओं के लिए ब्याज दर 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(ग) और (घ)

परियोजना का नाम	राशि (मिलियन येन)	राज्य
1	2	3
1. सिहांद्रि और विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना	10,629	आन्ध्र प्रदेश
2. श्रीसायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र परियोजना (III)	14,499	आन्ध्र प्रदेश
3. धौलीगंगा हाइड्रोइलैक्ट्रिक विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना (II)	16,316	उत्तर प्रदेश
4. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (II)	34,151	पश्चित बंगाल
5. टूटिकोरिन पत्तन तलकर्षण परियोजना	7,003	तमिलनाडु
6. पंजाब वनरोपण परियोजना	6,193	पंजाब
7. मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन परियोजना	2,212	मध्य प्रदेश
8. मणिपुर रेशम कीट पालन परियोजना	3,962	मणिपुर
9. रेंगली सिंचाई परियोजना	7,760	उड़ीसा
10. सिडबी (VI)	30,000	समग्र भारत

बेरोजगारी सम्बन्धी नीति

2561. डा० संजय सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का बेरोजगारी की स्थिति के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नही है। हालांकि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के पश्चात् भी, जिन्हें कार्यात्मक रूप से आवश्यक समझा जाएगा उन पदों को भरने के लिए यथेष्ट रिक्तियां उपलब्ध रहेंगी।

कृषि तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी

2562. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान कृषि तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। कृषिजन्य और समुद्री उत्पादों के निर्यात में 1997-98 के पहले नौ महीनों के दौरान, 1996-97 की संगत अवधि की तुलना में मूल्य के रूप में करीब 1% की गिरावट आई है।

कृषिजन्य उत्पादों के मामले में मूल्य के रूप में प्रतिशत गिरावट करीब 8.2% की थी, जबकि समुद्री उत्पादों में 11.6% की वृद्धि दर्ज हुई। मूल्य के रूप में दालों, बासमती चावल, तम्बाकू, मसाले, तिल और रामतिल, एचपीएस, मूंगफली, ग्वारगम खाद्य, मांस और मांस उत्पाद, पुष्पोत्पादन, फलों और सब्जियों, संसाधित फल और रस, चाय और काफी के निर्यात में वृद्धि हुई। दूसरी ओर गैर बासमती चावल, गेहूं, तेल खाद्य, चीनी और विविध प्रसंस्कृत मद में गिरावट आई है।

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों में से कुछ कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोधानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी-प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चैम्बरों और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ-ऋणों का प्रावधान;

(iii) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी सगितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iv) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(v) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना;

(vi) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(vii) क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(viii) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना; और

(ix) बाजार-सूचना के प्रसार तथा डाटा बेस के विकास में सहायता देना।

लघु उद्योगों को प्राइवेट लि० कंपनियों में परिवर्तित करना

2563. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा लघु उद्योगों को प्राइवेट लि० कंपनियों में परिवर्तित करने का है ताकि उनके संचालन में पारदर्शिता बनाई रखी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय पर बैंक ऋण उपलब्ध न होने के कारण लघु उद्योगों में वर्ष प्रति वर्ष रूग्णता बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना स्वामित्व अथवा सहभागिता अथवा प्राइवेट लि० अथवा लिमिटेड कंपनी के रूप में की जाती है। वर्ष 1987-88 के लिए आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय लघु उद्योग संगणना के अनुसार 80.48% लघु उद्योग स्वाम्य फर्म के रूप में कार्य कर रहे थे, 16.84% उद्योग सहभागिता फर्मों के रूप में कार्य कर रहे थे और 2.01% उद्योगों को लिमिटेड/प्राइवेट लि० कंपनियों के रूप में पाया गया था। लघु उद्योगों को लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्थापित करना निसंदेह किसी भी उद्यम को वैधानिक स्तर प्रदान करता है और उन्हें बेहतर अभिवृद्धि हेतु संस्थागत ऋण प्राप्त करने और विश्व बाजार में परक्रामण करने में सहायता करता है। तथापि सरकार लघु उद्योगों के संचालन की पद्धति को विनियमित नहीं करती है। निजी क्षेत्र में संचालन पद्धति का चयन करना पूर्णतया उद्यमियों का निर्णय है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रूग्ण एककों की संख्या जो मार्च, 1995 के अंत में 2,68,815 थी वह मार्च, 1997 के अंत में घटकर 2,35,032 हो गई है। रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए नायक समिति की सिफारिशों पर कई अनुवर्ती कार्यवाहियां की गई हैं जैसे :-

1. रूग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

2. पुनस्थापना के लिए ब्याज की दर घटाई गई।

3. पता लगाये गये रूग्ण एककों के लिए शीघ्र जीव्यक्षम अध्ययन/उपचारक कार्यक्रम।

4. रूग्ण औद्योगिक एककों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय केन्द्रों और मुख्यालयों में विशेषज्ञ कर्मचारियों वाले अलग प्रकोष्ठ खोले गये हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर रूग्ण एककों के पुनरूजीवन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय अंतः संस्थागत समितियां हैं।

विदेशी निवेश के प्रस्ताव

2564. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1998 के अन्त तक भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने के बारे में कोई पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) मार्च, 1998 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 542 प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। इन प्रस्तावों में 390 नए प्रस्ताव और 152 मौजूदा मामले शामिल हैं और इनमें 766.28 मिलियन अमरीकी डालर तक की कुल इक्विटी और ऋण तथा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को दी जाने वाली/की तरफ से 298.63 मिलियन अमरीकी डालर की कार्पोरेट/बैंक गांरटी का निर्गम शामिल है।

(ग) और (घ) समुद्रपारीय परियोजनाओं में किए गए निवेश के संबंध में होने वाले बहिर्प्रवाहों की नियमित समीक्षा की जाती है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह क्रमशः लगभग 214 मिलियन अमरीकी डालर और 121 मिलियन अमरीकी डालर थे।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य आदेश

2565. श्री राम टहल चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्य आदेशों को समय से पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) जी, हां। मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। एक पुनरूद्धार योजना जिसमें योजना (इक्विटी) का निवेश/गैर-योजना निधि की परिकल्पना की गई है, की बी०आई०एफ०आर० द्वारा मंजूरी दे दी गई है और सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक से ऋण सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा 253 करोड़ रुपये की काउंटर गारन्टी भी बढ़ा दी गई है। इन उपायों के कारण विगत 2 वर्षों में कार्य-आदेशों के समय पर पूरा होने में सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

चाय और काफी की कीमतें

2566. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान चाय और काफी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चाय और कॉफी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) चाय की कीमतों में पिछलें एक वर्ष से वृद्धि हो रही है तथा औसत नीलामी कीमतें (अखिल भारतीय) जून, 1997 में 62.61 रुपए प्रति कि.ग्रा. के स्तर से बढ़कर जनवरी, 1998 में 91.98 रुपए प्रति कि.ग्रा. तक पहुंच गयी थी। फरवरी, 1998 से मूल्यों में गिरावट के प्रवृत्ति शुरू हुई है तथा नवीनतम संकेतों के अनुसार मई, 1998 के दौरान अखिल भारतीय नीलामी कीमतें 75.21 रुपए प्रति कि.ग्रा. की रही हैं। चाय की कीमतों में वृद्धि केन्या जैसे अन्य चाय उत्पादक देशों में चाय के उत्पादन में आयी गिरावट के साथ-साथ भारतीय चाय की घरेलू और निर्यात की अधिक मांग के कारण हुई है। घरेलू बाजार में चाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं (i) चाय विषणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा उत्पादकों को दिए गए निर्देश। (ii) जून, 1998 तक 6 महीने की अवधि के लिए निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री से संबंधित नीति में ढील देना। (iii) उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर निवेदन चाय की आपूर्ति करना इत्यादि। पिछले एक वर्ष के दौरान कॉफी की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

राज्य सहकारिता बैंकों को आयकर से छूट

2567. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज पर आयकर देने की छूट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सहकारिता बैंकों पर आयकर लगाए जाने से इनके द्वारा किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार सभी राज्यों में राज्य सहकारिता बैंकों पर लगाए जा रहे आयकर को हटाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-त के अंतर्गत ऐसे किसी कर निर्धारिती के मामले में, जो एक सहकारी बैंक हो, यदि उसकी सकल आय में बैंकिंग कारोबार अथवा इसके सदस्यों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं से प्राप्त आय अथवा उक्त सहकारी बैंक द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति में किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज अथवा लाभांश शामिल होता है, तो ऐसी पूरी राशि पर कटौती उपलब्ध होती है।

(ग) से (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त के तहत गैर बैंकिंग आय के संबंध में कटौती उपलब्ध नहीं होगी। बैंकिंग और गैर-बैंकिंग आय में अन्तर बताते हुए, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने (119 आई.टी.आर. 327) यह मत दिया है और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक बनाम अपर आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (218 आई.टी.आर. 438) इस आधार पर इसकी पुष्टि की है कि उन प्रतिभूतियों में आरक्षित निधियों में से किए गए निवेशों, जो जमाकर्ताओं द्वारा की जाने वाली निकासियों अथवा अन्य लेन-देनों को पूरा करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त आय को जमाकर्ताओं को वापस अदा करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया गया नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार यह धारा 80-त के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

(च) सरकार इस संबंध में वर्तमान उपबन्धों को वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

2568. श्री ए०सी० जोस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम खुले बाजार से रबड़ खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान प्रत्येक माह खुले बाजार से विशेषकर केरल से कितना रबड़ खरीदा गया; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किस दर पर रबड़ खरीदा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार के निर्देशानुसार एस.टी.सी. ने 1997-98 के दौरान केरल से 31.80 रु० प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य पर कुल 9596 मी० टन प्राकृतिक रबड़ प्राप्त की है।

सरकार ने मई 98 में 20,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के पुनः आदेश दिए हैं।

महामहम को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया जाना

2569. श्री के० कृष्णमूर्ति : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में कुम्बकोमु नामक प्रसिद्ध शहर बड़े-बड़े मन्दिरों से घिरा हुआ है और वहां "कुम्भ मेले" जैसा "महामहम पर्व" प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात आयोजित किया जाता है; और

(ख) चूंकि देश के प्रत्येक कोने से हजारों-हजारों की संख्या में तीर्थयात्री "महामहम" पर्व में भाग लेने कुम्बकोमु आते हैं "महामहम" पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, अभिनिर्धारित मेलों और उत्सवों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये मेले और उत्सव प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर ब्रोशर सहायता द्वारा मार्टों में भाग लेकर, सीधी डाक सेवा द्वारा और "नो इण्डिया" (भारत को जानिए) सेमिनारों को आयोजन करके विदेशों में प्रत्येक मार्किट की आवश्यकता का संवर्धन करते हैं।

वस्त्र उद्योग के लिए पूंजी स्तर

2570. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र उद्योग का पूंजी स्तर एक करोड़ से तीन करोड़ तक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योग की वर्तमान लागत का इस पर क्या प्रभाव होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) दिनांक 11.12.97 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) में दिनांक 10.12.97 को एस.ओ. 857(ई) के अंतर्गत अधिसूचित सरकार के अद्यतन आदेश के अनुसार सिले-सिलाए परिधान क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों सहित लघु उद्योग उपक्रमों के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश करने की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है।

"टी.डब्ल्यू.आर.एफ." स्कीम

2571. श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वस्त्र मंत्री** कपड़ा मजदूर राहत कोष के बारे में दिनांक 8-8-97 के अतारांकित प्र० संख्या 2692 तथा दिनांक 21-11-97 के तारांकित प्र० संख्या 43 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान इस संबंध में दिए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन मजदूरों द्वारा सामना की जा रही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रयोजन हेतु धन कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) वस्त्र कामगार पुनर्वासन

निधि योजना को अभी केन्द्र और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नहीं बढ़ाया गया है। संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से मामले की अभी जांच की जा रही है।

एच.एम.टी. की ट्रैक्टर उत्पादन क्षमता

2572. श्री के०एस० राव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच.एम.टी.) की वर्तमान ट्रैक्टर उत्पादन क्षमता कितनी है और कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ख) क्या एच.एम.टी. का संयुक्त उपक्रम साझेदार के सहयोग से अपनी ट्रैक्टर उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो एच.एम.टी. द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या एच.एम.टी. की अधिक हार्स पावर के ट्रैक्टर बनाने के लिए अपने पूर्व तकनीकी सहयोगी 'मेटकाव' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में किये गये प्रयासों का परिणाम क्या निकला?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 19,501 ट्रैक्टरों का उत्पादन किया जो इसकी क्षमता का 103% है।

(ख) से (ङ) एच.एम.टी. लिमिटेड पूर्व के सहयोगी मैसर्स 'मेटकाव' के साथ पुनः नवीकरण करने के साथ-साथ एक संयुक्त उद्यम के भागीदार की तलाश कर रही है। इस दिशा में प्रयास जारी है।

[हिन्दी]

ई०सी०एल० द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कोयला डिपुओं का दिया जाना

2573. प्रो० रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कोयला डिपो दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितने कोयला डिपो दिए गए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी कोयला डिपो मुआवजे के तौर पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई.को.लि.) के विस्थापित व्यक्तियों को नही दिया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पावरलूम सेवा केन्द्र

2574. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरलूम सेवा केन्द्र की मंजूरी देने संबंधी आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या राज्य में विद्युत चालित करघों का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या नये केन्द्र को हैदराबाद में स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रों की प्रमुख गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युतकरघा विकास के लिए प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार केन्द्र के लिए मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिए 3.00 लाख रु० का एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगा। स्टाफ के वेतनों सहित आवर्ती व्यय की व्यवस्था आंध्र प्रदेश के विद्युतकरघा बुनकर परिसंघ द्वारा की जाएगी। विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :-

1. विद्युतकरघा बुनकरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
2. करघा कार्यचालन, अनुरक्षण आदि में प्रशिक्षण।
3. दौरे के साथ ज्ञान, तकनीकों का प्रसार करना।
4. आधुनिकीकरण पर विद्युतकरघा कामगारों को मार्ग निर्देशित करना।
5. एककों, करघों आदि पर वार्षिक आंकड़े संग्रह तथा संकलित करना।
6. विद्युतकरघा बुनकरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए मार्ग निर्देशित करना।
7. विद्युतकरघा उद्योग को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
8. विद्युतकरघा बुनकरों के लाभ के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
9. सरकार के साथ समन्वय करना।

10. संबंधित प्राधिकारियों के साथ विद्युतकरघा बुनकरों की समस्याओं को उठाना।

11. तकनीकी सेवा प्रदान कर तकनीकी परामर्शी सुविधा प्रदान करना।

12. उत्पादों के डिजायन विकास तथा विविधीकरण में विद्युतकरघा एककों को सलाह तथा मार्गनिर्देशित करना।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके कर्मचारियों के संबंध में आश्वासन

2575. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके कर्मचारियों के संबंध में कौन-कौन से आश्वासन संसद के समक्ष लम्बित पड़े हैं और ये कितनी अवधि से लम्बित हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन आश्वासनों को कब तक लागू किया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित संसद प्रश्न के उत्तरों में दिए गए दो आश्वासन लंबित हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में लूटपाट के मामले के संबंध में दिनांक 22.11.96 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर में दिया गया आश्वासन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि चूंकि सूचना सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से एकत्र की जानी थी, इसलिए आश्वासन को पूरा करने में देरी हुई है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर, आश्वासन को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जाएगी।

2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 7.5.97 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5022 के उत्तर में दिया गया आश्वासन। नाबार्ड ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच प्रायोजक बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कराई जा रही है। प्रायोजक बैंक से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर, आश्वासन को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन अनुसूची प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

रबड़ का निर्यात

2576. श्री एस० अजय कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से रबड़ का निर्यात करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा एक्जिम नीति के अनुसार प्राकृतिक रबड़ का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आता है और रबड़ के निर्यात, चाहे वह सरकार द्वारा किया जाए या किसी निजी एजेंसी द्वारा, पर कोई रोक नहीं है। जहां तक बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई के तहत खरीदी गई रबड़ का संबंध है, सरकार ने पहले ही एस.टी.सी. को खरीदी गई रबड़ की समग्र मात्रा का अग्रिम लाइसेंस धारकों को निर्यात करने और/या बेचने के निर्देश दिए हैं।

संसद सदस्यों को उपलब्ध उन्मुक्ति/सुरक्षा

2577. श्री जी०एम० बनातवाला :
श्री कमलनाथ :

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद अथवा उसकी किसी समिति में कुछ भी कहने या कोई भी मत देने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अन्तर्गत संसद सदस्यों को प्राप्त उन्मुक्ति/सुरक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह प्रावधान करने के लिए कानून बनाने अथवा संविधान में संशोधन करने का है ताकि संसद सदस्यों को भ्रष्टाचार के मामलों में यह उन्मुक्ति अथवा सुरक्षा न मिलें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्णय के निहितार्थ का अध्ययन किया जा रहा है।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र का पुनरुद्धार

2578. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र ने औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को अपनी रूग्णता के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सहायता का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार इस्पात संयंत्र को देने पर सहमत हो गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) (विशाखापटनम स्टील संयंत्र) उनके यहां पंजीकृत नहीं है।

(ग) इस्पात एवं खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि आर आई एन एल का अपने ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर हाल ही में सरकार ने विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि कम्पनी को निम्नलिखित वित्तीय राहतें दी जाएं :-

(i) 791 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को 7% असंचयी प्रतिदेय अधिमान पूंजी में बदलना, प्रतिदेय 2000-01 के बाद; और

(ii) वर्ष 1993-94 से 1995-96 में आर आई एन एल को अग्रिम रूप में दिए गए 542.47 करोड़ रुपए के ऋण को 7% असंचयी अधिमान पूंजी में परिवर्तित करना, प्रतिदेय 10 वर्षों के बाद।

लंबित प्रमुख क्षेत्र परियोजना

2579. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास प्रमुख क्षेत्र की राज्यवार कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत अधिकांश उद्योग लाइसेंस-मुक्त किये गये हैं जिनके लिए उद्यमी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके लिए किसी पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल 7 मदों को ही औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस लेना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार के पास 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए राज्यवार लंबित पड़े आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन लागू नियमों तथा नीतियों के अनुसार शीघ्रता से निपटाये जाते हैं।

विवरण

30.4.98 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रतीक्षित राज्यवार आवेदनों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	29
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	0
5.	बिहार	4
6.	चण्डीगढ	0
7.	दादर और नगर हवेली	3
8.	दमन और द्वीव	4
9.	दिल्ली	0
10.	गोवा	4
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	20
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू और काश्मीर	3
15.	कर्नाटक	12
16.	केरल	2
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	26
19.	महाराष्ट्र	53
20.	मणिपुर	0
21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	0
23.	नागालैंड	0
24.	उड़ीसा	4
25.	पाण्डिचेरी	2
26.	पंजाब	5
27.	राजस्थान	7
28.	सिक्किम	0
29.	तमिलनाडु	21
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	25
32.	प० बंगाल	10
33.	एक से अधिक राज्य	2
	योग	253

पर्यटन निर्यात संवर्धन परिषद

2580. श्री के० येरन्नायडू :
श्री एस०एस० ओवेसी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन व्यवस्था से विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिषद की संरचना और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की गई शर्तें क्या हैं; और

(ग) पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए रुचि दिखाने वाले देशों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेंटेशन लि०

2581. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा एक रूग्ण कंपनी हो गई है जिसके कारण 3000 से अधिक कामगारों की नौकरी खतरे में है; और

(ख) उक्त कंपनी के पुनरूद्धार और कामगारों के रोजगार की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ख) बी०आई०एफ०आर० ने दिनांक 19.1.94 को रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के तहत इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को एक रूग्ण कंपनी घोषित किया था। कंपनी के पुनरूद्धार का प्रस्ताव बी०आई०एफ०आर० के पास है जो एक न्यायिक-कल्प निकाय है।

लंबित उर्वरक परियोजनाएं

2582. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की चार प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं का भविष्य और ऐसी दो रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास का कार्य वर्षों से लटका हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रत्येक परियोजना किस चरण पर है और इनके निपटान में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) ये चार परियोजनाएं हैं :- महाराष्ट्र में थाल स्थित राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) की यूरिया विस्तार परियोजना, गुजरात में हजीरा स्थित कृषक भारती कारपोरेशन लिमिटेड (कृभको) की यूरिया विस्तार परियोजना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित कृभकों की यूरिया परियोजना और आंध्र प्रदेश में नैलोर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव (इफ्को) की यूरिया परियोजना। दो रूग्ण इकाइयां हैं :- हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (एचएफसी) और फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई)।

महाराष्ट्र में थाल स्थित राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) की यूरिया विस्तार परियोजना और गुजरात में हजीरा स्थित कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की यूरिया विस्तार परियोजना और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित यूरिया परियोजना दिसम्बर, 1997-फरवरी, 1998 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई थी। इन प्रस्तावों ने निवेश अनुमोदन के प्रारम्भिक चरणों को पार कर लिया है।

आंध्र प्रदेश में नैलोर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव (इफ्को) की यूरिया परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट मार्च, 1996 में मूल्यांकन अभिकरणों को परिचालित की गई थी। इस परियोजना के संबंध में निवेश अनुमोदन, अन्य बातों के साथ-साथ, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में नाइट्रोजन पौष्टिकता के लिए मांग-पूर्ति के पुनर्मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

वर्ष 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एचएफसी) और फर्टिलाइजर्स कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई) को रूग्ण कंपनियां घोषित किया था। संसाधनों की कमी के कारण सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में अप्रैल, 1995 में अनुमोदित इन कंपनियों की परिचालानात्मक इकाइयों के लिए पुररूद्धार पैकेज का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। सरकार ने अब हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड की नामरूप इकाई के पुनरूद्धार के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। इकाईवार व्यवहार्यता और अपेक्षित नई धनराशि की आवश्यता की व्यवहारिकता के विचार को ध्यान में रखते हुए एचएफसी और एफसीआई की अन्य इकाइयों के संबंध में प्रस्तावों को फिर से तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

फर्जी बीमा

2583. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फर्जी बीमा किए जाने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या-क्या सजा दी गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम मुम्बई ने सूचित किया है कि अनुषंगी कम्पनियों द्वारा कोई बोगस पालिसियां जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, अप्राधिकृत रूप से प्राइवेट लोगों/संस्थाओं द्वारा बोगस बीमा पालिसियां जारी करने के कुछ मामले सामने आए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के मामलों की कुल संख्या 9 थी। ये बोगस बीमा बाहरी पार्टियों द्वारा जारी किए गए थे और इसमें कम्पनी के अधिकारी शामिल नहीं थे। इन मामलों की जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचित कर दिया गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों

के दौरान बोगस कारोबार के मामलों की कुल संख्या 123 थी जिसमें कम्पनी के 166 अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी जिसमें सतर्कता की दृष्टि से की गयी जांच भी शामिल है।

[अनुवाद]

पिचावरम पर्यटन स्थल, तमिलनाडु

2584. श्री वैको : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु में कूडालूर जिला में पिचावरम के पर्यटन महत्व और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय पर्यटक नक्शे में लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पिचारवरम के विकास हेतु चालू वित्त वर्ष में आवश्यक धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पिचावरम तमिलनाडु में पहले ही एक जाना पहचाना पर्यटक केन्द्र है। तथापि, किसी विशेष पर्यटन केन्द्र की पहचान और विकास करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट पर्यटन परियोजना प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान करता है। पिचावरम के विकास के लिए राज्य सरकार से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2585. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्द किए जा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में त्रुटिरहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और मुआवजा नीति तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विनिवेश योजनाओं के अन्तर्गत 1991 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने कर्मचारी कार्यमुक्त किए गए?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग द्वारा 1998 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई गई थी। 1998-99 के बजट भाषण में, कई आकर्षक लाभों सहित योजना के विस्तार और वृद्धि की घोषणा की गई।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेशम पालन परियोजना

2586. श्री रामदास आठवले :
श्री ए० वेंकेटेश नायक :
श्री अशोक नामदेव मोहोल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेशम पालन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सहित किन-किन राज्यों का चयन किया गया है और इस परियोजना के अन्तर्गत कितना कार्य किया गया है;

(ख) उक्त परियोजना हेतु विश्व बैंक स्विस विकास निगम से अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना 5 परंपरागत राज्यों अर्थात् कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और जम्मू व कश्मीर तथा 12 गैर-परंपरागत राज्यों अर्थात् असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की गई थी। गैर-परंपरागत राज्यों में कुछ चुनिंदा विशिष्ट प्रायोगिक आधार पर यह परियोजना क्रियान्वित की गई थी।

इस परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान, प्रशिक्षण, बीज उत्पादन, विस्तार, सीलिंग और विपणन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया गया था / सुदृढ़ बनाया गया था। इसके अतिरिक्त परियोजना ने 59992 हैक्टेयर क्षेत्र में शहतूती रोपण बढ़ाने में योगदान दिया। परियोजना की समाप्ति पर रेशम उत्पादन में प्रतिवर्ष समग्र वृद्धि 4212 टन थी।

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से 114.4 मिलियन अमरीकी डालर तथा स्विस विकास सहयोग से 17.4 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

(ग) यह परियोजना 1989 में शुरू होकर 31 दिसंबर, 1996 को समाप्त हो गई।

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विकास

2587. श्री विजय गोयल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी भागों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे किसी स्थान का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या-क्या हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओपाक अपांग) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों के आधार पर, पहली बार में, सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है :-

1. तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
2. कामाख्या (असम)

3. बोधगया और पटना साहिब (बिहार)

4. द्वारिका, पालिताना और उडवाड (गुजरात में वापी के पास)

5. हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब और ज्वाला जी

6. जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी

7. कर्नाटक में श्रृंगेरी और गुलबर्ग

8. केरल में गुरूवयुर

9. मध्य प्रदेश में उज्जैन

10. महाराष्ट्र में शिर्डी, नांदेड और ज्योतिर्बा

11. उड़ीसा में जगन्नाथपुरी

12. पंजाब में अमृतसर, आनंदपुर साहेब

13. राजस्थान में अजमेर शरीफ

14. तमिलनाडु में रामेश्वरम

15. बद्रीनाथ और हरिद्वार

16. बरसाना-नंदगांव-गोकुल-मथुरा-वृंदावन-गोवर्धन

17. उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती/कुशीनगर

इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

पर्यटन का अभिनिर्धारण तथा विकास करना, मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है, तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, धन की उपलब्धता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आधारिक संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का निष्पादन

2588. श्रीमती कमल रानी :
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक और अन्य विदेशी सहायता से कार्यान्वित की गई या की जा रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के रूप में इन परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार इसका क्या परिणाम रहा और धीमें निष्पादन व कुछ राज्यों/क्षेत्रों में उक्त सहायता के कम उपयोग के क्या कारण थे;

(घ) केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर विदेशी सहायता के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए 1996-97 व 1997-98 के दौरान आरम्भ की गई और 1998-99 के लिए प्रस्तावित नई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध विश्व बैंक और अन्य विदेशी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न राज्यों द्वारा बैंक के अनुमोदनार्थ कौन सी परियोजनाएं भेजी गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से विश्व बैंक और अन्य विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के परियोजनावार ब्यौरे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका, 1996-97 में उपलब्ध है। इस पुस्तिका की प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। दिनांक 30.4.98 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न किया गया है।

(ख) और (ग) चालू परियोजनाओं की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर सम्बद्ध मंत्रालयों/राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से निष्पादित किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने पिछले तीन वर्षों में सन्तोषजनक कार्य किया है जबकि बिहार, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का कार्य निष्पादन इस अवधि के दौरान असन्तोषजनक रहा। कुछ राज्यों/क्षेत्रों में निष्पादन में शिथिलता के कारणों में निधि सम्बन्धी रूकावटें, प्रापण तथा संविदात्मक विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा परियोजना विशेष से सम्बद्ध अन्य मामले शामिल हैं।

(घ) विदेशी सहायता का कारगर तथा बेहतर उपयोग करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कुछ नए सिरे से प्रयास किए गए जिसमें राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा, नौ राज्यों तथा पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबंध इकाइयों/परियोजना निगरानी एककों को सुदृढ़ बनाना, विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में प्रापण चक्र के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का निर्धारण, बोली से सम्बद्ध दस्तावेजों का मानकीकरण तथा विश्व बैंक की परियोजनाओं के लिए उनका अनिवार्य उपयोग करना और प्रारम्भ में मौजूद गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना शामिल है। वर्ष 1998-99 के दौरान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कारगर निगरानी के लिए नौ राज्यों तथा पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में कम्प्यूटरीकृत विदेशी सहायता निगरानी सूचना प्रणाली की स्थापना का कार्य पूरा होने को है। महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिमाही आधार पर परियोजनाओं की निगरानी रखने की व्यवस्था भी प्रारम्भ की जा रही है।

(ङ) विश्व बैंक तथा अन्य दाता देशों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में दि० 30.4.98 की स्थिति के अनुसार अनाहरित बकाया राशि का ब्यौरा जो संवितरण हेतु उपलब्ध था, विवरण-I (कॉलम 5) में राज्यवार दिखाया गया है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

30.4.98 की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(अनन्तिम)

(दाता करेंसी मिलियन में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	करेंसी	ऋण/अनुदान की राशि	30.4.98 की स्थिति के अनुसार आहरित शेष राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	अमरीकी डालर	77.640	39.622
2.	आई.डी.पी.-43 शिरीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत-I	जापानी येन	26101.000	443.600
3.	आई.डी.पी.-85 शिरीसेलम लेफ्ट विद्युत पारेषण	जापानी येन	3806.000	3284.600
4.	आई.डी.पी.-94 शिरीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत	जापानी येन	22567.000	5825.700
5.	आई.डी.पी.-95 शिरीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत	जापानी येन	9546.000	9132.600
6.	कोथागुडम "का" तापीय विद्युत	जापानी येन	5092.000	1900.700
7.	आई.डी.पी.-113 कुरनूल कूडाप्पा केनाल	जापानी येन	16049.000	16049.000
8.	आई.डी.पी.-127 सिम्हांद्री और विजाज पारेषण	जापानी येन	10629.000	10629.000
9.	आई.डी.पी.-128 शिरीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत	जापानी येन	14499.000	13810.100
10.	आन्ध्र प्रदेश ऊर्जा कार्यक्षमता परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	42.700	38.200
11.	आन्ध्र प्रदेश स्कूल इमारत चरण-II	पौंड स्टर्लिंग	27.900	3.954
12	हैदरावाद आवास चरण-III	पौंड स्टर्लिंग	14.940	4.652
13.	आन्ध्र प्रदेश स्कूल स्वास्थ्य परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	6.690	4.339
14.	आन्ध्र प्रदेश ज़िला प्रारंम्भिक शिक्षा परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	42.500	39.717
15.	विजयवाड़ा आवास सुधार परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	16.250	5.823
16.	चिनागढ़ली क्षेत्र सुधार परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	1.500	0.075
17.	पी-249 आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	अमरीकी डालर	2.400	2.400
18.	आन्ध्र प्रदेश आपद शमन आपतकालीन	अमरीकी डालर	100.000	91.405
19.	आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	अमरीकी डालर	350.000	337.653
20.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	89.365	14.219
21.	आन्ध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	अमरीकी डालर	125.679	98.942
22.	आन्ध्र प्रदेश जनजाति विकास	अमरीकी डालर	21.608	6.017
23.	आन्ध्र प्रदेश सह-भागिता जनजाति विकास	अमरीकी डालर	26.710	19.730

1	2	3	4	5
24.	ईपीटीआरआई चरण-द्वितीय परियोजना	स्वीडिश क्रोनर	16.000	16.000
25.	पर्यावरण प्रशिक्षण परियोजना, हैदराबाद	स्वीडिश क्रोनर	15.000	11.497
26.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-III	अमरीकी डालर	150.000	91.169
असम				
1.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	अमरीकी डालर	112.185	106.511
बिहार				
1.	बिहार पठार विकास	अमरीकी डालर	112.425	76.557
2.	3012-आईएन डीपीईपी-III	अमरीकी डालर	152.000	147.500
3.	बिहार विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	अमरीकी डालर	1.500	0.876
4.	सहकारी ग्रामीण भंडार केन्द्र	ई.सी.यू.	21.200	13.578
गुजरात				
1.	2930-आईएन पर्यावरण प्रबंध क्षमता निर्माण	अमरीकी डालर	48.000	45.000
2.	1506-आईएनडी गुजरात पब्लिक सेक्टर संसाधन प्रबंध	अमरीकी डालर	250.000	150.000
3.	कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण चरण-III	डच गिल्डर	6.611	6.611
4.	नाबार्ड-V आदिवासी कार्यक्रम	डयूश मार्क	26.000	22.180
5.	आईडीपी-115 पीपावार में शिप ब्रेकिंग डब्लपमेंट	जापान येन	7046.000	4645.600
6.	आईडीपी-112 गुजरात वानिकी परियोजना	डच गिल्डर	15760.000	11143.900
7.	जल संसाधन विकास और प्रबंध	डच गिल्डर	1.450	1.450
8.	गोहा क्षेत्रीय जलापूर्ति	डच गिल्डर	19.369	19.369
9.	1996-02 गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए ओआरईटी परियोजना	डच गिल्डर	39.826	24.891
10.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए ओआरईटी परियोजना	डच गिल्डर	59.739	59.739
11.	20916-आईएन नीदरलैंड अनुदान	अमरीकी डालर	25.800	23.979
हरियाणा				
1.	मेवात क्षेत्र विकास परियोजना	अमरीकी डालर	15.080	12.375
2.	हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना	अमरीकी डालर	60.000	58.921
3.	पी-225 हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना (आई.बी.आर.डी.)	अमरीकी डालर	2.000	0.298
4.	जल संसाधन समेकन	अमरीकी डालर	262.148	170.581
5.	अरावती पहाड़ी में सामान्य भूमि का पुनर्वास	ई.सी.यू.	23.200	4.674
हिमाचल प्रदेश				
1.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	3.094	1.703

1	2	3	4	5
2.	पर्यावरण कार्यक्रम	नोर. क्रोनर	12.000	0.356
कर्नाटक				
1.	इडो-डेनिश मीन उद्योग परियोजना	डेनिश क्रोनर	8.520	7.583
2.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	डेनिश क्रोनर	46.700	46.700
3.	आईडीपी-124 पूर्वी कर्नाटक वन-रोपण	जापानी येन	15968.000	15068.800
4.	पश्चिमी घाटों की वानिकी परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	18.074	5.424
5.	डीएम 23एम कर्नाटक क्षेत्रीय स्तर पर अस्पताल विकास	डयूश मार्क	23.000	22.224
6.	जलसंभर विकास परियोजना	डेनिश क्रोनर	48.800	15.165
7.	इंडो-स्विस सहभागिता जलसंभर विकास	भारतीय रुपए	91.860	28.729
8.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	4.448	4.488
9.	कर्नाटक जलसंभर विकास	डयूश मार्क	20.000	18.910
10.	महिला तथा युवा प्रशिक्षण विस्तार चरण-II	डेनिश क्रोनर	48.500	25.994
11.	एकीकृत ग्रामीण जल और सफाई	डेनिश क्रोनर	50.000	27.864
12.	ग्रामीण जल और सफाई चरण-II	डेनिश क्रोनर	65.500	60.379
13.	रेचूर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार परियोजना	जापानी येन	23142.000	3115.800
14.	कलिन्दी पन-बिजली केन्द्र-II	कुवैती दीनार	7.000	0.757
15.	मैसूर कागज मिलों का आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण परियोजना	जापानी येन	2381.000	686.600
16.	ऊपरी कृष्णा चरण-II सिंचाई	अमरीकी डालर	45.000	38.182
17.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	92.401	61.742
18.	रायचूर अस्पताल	अमरीकी डालर	9.000	8.045
19	आईडीपी-109 बंगलौर जलापूर्ति	जापानी येन	28452.000	28206.100
20.	1415 आईएनडी कर्नाटक शहरी आधार ढांचा विकास	अमरीकी डालर	85.000	78.455
केरल				
1.	केरल मत्स्य ग्रान प्रसंस्करण	कुवैती दीनार	7.000	6.462
2.	केरल वर्षापूरित कृषि	अमरीकी डालर	10.000	8.558
3.	उत्तरी केरल डेयरी परियोजना चरण-II	भारतीय रुपए	167.400	49.840
4.	केरल में नारियल कार्यक्रम	ई.सी.यू.	45.000	14.220
5.	केरल कृषि बाजार	ई.सी.यू.	18.650	0.647
6.	केरल बागान विकास	ई.सी.यू.	28.700	14.130
7.	आईडीपी-III आट्टपाडी जलभूमि विकास	जापानी येन	5112.000	5090.100

1	2	3	4	5
8.	आईडीपी-123 केरल जलापूर्ति परियोजना	जापानी येन	11997.000	11997.000
9.	केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई.सी.यू.	11.800	9.895
10.	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति	डेनिश क्रोनर	132.500	26.733
11.	कोचिन शहरी गरीबी कम करना चरण-II	पौंड स्टर्लिंग	0.400	0.030
12.	कोचिन शहरी गरीबी कम करना परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	11.469	11.300
मध्य प्रदेश				
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	अमरीकी डालर	0.275	0.275
2.	2700-आईएन मध्य प्रदेश वानिकी	अमरीकी डालर	54.919	33.919
3.	लेक भोपाल संरक्षण	जापानी येन	7055.000	6419.000
4.	रेवा अस्पताल	अमरीकी डालर	10.000	9.482
5.	मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति	ड्यूश मार्क	45.000	42.511
6.	मध्य प्रदेश कृषि में महिलाएं	डेनिश क्रोनर	12.610	8.599
7.	आईडीपी-133 मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन परियोजना	जापानी येन	2212.000	2212.000
8.	पश्चिमी उत्तार प्रदेश में वाटरशेड विकास	डेनिश क्रोनर	29.200	28.251
9.	स्वास्थ्य देखभाल मध्य प्रदेश-II	डेनिश क्रोनर	62.900	23.672
10.	पशुधन विकास परियोजना बस्तर	डेनिश क्रोनर	28.300	26.329
11.	इन्दौर हैबिटैट	पौंड स्टर्लिंग	14.400	0.879
महाराष्ट्र				
1.	महाराष्ट्र वानिकी	अमरीकी डालर	109.059	54.480
2.	महाराष्ट्र विद्युत	अमरीकी डालर	337.330	42.465
3.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	अमरीकी डालर	350.000	237.746
4.	घाटघर पम्प्ड भंडारण परियोजना	जापानी येन	11414.000	11044.300
5.	उरण संयुक्त चक्र विद्युत केंद्र	ड्यूश मार्क	310.000	1.143
6.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	ड्यूश मार्क	29.740	5.433
7.	द्वितीय मुंबई शहरी परिवहन	अमरीकी डालर	3.000	0.745
8.	आधारढांचा वित्तपोषण परियोजना	अमरीकी डालर	1.500	1.500
9.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल आपूर्ति	पौंड स्टर्लिंग	16.460	8.652
10.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	अमरीकी डालर	107.461	29.824
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण क्रेडिट	अमरीकी डालर	29.442	20.532
12.	महाराष्ट्र आपात भूकंप	अमरीकी डालर	250.669	53.228

1	2	3	4	5
13.	2838-आईएन औद्योगिक परियोजना	अमरीकी डालर	4.703	4.703
14.	मुंबई मलनिर्यास 3923-आईएन	अमरीकी डालर	167.000	135.286
15.	मुंबई पुनर्वास एवं पुनः सुधार	जापानी येन	67.000	39.800
16.	वाटरशेड महाराष्ट्र-II	डयूश मार्क	25.000	25.000
17.	लघु सिंचाई कार्यक्रम	डयूश मार्क	35.000	6.480
18.	सहकारिता विकास हेतु जलनियंत्रण प्रणाली	ई.सी.यू.	15.000	5.815
19.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य देखभाल	डयूश मार्क	20.000	19.259
20.	महाराष्ट्र भूकंप पुनर्वास	पौंड स्टर्लिंग	10.000	1.237
21.	मुंबई शहरी परिवहन-II	जापानी येन	286.000	74.200
मणिपुर				
1.	आईडीपी-134 मणिपुर रेशम कीट पालन परियोजना	जापानी येन	3962.000	3962.000
मेघालय				
1.	आईडीपी-118 उमियाम हाइड्रो पावर केंद्र सुधार	जापानी येन	1700.000	1700.000
उड़ीसा				
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	अमरीकी डालर	270.578	195.585
2.	ऊपरी कोलाब सिंचाई	जापानी येन	3769.000	1068.100
3.	ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई	जापानी येन	3744.000	698.500
4.	लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	डयूश मार्क	55.000	28.321
5.	भू-जल का अन्वेषण एवं प्रबंधन ट्राच-II	अमरीकी डालर	8.097	0.362
6.	लघु सिंचाई	ई.सी.यू.	10.700	10.601
7.	इंडो-डेनिश कांप. जल विकास, कोरापुर	डेनिश क्रोनर	46.300	34.804
8.	समेकित पशुधन विकास परियोजना, कोरापुर	डेनिश क्रोनर	19.900	12.037
9.	टी.ई.डब्ल्यू.ए. चरण-II	डेनिश क्रोनर	23.690	16.098
10.	उड़ीसा सामाजिक वानिकी चरण-II	स्विस क्रोनर	282.500	17.351
11.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनःनिर्माण	अमरीकी डालर	350.000	333.611
12.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	पौंड स्टर्लिंग	42.000	31.296
13.	आईडीपी-135 रेंगली सिंचाई	जापानी येन	7760.000	7618.500
14.	संशोधित राष्ट्र क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II	डेनिश क्रोनर	54.800	52.676
15.	उड़ीसा परिवार कल्याण चरण-II	पौंड स्टर्लिंग	18.000	6.083
16.	कटक गंदी बस्ती सुधार	पौंड स्टर्लिंग	0.244	0.015

1	2	3	4	5
17.	बहुदेशीय चक्रवात सुरक्षा	डयूश मार्क	5.000	2.038
18.	कटक शहर सेवा सुधार	पौंड स्टर्लिंग	11.490	10.641
19.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	नौर. क्रोनर	40.000	15.696
	पंजाब			
1.	पंजाब सिंचाई 2076-आईएन	अमरीकी डालर	161.679	22.170
2.	पंजाब जल संसाधन एमजी परियोजना	अमरीकी डालर	2.225	2.225
3.	आईडीपी-132 पंजाब वनरोपण परियोजना	जापानी येन	6193.000	6129.700
	राजस्थान			
1.	एडीपी राजस्थान कृषि विकास	अमरीकी डालर	104.015	36.956
2.	इंदिरा गांधी वनरोपण	जापानी येन	7869.000	5032.600
3.	अरावली की पहाड़ियों में वनरोपण	जापानी येन	8095.000	2345.600
4.	राजस्थान वानिकी विकास आईडीपी-104	जापानी येन	4219.000	2563.400
5.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्निर्माण	अमरीकी डालर	2.000	1.645
6.	पीएडब्ल्यूडीआई परियोजना राजस्थान	भारतीय रुपया	98.940	87.440
7.	ईईसी सिंधमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ईसीयूएस	45.000	12.260
8.	ग्रामीण जलापूर्ति चरण-।	डयूश मार्क	40.000	20.346
9.	ग्रामीण जलापूर्ति चरण-।	डयूश मार्क	95.000	70.894
10.	राजस्थान कृषि जल व्यवस्था	कनाडियन डालर	57.540	51.653
11.	डूंगरपुर एकीकृत जलभूमि विकास	स्विडिश क्रोनर	80.000	46.174
12.	डीएम 2.70 एम राजस्थान लघु सिंचाई	डयूश मार्क	2.700	1.205
13.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम चरण-॥	स्विडिश क्रोनर	100.000	33.072
14.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा	स्विडिश क्रोनर	21.000	6.136
15.	शिक्षाकर्मी परियोजना चरण-॥	स्विडिश क्रोनर	60.000	17.037
16.	स्थानीय स्कूल परियोजना	डयूश मार्क	18.000	18.000
	तमिलनाडु			
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	अमरीकी डालर	91.249	5.844
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	अमरीकी डालर	20.000	20.000
3.	बेसिन ब्रिज गैस टरबाइन-॥	जापानी येन	11450.000	672.000
4.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	अमरीकी डालर	120.000	7.653
5.	दूसरी उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	अमरीकी डालर	200.000	62.895

1	2	3	4	5
6.	भेड़ विकास	इसीयूएस	6.100	4.908
7.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	अमरीकी डालर	252.303	235.717
8.	दूसरी मद्रास जलापूर्ति	अमरीकी डालर	86.500	69.854
9.	दूसरी तमिलनाडु पोषण	अमरीकी डालर	72.844	0.043
10.	आईडीपी-125 तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	जापानी येन	13324.000	12182.700
11.	तमिलनाडु शहरी विकास	अमरीकी डालर	255.667	0.510
12.	मद्रास मल व्यवस्था नवी० और कार्य	जापानी येन	17098.000	16811.600
13.	टीएएनडब्ल्यूए चरण-II	दानिश क्रोनर	58.051	36.522
14.	विस्तृत जलसंभर विकास रामनाथपुरम	दानिश क्रोनर	26.420	15.205
15.	विस्तृत जलसंभर विकास तिरूनेलवेली चरण-II	दानिश क्रोनर	68.470	45.348
16.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी चरण-I	स्विडिश क्रोनर	278.300	10.312
17.	डीएम 1.5 एमएनएलसी अध्ययन विशेषज्ञ अध्ययन	डयूश मार्क	1.500	0.783
18.	लिग्नाइट खान और विद्युत स्टेशन का विस्तार	डयूश मार्क	375.200	355.084
19.	टैंक सिंचाई प्रणाली चरण-II	ईसीयूएस	24.500	4.713
20.	तमिलनाडु स्वास्थ्य सुरक्षा चरण-II	दानिश क्रोनर	66.400	22.094
21.	पुड्डकोट्टई पशुधन विकास	दानिश क्रोनर	22.000	9.165
22.	एकीकृत ग्रामीण स्वच्छता और जलापूर्ति	दानिश क्रोनर	35.000	22.688
23.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-II	दानिश क्रोनर	70.000	60.214
24.	ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता चरण-II	दानिश क्रोनर	60.000	58.540
25.	स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना चरण-II	दानिश क्रोनर	102.500	100.553
26.	पुड्डकोट्टई पशुधन विकास चरण-II	दानिश क्रोनर	51.480	51.480
27.	उपकरणों में सुधार हेतु परियोजना	जापानी येन	667.000	4.900
28.	आईसीडीएस चरण-III	स्विडिश क्रोनर	60.000	29.299
	उत्तर प्रदेश			
1.	उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि सुधार	अमरीकी डालर	55.527	240.827
2.	अनपारा विद्युत पारेषण	जापानी येन	19318.000	3920.100
3.	अनपारा "ख" तापीय विद्युत	जापानी येन	17638.000	6240.400
4.	अनपारा तापीय विद्युत आईडीपी 108	जापानी येन	12020.000	7902.600
5.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र	अमरीकी डालर	2.000	0.121
6.	उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा चरण-II	अमरीकी डालर	59.400	51.900

1	2	3	4	5
7.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	अमरीकी डालर	165.398	43.092
8.	बस्ती जिला अस्पताल	अमरीकी डालर	6.500	3.461
9.	दक्षिण भगीरथी चरण-II	ईसीयूएस	8.400	0.178
10.	दूनघाटी एकीकृत जलसंभर प्रबंध	ईसीयूएस	22.500	17.537
11.	उत्तर प्रदेश में तंगघाटी स्थिरीकरण	ईसीयूएस	7.900	7.900
12.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	अमरीकी डालर	52.940	52.940
13.	गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण चरण-I	पौंड स्टर्लिंग	4.020	3.787
14.	उर्वरक की आपूर्ति	ईसीयूएस	4.400	0.089
15.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता	अमरीकी डालर	59.600	54.507
16.	भारत अनुदान 1995-04	डंच गिल्डर	13.388	12.036
पश्चिमी बंगाल				
1.	पासचुरीकरण और दुग्ध पैकेजिंग एनडीडीबी और एपीडीडी	फ्रांस फ्रांक	147.700	147.700
2.	पश्चिम बंगाल वानिकी	अमरीकी डालर	35.014	1.158
3.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापानी येन	1525.000	1396.100
4.	तिस्ता नहर एचईपी आईडीपी 40	जापानी येन	8025.000	788.900
5.	तिस्ता नहर एचई आईडीपी-72	जापानी येन	6222.000	1115.200
6.	आईडीपी-89 बकरेश्वर तापीय विद्युत	जापानी येन	27069.000	8616.300
7.	बकरेश्वर आईडीपी-97 तापीय विद्युत इकाई-3	जापानी येन	8659.000	6224.300
8.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	जापानी येन	20520.000	19600.100
9.	पं० बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	जापानी येन	11087.000	11003.300
10.	बकरेश्वर तापीय विद्युत स्टेशन परि०-II	जापानी येन	34151.000	32599.000
11.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत विकास	जापानी येन	10679.000	10334.000
12.	भारत के संग्राहलयों को सांस्कृतिक अनुदान	जापानी येन	50.000	50.000
13.	पं० बंगाल प्राथमिक शिक्षा परियोजना	पौंड स्टर्लिंग	37.706	37.588
14.	ग्रामीण जलापूर्ति पं० बंगाल	डयूश मार्क	50.000	41.760
15.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार	पौंड स्टर्लिंग	14.592	5.332
पांडिचेरी				
1.	टैंक पुनरूद्धार परियोजना	ईसीयूएस	6.650	6.650
दिल्ली				
1.	आईडीपी-121 दिल्ली व्यापक तीव्र परिवहन प्रणाली	जापानी येन	14760.000	14760.000

1	2	3	4	5
2.	आईडीपी 126 राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	जापानी येन	13222.000	13222.000
	बहुराष्ट्रीय			
1.	एकीकृत जलसंभर विकास मैदानी, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान	अमरीकी डालर	60.537	11.360
2.	एकीकृत जलसंभर विकास पहाड़ी हि०प्र०, ज०क०, पंजाब, हरियाणा	अमरीकी डालर	80.244	25.260
3.	झींगा और मछलीपालन आं०प्र०, बिहार, उड़ीसा, उ०प्र०, प०बं०	अमरीकी डालर	37.792	24.620
4.	राष्ट्रीय कोशकीट पालन आंध्र प्रदेश, ज०क०, कर्नाटक, त०ना०, प० बंगाल	अमरीकी डालर	134.390	20.020
5.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, त०ना०	अमरीकी डालर	165.262	36.650
6.	राज्य सड़क परियोजना बिहार, महाराष्ट्र, उ०प्र०, राजस्थान	अमरीकी डालर	108.590	5.250
7.	सड़क सुधार परियोजना आ०प्र०, कर्नाटक, त०ना०	अमरीकी डालर	188.000	17.690
8.	दूसरी सड़क परियोजना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पं० बंगाल	अमरीकी डालर	250.000	23.930
9.	कृषि और मानव संसाधन	अमरीकी डालर	56.220	41.710
10.	पर्यटन बुनियादी विकास बिहार, उ०प्र०	जापानी येन	9244.000	3685.770
11.	बांध सुरक्षा परियोजना म०प्र०, राजस्थान, उड़ीसा, त०ना०	अमरीकी डालर	133.633	82.910
12.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना आ०प्र०, कर्नाटक, महाराष्ट्र, म०प्र०, उड़ीसा, केरल, त०ना०, गुजरात	अमरीकी डालर	124.829	112.570
13.	नार्वेजियन पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे क्रोनर	60.000	60.000
14.	तकनीकी शिक्षा-II आ०प्र०, असम, हरि०, हि०प्र०, महाराष्ट्र, पं०बंगाल, त०ना०, पंजाब	अमरीकी डालर	250.563	104.310
15.	केरल और उत्तर प्रदेश वानिकी	अमरीकी डालर	0.970	0.970
16.	तकनीकी शिक्षा बिहार, गुज., कर्ना., केरल, म०प्र०, राज०, उ०प्र०, उड़ीसा, गोआ	अमरीकी डालर	226.251	36.740
17.	आईसीडीएम आ०प्र०, उड़ीसा, म०प्र०	अमरीकी डालर	81.057	0.490
18.	अजन्ता और एलोरा संरक्षण महाराष्ट्र	जापानी येन	3745.000	2120.580
19.	आंध्र प्रदेश और त०नाडु में कोशकीट संवर्धन	भारतीय रुपया	41.055	18.780
20.	राष्ट्रीय कोशकीट पालन परियोजना आ०प्र०, पं०बं०, त०नाडु०, कर्नाटक	स्वीश फ्रांक	40.000	17.120
21.	सड़क बुनियादी विकास तकनीकी सहायता	अमरीकी डालर	51.500	42.000
22.	मिश्रित परियोजना	फ्रांस फ्रांक	125.000	125.000
23.	परिवार कल्याण	अमरीकी डालर	87.102	61.320
24.	दूसरा जिला प्राथमिक शिक्षा परि०	अमरीकी डालर	403.820	379.220

1	2	3	4	5
25.	तपेदिक नियंत्रण	अमरीकी डालर	136.105	131.140
26.	पीएसएस और पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन	ड्यूश मार्क	15.000	13.850
27.	भौगोलिक पर्यावरण इको विकास परियोजना	अमरीकी डालर	20.000	18.060
28.	20303-आइएन जिला गरीबी उपक्रम	जापानी येन	88.300	84.870
29.	भारत पारिस्थिकी विकास परियोजना	अमरीकी डालर	20.000	19.890
30.	ठोस अपशिष्ट के उपयोग हेतु व्यवहार्य अध्ययन	फ्रांस फ्रांक	3.300	3.300

*बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए न निकाले गए शेष का राज्यवार आबंटन उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

गौरी बाजार/कानपुर चीनी मिल

2589. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री राम नगीना मिश्र :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गौरी बाजार चीनी मिल तथा बिहार की मण्डौरा चीनी मिल कब से बन्द पड़ी है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन मिलों को फिर से चालू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की चार चीनी मिलों को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार पडरौना और कठकुइया चीनी मिलों को भी बन्द करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (छ) कानपुर सुगर वर्क्स लि० के पास गौरी बाजार, मारहावड़ा, पदरौना तथा कठकुइया में चार मिलें हैं। इन 4 चीनी मिलों में से, मारहावड़ा सुगर मिल्स तथा गौरी बाजार सुगर मिल्स क्रमशः एक और दो क्रशिंग मौसम से चालू नहीं हैं। कानपुर सुगर वर्क्स लि० सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है तथा सरकार कम्पनी को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करती है। कानपुर सुगर वर्क्स लि० एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है जिसका पुनर्वासन बी. आई. एफ.आर. के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

2590. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1997 के अन्त में व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास से अप्रैल तथा मई, 1998 में व्यापार घाटे में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यातक विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के कारण हतोत्साहित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात में गिरावट आयी है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने 1998 में व्यापार घाटे की पूर्ति हेतु कोई अल्पावधिक व दीर्घावधिक रणनीति तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) निर्यात और आयात के सम्बन्ध में विनिमय दर में घट-बढ़ का प्रभाव वास्तविक प्रभावी विनिमय दर पर निर्भर होता है। वर्ष 1997-98 के उत्तरार्द्ध में, रुपये के अवमूल्यन से 1996-97 के दौरान वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में हुए रुपए के अधिमूल्यन की स्थिति में सुधार हुआ। इसलिए, 1997-98 के उत्तरार्द्ध के दौरान इस घट-बढ़ ने 1996-97 के दौरान हमारे निर्यात और आयात पर अधिमूल्यन के प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से कम किया है।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यकी महानिदेशालय के आकड़ों के अनुसार 1997-98 में व्यापार घाटा वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 में क्रमशः 2324 मिलियन अमरीकी डालर, 4881 मिलियन अमरीकी डालर और 5663 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 6799 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) था। अप्रैल, 1998 जहां तक आकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान व्यापार घाटा अप्रैल, 1997 में 510 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 877 मिलियन अमरीकी डालर था।

(घ) और (ड.) रुपये में तेजी/अधिमूल्यन से निर्यातकों के हितों पर प्रतिकूल असर होता है क्योंकि यह निर्यात को अन्य देशों के निर्यातों के सापेक्ष में कम प्रतिस्पर्द्धी बनाता है।

(च) और (छ) व्यापार घाटे को कम करने का मुख्य उपाय निर्यात वृद्धि में तेजी लाना है। सरकार द्वारा नीतिगत पहलों और सवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से निर्यात संवर्धन के उपाय निरन्तर किए जाते हैं। निर्यात संवर्धन उद्योग, व्यापार जगत और निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ परस्पर विचार विनिमय पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है।

आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादक

2591. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के किसानों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्र सरकार से विदेशी तम्बाकू खरीददारों से सीधे सम्पर्क स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। उत्पादकों के कुछ प्रतिनिधियों ने, तम्बाकू उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने और निर्यात बढ़ाने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा की जाने वाली नीलामियों में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया है।

(ख) नई औद्योगिक नीति के तहत, निर्यात करने वाली व्यापारिक कम्पनियों को लाभांश संतुलन के अधीन रहते हुए विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाती है। अब तक, किसी भी नई अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू व्यापार कम्पनी ने, तम्बाकू बोर्ड के नीलामी प्लेटफार्मों पर खरीददारियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु तम्बाकू बोर्ड से संपर्क नहीं किया है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन

2592. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों और विश्व व्यापार संगठन संबंधी अन्य मामलों पर एक नीति निमार्ण हेतु उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों से दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय विश्व व्यापार संगठन से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर औद्योगिक संगठनों, साहित्यिक संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं तथा इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ समय-समय पर बैठकें करता रहा है। विचार-विमर्श समूहों का भी गठन किया गया है जिनमें विभिन्न मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर तथा अहमदाबाद में औद्योगिक संगठनों के साथ 6 विश्व व्यापार संगठन जागरूकता संगोष्ठियां संयुक्त रूप से आयोजित की जाएंगी। औद्योगिक संगठनों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के साथ समय-समय पर ऐसे प्रमुख मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है जिन पर बातचीत चल रही है तथा उनके निष्कर्ष जैनेवा में बातचीत के दौरान प्रयोग करने के लिए वार्ताकारी दल को भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की तस्करी

2593. श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री पी० उपेन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तस्कर एवं मादक-द्रव्यों की तस्करी करने वाले लोग अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को मादक द्रव्यों की तस्करी करने के लिए पारगमन स्थल के रूप में भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान मई 11, 1998 को हिन्दू समाचार पत्र (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित समाचार "इंडिया नाउ ए ट्रान्जिट प्वाइन्ट फार ड्रग स्मगलर्स", की ओर भी आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(घ) मादक द्रव्यों की तस्करी एवं भारत का पारगमन स्थल के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत में थोड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी जारी है। पड़ोसी देशों से सटी भारत की सीमा स्वापक औषधियों की तस्करी/अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बनी हुई है। तथापि, नशीले पदार्थों के तस्करों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है। प्रवर्त्तन एजेंसियों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। भारत पाक सीमा के अधिकांश हिस्से में बाड़ लगा दी गई है।

कागज मिलों का बंद होना

2594. श्री माणिकराब होडल्या गावीत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी और कौन-कौन सी सरकारी और निजी क्षेत्र की कागज मिलें बंद हुई हैं;

(ख) उपर्युक्त मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बंद मिलों को पुनः खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कागज मिलों के बंद होने का राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि यह सूचित किया गया है कि लगभग 125 कागज मिलें जिनकी अधिष्ठापित क्षमता लगभग 10 लाख टन है, बंद पड़ी हैं। गत तीन वर्षों के दौरान वी.आई.एफ.आर द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 20(1) के तहत बंद किये जाने हेतु अनुशंसित रूग्ण कागज मिलों का विवरण भी राज्य-वार और वर्ष-वार सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मिलों के बंद होने के कारण सामान्यतः एककों का लघु और किफायत की दृष्टि से अनुपयुक्त आकार, कच्चे माल की ऊंची लागत, इत्यादि माने जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) औद्योगिक रूग्णता की वर्तमान नीति के तहत रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड जो कि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, द्वारा देखे जाते हैं। रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूद्धार का कार्य रूग्ण एकाकों के स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलय द्वारा भी किया जाता है, जिसमें ऐसे समामेलन करने वाले स्वस्थ एककों को आय कर रियायतें, इत्यादि प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने और औद्योगिक रूग्णता को आरंभिक अवस्था में ही रोकने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के तहत बंद किये जाने हेतु अनुशंसित रूग्ण कागज मिलों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

राज्य का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	निजी
आंध प्रदेश	–	आदिवासी पेपर लि०	–	–	–	आंध्र पेपर (प०) लि०
बिहार	–	–	–	–	–	भावानी पेपर मिल्स (प०) लि०
गुजरात	–	–	–	वुड पालीमर लि०	–	कनकारीया केमिकल इंडस्ट्री लि०
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	विलेज पेपरस लि०	–	–
कर्नाटक	–	–	मान्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	मधु पेपर मिल्स	–	कावेरी पेपर लि०
केरल	–	चांसलर पेपर मिल्स लि०	–	–.	–	–
महाराष्ट्र	–	–	–	रायगढ़ पेपरस लि०		नीमित पेपर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट लि०
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	कलाईमागल नटराज पेपर मिल्स लि०
उत्तर प्रदेश	–	गीतांजली पेपर मिल्स लि०	–	श्री मंजुषा पेपर मिल्स लि०	–	–
वेस्ट बंगाल	–	–	–	इस्टन्ड पेपरस लि०	–	ए.एस. रोटोटेक लि० नार्थ बंगाल स्ट्रा बोर्ड इन्ड लि०

चमड़े के जूतों का निर्यात

2595. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान चमड़े के जूतों के निर्यात में 12% से अधिक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य जैसे यूरोपीय आपूर्तिकर्त्ताओं से कड़ी प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए चमड़े के जूतों के निर्यात के संबंध में नयी नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चमड़े के जूतों का निर्यात बढ़ाने के लिये आगे क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में अप्रैल-मार्च, 1997-98 के दौरान चमड़े और चर्म उत्पादों के अनुमानित निर्यात में रुपए के रूप में 12.5% (लगभग) की ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित होती है।

(ख) चमड़े के क्षेत्र में निराशजनक निष्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित कारण जिम्मेवार हैं :

बाहरी

* यूरोपीय बाजार में लगातार मंदी।
* पूर्वी यूरोपीय देशों में नई विनिर्माण सुविधाओं का उभरना जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में मजदूरी का पांचवां भाग होने के कारण काफी कम लागत पर जूते बनाने में समर्थ है।
* बाजार का नजदीक होना जिससे पूर्वी यूरोप के देश समय पर यूरोपीय क्रेताओं की मांग पूरी कर सकते हैं।
* यूरोपीय समुदाय के अन्दर के देशों में बढ़ा हुआ उत्पादन और बिना व्यापार बाधाओं के ही उनको उपलब्ध बाजार पहुंच से उन्हें मिल रहे लागत-लाभ में और ज्यादा इजाफा होता है।

आन्तरिक

* आधुनिकीकरण और समर्थक घरेलू फुटवियर कम्पोनेंट उद्योग की कमी।
* उद्योग द्वारा झेली जा रही पर्यावरण संबंधी समस्याएं।
* ज्यादा आयात शुल्क वाली आयातित निवेश सामग्री की ज्यादा मात्रा और माल-निकासी में देरी।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्यात में लगातार वृद्धि प्राप्त करने के लिए चमड़े के जूते को अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले मद के रूप में अभिज्ञात किया है। वर्ष 1998-99 के बजट में चर्म उद्योग के लिए कुछ प्रावधानों की घोषणा की गई है जैसे कि–

* इस उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी पर मूल सीमा शुल्क में 20% से 5% की सामान्य कमी करना।
* सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 23/98 की सूची 6 में नए प्रकार की बारह मशीनरी को शामिल करना, जिन पर 5% का मूल सीमाशुल्क लगता है, जिस पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से छूट है।
* चमड़े के जूते के ढांचों पर मूल सीमाशुल्क को 20% से घटाकर 5% किया गया है, जिसमें 13% के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से छूट है।

इन बजटीय रियायतों से जूते के क्षेत्र में उत्पादन आधार को विस्तृत करने में मदद मिलेगी। चमड़ा क्षेत्र की सहायता के लिए कुछ दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय नीचे दिए गए हैं :-

दीर्घावधि उपाय

* चर्मशोधन उद्योग का आधुनिकीकरण।
* जूता उद्योग का आरक्षण समाप्त करना।
* जूते के विभिन्न हिस्सों के उद्योग का विकास।
* चर्मशोधन क्षेत्र में नए निवेशों को आकर्षित करना।

अल्पावधि उपाय

* मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (क्यू.बी.ए.एल.) योजना के अन्तर्गत निवेशों पर मूल्य प्रतिबंध को समाप्त करना।
* शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डी.ई.पी.बी.) के अंतर्गत ऋण दरों में वृद्धि।
* शुल्क वापसी पर उच्चतम सीमा को समाप्त करना।
* बाजार विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्राण्ड संवर्धन।

इन उपायों से चमड़ा उद्योग की लगातार वृद्धि और भारतीय चमड़े तथा चर्म उत्पादों की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को मदद मिलेगी।

बीमा विनियामक प्राधिकरण

2596. श्री तथागत सत्पथी :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह प्राधिकरण कब तक स्थापित हो जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) वैचारिक रूप से "सेबी" के अनुरूप स्वायत्त बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु एक व्यापक विधान तैयार करने के उद्देश्य से जनवरी, 1996 में एक अन्तरिम अकानूनी बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में यह घोषणा की गयी है कि बीमा क्षेत्र को प्राईवेट भारतीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु खोला जाएगा और साथ ही बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक कानूनी निकाय में बदला जाएगा। इस संबंध में आवश्यक विधान इस वर्ष बाद में लाया जाएगा।

बैंकों में ए.टी.एम. प्रणाली

2597. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में अपनी विभिन्न शाखाओं में ए.टी.एम. प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ए.टी.एम. सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से कुछ वार्षिक शुल्क लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के ए.टी.एम. कार्ड जारी किए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों में फैली इसकी 23 शाखाओं में ए.टी.एम. प्रणाली शुरू की गई है। इन 23 ए.टी.एम. में से तीन दिल्ली में संसदीय सौध, संसद मार्ग पर स्थित विशेष वैयक्तिक बैंकिंग शाखा तथा कमला नगर (8 मुंबई में तथा अहमदाबाद, बैंगलूर, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जमशेदपुर, लखनऊ तथा पटना प्रत्येक में एक एक ए.टी.एम. है)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को तीन प्रकार के ए.टी.एम. कार्ड जारी किए हैं जिनकी प्रतिदिन आहरण सीमा क्रमशः 3000 रुपए, 5000 रुपए तथा 9900 रुपए है।

खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

2598. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज व धातु व्यापार निगम लिमिटेड को हाल ही में जापान से 650 करोड़ रुपए के लौह अयस्क का निर्यात करने का आर्डर मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) 1998-99 के दौरान जापान को की जाने वाली आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार होगा :

(i) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला खानें : 2.4 मिलियन टन पिंड और 1 मिलियन टन परिष्कृत।

(ii) कर्नाटक में बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र : 2 से 2.3 लाख टन लौह, अयस्क पिंड और परिष्कृत।

(iii) बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में खानें : 3 से 5 लाख टन लौह अयस्क पिंड।

(iv) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी : 2,50,000 टन सिलिकामय सांद्रण सहित 1 मिलियन टन लौह अयस्क सांद्रण।

सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात कोटा

2599. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात कोटे में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे एंटी-डंपिंग करों के संबंध में नई नीति क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य के साथ द्विपक्षीय वस्त्र समझौते में पोशाक निर्यात कोटे पर सहमति होती है। इन समझौतों का विनियमन वस्त्र एवं क्लोदिंग समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कोटा बढ़ाने का प्रावधान न तो द्विपक्षीय समझौते में और न ही वस्त्र एवं क्लोदिंग संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते में है।

(ख) यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य पाटनरोधी जांच करते हैं और अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार शुल्क लगाते हैं। भारत सरकार, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय समुदाय एवं संयुक्त राज्य में उनके पाटन-रोधी मामलों में बचाव करने में मदद करती है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का "ओपन एन्डिड" ऋण कोष

2600. **श्री के०एस० राव** :
श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने हाल ही में पहली किस्म का "ओपन एन्डिड" शत-प्रतिशत ऋण कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कोष के द्वारा कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उपर्युक्त धनराशि को मुद्रा बाजार में किस मद में निवेशित किया जाएगा;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत किए गए निवेश की पुनःखरीद पर प्राप्त लाभ पर कर लगेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 4.5.1998 को "यू.टी.आई. बांड कोष" नामक 100 प्रतिशत ऋण कोष स्थापित किया है।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह कोष असीमित अवधि (ओपन एंडिड) का है जिसमें निरन्तर आधार पर पुनः खरीद की सुविधा के साथ आसान शर्तों पर नकदी की पेशकश की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आय का कोई वितरण नहीं होगा। पुनः खरीद दैनिक आधार पर आकलित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित

होगी। इस स्कीम में किए गए निवेश निर्देशीकरण के लाभ के साथ-साथ धारा 48 और 112 के तहत पूंजी लाभों के लिए पात्र हैं। इस कोष का निश्चित उद्देश्य ऋण प्रपत्रों में निवेश के जरिए पूर्ण नकदी से युक्त पूंजी की वृद्धि करना है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, यह कोष मुख्यतया ऋण प्रपत्रों में निवेश करेगा और मुद्रा बाजार के जिन प्रपत्रों में यह निवेश कर सकता है उनमें ये शामिल हैं – मांग और नोटिस मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में रिवर्स-रेपो, वाणिज्यिक कागजात, जमा-प्रमाण पत्र आदि। तथापि, मुद्रा बाजार के प्रपत्रों में किए जाने वाले निवेश को कम से कम स्तर पर रखा जाएगा ताकि योजना की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(घ) और (ङ) चूंकि इस स्कीम में कोई प्राप्ति वितरित नहीं की जाएगी, इसलिए आयकर का कोई प्रश्न नहीं उठता। पुनः खरीद के समय निवेशक को पूंजी लाभ प्राप्त होगा जो कर-योग्य होता है। एक वर्ष के बाद की गई पुनःखरीदों को दीर्घावधिक पूंजी लाभ माना जाएगा और इन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 के तहत कर संबंधी व्यवहार लागू होगा। इसके अलावा, इस योजना में किए गए निवेश धारा 54 ङक और 54 ङख के तहत पूंजी लाभ कर-छूट हेतु भी पात्र होंगे।

वैश्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन

2601. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्य बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों जैसे कि स्टॉक, इन्वेस्ट स्कीम, ब्रिज लोन्स, बिल फाइनेन्स, एस.एल.आर. तथा सी.सी.आर. आदि का बार-बार उल्लंघन करता रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने उस पर जुर्माना लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों की तुलना में ये उल्लंघन किस प्रकार के हैं;

(ग) इस बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों/मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या इस बैंक के तीन वर्षों से अधिक अवधि से पदासीन निदेशक मण्डल के निदेशकों को बदलने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) वैश्य बैंक लि० एक गैर सरकारी क्षेत्र का बैंक है और सरकार के लिए न तो आवश्यक है और न ही अपेक्षित है कि वह ऐसे बैंकों के परिचालन और प्रबंधकीय कार्य की जानकारी रखे। एक विनियामक प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। विनियामक ढांचे से संबंधित मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के नियंत्रक के रूप में उचित कार्रवाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनियमितताओं और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन की किस्म के आधार पर, जो उनकी जानकारी में आए हैं, वैश्य बैंक लि० सहित कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर दण्ड लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वे निदेशक बोर्ड के गठन और सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10-क के उपबंधों का अनुपालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि उन्हें निदेशक बोर्ड में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात निदेशकों को बदलने के संबंध में वैश्य बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय कपास निगम के साथ समझौता ज्ञापन

2602. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र मंत्रालय एवं भारतीय कपास निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत कपास के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के एक कार्यक्रम के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान सात करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई विशिष्ट गतिविधियों, कार्यक्रम के तहत लाए जाने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या तथा प्रमाणित वस्तुओं के उत्पादन आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्था, नागपुर को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या कपास की गुणवत्ता में सुधार लाने और अच्छे किस्म के बीज के उत्पादन हेतु एक गांव एक किस्म सिद्धांत को अंगीकार करने एवं प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 1998-99 के लिए भारतीय कपास निगम लि० (सी.सी.आई.) तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए हैं। एम.ओ.यू. का उद्देश्य से प्रमाणीकृत बीज की उपलब्धता बढ़ाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपने ग्राम अभिग्रहण योजना के अंतर्गत, सी.सी.आई. गांवों को "एक ग्राम एक किस्म" सिद्धांत को बढ़ाने के लिए चुनता है तथा ऐसे गांवों में उपजकर्ताओं को 25% की छूट पर यह अच्छी गुणवत्ता वाली बीज की आपूर्ति करता है तथा लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाली कीटाणुनाशी दवा भी आपूर्ति करता है। इन उपायों का उद्देश्य कपास उपजकर्ताओं को कपास की शुद्धता बनाए रखने तथा सीधे किस्मों के मामले में सही लेबल बीजों के उत्पादन को सुकर बनाना है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

2603. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के अधिक निर्यात के लिए प्रयास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में निजी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्पादकों और निर्यातकों को सहायता प्रदान करके बागवानी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास करती आ रही है। कार्यान्वित की गयी योजनाओं के अंतर्गत लाभानुभोगियों में सरकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों के अलावा निजी क्षेत्र के लाभानुभोगी भी सम्मिलित होते हैं। फलों और सब्जियों जैसे बागवानी की मदों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों मे से कुछेक कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा उष्णकटिबन्धीय शीतोष्ण और शुष्क-क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी-प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बरों और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ-ऋणों का प्रावधान।

(iii) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों को खरीद, पूर्व-प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के क्षेत्र-विस्तार और उसकी मात्रा की समीक्षा करके उसमें वृद्धि की गयी है।

(iv) निर्यात इकाइयों में नवीनतम आईएसओ 9000/एचएसीसीपी उपस्करों की स्थापना के जरिए उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(v) विदेशी बाजारों में उत्पादों विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। नष्ट होने वाले उत्पादों की "शैल्फ लाइफ" बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/संशोधित मौसम संबंधी प्रौद्योगिकीयों जेसे आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के इस्तेमाल के लिए अनुसंधान संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं।

(vi) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी।

(vii) क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना।

(viii) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना।

(ix) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन आदि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग को तकनीकी सलाहकार सेवाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

काफी का उत्पादन

2604. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में काफी का उत्पादन हो रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन राज्यों में काफी का राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या नीति अपनाने का विचार है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी उत्पादकों, काफी बोर्ड अथवा काफी उत्पादन के कार्य से संबद्ध किन्हीं अन्य एजेंसियों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) काफी का उत्पादन मुख्यतः तीन दक्षिणी राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार निष्पादन निम्नानुसार हैं :-

मात्रा टन में

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
कर्नाटक	1,58,900	1,41,000	1,58,650
केरल	45,000	47,300	50,850
तमिलनाडु	17,500	15,700	16,500
अन्य*	1,600	1,000	2,000
कुल	2,23,000	2,05,000	2,28,000

*आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य।

(ख) और (ग) सरकार ने नौवीं योजना के अंतिम वर्ष तक वार्षिक रूप से 3 लाख टन काफी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, काफी बोर्ड सघन खेती, पुनःरोपण कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम तथा जल संवर्धन कार्यक्रम के उद्देश्य से चलाए जा रहे अनेक योजना कार्यक्रमों तथा विकास क्रियाकलापों के अतिरिक्त (क) कृषि अनुसंधान (ख) विस्तार (ग) ऋण तथा वित्त की व्यवस्था तथा रोपण उद्देश्यों के लिए बीज काफी की आपूर्ति जैसी अन्य आवश्यक सहायता, इत्यादि के रूप में आवश्यक सहायता भी प्रदान करता आ रहा है।

निर्मित सामान का निर्यात

2605. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में निर्मित सामान का प्रतिशत क्या रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन मुख्य मदों का निर्यात हुआ;

(ग) क्या इस प्रकार की किन्हीं मदों के निर्यात के लिए प्रोत्साहनों में कोई कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके नाम क्या हैं, जिनके लिए पूर्व में बाजार बनाए गए थे लेकिन हाल ही में समाप्त हो गए हैं; और

(च) हमारे ये बाजार किन देखों के पास चले गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान मोटे तौर पर देश के निर्यातों का तीन चौथाई भाग विनिर्मित वस्तुओं का था। इस अवधि के दौरान निर्यात की गई प्रमुख मदों में ये शामिल हैं : वस्त्र, रत्न तथा आभूषण, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, इलैक्ट्रानिक्स, इंजीनियरी मदें तथा चमड़े से बना सामान।

(ग) और (घ) मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाओं को और सुदृढ़ किया गया है और निर्यातों के त्वरित विकास के लिए नई कार्यनीतियां तैयार करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। क्रियाविधियों को और अधिक सरल बनाया गया है तथा क्षेत्र विशेष संबंधी कमियों से निपटने के लिए क्षेत्र-विशेष सम्बन्धी मामलों में सुधार किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में उच्च्व वृद्धि प्राप्त की जा सके। नई एक्ज़िम नीति में संशोधन करके विदेश व्यापार क्षेत्र को और सुदृढ़ किया गया है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क तथा आकस्मिक बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुपूरक योजना आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से अवस्थापना सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) विश्व व्यापार में आमतौर पर मंदी तथा प्रमुख आयातक देशों जैसे जापान, जर्मनी, ई०यू० आदि में मांग में कम वृद्धि की वजह से रत्न तथा आभूषण, वस्त्र आदि के हमारे निर्यात प्रभावित हुए हैं। पाटनरोधी शुल्कों आदि के रूप में व्यापार अवरोधों ने इस स्थिति में और इजाफा किया है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई मुद्रा संकट के कारण भी विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों को आंशिक रूप से धक्का पहुंचा है।

तमिलनाडु में पेयजल परियोजनाएं

2606. **श्री वैको : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के साथ किये गये समझौते के अनुसार तमिलनाडु में होगेहेकल संयुक्त पेयजल परियोजना इसी वर्ष शुरू की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में, जापान द्वारा घोषित प्रतिबन्धों के कारण यह परियोजना पहले लिये गए निर्णय के अनुसार शुरू नहीं की जा सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना शुरू करने हेतु सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) होगेनक्कल जलापूर्ति और सफाई परियोजना 1997-98 और 1998-99 पैकेज के भाग के रूप में समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) के ऋण हेतु दो बार जापान सरकार को प्रस्तुत की गई थी। जापान ने दोनों मौकों पर वित्तपोषण के लिए इस परियोजना का चयन नहीं किया।

(ख) जापान सरकार ने फिलहाल नई परियोजनाओं के लिए ऋण अनुपलभ्य बना दिए हैं और इसलिए इस परियोजना को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(ग) चूंकि यह राज्य की परियोजना है और चूंकि ओ.ई.सी.एफ. ने इस परियोजना का वित्तपोषण हेतु चयन नहीं किया, इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परियोजना के लिए राज्य आयोजना में से ही उपयुक्त संसाधन ढूंढे।

अपशिष्ट और अवांछित सामग्रियों को डम्प किया जाना

2607. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबकि आयात शुल्क 1990-91 के 87% के मुकाबले 1997-98 में घटकर 23.3% हो गया है, इन वर्षों के दौरान आयात कर बड़े पैमाने पर अपशिष्ट और अवांछित सामग्रियों को डम्प कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी विदेशों से माल के पाटन की शिकायतों की जांच करता है। पाटन तब माना जाता है जब माल को निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में प्रचलित सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर भारत में बेचा जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच आमतौर पर पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा अनुसमर्थित घरेलू उद्योग की याचिकाओं के आधार पर शुरू की जाती है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत अवधि के दौरान अपशिष्ट या अवांछित सामग्री के पाटन की कोई शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

धनराशि का आवंटन

2608. **श्री रामदास आठवले :**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेष रूप से बिहार तथा महाराष्ट्र के लिए पर्यटन के विकास हेतु आबंटित की गई कुल राशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से बिहार तथा महाराष्ट्र के लिए आवंटित राशि में से खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय बिहार में कितने पर्यटक स्थल हैं;

(घ) क्या अनेक पर्यटक केन्द्र घाटे में चल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) आठवीं योजना (1992-93 – 1996-97) के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की राशि लगभग 17,124 लाख रु० थी। इस अवधि के दौरान बिहार तथा महाराष्ट्र राज्यों को स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशियां क्रमशः 408 (लगभग) और 1,035 लाख (लगभग) थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तथा बिहार और महाराष्ट्र राज्यों को पर्यटन के संवर्धन के लिए जारी की गई राशियां इस प्रकार हैं

(रु० लाखों में)

वर्ष	सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	बिहार	महाराष्ट्र
1995-96	1769	53	38
1996-97	1517	18	84
1997-98	1607	76	49

(ग) बिहार राज्य के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं – बोधगया, वैशाली, राजगीर, नालंदा, गया, रांची, नेत्रहट, पालामउ, हजारीबाग, धनबाद, भागलपुर, मुंगेर, सासाराम, सोनपुर, दरभंगा, हरमिंदर तख्त, गोलघर आदि।

(घ) से (च) पर्यटक स्थल वे विशिष्ट स्थान हैं जहां पर्यटकों का आवागमन होता है, न कि ये स्थल कोई व्यावसायिक संगठन हैं। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि कितने पर्यटक स्थल नुकसान में चल रहे हैं।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

2609. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1998 तक विभिन्न देशों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और इससे संबंधित अन्य बैंकों द्वारा भारत सरकार (केन्द्र और राज्य सरकार को अलग-अलग) को कुल कितना ऋण स्वीकृत/जारी किया गया है; और

(ख) 31 मई, 1998 तक शीर्ष-वार परियोजना-वार और राज्य-वार कुल कितने विदेशी ऋण का उपयोग नहीं किया गया?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ड्राई पोर्ट

2610. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुष्क पत्तनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में विशेषकर महाराष्ट्र में ड्राई पोर्टों को स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ड्राई पोर्टों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन पोर्टों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) देश में इनलैण्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना हेतु प्रस्तावों को एक ही जगह पर स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अन्तर मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) सन् 1992 से कार्य कर रही है। आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है। कोई विशिष्ट लक्ष्य तैयार नहीं किए जाते हैं-वर्ष-वार, क्षेत्र-वार, इत्यादि। आईएमसी द्वारा जब भी प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों को अनुमति दी जाती है।

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए किसी भी निधि का आबंटन नही किया जाता है। आईसीडी/सीएफएस संबंधी आईएमसी द्वारा अनुमोदित 85 आईसीडी/सीएफएस में से अब तक 41 ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अनुमोदित 85 आईसीडी/सीएफएस में से भी 6 ड्राई पोर्टों को विभिन्न आधारों पर रद्द कर दिया गया है जिनमें उद्यमियों से प्राप्त अनुरोध पर रद्द की गयी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अनुबंध में बताया गया है, आईसीडी/सीएफएस संबंधी आईएमसी की स्थापना से पहले 31 आईसीडी/सीएफएस कार्य कर रहे थे।

विवरण

आईसीडी/सीएफएस के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	आईएमसी के गठन से पहले कार्यरत आईसीडी/सीएफएस	आईएमसी द्वारा अनुमोदित आईसीडी/सीएफएस
1	2	3
तमिलनाडु	5	16
महाराष्ट्र	7	15

1	2	3
उत्तर प्रदेश	1	10
राजस्थान	1	7
केरल	–	6
गुजरात	3	6
पंजाब	3	4
पश्चिम बंगाल	–	5
हरियाणा	1	6
मध्य प्रदेश	–	3
कर्नाटक	1	2
उड़ीसा	–	2
बिहार	–	1
आन्ध्र प्रदेश	6	1
गोवा	–	1
असम	1	–
दिल्ली	2	–
योग	31	85*

* – 85 परियोजनाओं में से छः परियोजनाओं को विभिन्न आधारों पर (इनमें उद्यमियों के अनुरोध पर रद्द की गयी परियोजनाएं भी शामिल हैं) रद्द कर दिया गया है। ब्यौरे इस प्रकार हैं : महाराष्ट्र-1, उत्तर प्रदेश-2, हरियाणा-2, केरल-1

राज्य व्यापार निगम द्वारा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का दुरुपयोग

2611. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय राज्य व्यापार निगम द्वारा दिल्ली के एक एक्सपोर्ट हाउस से सांठगांठ करके दुबई को प्लास्टिक की कूड़े की थैलियों के निर्यात में मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के दुरुपयोग किए जाने हेतु उसकी भूमिका की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) नहीं, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली के एक निर्यात गृह के साथ राज्य व्यापार निगम की सांठगांठ से दुबई को प्लास्टिक के कूड़े के थैलों के निर्यात में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) के कथित दुरुपयोग में राज्य व्यापार निगम की भूमिका के संबंध में कोई जांच-पड़ताल नहीं कर रहा है।

तथापि, निदेशालय ने मै० क्रूफोर्ड इंडिया लि०, नई दिल्ली, से संबंधित एक मामले की जांच की थी जिसमें राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने निर्यात संबंधी लेने-देन में दलाली दी थी, जहां यह शंका है कि दिल्ली की फर्म ने मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत अनुचित रूप से शुल्क मुक्त आयात का लाभ उठाया था। इस मामले में 3.45 करोड़ रुपए के घोषित पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के निर्यात उत्पादों के अधिक मूल्यांकन हेतु सीमाशुल्क आयुक्त (एयर कार्गो), दिल्ली द्वारा 29.12.97 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जबकि निदेशालय के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने इस जाल-साजी में सहायता की है, फिर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अलग से उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

नारियल जटा विकास के लिए वित्तीय सहायता

2612. श्री ए०सी० जोस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को उसकी समेकित नारियल जटा विकास परियोजना के लिए प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को उसकी समेकित नारियल जटा विकास परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :-

1995-96	–	शून्य
1996-97	–	365.65 लाख रु०
1997-98	–	145.35 लाख रु०

विद्युत परियोजना प्रस्ताव

2613. डा० टी० सुब्बारामी रेडडी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने उन विद्युत परियोजनाओं पर काम न करने का निर्णय किया है जो फ्यूएल लिंकेज में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत मंत्रालय ने नीतिगत निर्णय ले लिया है कि ईंधन पूर्ति हेतु केवल फ्यूएल लिंकेज किए जाने के पश्चात् ही विद्युत उत्पादन संबंधी आवेदन पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा ही विचार किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बोर्ड ने कोयला लिंकेज के अभाव में 520 मेगावाट की कोबरा परियोजना में 1 प्रतिशत की इक्विटी को शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो फ्यूएल लिंकेज की असफलता के कारण कुल कितने प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा रद्द कर दिए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी निवेश वाली विद्युत परियोजना संबंधी प्रस्तावों पर विद्युत मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाता है जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है। प्रस्तावित ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा कोयला मंत्रालयों (जिससे भी संबंधित मामला हो) से परामर्श लिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी के आधार पर उचित ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के अभाव के कारण कोरबा में 100% विदेशी इक्विटी की सहायता से कोयले की 520 मेगावाट विद्युत परियोजना को विकसित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।

(ङ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने उचित ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के अभाव के कारण चार विद्युत परियोजना के प्रस्ताव अस्वीकृत किये हैं।

भारत और जर्मनी के बीच व्यापार

2614. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसे कोन से क्षेत्र हैं जहां भारत और जर्मनी के बीच व्यापार स्थापित किया गया;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की काफी संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) भारत से जर्मनी को निर्यात किए जा रहे प्रमुख उत्पादों में ये शामिल हैं : परिधानों तथा मेडअप्स सहित विभिन्न वस्त्र मदें, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं, कालीन, कीमती/अर्द्ध-कीमती रत्न तथा मोती, चाय, पटसन, इंजीनियरी वस्तुएं, रसायन तथा भेषजीय पदार्थ। जर्मनी से भारत में आयात की जा रही प्रमुख मदें ये हैं : विभिन्न किस्म की मशीनरी, इलैक्ट्रो-तकनीकी वस्तुएं, रसायन तथा भेषजीय सामग्री, लोहा तथा इस्पात उत्पाद, वाहन, सुक्ष्म उपकरण।

(ख) जी, हां।

(ग) जर्मनी सहित सभी देशों के साथ व्यापार का विस्तार करने का सरकार का सदैव प्रयास रहता है। इस दिशा में किए जाने वाले उपायों में ये शामिल हैं : बाजार अध्ययनों की तैयारी, जर्मनी के बारे में वाणिज्यिक जानकारी देने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रकाशन, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की सहभागिता, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, जर्मनी में भारत के बारे में संवर्धनात्मक संगोष्ठियों का अयोजन तथा सरकार और व्यापार/उद्योग दोनों ही स्तरों पर जर्मनी में सम्बन्धित अभिकरणों के साथ बातचीत करना। दिनांक 8-9 जनवरी, 1998 को नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के 13वें अधिवेशन में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की गई तथा उसे और बढ़ाने के लिए उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

रक्षित खानों द्वारा कोयले की बिक्री पर अटार्नी जनरल के विचार

2615. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य कंपनियों को रक्षित खानों द्वारा बिक्री की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अटार्नी जनरल के विचार मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विधि मंत्रालय से भी परामर्श मांगा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अटार्नी जनरल की राय प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनसे रक्षित खानों के लिए और कितना निवेश प्राप्त होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973, जिसे 1993 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार विद्युत के उत्पादन में नियोजित कंपनी अपने उपभोग के लिए कोयले का खनन कर सकती है। एक विशिष्ट मामले में एक विद्युत कंपनी ने सहायक गृहीत कोयला खनन कंपनी के माध्यम से कोयला खनित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। कोयला खनन कंपनी ने इंगित किया कि कुछ परिस्थितियों में विद्युत कंपनी कोयला खनन कंपनी से कोयला स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होती तथा ऐसी कुछ परिस्थितियों में कोयला कंपनी की व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए यह अपेक्षित है कि सम्बद्ध राज्य विद्युत बोर्ड इस प्रकार के कोयले की खरीद करें। इस प्रश्न पर विधि मंत्रालय का सुझाव मांगा गया कि क्या ऐसी परिस्थितियों में गृहीत कोयला खान को राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले का विक्रय किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। इस विषय पर विधि मंत्रालय के माध्यम से महान्यायवादी का सुझाव भी मांगा गया और उनका सुझाव मंत्रालय को प्राप्त हो गया है।

(घ) यद्यपि कुछ परिस्थितियों में गृहीत कोयला खानों द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड का कोयले का विक्रय किए जाने से कोयला खनन के जोखिम में कमी आएगी, तथापि यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि गृहीत खनन में निवेश किए जाने में किस सीमा तक वृद्धि होगी।

आयकर तथा सम्पत्ति कर

2616. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.4.1998 को किन-किन फिल्मों कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों के विरुद्ध 50,000 रु० से अधिक आयकर/सम्पत्ति कर की राशि बकाया थी;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध कितनी-कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र नियम में घाटा

2617. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटे को न्यूनतम करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त निगम के मजदूरों के हित में कोई पैकेज जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम समूह की कंपनियों में उनके प्रचालन की गैर-अर्थक्षमता और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण उत्पादन के क्रियाकलापों को कम कर दिया गया है। इस समय घाटों में वृद्धि होने का मुख्य कारण वेतन/मजदूरी के बिल और ब्याज प्रभारों में वृद्धि होना है। एन.टी.सी. के प्रबंधकों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने व्यय में किफायत बरतें और घाटे कम करें।

(ग) और (घ) निर्धारित अवधि के भीतर निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्ड के आधार पर सरकार एन.टी.सी. मिलों के लिए एक संशोधित पैकेज पर विचार कर रही है। पुनरूद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

2618. श्री के०सी० कोंडय्या :
श्री फ्रांसिसकों सारदीना :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक था;

(ख) यदि हां, तो पिछले सात वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के इस संबंध में आंकड़े क्या हैं तथा वर्ष 1998-99 के लिए क्या अनुमान है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लौह अयस्क के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) डीजीसीआई एंड एस के विवरण के अनुसार पिछले 7 वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष		मिली० अमरीकी डालर
1990-91	–	584.63
1991-92	–	586.49
1992-93	–	360.24
1993-94	–	437.95
1994-95	–	413.14
1995-96	–	514.55
1996-97	–	483.49

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात 474.4 मिली० अमरीकी डालर का हुआ वर्ष 1998-99 के लिए अनुमान 569.3 मिली० अमरीकी डालर (अनन्तिम) का है।

आयकर विभाग में तबादले

2619. श्री बीर सिंह महतो :
श्री वी०वी० राघवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री संदीपान थोरात :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राजनीतिज्ञों के विरुद्ध चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए हाल ही में अनेक आयकर अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका को वस्त्र निर्यात

2620. श्री मोहन सिंह :
श्री के०पी० नायडू :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
श्री के०एस० राव :
श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत द्वारा किए गए परमाणु-परीक्षणों के बाद भारत से निर्यात होने वाले वस्त्रों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर भारत के सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त "मोस्ट फेवर्ड नेशन" के दर्जे को घटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय उठाये जा रहे हैं;

(ग) अमेरिका को प्रतिवर्ष कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि अमरीका निर्बन्धात्मक सीमा-शुल्क लगा देता है तो इससे वस्त्र व्यापार पर कितना कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) अमरीका को वस्त्रों के निर्यात के बारे में भारत के अंश का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से वस्त्रों के निर्यात पर व्यापार प्रतिबंध लगा कर भारत के परम मित्र राष्ट्र के दर्जे को घटाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।

वर्ष 1997 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्रों और क्लोदिंग के निर्यात 7,700 करोड़ रु० (लगभग) मूल्य के हुए।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आयातित कुल वस्त्र और परिधान उत्पादों में इस समय भारत का अंशदान लगभग 3.7% है।

कॉयर बोर्ड

2621. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉयर बोर्ड, केरल कॉयर वर्कर्स वेल्फेयर फंड को 50 लाख रुपये की राशि देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह धनराशि तत्काल जारी करवाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, नहीं। सरकार ने केरल कयर कामगार कल्याण निधि को इस वर्ष कोई अनुदान देने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) कयर बोर्ड ने केरल कयर कामगार कल्याण निधि के कार्यकरण का मूल्यांकन किया था। मूल्याकंन रिपोर्ट में बहुत सी अनियामितताओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें कयर बोर्ड द्वारा केरल कयर कामगार कल्याण निधि बोर्ड के ध्यान में लाया गया है। कयर बोर्ड ने पेन्सन आदि के वितरण के लिये लेखों के उचित रखरखाव हेतु केरल कयर कामगार कल्याण निधि बोर्ड को सुझाव दिया था। इस मामले पर सरकार द्वारा भी विचार किया गया है तथा यह महसूस किया गया है कि केरल कयर कामगार कल्याण निधि बोर्ड को तब तक कोई अनुदान देना सरकार के लिये संभव नहीं होगा जब तक कि निधि के प्रचालनों में सुधार के लिये उनके द्वारा उपचारात्मक उपाय नहीं किये जाते हैं, जैसा कि कयर बोर्ड द्वारा सलाह दी गई है। राज्य सरकार से भी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। कयर बोर्ड को भी कल्याण निधि बोर्ड के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।

जे०वी०जी० के विरुद्ध शिकायतें

2622. **श्री चन्द्रदेश पटेल :**
डा० प्रभा ठाकुर :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे०वी०जी० नामक कंपनियों का समूह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कब पंजीकृत हुआ और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) देश में जे०वी०जी० द्वारा कहां-कहां अपनी शाखाएं खोली गई हैं और प्रत्येक राज्य में इनकी स्थापना के बाद निवेशकों से इन शाखाओं द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) क्या सरकार को जे०वी०जी० और इसकी शाखाओं द्वारा निवेशकों को धनराशि का भुगतान न करने और ऐसी शाखाओं को बंद करके निवेशकों को निःसहाय छोड़ देने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो 1997-98 के दौरान आज तक प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा जे०वी०जी० के विरुद्ध निवेशकों को धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जे०वी०जी० और इसकी शाखाओं के कार्य संचालन पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिबंध लगाने की तारीख, उद्देश्य और कारण क्या हैं तथा यह प्रतिबंध कितनी अवधि के लिए लगाया गया है;

(ज) क्या उक्त कंपनियों का समूह भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लघंन करते हुए देश में अभी तक कार्य कर रहा है; और

(झ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लघंन करने के लिए जे०वी०जी० के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जे.वी.जी. समूह की कम्पनियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह बताया गया है कि समस्त भारत में जे.वी.जी. के 4000 से अधिक कार्यालय हैं। अलग-अलग शाखाओं द्वारा जुटाई गई जमा राशियों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है। 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के हिसाब से जे.वी.जी. फाइनेंस, जे.वी.जी. लीजिंग और जे.वी.जी. सिक्यूरिटिज के पास क्रमशः 390.16 करोड़ रु० और 1.51 करोड़ रु० की जमाराशियां हैं।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को जेवीजी सहित कई गैर-बैंक को जेवीजी सहित कई गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के संबंध में जमाकर्ताओं से जमाराशियों की वापसी अदायगी/ब्याज के भुगतान में चूक के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(घ) जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ) से (झ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स जे वी जी फाइनेंस लि० और मैसर्स जे वी जी लीजिंग लि० को यह निदेश दिया है कि प्रतिकूल निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर वे जुलाई 1997 में और जमाराशियां स्वीकार न करें। तदनन्तर, जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स जे वी जी सिक्युरिटिज लि० सहित सभी तीन कम्पनियों को 10 अक्तूबर, 1997 से नई जमाराशियां स्वीकार करने या उसका नवीकरण करने से रोक दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङख(2) के अनुक्रम में उन्हें अपनी आस्तियों को स्वत्वाधिकार अंतरण करने से भी रोक दिया गया है। कंपनी विधि बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45तअ के तहत जे वी जी फाइनैन्स लिमिटेड और जे वी जी फाइनैन्स कम्पनी के निवेशकों से जमाराशि/ब्याज के भुगतान न होने की शिकायतें भी मिली हैं। दिनांक 28 मई, 1998 को मैसर्स जे वी जी फाइनैन्स लि०, मैसर्स जे वी जी लीजिंग लि० तथा मैसर्स जे वी जी सिक्योरिटी लि० की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के क्रियाकलाप जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन-पत्र रद्द कर दिए गये थे, जबकि मैसर्स जे वी जी होल्डिंग लि० का आवेदन-पत्र पहले ही रद्द कर दिया गया था। अतः कंपनियां उसके बाद वित्तीय क्रिया-कलाप जारी नहीं रख सकती। जे वी जी फाइनैन्स लि०, जे.वी.जी. लीजिंग लि० तथा जे.वी.जी. सिक्योरिटी लि० नामक तीन कंपनियों के विरुद्ध कंपनी एवं निदेशकों पर मुकदमा चलाने की प्रार्थना करते हुए दिनांक 29/30 मई, 1998 को दिल्ली में मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा58 ख तथा धारा 58ग के साथ पठित धारा 58ङ(1) के तहत आपराधिक शिकायतें दायर की गई हैं। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङग के तहत कंपनियों को बन्द करने के लिए भी दिनांक 5 जून, 1998 को अवकाश न्यायाधीश के सम्मुख माननीय दिल्ली उच्च्य न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किए हैं। आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और माननीय न्यायालय ने सरकारी परिसमापन से अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त किया है।

(ज) कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिए गये आवेदनपत्रों के रद्द हो जाने से वे कोई भी वित्तीय क्रियाकलाप नहीं कर सकती और उन्होंने गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों के रूप में कार्य करना बन्द कर दिया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गृह मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगें

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गृह मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों (खंड I) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) गृह मंत्रालय (विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों (खंड II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 694/98]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : फ्रैग्रेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेन्ट सेन्टर कन्नीज; सेंटर फार डेवलपमेन्ट आफ ग्लास इन्डस्ट्री, फिरोजबाद आदि के वार्षिक प्रतिवेदन उनके कार्यकरण की समीक्षा और इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) फ्रैग्रेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) फ्रैग्रेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 695/98]

(3) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 696/98]

(5) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 697/98]

(6) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालन्धर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन** को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 698/98]

---

* वार्षिक प्रतिवेदन 29.5.1998 को सभा पटल पर रखा गया था।

** वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 5.6.1998 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(7) सेंट्रल फूटवीयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 699/98]

(8) सेंट्रल फूटवीयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 700/98]

(9) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 701/98]

(10) उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 702/98]

(11) लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 703/98]

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगें

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं श्री सत्यपाल सिंह यादव की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 704/98]

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई आदि का वार्षिक प्रतिवेदनों उनके कार्यकरण की समीक्षा। प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। निर्यात और आयात नीति। प्रक्रिया पुस्तिका आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गांरटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गांरटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 705/98]

(ख) (एक) गरम मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गरम मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 706/98]

(ग) (एक) एम. एम. टी. सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम. एम. टी. सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 707/98]

(3) निर्यात और आयात नीति (1 अप्रैल, 1997–31 मार्च, 2002) (13 अप्रैल, 1998 तक किये गये संशोधनों सहित) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 708/98]

(4) प्रक्रिया पुस्तिका (खंड 1) (1 अप्रैल, 1997–31 मार्च, 2002) (13 अप्रैल, 1997 तक किये गये संशोधनों सहित) की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 709/98]

---

* वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 5.6.1998 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(5) (एक) इंडियन कांउसिल आफ आरबिट्रेशन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन कांउसिल आफ आरबिट्रेशन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 710/98]

(6) (एक) काउंसिल फार लैदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांउसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०

(7) (एक) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 712/98]

(9) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 713/98]

(11) (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 714/98]

(13) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 715/98]

(15) (एक) गरम मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गरम मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गरम मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 716/98]

(17) (एक) ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 717/98]

(18) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत पशु केसिंग्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1997 जो 22 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2948 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 718/98]

(19) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 719/98]

(20) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 720/98]

(21) पीईसी लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 721/98]

(22) अधिसूचना संख्या का०आ० 145(अ) जो विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत 24 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें इस अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 722/98]

(23) कॉफी बोर्ड के पूल निधि लेखाओं के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 723/98]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री श्री मदन लाल खुराना : मैं डा० मुरली मनोहर जोशी की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 724/98]

भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, उसके कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 725/98]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान की मांगें

विधि, न्याय और कम्पनी तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम० तम्बीदुरई) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 726/98]

सिन्थेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, मुम्बई आदि का वार्षिक प्रतिवेदन; उनके कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवधन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 727/98]

(3) (एक) सेंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 728/98]

(5) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 729/98]

(7) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 730/98]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1996 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 731/98]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 आदि के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 519(अ) जो 2 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सी०शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 545(अ) जो 16 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं को भारत में आयात किये जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के विशेष शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 578(अ) जो 3 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 594(अ) जो 14 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 154/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 608(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 609(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 117/94-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 610(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें

विनिर्दिष्ट माल को भारत में भारतीय खनिज तथा धातु वाणिज्य निगम द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री हेतु आयात किए जाने पर छूट दिये जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 623(अ) जो 27 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में सोने और चांदी के आयात पर सीमा-शुल्क के विशेष शुल्क के भुगतान से पूरी छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 521(अ) जो 3 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 535(अ) जो 11 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अनन्य रूप से तटीय माल वहन करने वालें जलयानों को शुल्क प्रदान किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 645(अ) जो 11 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिये आयात्ति माल को सीमा-शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) कूरियर आयात (निकासी) संशोधन विनियम, 1997 जो 24 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 676(अ) जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा काकीनाडा पत्तन और नागपुर, आगरा, फरीदाबाद, जयपुर, गुन्टूर और वाराणसी स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से निर्यात हेतु डीईपीबी सुविधा का विस्तार करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 697(अ) और सा.का.नि. 698(अ) जो 12 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून 1995 की अधिसूचना संख्या 111/95-सी०शु० और 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 91(अ) जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1963 की अधिसूचना विखंडित की जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 92(अ) जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अनन्य रूप से तटीय माल वहन करने वाले जलयानों को काल करने वाले प्रत्येक पत्तन पर पहुंचने पर उक्त पत्तन के समुचित अधिकारी को सूचना पुस्तिका की डिलीवरी देने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) कूरियर आयात (निकासी) संशोधन विनियम, 1998 जो 28 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचन संख्या सा०का०नि० 221(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 732/98]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 1997 जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) संशोधन विनियम जो 17 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1997 जो 5 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मरचेंट बैंकर्स) संशोधन विनियम, 1997 जो 9 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र का.आ. अधिसूचना संख्या का. आ. 837(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 15 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 869(अ) में प्रकाशित तत्संबंधी शुद्धि पत्र।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन और शेयर स्थानांतरण अभिकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रार) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के बैंकर्स) संशोधन अधिनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपकों और भागीदारों) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल फंड्स) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडर राइटर्स) संशोधन विनियम, 1998 जो 5 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) संशोधन विनियम, 1998 जो 12 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 32(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 6 फरवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 105(अ) में प्रकाशित त्तसंबंधी शुद्धि पत्र।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) संशोधन विनियम, 1998 जो 21 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 74(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 जो 21 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 75(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपकों और भागीदारों) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 जो 21 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 76 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) का.आ. 106(अ) जो 6 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 20 फरवरी, 1997 के अधिसूचना संख्या का.आ. 124(अ) का शुद्धि पत्र है।

(उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 जो 18 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 733/98]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 485(अ) जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के०उ०शु० कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 492(अ) जो 28 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के०उ०शु० कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 498(अ) जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 499(अ) जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संख्या 50/97-के०उ०शु० कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 500(अ) जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कतिपय निविष्टियों और अन्तिम उत्पादों की घोषणा की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 501(अ) जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 502(अ) जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1997 जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) हाट-री-रोलिंग स्टील मिल वार्षिक क्षमता निर्धारण (संशोधन) नियम, 1997 जो 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 503(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 526(अ) जो 10 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सभी माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 4क की उपधारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 527(अ) जो 10 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोनोक्रीम से भिन्न माल के फुटकर विक्रय कीमत में 30 प्रतिशत की कमी करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 539(अ) जो 15 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 के अधिसूचना संख्या 85/87-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 571(अ) जो 1 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 587(अ) जो 9 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचन संख्या 4/97-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 592(अ) जो 13 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 605(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मोटर वाहन के कल और पुर्जों को उनपर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 606(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचन संख्या 4/97-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 647(अ) जो 12 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रंजित ब्यूत्ति फैब्रिक उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 677(अ) जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1994 की अधिसूचन संख्या 109/94-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 678(अ) जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1998 जो 23 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1998 जो 12 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 245 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 734/98]

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की उपधारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1997 जो 24 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा त्तसंबंधी शुद्धि-पत्र जो 1 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सा.का.नि. 434(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1997 जो 24 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा त्तसंबंधी शुद्धि-पत्र जो 1 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुआ था।

तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील अधिकरण पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 1998 जो 19 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 31(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा त्तसंबंधी शुद्धि-पत्र जो 23 फरवरी, 1998 की अधिसूचना सा.का.नि. 81(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 1998 जो 19 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 32(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा त्तसंबंधी शुद्धि-पत्र जो 23 फरवरी, 1998 की अधिसूचना सा. का. नि. 82(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन) संशोधन नियम, 1998 जो 19 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 735/98]

(5) बैंकों और वित्तीय संस्थान को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 और 8 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा. का. नि. 416(अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(दो) सा. का. नि. 653(अ) से सा.का.नि. 655(अ) जो 30 अगस्त, 1994 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिल्ली, मुम्बई और जयपुर में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(तीन) सा. का. नि. 832(अ), और सा.का.नि. 881(अ) जो 30 नवम्बर और 21 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बंगलौर और अहमदाबाद में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(चार) सा. का. नि. 492(अ) और सा. का. नि. 508(अ) जो 25 अक्तूबर और 4 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें ऋण वसूली अधिकरण अहमदाबाद की स्थिति में परिवर्तन तथा चेन्नई में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गयी है।

(पांच) सा. का. नि. 7(अ) जो 7 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा गुवाहाटी में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(छह) सा. का. नि. 325(अ) जो 7 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें ऋण वसूली अधिकरण, पटना की स्थिति में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

(सात) सा. का. नि. 687(अ) और 688(अ) जो 5 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई के अधिकारिकता के क्षेत्र में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है तथा 4 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित त्तसंबंधी शुद्धि-पत्र है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 736/98]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 1997 जो 22 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 418(अ) और सा.का.नि. 419(अ) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बाहर खानपान की व्यवस्था करने वालों के लिए कर योग्य सेवा को छूट देना है।

(तीन) सा.का.नि. 420(अ) और सा.का.नि. 421(अ) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवाओं के लिए ग्राहक से प्राप्त किए जाने वाले सकल धनराशि पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से बाहर खानपान की व्यवस्था करने वालों को कर योग्य सेवा की छूट प्रदान की गई है।

(चार) सा.का.नि. 422(अ) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ग्राहक से प्राप्त की जाने वाली धनराशि की 70 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य धनराशि पर पण्डाल या शामियाना ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा को छूट प्रदान की गई है।

(पांच) सा.का.नि. 423(अ) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंडाल या शामियाना ठेकेदार यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा पर सेवा-कर लगाये जाने से छूट देने के बारे में है।

(छह) सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 1997 जो 22 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सा.का.नि. 481(अ) जो 22 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो टूर ऑपरेटर द्वारा किसी व्यक्ति को पैकेज टूर की सुविधा उपलब्ध कराने पर उससे प्राप्त की गई सकल राशि पर मूल्य-अनुसार 40 प्रतिशत की दर से टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा पर सेवा-कर से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा.का.नि. 482(अ) जो 22 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी टूर आपेरटर द्वारा अपने ग्राहक से प्रभारित सकल राशि के 90 प्रतिशत के बराबर राशि पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट देना है।

(नौ) सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 1997 जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 639(अ) जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह उपबंध करना है कि सड़क मार्ग से वस्तुओं के परिवहन के संबंध में सेवा कर विभिन्न निकायों और संगठनों आदि द्वारा देय होगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 737/98]

(7) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 416(अ) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1997 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे कर योग्य सेवा पर सेवाओं कर लागू होगा।

(दो) सा.का.नि. 479(अ) जो 22 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 सितम्बर, 1997 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे इनमें विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा पर सेवा कर लागू होगा।

(तीन) सा.का.नि. 637(अ) जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 1997 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे इनमें विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा पर सेवा कर लागू होगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 738/98]

(8) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) युनाईटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा, (संशोधन) विनियम, 1997 जो 7 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/97 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और

अपील) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 11 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस/1/9926 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 31 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमआरसी 17/97 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 13 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2077/एस/0089/पीडीःआईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विजय बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 31 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 123/98 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 18 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर 1/97 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 18 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर 1/97 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 9 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/डीएसी/1997 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 10 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर एण्ड आईए/ए/5/14/504 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 10 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/97 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) द बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 23 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या पीआईडीएसएएच/0518 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) द कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 23 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीःआईआरःसीओबीओई(डीए) आरः 615:97 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) द बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 17 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी/आईआर/एसएएच/1267 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 का शुद्धि-पत्र जो 17 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पन्द्रह) द बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 13 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1996 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) द आन्ध्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 10 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3एआई/1079 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) द सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 11 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2720/एस/0089/पीडीःआईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) द सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 11 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2719/एस/0089/पीडीःआईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 400/एस/0089/पीडीःआईआरडी (ओ) जो 19 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दि सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(बीस) द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 26 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएस/आईआरपी/96-97/1098 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 13 सितम्बर, 1997 को अधिसूचना संख्या सीओःपीआरएसःआईआरपीः 96:97/2388 में प्रकाशित हुआ था।

(इक्कीस) अधिसूचना संख्या 3922 जो 14 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 26 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या 3920 के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 739/98]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 607(अ) जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गणतंत्र चीन, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया, स्पेन और बेलजियम में उद्भूत या यहां से निर्यात किये जाने वाले तथा भारत में आयात किये जाने वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की विशिष्ट किस्मों पर प्रति पाटन शुल्क लगाना है।

(दो) सा.का.नि. 619(अ) जो 24 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अमरीका, थाइलैंड या कोरिया गणतंत्र में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किये जाने वाले और भारत में आयात किये जाने वाले एक्रलिक फाइबर पर प्रति पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 740/98]

(10) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण पर समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 741/98]

(11) वर्ष 1997-98 के दौरान जारी किये गये बाजार ऋण के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 742/98]

(12) (एक) भारत औद्योगिक बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 743/98]

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि० चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन; इसके कार्यकरण की समीक्षा; विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण और समझौता ज्ञापन

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 744/98]

(3) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 745/98]

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि० रांची; नेशनल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० आदि का वार्षिक प्रतिवेदन; उनके कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1996-97 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 746/98]

(ख) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 747/98]

(ग) (एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी, इलाहाबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 748/98]

(3) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 749/98]

(4) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 750/98]

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 751/98]

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : गुजरात के बारे में कल चर्चा हुई थी, होम मिनिस्टर वहां गये थे, उनको हाउस में स्टेटमेंट देना चाहिए था लेकिन वह हाउस से जा रहे हैं। वह स्पष्ट करें कि उन्होंने क्या किया है, क्या राहत दी है? *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी आडवाणी जी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं *(व्यवधान)* आपको समर्थन करना चाहिए *(व्यवधान)* मेरी स्पीकर साहब से बात हो गई है। आपने एक बजे का आदेश दिया है, वे एक बजे गुजरात के बारे में अपना स्टेटमेंट देंगे। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आप इन्हें बतायें कि यह बिहार की विधान सभा नहीं है। *(व्यवधान)* यह कैसे बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : किस भाषा में यह बोल रहे हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, आपको इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर श्री लालू प्रसाद बिहार से आते हैं तो यशवंत सिन्हा और अनेक लोग भी वहां से आते हैं। इसलिए आप बिहार को बदनाम मत कीजिए, एक व्यक्ति से पूरे राज्य को नहीं देखा जा सकता *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लालू जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब 'शून्यकाल' प्रारम्भ होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मुझे 'शून्यकाल' के लिए 58 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं सभी सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सारे सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार है, राज्य सरकार ने *(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सर, लालू जी ने जो कहा है उसका जवाब देना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश में 21 जातियों, जिनमें पिछड़े वर्ग आते हैं तथा 27 उपजातियां आती हैं जिनमें कुर्मी, कुम्हार, प्रजापति, पटेल, काछी, कुशवाहा, शाक्य, केवट आदि बहुत सी जातियां हैं, इनको पिछड़े वर्ग से हटाकर सामान्य में कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है। शासन के जितने भी अधिकारी हैं उनमें खलबली मची हुई है। पूरे सदन की यह जिज्ञासा है, सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ यह मामला है। 1995 में उत्तर प्रदेश शासन ने पिछड़े वर्गों को पिछड़ों में समायोजित किया था। इस तरह से सरकार उनको पिछड़े वर्गों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करना चाहती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'शून्यकाल' के लिए 58 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कृपया केवल दो मिनट में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्होंने अभी तक कोर्ट में अपील नहीं की है। तमाम जातियों में इससे बड़ा आक्रोश है। हिंदुस्तान के पूरे पिछड़े वर्ग का यह मामला है, इस पर चर्चा कराई जाए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर चर्चा कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उन्होंने अभी तक कोर्ट में काउंटर फाइल नहीं किया है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र सिंह, यह क्या है? कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री पी. शिव शंकर को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर (तेनाली): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात नहीं करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष, यह मामला शैलेन्द्र कुमार का नहीं है। यह पूरे देश का मामला है। *(व्यवधान)*

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर एक घंटे की बहस कराई जाए। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश हाइकोर्ट का मामला सही है। माननीय सदस्य ने कह दिया है कि हाइकोर्ट का फैसला है, लेकिन इसमें सच्चाई यह है कि दो साल से लगातार कोर्ट का मामला चल रहा था और कई ऐतराज हो रहे थे। उसके बाद भी सरकार ने किसी तरह की कोई पैरवी नहीं की। पैरवी न होने के कारण इतना बड़ा जजमेंट हो गया और इसमें सारे के सारे जितने भी बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनमें कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं, वे लोग वंचित किए गए हैं और धीरे-धीरे उनको वंचित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मंडल आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं उनको समाप्त किया जा रहा है और यह सच्चाई है कि जो दो साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है और जो थोड़ी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उनके ऊपर हल्ला करके उनको खत्म करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लापरवाही की है और जानबूझकर पैरवी नहीं की है। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के भू.पू. मुख्य मंत्री हैं। वे जानते हैं, जब वे मुख्य मंत्री थे और जब हम यू. पी. के बारे में कुछ कहते थे, तो आप ही लोग हमें यहां बोलने से रोकते थे। आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। मेरा कहना है कि आपने आग्रह किया कि हाइकोर्ट के इस फैसले के बारे में सरकार कार्रवाई करें, लेकिन यह कहना कि यू. पी. सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए हार गए और ऐसा फैसला आ गया, ठीक नहीं है। यह ज्यादती है। यह एकतरफा है और इस तरह की बात सदन में नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात करें, आपकी बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैरवी नहीं की, यह ठीक नहीं है। मैं इसका प्रोटैस्ट करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मेरा नाम लिया है और मेरे मुख्य मंत्रित्व काल के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मुख्य मंत्रित्व काल में ही मंडल कमीशन की सिफारिशें उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री होकर उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मेरे मुख्य मंत्रित्व काल में ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी और अनेक जातियों को छांट कर मंडल कमीशन में शामिल किया गया और उसके बाद अगर किसी ने ऐतराज किया है, तो उसका निराकरण किया गया है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं यह आरोप नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझ कर इस केस की पैरवी नहीं की। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी. शिव शंकर को अनुमति दी है। मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अदालत का निर्णय है। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि यह अदालत से संबधित मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अदालत का निर्णय है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.17 बजे

(इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, यह सही नहीं है। मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप सभा की कार्रवाई में बार-बार बाधा डाल रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यह मामला अदालत का है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप सभा की कार्यवाही में बार-बार बाधा डाल रहें हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अदालत में है। आप इसे यहां पर कैसे निपटा सकते हैं? कृपया प्रक्रिया को समझिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुलायम सिंह यादव से अनुरोध करता हूं कि वह अपने दल के सदस्यों को अपने-अपने स्थानों पर जाने के लिए कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह सही नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य भी अपने-अपने मामले उठाना चाहते हैं। कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.20 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवंत सिन्हा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया बात समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। *(व्यवधान)* यहां से जाने के बाद मैंने यू. पी. के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्होंने ऐडवोकेट जनरल को फोन किया। ऐडवोकेट जनरल ने मुझे फोन किया। *(व्यवधान)* कल्याण सिंह जी ने कहा है, वे मेरठ में है कि जो जातियां आरक्षण की सूची में आती हैं, हमारी सरकार का मत है कि उनमें कोई भी बदल नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला है, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में स्पैशल लीव पिटीशन डालेंगे और अच्छे से अच्छा ऐडवोकेट एंगेज कर इस केस की पैरवी करेंगे। *(व्यवधान)* मुझे ऐडवोकेट जनरल रामेश्वर गोयल जी का भी फोन आया। उन्होंने कहा कि यह फाइनल आर्डर नहीं है, यह शो-कॉज नोटिस है, इंटरिम आर्डर है। इनका कहना है कि पैरवी नहीं की लेकिन उनका कहना है कि हमारे वकील श्री वर्मा, जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, पेश हुए। उसके बाद कोर्ट ये इंटरिम आर्डर दिए हैं। जब फाइनल फैसला होगा तो ऐडवोकेट जलरल श्री रामेश्वर खुद पेश होंगे। यह मुझे ऐडवोकेट जनरल ने बताया। *(व्यवधान)* इसलिए ऐसा कहना कि कोई पेश नहीं हुआ, ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल तीन बातें हैं–एक, संसदीय कार्य मंत्री पहले हम पर आरोप लगाकर कह गए हैं कि आप मुख्य मंत्री थे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम मुख्य मंत्री थे तो हमारी सरकार ने ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी और जो जातियां आज हाई कोर्ट से आदेश लाई, चाहे अंतरिम आदेश हो चाहे स्थायी आदेश हो, उनका चयन हमारी सरकार ने किया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी चयनित की गई थी और वहां के पिछड़ा आयोग ने भी चयन किया था। एक सैतवाल कौम है, सवाल यहीं से शुरू हुआ है। सैतवाल जाति को पिछड़ी जाति में लाने के लिए वहां के पिछड़े आयोग ने विचार किया। जब हम मुख्य मंत्री थे, मेरे सामने यह सवाल आया तो हमने स्वीकार किया। हमने कहा कि इस जाति को हम भी स्वीकार करते हैं। सैतवाल भी पिछड़ी जाति में आते हैं। उस सवाल को लेकर किसी ने जो भी रिट की हो कि सैतवाल राजपूत हैं, ये पिछड़ी जाति में नहीं आते, उसी के सहारे अन्य जातियां भी आ गई। आप अगली कार्यवाही करेंगे, वह अलग चीज है, हमारा कहना यह नहीं है। अगली कार्यवाही तो आपको करनी ही होगी और यदि नहीं करनी होगी तो हम करेंगे। हम बढ़िया से बढ़िया वकील करेंगे। मंडल आयोग के लिए हमने मामूली लड़ाई नहीं लड़ी है, इसके लिए लोग शहीद हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, जेलें भी काटी हैं। मंडल आयोग को इस तरह से खत्म करने का षडयंत्र है। पहले पैरवी क्यों नहीं की, ऐडवोकेट जनरल साहब पहले खड़े क्यों नहीं हुए। यह बताइए, जो काउंटर ऐफिडैविट है, उसका जवाब आपकी सरकार के माध्यम से दिया गया था या नहीं, यह कन्फ्यूजन है। यदि दिया गया ऐडवोकेट जनरल खड़े हुए हैं तो अगला सवाल जो करना होगा, हम करेंगे। पहले यह बताइए कि क्या समय पर काउंटर ऐफिडैविट फाइल किया गया था।

इतने महत्वपूर्ण मामले में ऐडवोकेट जनरल पहले ऐपियर क्यों नहीं हुए? अब हुए होंगे *(व्यवधान)* इसलिए हमारा सीधा आरोप यह है कि वहां की सरकार ने जान-बूझकर एक षडयंत्र के तहत मामले की सही तरीके से पैरवी नहीं की। यदि अदालत के सामने सारे तथ्य लाए गए होते, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले ही फैसला हो चुका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया संक्षेप में बोलिए। हमें आज ही बजट पर चर्चा पूरी करनी है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। *(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही हमदर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्रवाई में बाधा न डालें। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा कहना है कि यदि ये इन मुद्दों को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी इस विवाद का फैसला हो चुका है, यदि सरकार ने सारे तथ्यों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कई रूलिंग्स को सामने रखा होता तो यह फैसला नहीं होता। अब जहां तक अंतरिम आदेश का सवाल है, यह अंतरिम है। यदि आज से ही कुछ नौकरियों में डिसीजन लेना है, बहुत सी चयन समितियां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, दरख्वास्त देने का सवाल है, हमारा कहना है कि पूरी तरह से आदेश हुआ है, यदि ऐसा मान लें, आज की तारीख में इन जातियों को नोकरी में आरक्षण से संबंधित कोई आदेश होता है तो आज के आदेश के अनुसार होगा। आप अंतरिम आदेश को इतना हल्का-फुल्का क्यों ले रहे हैं। इसलिए मेरा आरोप है कि इन पूरे तथ्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदालत के सामने नहीं रखा है, इसके

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को उठाने का अधिकार केवल समाजवादी दल का नहीं है। मैं उड़ीसा के बारे में बोलना चाहता हूं और मैं इस मामले को भी उठाना चाहता हूं। मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए। मैंने भी सूचना दी है। आप मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

किसी को भी बोलने दें, यह नहीं होना चाहिए। ... *(व्यवधान)* ऐसा नहीं है कि इनकी बात ही चलती रहेगी और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमारे आदमी भी हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। ... *(व्यवधान)* सारा दिन ऐसा ही धंधा चलता रहता है। एक बात बोलेंगे और जीरो आवर खत्म कर देंगे। *(व्यवधान)* कहते हैं कि रूल के मुताबिक होगा, रूल क्या है। ये जो बोलते हैं वही करते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसको मैं उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश का विवाद नहीं बनाना चाहता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज़ या खासकर मंडल कमीशन, ये तमाम होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत डील होते हैं और कल्याण मंत्रालय भी उसको देखता है। मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टिर साहब इसको गम्भीरता से लेंगे, क्योंकि जो जजमेंट आया है, शैड्यूल्ड कास्ट्स का मतलब होता है वे जातियां जो संविधान की अनुसूची में हैं। संविधान में शैड्यूल में जिनका नाम दर्ज है, उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेज़ के सम्बन्ध में है। मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड क्लासेज़ की लिस्ट बनाई गई और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में उस नाम को छापा गया। आज मामला इस बात का नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मामला यह है कि जब एक बार यह आदत हो जायेगी कि किसी कास्ट को आप निकाल सकते हैं तो वह सिलसिला जारी रहेगा और उसका कहीं अन्त होने वाला नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट सर्वोच्च सतता है। इस पर विचार करने की बात है। इसमें जो 21 जातियों का नाम दिया गया है, इसमें देखें कि वे कौन हैं। मल्लाह, मल्लाह पशिचम बंगाल में शैड्यूल कास्ट्स में हैं, बिहार में मल्लाह बैकवर्ड क्लासेज में हैं, दिल्ली में शैड्यूल कास्ट्स में हैं और उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेज में है। इसमें नाम कौन से हैं—कुर्मी, कुम्हार, प्रजापति, पटेल, कांछी, कुशवाहा, शाक्य, केवट, मल्लाह, मनिहार, लखेरा, कचेर, दर्जी, इदरीसी, तेली, तमोली, चिकवा, कुरैशी, चक, कस्साव, गद्दी, घोसी, भुर्जी, भडभूजा, भूंज, काटू, अरखा, अर्कवंशीय, पटनवार, कुर्मी सेंधवार, चौरसिया बरई, छीपी, छीपा, हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास, हलवाई, मोदनवाल, मुराव, मौर्य, मुराई, नदाफ, धुनिया, मंसूरी, कन्डेर, रंगरेज, रंगवा, लोनिया, नोनिया, गोले, ठाकुर, लोनिया चौहान, सोनार, स्वीपर जो अनुसूचित जाति की सूची में नहीं हैं और हलालकोर, ये सारी जातियां यदि बैकवर्ड क्लासेज में नहीं आयेंगी तो कौन पिछड़ी जाति में है, कौन बैकवर्ड क्लासेज में है? ... *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह मुलायम सिंह यादव को पिछड़ा बना रहे हैं। इनके लिए तो आप भी पिछड़े हैं। बैकवर्ड तो पिछड़े हैं ही। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हर चीज को मुलायम सिंह यादव से कनैक्ट मत कीजिए। ... *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : यह एक गम्भीर बात है और इसे गम्भीरता से सुनिये। यह फायदा और नुकसान की बात नहीं है। यह गम्भीर राष्ट्रीय प्रश्न है। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, किसी सरकार का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का मामला भी नहीं है, यह डिसीजन पूरे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, उसके ऊपर इफैक्ट करने वाला है, उसको यह प्रभावित करेगा। मैं समझता हूं कि बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि यह मामला चलेगा तो शैड्यूल कास्ट्स में भी चलेगा। फिर उन पर इकोनोमिक क्राइटीरिया लागू करो, फिर यह करो, वह करो। इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंटरी मिनिस्टर सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट लेकर सदन में दे दें, यह मामला नहीं है। यह मामला पूरे देश का है, संवैधानिक ढांचे का है, इसलिए मैं होम मिनिस्टर से चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इसको गम्भीरतापूर्वक लें। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यदि कोई जजमेंट आता है तो उस जजमेंट की रैमेडी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि उस पर रोक की रैमेडी यह पार्लियामेंट हाउस है और पार्लियामेंट हाउस में यदि संविधान संशोधन करके शैड्यूल कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज की सूची को नाइंथ शैड्यूल में यदि रखने की आवश्यकता पड़े तो आप नाइंथ शैड्यूल में उसको डाल दीजिए, जिससे कि इस चेंज को भविष्य में कोई कोट न कर सके। इस तरह का प्रावधान आपको करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें सारा सदन एकमत होगा। ... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर मामला है। यह खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यह बात पूरे हिन्दुस्तान की है। मंडल कमीशन ने जिन 177 कास्ट्स को रिकमेण्ड किया था, उसके बाद कमीशन तो हर स्टेट में बना है, लेकिन ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ? आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जैसा हमें मालूम हैं, हमारी स्टेट में भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं, लेकिन 177 जातियों में से खाली 69 हुई हैं, बाकी आज तक शामिल नहीं हुई। इसका मतलब होता है कि जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के लोग हैं, उनको नौकरी में भी मौका नहीं मिलता, उनको एजुकेशन में भी मौका नहीं मिलता है और गर्वनमेंट का एडवांटेज भी नहीं मिलता है। अगर गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी है कि उसको मदद देनी है तो इसमें कोई स्टेट की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की एक यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट पालिसी के मुताबिक पार्लियामेंट में एक काम हो सके। किसी स्टेट मे ऐसा न हो कि कास्ट के नाम पर हम टुकड़े हो जायें, लेकिन हमारे देश में कास्ट के नाम पर एकता बनी रहे, इसके लिए हम मिनिस्ट्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं, होम मिनिस्ट्री भी है, पर्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। यह स्टेट गर्वनमेंट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन सैण्ट्रल गवर्नमेंट को एक यूनीफार्म पालिसी बनानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन को कहना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो बात माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, उसको कहने का जो तरीका है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने कोट किया *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह अच्छी बात नहीं है। कृपा करके आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है? कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : इसको गम्भीरता से लें।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द कुमार (चैल) : अब इस पर हम बोलेंगे। *(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार : उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीरता से ले रही है और जहां तक इस बात को लेने का सवाल है, पूरे एस.सी., एस. टी. और ओ.बी.सी. की हम भी मांग अपने गृह मंत्री जी से करेंगे कि वे भी इस बात को गम्भीरता से लेकर एक यूनीफार्म पालिसी बनायें और इसको बाकायदा उस ढंग से लिया जाये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह जी मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : बल्कि इसको उस ढंग से लिया जाये और जहां तक प्रदेश की सरकार के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाने की बात है, वह बात ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। महोदय, आरक्षण कोई भीख नहीं है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर, विचार करके यह संविधान और दर्पण दिया था, गरीबों का, वैकवर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स उसी में इन्कलूडेड हैं। उसी में मंडल कमीशन है, कोई नई खोज नहीं, मंडल कमीशन का जो जन्म हुआ, इसी संविधान से हुआ। पूरे देश में सभी माननीय सदस्य जानते हैं, माननीय सदस्यों को कोई यह बताने की जरूरत नहीं है, सभी ज्ञानी लोग यहां बैठे हुए हैं। सारे देश में इस मामले को लेकर कितनी शहादत लोगों ने दी। समाज विभक्त हुआ, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, वे कितने प्रताड़ित हुए। आज भी हम लोग इसके शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए यह फैसला कर दिया कि हर राज्य और केन्द्र परमानेंट कमीशन बनाये और राज्यों की जातियों की सूची हर राज्य में वहां की कॉमन लिस्ट और दिल्ली की कॉमन लिस्ट दोनों जब मिल गये, दोनों का मुंह मिल गया, तब लोगों को यह सब आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो, सैण्ट्रल सर्विसेज में हो, सिपाही हो, जहां भी हो या राज्यों में भी हो, उसमें फिर क्रीमीलेयर की बात भी आई, वह अलग बिन्दु है। यह हमेशा के लिए बात तय हो गई। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में, मेरे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में और उस मंडल कमीशन को हम लोगों ने तेज और धारदार किया और सभी पोलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसे स्वीकार किया, भले अलग-अलग तौर तरीका रहा हो। कुछ जातियों के मन में अंदेशा हुआ कि हमारा नाम छूटा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए फैसला, व्यवस्था दे दी है कि हर राज्य परमानेंट कमीशन आप बहाल रखिये।

दिल्ली में एक्सक्लूजन और इनक्लूजन यह कमीशन करेगा और इसको राज्यों को मैंडेटरी मानना पड़ेगा कि कौन सी जाति छूटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, वहां के शासन और वहां के विद्वान अधिवक्ता जो हैं, मुझे बताया गया है कि यह मामला इलाहाबाद कोर्ट में आया, उन्हें काउंटर एफिडेविट देना चाहिए था। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर और बाकी सारी चीजों से कोर्ट को अवगत कराना चाहिए था। यह बहुत संवेदनशील मामला है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार को और एटार्नी जनरल को गम्भीरता से देखना चाहिए था। यह मामला उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। जिन जातियों को वहां से हटाया गया है, कल ये जातियां दिल्ली से और पूरे देश से भी हट जाएंगी। इनको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए वहां की सरकार, वहां का विधि विभाग और वहां का इनका सेल बिल्कुल नोइंग्ली और इंटैंशली बैकवर्ड क्लास को बचाने के लिए जितना सफल होना चाहिए था, वह सफलता नहीं मिली। इसमें यह सरकार विफल रही है। यह सरकार हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है, गरीब और दलित विरोधी है। ऐसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मै आपको बोलने का समय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार आप हमेश सभा में व्यवधान डालते रहते हैं। यह तो हद हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी न्यायालय विशेष ने कोई निर्णय विशेष दिया है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि इस पर सही ढंग से बहस की गई अथवा नहीं या फिर राज्य सरकार का क्या मत था। पर अब निर्णय तो हमारे सामने है। हमने यह देखा है कि इस तरह के कई निर्णय कई उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए हैं और प्रत्येक न्यायालय का पिछड़े वर्ग के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रहा है। मैं इस प्रकार के अनेक निर्णयों से अवगत हूं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का एक समुदाय विशेष पिछड़े वर्ग में आता है जबकि पड़ोसी राज्य में यह समुदाय अनुसूचित जाति समुदाय में गिना जाता है और यही समुदाय कई अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय का लाभ प्राप्त कर रहा है। इसीलिए अब वह समय आ गया है जब हमें चाहिए कि हम इस संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाएं।

मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 340 की सहायता लेने का यही उचित समय है जिसमें यह कहा गया है कि :

> "राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाईयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन व अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे मे सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।"

मेरे विचार से यही उपयुक्त समय है जब भारत सरकार को इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए और इन सभी चीजों की गहराई से जांच करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए और इसके साथ ही जो सुविधाएं उन्हें प्रदान हो रही थीं पुनः दी जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आयोग पहले से ही है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : वहां सन् 1977 से लागू है।

श्री शरद पवार : ये दो चीजें हैं। जो इसके पहले का है, वह रिस्टोर कर रहा है। जो एक स्टेट में अलग अप्रोच है, दूसरी स्टेट में अलग अप्रोच है, उसके लिए कमीशन ने जो पहले दिया है उसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। जो निर्णय हाई कोर्ट ने लिया है।

श्री राम विलास पासवान : एक्सक्लूजन और इन्कलूजन के लिए आल-रेडी कमीशन है। होना यह चाहिए कि जो आरबिट्रेरी कास्ट को निकालने की साजिश हो रही है, उसके लिए कोई प्रावधान बनाया जाए, जिससे उसको निकाला न जा सके।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि इन सभी निर्णयों और सभी जातियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। जब तक हम इन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं कर देते हैं, मैं समझता हूं तब तक हम इन सभी समुदायों को संरक्षण प्रदान करने मे असमर्थ रहेंगे। इसलिए कल्याण मंत्रालय द्वारा यथाशीघ्र यह निर्णय लिया जाए ताकि किसी भी समुदाय को हो रही समस्याओं का समाधान खोजना संभव हो सके।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, वे मंडल कमीशन और इस केस से संबंधित हैं। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश में इन जातियों को बाहर किए जाने का है। उत्तर प्रदेश से मेरे कुछ मित्रों ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि जो निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने दिया है, उस निर्णय से गांव-गांव में, शहर-शहर में चर्चा फैल गई है कि इस निर्णय ने पिछड़े वर्ग के लोगों मे डिवीजन पैदा करने का प्रयास किया है। उसमें 54 जातियां हैं जिनकी सूची राम विलास पासवान जी पढ़ रहे थे। वे ऐसी जातियां है जिनको यादवों में मान लिया है। वहां पर यादव अलग हो गए, बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, वे अलग हो गईं। मैं आपके माध्यम से सदन में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सैथवार जाति ने महासम्मेलन करके कहा कि पिछड़ी जातियों की सूची में हमारा नाम है तो हमारा अपमान हो रहा है इसलिए हमें अगड़ी सूची में शामिल कर दिया जाए। ये लोग इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग में चले गए। उसी वर्ग के कुछ लोगों ने वहां एतराज कर दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि यह सैथवार जाति पिछड़ा वर्ग में रहे। इस पर वे लोग उच्च न्यायालय मे चले गए और याचिका दाखिल कर दी। मुझे अफसोस है कि यह याचिका जब दाखिल की गई तब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। *(व्यवधान)* मैं उसमें नहीं जाना चाहता। *(व्यवधान)* सवाल यह है कि जब से हमारी सरकार आई है तो इस सरकार ने हलफनामा दिया या नहीं दिया। हमारे मित्र खुराना जी, जो कि मंत्री हैं, इनका कर्त्तव्य है कि कम से कम यह पूछते कि हमारी सरकार ने हलफनामा दिया है या नहीं दिया। जहां तक मुझे जानकारी है नहीं दिया गया। लोगों के मन में आशंका है कि आदरणीय मुलायम सिंह की साजिश के द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को इससे अलग कर दिया गया और यह फैसला कराया गया। यह उनका कहना है। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय मुलायम सिंह, आदरणीय लालू प्रसाद और पासवान जी ने और अन्य लोगों ने उस अधिकार को दिलाने के लिए अपनी बात यहां रखी। मुझे पीड़ा हुई कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको बड़ी लड़ाई के बाद यह अधिकार मिला था, एक साजिश करके उनको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आदरणीय आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दें, क्योंकि उस निर्णय से जहां नियुक्तियों पर रोक है, वहां प्रोन्नति पर भी रोक है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आडवाणी जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ उपाय करके गरीबों के हितों की रक्षा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आप सबको बोलने के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

मायावती जी कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है और बी.जे.पी. की सरकार की लापरवाही के कारण जो 21 जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई थीं, उनको निकाल दिया गया है। मैं आपको यह अवगत कराना चाहती हूं कि ये जो 21 जातियां पिछड़ा वर्ग जातियों से निकाल दी गई हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा ऐसी जातियां हैं, जिनको मेरे शासनकाल में पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शामिल किया गया था। मैंने लापरवाही क्यों कहा, क्योंकि अचानक यह मामला कोर्ट में चला गया था। इस मामले को ले जाने वाले कोर्ट में बीजेपी के लोग हैं और सरकार की ओर से लापरवाही करने वाले भी बीजेपी के लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह बात गलत है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : मैं इसका एक सबसे बड़ा सबूत देना चाहती हूं कि पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग में से निकालने की साजिश कई दिन पहले से हो रही थी। आज से 15-16 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने शैड्यूल्ड कास्ट्स के जो थानाध्यक्ष अधिकारी थे, हमारी सरकार ने 20 परसेंट शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों को थानाध्यक्ष बनाया, 25 परसेंट पिछड़े वर्ग के लोगों को और 8 परसेंट मुस्लिम समाज के लोगों को बनाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज से लगभग 15 दिन पहले उनके आरक्षण के कोटे को खत्म कर दिया। 15 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत, लापरवाही के तहत पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग में से निकाला गया है। वे जवाब दे सकते थे, सरकार की ओर से रिप्लाई जा सकता था, लेकिन साजिश के तहत ताकि पिछड़ी जातियों को लाभ न मिल सके, उनको ...*(व्यवधान)* आप हकीकत सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार थी, तब हमारी सरकार ने थाने के अध्यक्ष के मामले में 20 प्रतिशत आरक्षण शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा मुकर्रिर किया, 25 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेस और 8 परसेंट माइनोरिटीज का, लेकिन आज से 15-16 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस आरक्षण के कोटे को खत्म कर दिया। पिछड़े वर्ग में जो 21 जातियां थी, जो मेरे शासनकाल के समय में शामिल की गई थीं, आज उनको भी साजिश के तहत पिछड़े वर्ग में से निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि संविधान की धारा 348 के अनुसार ...*(व्यवधान)* जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है और मंडल कमीशन बनाने से पहले ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए मैं केवल नेताओं को बुला रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मेरा कहना है कि केन्द्र की सरकार इसको गम्भीरता से ले और गम्भीरता से लेकर, क्योंकि केन्द्र की जिम्मेदारी, उसको ठीक करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : यदि केन्द्रीय सरकार इसको गम्भीरता से नहीं लेती है, तो हम समझेंगे ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी की मिली-भगत के तहत, जो आरक्षण मिला हुआ है, वह उसको खत्म करना चाहती है। हमें लगता है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। ...*(व्यवधान)* अनुसूचित जाति और अनुसूचित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, यह दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा सारे देश से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वैको : महोदय, मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे राज्य का रहने वाला हूं जिसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको : पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदेश से संविधान में पहले संशोधन में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक न्याय के अधिकार की गारन्टी दी गई है।

महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव, श्री रामविलास पासवान और श्री शरद पवार द्वारा प्रकट की गई चिन्ता से सहमत हूं। जिन जातियों और समुदायों को सामाजिक न्याय के मौलिक विशेषाधिकार के लाभ से वंचित करना खतरनाक संकेत है। मैं न्यायपालिका के साथ टकराव के गुण-दोष की तह में नहीं जाना चाहता हूं। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अक्सर सामाजिक न्याय देने के पक्ष मे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने शासन संचालन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डे में कहा है कि "समुचित वैधानिक, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों तथा बड़े पैमाने पर शिक्षा और अधिकारिता के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाएगी। हम राज्य स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत को बनाए रखेंगे।"

मैं श्री शरद पवार की इस बात से सहमत हूं कि इन जातियों और समुदायों के लिए यह बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है कि एक समान नीति होनी चाहिए। जिन राज्यों में इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन राज्यों को आरक्षण का कोटा निर्धारित करने की स्वंतत्रता होनी चाहिए। यह अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है। अतः गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि एक समान नीति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को जी, यह चर्चा नहीं है, आपका निवेदन क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए, श्री वैको जी हैं, श्री चाक्को नहीं। श्री वैको और श्री चाक्को अलग-अलग दिशाओं में बैठते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : मैं उम्मीद करता हूं कि इस वजह से मुझे भी बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री वैको : जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है, यदि नौवीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की जाती है तो इससे पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु विधान सभा में एक विधेयक पारित किया गया था और संविधान में अधिनियम है। संसद ने संविधान संशोधन किया है। यद्यपि इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

अतः यह उचित समय है कि सरकार संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के लिए समुचित उपाय करे और आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत को बनाए रखे और साथ ही न्यायपालिका द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना बंद करे।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि हर कोई बोलना चाहेगा तो मुझे सभा के कार्य संचालन में कठिनाई होगी।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नेतागण केवल सामान्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज सदन में सवाल उठाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अन्तरिम जजमेंट हो सकता है, फाइनल जजमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन यह अन्तरिम जजमेंट भी...

श्री सत्यपाल जैन : जजमेंट नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है जजमेंट नहीं है, आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : कोई अंतिरिम फैसला नहीं है। कृपया वह अंतरिम आदेश दिखाइए यदि कोई अंतरिम आदेश है तो उसे पढ़ कर सुनाइए। *(व्यवधान)* वे अनावश्यक ही सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अन्तरिम आर्डर जो हुआ है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : आदेश कहां है? कृपया पढ़कर सुनाएं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : जिस जाति को आरक्षण का अधिकार था, उसको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अखबार ऐसे नहीं लिखेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, यह जो अंतरिम आदेश हुआ है, यह आदेश कैसे हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : यदि उत्तर प्रदेश सरकार सीरियस होती, तो इस तरह का आदेश हाईकोर्ट से नहीं आता। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह आदेश है ही नहीं। ...*(व्यवधान)* यह तो मुलायम सिंह के समय में मुकदमा तय हुआ था। अभी उत्तार प्रदेश के

मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी पिछड़ी जाति इस सुविधा से वंचित नहीं की जाएगी। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं यह मंडल-कमंडल लोक सभा में एक बार नहीं बहुत बार इस पर चर्चा हुई हैं। हम लोगों की एक ही राय है कि इस बारे में हर स्टेट में यूनिफोर्मिटी नहीं हो सकती है। *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह क्या है, इसको आप पढ़िये।

श्री बसुदेव आचार्य : आप तो आरक्षण विरोधी हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : हम नहीं आप आरक्षण विरोधी हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री बसुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दी है। श्री सत्यपाल जैन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : उत्तर प्रदेश की सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार शोसल जस्टिस की विरोधी है। इसलिए इस तरह का आदेश उच्च न्यायालय से हुआ है। *(व्यवधान)* कुछ कठिनाइयां हैं और हमने भी ये सवाल उठाए हैं कि कैसे इसको प्रांतों में किया जाए। जैसे कि आपके छोटा नागपुर में जो ट्राइबल्स हैं और असम के चाय-बागानों में सौ साल पहले जो लोग गये थे उनको अभी तक ट्राइबल्स का रिकोग्निशन नहीं मिला है। उनकी मांग है कि एक कम्प्रीहैंसिव लैजिसलेशन इस हाउस में आना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई कठिनाई पैदा न हो, हम लोग निर्णय ले सकते हैं, यही हमारा सुझाव है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष जी, इस सदन में यह जो चर्चा का विषय आया है। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह कही गयी है कि हमारी तरफ से कोई गया ही नहीं *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इसका जो पहला सैन्टेंस है कि श्री के. एन. गुप्ता, आर. पी. निगम और श्री एस. के. कालिया फॉर द पैटिशनर एंड श्री पी. सी. वर्मा, जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए उनको सुना गया। जो ऑपरेटिव पार्ट आर्डर का है कि शो-कॉज नोटिस दिया है कि क्यों न इन जातियों को निकाल दिया जाए और उसके बाद वे जवाब दें, फिर बहस होगी।

[अनुवाद]

क्या यह अंतरिम आदेश है अथवा कारण बताओ नोटिस? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि वित्त मंत्री के उत्तर पर भी चर्चा होनी है। नियम 193 के अन्तर्गत मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में भी चर्चा होनी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को भी निपटाया जाना है। मैं इस मुद्दे पर आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। अब वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी एक घंटे से प्रतिक्षा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : शिवशंकर जी, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री पी० शिवशंकर (तेनाली) : मेरा दूसरा इश्यू है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री पी० शिवशंकर जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, क्या हम उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? *(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, हम इस समय इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। वित्त मंत्री जी का उत्तर अधिक महत्वपूर्ण है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० शिवशंकर ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पी० शिवशंकर जी आप बोलिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं दूरदर्शन द्वारा तानाशाहीपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने पर अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। इससे दूरदर्शन की स्वायत्तता और इसके काम करने के अलोकतांत्रिक ढंग का भी पता चलता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ मामला नहीं है। *(व्यवधान)* हम लोगों ने आज से पहले भी यह मामला उठाया है। आप पुराना कार्ड बार-बार लेकर एकमत न हो जाओ।

[अनुवाद]

गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें आधार यह था कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है जिसके कारण कुछ जातियां जो पहले ओ.बी.सी. की लिस्ट में थी वह अब ओ.बी.सी. की लिस्ट से हटा ली गयीं, इसलिए आप सब की चिंता सबकी समझ में आती थी। इसीलिए अध्यक्ष जी ने उसकी चर्चा भी होने दी और वह काफी देर चलती रही। जिस प्रकार से पासवान जी ने या शरद जी ने कहा, मुझे इतना ही कहना है कि सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि जो आज ओ.बी.सी. में हैं, किसी कोर्ट का आर्डर भी उसको अगर हटाए तो उसके निराकरण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो सजेशन दिया गया और जो थोड़ा-बहुत पासवान जी की बात में भी आया, मैं समझता हूं कि अभी तक यह स्टैंड किसी का नहीं रहा है कि हिंदुस्तान भर में ओ.बी.सी. की लिस्ट में यूनिफोर्मिटी होनी चाहिए।

शैडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब की लिस्ट में यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। वह सारे देश में एक जैसी होनी चाहिए। मेरे पास आज सुबह कुछ सांसद आए थे। उन्होंने बताया कि असम में एक ट्राइब्स जाति थी जो पहले ओ.बी.सी. में मानी जाती थी। उनकी मांग थी कि उसे शैडयूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। वह उसे शैडयूल्ड ट्राइब का दर्जा देने वाले थे। वह ओ.बी.सी. से हट गए और शेडयूल्ड ट्राइब भी नहीं बने। यह जो स्थिति पैदा हुई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कहना है कि अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने अधिकार हैं। यही बात वैको जी ने कही थी। ओ. बी.सी. शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब के संदर्भ में सारे देश का जो कनसैंसस है, हमारी सरकार उसे बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उसके लिए अगर कोई संसद में निर्णय करना होगा तो हम उसे भी करने को तैयार हैं। अगर किसी कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो हम उसे ऊंची कोर्ट में जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

(व्यवधान) कृपया धीरज रखिए। हमें अभी पता चला है कि इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस पर चर्चा नहीं हो सकती उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं केवल एक वाक्य में अपनी बात पूछना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

जैसा कि हम नहीं चाहेंगे कि न्यायपालिका हमारे कार्य में हस्तक्षेप करे, इसी तरह से हमने न्यायपालिका की शक्तियों का आदर किया है। जब भी कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, हम उस पर चर्चा कभी नहीं करते हैं। इस विशेष मामले में मैं उत्तर प्रदेश सरकार को सदन की भावनाओं से अवगत कराऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में कोई बदलाव ना किया जाए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के उत्तर के बाद किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, यह उचित नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाई वृत्तांत में शामिल नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर : मैं इस मुद्दे पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था; मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा। केन्द्रीय सेवाओं और केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में मंडल आयोग ने पहले ही एक सूची बना ली है। माननीय गृह मंत्री ने तैयार की गई सूची, के संदर्भ में राज्यों के बारे जो बात कही वही बात, मंडल आयोग द्वारा केन्द्र पर भी लागू होती है। मुझे उम्मीद है कि वह इस पर कायम रहेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो नोटिस जारी किया गया है वह महान्यायवादी को भी जारी किया गया है। अतः इस मामले में भारत सरकार को भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है *(व्यवधान)*

श्री पी० शिव शंकर : मैं क्षुब्ध होकर दूरदर्शन द्वारा हाल ही में पक्षपातपूर्ण, तानाशाही एवं भेद-भावपूर्ण कार्यकरण के संबंध में बोलना चाहता हूं। यह इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है तथा इसके लोकतांत्रिक कार्यकरण की ओर भी इशारा करता है।

महोदय, मैं कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस संसदीय दल के नेता को कल के गुजरात दौरे के संदर्भ में बोल रहा हूं। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने वहां तथा अहमदाबाद

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में अपार जनसमूह से भेंट की।

महोदय, माननीय गृह मंत्री गुजरात गए थे और उन्होंने विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का तथा अस्पतालों का दौरा किया और लोगों से भेंट की। कांग्रेस, संसद मे मुख्य विपक्षी दल है और खेद की बात है कि जब हमारी नेता किसी जगह जाती हैं तो दूरदर्शन केवल उनके नाम का जिक्र ही करता है और उनकी यात्रा का एक भी चित्र नहीं दिखाया जाता है। मगर गृह मंत्री के दौरे से संबंधित विभिन्न स्थानों के अस्पतालों के चित्र दिखाए गए जहां वो गए तथा उनकी बातचीत को भी प्रमुखता दी गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। *(व्यवधान)* दूरदर्शन को हमारे नेता की गुजरात यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों से संबंधित चित्रों को दिखाना चाहिए था। दूरदर्शन ने जिस तरह कार्य किया है हम उसकी निन्दा करते हैं।

श्री के० नटवर सिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

कल एक बहुत ही दुखद एवं बेचैन करने वाली घटना घटित हुई है। नेशनल जियोग्रफिक सोसायटी को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने कहा "दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक कारणों से, कश्मीर मसले के समाधान में चीन की भागीदारी आवश्यक है।" उन्होंने कहा, "यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता होती है तो उसमें चीन की भागीदारी आवश्यक है।"

क्या सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई वक्तव्य देगी और बताएगी कि स्थिति क्या है? इसका कारण यह है कि माननीय प्रधान मंत्री यह कहते रहे हैं कि यह द्विपक्षीय मामला है। इस वक्त श्री जसवंत सिंह वाशिंगटन में हैं और शब्दाडम्बरपूर्ण नीतियां प्रतिपादित कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? श्री क्लिंटन ने टी.वी. में स्पष्ट कहा है कि कश्मीर वार्ता में चीन एक पक्ष होना चाहिए। क्या सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी?

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री जी आम बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे। इसके अतिरिक्त नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा और गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा होनी है। अतः नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए।

अपराह्न 2.58 बजे

*नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) संगमरमर पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता

श्री शान्ति लाल चपलोत (उदयपुर) : मारबल व्यवसाय जो मुख्यतः राजस्थान में होता है, उस पर बजट में एक्साईज डियूटी 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। मारबल में राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा श्रमिक, 2 लाख से ज्यादा उधमी व व्यवसाय से जुड़े लोग होंगे जो करीब 10 लाख हैं। राजस्थान में मारबल मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मकराना, नागौर, सिरोह, जालौर तथा जयपुर आदि जिलों में होता है। पिछले बजट में एक्ससाईज बढ़ाई गई, उसमें उद्योगों में से 80 प्रतिशत बंद हो गये। उदारीकरण से भी इस पर असर पड़ा। अब एक्ससाईज डियूटी एक वर्ग फीट पर, 420 पैसे व राजस्थान सेल टैक्स 230 पैसे, कुल 7 रुपए प्रति फीट पड़ता है। व्यवसायिक जो श्रमिक भी हैं, वे 12 रुपए फीट में पत्थर घिसाई, माल खरीद, बिजली मजदूरी के बाद बेचते हैं। उन्हें एक रुपये फीट भी मजदूरी नही मिल पाती है। एक्ससाईज बढ़ाने से इन सभी जिलों में हड़ताल कर व्यवसाय बंद पड़ा है। लाखों लोगों को भूखों मरने की नौबत आ रही है। जगह-जगह बंद व हड़तालें हो रही हैं।

मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा बढ़ाई गई एक्ससाईज डियूटी (1997) एवं अभी की एक्ससाईज डियूटी को तुरन्त समाप्त कर राजस्थान के उद्योगों को बचाने में योगदान दें।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(दो) उत्तर प्रदेश में बरेली-बदायूं मार्ग चौपला पर रेलवे पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली-बदायूं मार्ग पर स्थित चौपला में पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की चार-चार लाईनें बिछी हुई हैं जिन पर रेलों का आवागमन हमेशा बना रहता है जिसके कारण भारी व छोटे वाहनों को काफी समय तक कतारबद्ध होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। स्थिति कभी-कभी ऐसी होती है कि पैदल, रिक्शा, तांगा आदि को भी निकलने की जगह नहीं हो पाती है। इस असुविधा से मुक्त होने के लिये क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग है कि चौपुला में एक रेलवे पुल बरेली-बदायूं मार्ग पर बनाया जाये।

अतः मेरा अनुरोध है कि चौपुला में एक रेलवे पुल का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में एलगिन नं० 1 और एलगिन नं० 2 तथा कानपुर टैक्सटाइल मिल, कानपुर को फिर से खोले जाने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : 11 जून, 1981 को संसद के द्वारा विशेष नियम बनाकर ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली सूती कपड़ा मिलों एलगिन नं 1, एलगिन नं. 2 तथा कानपुर टैक्सटाइल का अधिग्रहण तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह उद्देश्य थे मिलों को पूरी क्षमता से चलाकर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना, इन मिलों का आधुनिकीकरण करना एवं समाज के निर्धन वर्ग को अच्छा और सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराना। केन्द्र सरकार को इसके लिए योग्य प्रशासन, आवश्यक पूंजी, कच्चा माल एवं आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने थे।

इन तीन मिलों पर वर्ष में मात्र 15 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है जबकि एन.टी.सी. की कपड़ा मिलों पर 400 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है। इन तीन कपड़ा मिलों को भी एन.टी.सी. की कपड़ा मिलों के समान ही रखना चाहिए एवं जब भी जैसा भी निर्णय एन.टी.सी. के विषय में हो, इनके साथ भी उसी सिद्धान्त का पालन हो। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन तीनों मिलों की बन्दी का आदेश तत्काल वापिस लें एवं मजदूर जिसमें 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक हैं, उन्हें एवं उनके परिवार को भुखमरी से बचायें।

(चार) बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच यमुना नदी के किनारों को पक्का करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : बुलंदशहर जनपद से यमुना नदी अलीगढ़ जनपद के करीब 22 कि०मी० लम्बे क्षेत्र से निकलती है और हरियाणा के पलवल क्षेत्र में प्रवेश करती है। बरसात के मौसम में नदी में बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग 30-35 गांव जल में डूब जाते हैं और सेकड़ों आदमी की जान और मकानों को क्षति पहुंचती है और साथ ही फसल का भी काफी नुकसान होता है। बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात भी ठप्प हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो जाती है।

उ०प्र० सरकार ने विशेषज्ञ समिति भी बैठाई थी मगर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस समस्या के स्थाई समाधान के वास्ते बुलंदशहर जनपद में जहां से यमुना नदी अलीगढ़ में प्रवेश करती है उसके किनारे-किनारे बांध का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य के लिए उ०प्र० शासन के अनुमानानुसार करीब 8 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। मेरे संज्ञान में लाया गया था कि इतनी राशी का प्रावधान एकमुश्त उ०प्र० सरकार नहीं कर पायेगी। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस कार्य हेतु विशेष अनुदान उ०प्र० शासन को स्वीकृत करे। जिससे इस समस्या का स्थाई समाधान शीघ्र हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में दैतारी से पारादीप तक एक्सप्रेस राजमार्ग के रख-रखाव की समूची लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

श्री रंजीब बिस्वाल (जगतसिंहपुर) : उड़ीसा में दैतारी से पारादीप तक 144 किलो मीटर लंबे एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण मुख्यतः खानों से निर्यात हेतु लोह अयस्क, क्रोमाइट, बाक्साइट और अन्य खनिजों से लदे भारी वाहनों का पाराद्वीप बन्दरगाह तक आवाजाही के लिए किया गया था। लेकिन एक्सप्रेस राजमार्ग विशेषतः मरशाघई से पाराद्वीप के बीच उचित रख-रखाव के अभाव में दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है।

रख-रखाव, मरम्मत विस्तार तथा विकास का खर्च राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा बराबर वहन किया जाना था।

इस एक्सप्रेस राजमार्ग के उचित रख-रखाव और विकास पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक इस एक्सप्रेस राजमार्ग के विकास के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक इस मार्ग पर ट्रकों एवं अन्य भारी वाहनों की आवाजाही कठिन होगी। इस राजमार्ग से लौह अयस्क की ढुलाई एवं निर्यात ठप्प हो जाएगा।

अतः मेरी यह मांग है कि वित्त वर्ष 1998-99 से दैतारी से पारादीप तक इस एक्सप्रेस राजमार्ग की मरम्मत, रख-रखाव, इसे चौड़ा करने और इसके विकास की समूची लागत केन्द्र सरकार को वहन करनी चाहिए।

(छह) विजयवाड़ा हवाई अड्डे का प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : गत कई दशकों से शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा अन्य कई संबंधी क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश एक संभावनापूर्ण क्षेत्र में विजयवाड़ा, गुंटूर शहर तथा उनके आस-पास के क्षेत्र ने, जिससे कृष्णा गोदावरी डेल्टा शामिल है, काफी प्रगति की है। वायु यातायात भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।

विजयवाड़ा की वर्तमान हवाई अड्डे को उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस हवाई अड्डे से केवल छोटे हवाई जहाज चल सकते हैं। विजयवाड़ा हवाई अड्डे के तुरंत उन्नयन की नितांत आवश्यकता है ताकि बोइंग इत्यादि से बड़े हवाई जहाज उड़ सकें।

प्राथमिकता के आधार पर इस हवाई अड्डे के उन्नयन की नितांत आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(सात) बांध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कोटा बेराज की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण मीणा (कोटा) : चम्बल परियोजना के तहत कोटा बेराज के निर्माण का कार्य 1960 में पूर्ण होने पर बांध से निकाली गई बाईं तथा दांई मुख्य नहरों से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। 39 वर्ष पूर्व निर्मित कोटा बेराज के पुनर्निर्माण एवं रख-रखाव के लिए समुचित बजट प्रावधान नहीं रखा जाने से इस राष्ट्रीय महत्व के बेराज में वर्ष 1989 में मिट्टी के हिस्से की तरफ मिट्‌टी धंसने से क्षति प्रारम्भ होने के पश्चात् बांध को बांध सुरक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित करके विश्व बैंक की सहायता के लिए पत्रांक प्रेषित किए गए। विशेषज्ञों की राय से बांध सुरक्षा का कार्य करवाया जाना आवश्यक माना गया है। कोटा बेराज से 14 क्यूसेक पानी का लगातार रिसाव होने एवं पुराने गढ़ पैलेस कोटा की दीवारों में हो रहे छिद्रों से निकल रहे पानी से बांध को खतरा पैदा हो गया है। विशेषज्ञों के मुताविक बांध की मरम्मत का कार्य बांध के पानी भराव लेवल को 854.00 फीट के स्थान पर 842.00 फीट करने पर ही संभव हो सकता है। बांध के पानी का स्तर 842.00 फीट नहीं करके करवाया जा रहा कार्य कतई टिकाऊ एवं बांध की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। जो मैटीरियल एवं सीमेंट काम में लिया जा रहा है, वह पानी के दबाव से बह जाता है तथा उसकी पूरी उपयोगिता नहीं है। 1998 के इस गर्मी के मौसम में केनाल के बन्द रहने के समय बांध के पूर्वी हिस्से तथा गढ़ पैलेस की तरफ कार्य करवाया जाना निर्धारित होने के उपरान्त भी कार्य नहीं हो सका। विश्व बैंक स्वीकृति राशि समयावधि समाप्त होने पर व्यय करने को तैयार नहीं होगा जिससे समस्या के जटिल होने की संभावना बढ़ गयी है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा बैराज की मरम्मत के कार्य को उचित दिशा में शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों के कारण होने वाले मृदाक्षरण को रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुडी) आरक्षित वनों, कई झरने, नदियों तथा चाय बागान वाले जलपाईगुडी के अधिकांश भाग पूर्वोत्तर के 'द्वार'; प्रवेश द्वार के नाम से जाने जाते हैं।

भूटान तथा सिक्किम से नदियां तेजी से 'द्वार' होकर दक्षिण में बरसात के मौसम में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ये नदियां अपने प्राथमिक चरण

में लहे, गोलारम, पत्थर, बालू तथा गाद समेटते हुए नदी-थाला को ऊंचा बना देती हैं तथा बरसात में ऊपर से आती हुई पानी को रोकने में अक्षम बना देती हैं। वे अपनी तटों पर लबालब हो जाते हैं। बार-बार आने वाली बाढ़ एकमात्र रेल लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षतिग्रस्त कर देती है। तब समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाता है।

मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह मृदाक्षरण, पेड़ों के गिरने तथा वार्षिक बाढ़ को रोकने के लिए संबद्ध देशों तथा राज्यों से सलाह करके एक मास्टर योजना तैयार करे। ऐसी मास्टर प्लान, महंगी भले ही हो परन्तु लोगों की परेशानियों तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की व्यापक स्तर पर बर्बादी को रोकने का एकमात्र उपाय है।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश में जौनपुर, इलाहाबाद खंड पर गांव रायपुर-दुर्गादेवी में रेलवे फाटक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : आजादी के पूर्व उत्तर प्रदेश के उत्तर रेलवे द्वारा जौनपुर से इलाहाबाद तक रेल लाइन बिछायी गयी है जिस पर दो यात्री गाड़ियां सुबह-शाम चलती हैं। रेल लाइन के दोनों तरफ सड़क मार्ग से यात्री आते-जाते हैं। एक सड़क वरसदी बाया जमालपुर से वाराणसी जाती है। जौनपुर-इलाहाबाद रेल लाइन को ग्राम रायपुर दुर्गादिवी में काटती है। रेल लाइन पर कोई फाटक नहीं होने के कारण आये दिन रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व में कई बार रेल दुर्घटना में दर्जनों जाने जा चुकी हैं।

अतः भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जौनपुर-इलाहाबाद रेल मार्ग पर ग्राम रायपुर दुर्गादेवी ग्राम में बरसदी जमालपुर-वाराणसी सड़क मार्ग पर एक रेल फाटक बनवाया जाए जिससे रेल दुर्घटना को रोका जा सके।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु में कुड्डालोर - तिरूकोविलूर-अन्नाईकट्टू सलाई रेल फाटक पर ऊपरी पुल की आवश्यकता

श्री एम०सी० दमोदरन (कुड्डालोर) : कुड्डालोर जो एक पुरातन पत्तन के साथ अब एक जिला मुख्यालय है। यह तेजी से उभरता हुआ व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्र भी है। यह एक दोहरे शहर के रूप में पुरानी शहर तथा नई शहर के रूप में विकसित हुआ है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते यातायात ने इन दिनों कुड्डालोर के लोगों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। शहर के बीचोबीच एक रेलवे फाटक के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई है। चेन्नाई तथा तंजावुर के बीच जिस रेलवे मेन लाइन भारी यातायात रहता है दिन में कई बार रेलवे फाटक होकर गुजरता है। भारी यातायात वाले कुड्डालोर - तिरूकोविलूर - अन्नाइकट्टू सलाई के निकट कुड्डालोर रेलवे जंक्शन, शहर का बस स्टैंड इस सड़क के पूर्व में है जबकि मुख्य बाजार तथा रेलवे स्टेशन इस सड़क के पश्चिम में है। रेलवे लाइन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले लोग रेलवे फाटक के कारण कठिनाई अनुभव करते हैं क्योंकि इससे सड़क यातायात तथा पैदल चलनेवालों का मार्ग अवरुद्ध होता है।

इस शहर के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्या का निदान रेलवे के पास है। समय की मांग है कि सुविधा के लिए जल्द से जल्द एक उपरिपुल बनाया जाय। अतएव, मैं रेल मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि वह कुड्डालोर- तिरूकोविलूर-अनाइकट्टू सलाइ पर एक रेलवे उपरिपुल का निर्माण करे।

(ग्यारह) वनस्पति निर्माताओं द्वारा आयात्ति खाद्य तेल को 8 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त किए जाने की आवश्यकता

डा० रणजीत कुमार पांजा (बारसाट) : वनस्पति सामान्य लोगों के लिए आम रसोई का माध्यम है। कराधान के कारण मूल्यवृद्धि, आयात कठिनाइयों तथा हाल के 8 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के परिणामस्वरूप इस रसोई माध्यम के सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से बाहर होने की संभावना है तथा यह सदा के लिए बाजार से बाहर हो जाने की संभावना है क्योंकि यह पहले से ही रूग्ण वनस्पति उद्योग पर भार पड़ गया है। 189 में से 79 फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं तथा शेष 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रही हैं।

मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि समाचार पत्र/प्रिंटिंग उद्योग की तरह से वनस्पति उत्पादकों द्वारा आयात्ति खाद्य तेल तथा खाद्य तेल संयंत्र को कच्चे माल की तरह 8 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क के दायरे से मुक्त किया जाए।

(बारह) प्रदूषित मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डा० बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : यह आम जनता से संबंधित तुरंत चिंता का विषय है कि श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने बोतलबंद मिनरल वाटर की श्रेष्ठ ब्रांडों में से 14 का परीक्षण किया है तथा पाया कि आपूर्ति की 65 प्रतिशत मानव उपयोग के लिए असुरक्षित है।

सरकार तुरंत ऐसे प्रदुषित बोतलबंद मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए।

(तेरह) नागपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अब नागपुर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का समय आ गया है क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 3000 हज यात्री विदर्भ तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों से मक्का तथा जद्दा की यात्रा करते हैं। इन यात्रियों में से अधिकांश वयोवृद्ध हैं तथा मुंबई के सहारा हवाई अड्डे से बीजा लेने तथा हवाई जहाज पकड़ने में तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं।

प्रत्येक वर्ष इन यात्रियों को जाली ट्रेवेल एजेंटों द्वारा धोखा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के समय में लगातार परिवर्तन के कारण मुंबई में पुराने यात्रियों तथा उनके संबंधियों को रहने में आवास संबंधी असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए मुंबई की बजाय नागपुर से आप्रवास, सीमाशुल्क इत्यादि संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कदम उठाएं जाने चाहिए।

विदर्भ के लोगों द्वारा दो वर्ष से लंबे समझाने बुझाने के परिणामस्वरूप नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय नौभार बढ़ाने के लिए हवाई नौभार प्रचालन के लिए नागपुर हवाई अड्डा उपलब्ध है और रनवे का विस्तार 10,000 फीट तक पहले ही कर दिया गया है तथा विशाल आकार वाले विमानों की मांग पूरा करने के लिए इसके प्रचालन हेतु फिर से गलीचा बिछा दिया

[श्री विलास मुत्तेमवार]

गया है। इस रनवे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई नीभार चार्टर्स बिना किसी समस्या का परिचालन किया जा रहा है।

यहां लोग कारगो सेवा आरंभ किए जाने के बाद नागपुर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवा प्रदान किए जाने की तत्परता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सेवा न केवल समूचे विदर्भ क्षेत्र के लिए बल्कि मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के कई निकटवर्ती जिलों में औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में यथा पर्यटन में बहुमुखी आयामों को लाभ पहुंचाएगा। नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डा बनाने से अत्यधिक आबादी वाले नगरों से भीड़-भाड़ तथा बोझ को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।

इस क्षेत्र के लोगों की हवाई सुविधाओं की कमी के कारण इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए तथा प्रस्ताव पर सहमति देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.59 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 जून 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 जून, 1998 को पारित किए गए राष्ट्रीय औषध - शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री गुजरात गए थे। उनको गुजरात के मामले में बयान देना था। उसका क्या हुआ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत मारुति उद्योग लिमिटेड पर 3 बजे अपराह्न चर्चा शुरू होनी चाहिए। इसके पहले चल रही चर्चा चाहे किसी भी स्थिति में हो।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री द्वारा आज अपराह्न 2 बजे जवाब देना नियत है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, वे हमारी आवाज को इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नियम 193 के अंतर्गत मारुति उद्योग पर कब चर्चा करवाई जायेगी। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले वित्त मंत्री का जवाब पूरा होने दें।

अपराह्न 3.00 बजे

सामान्य बजट – (1998-99)–*सामान्य चर्चा* और *अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) – 1995-96–*जारी*

[हिन्दी]

****डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1998-99 का अर्थ संकल्प एक सामूहिक कदम है। प्राथमिकता तथा उद्देश्य दोनों दृष्टियों से यह स्वागत योग्य है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं रोजगार पर जहां बल दिया गया है वहीं रक्षा बजट पर व्यय में वृद्धि की जाना विशेष महत्व रखता है। नाभिकीय कार्यक्रम व अणु विस्तार कार्यक्रम में भी उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित ही भारत को एक विशेष स्थान पर लाकर खड़ा करने की महत्वाकांक्षा का संकेत है। भारत कृषि प्रधान देश है। अभी तक इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है, किन्तु पहली बार 50 प्रतिशत से अधिक की आंबटन में वृद्धि ने किसानों में एक विश्वास पैदा किया है। देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार द्वारा यूरिया की कीमतों में वृद्धि की गई थी, किंतु उसे काफी कम किया गया है और विश्वास है कि वह वृद्धि वापस हो जाएगी। यहां किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की योजना भी अपने में एक अच्छा कदम है। ग्रामीण विकास के लिए उठाए गए कदम भी सराहनीय हैं।

सभापति महोदय, कृषि के साथ शिक्षा पर की गई वृद्धि भी स्वागत योग्य है। देश में बढ़ती हुई आबादी और निरक्षरों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने तथा देश को साक्षर देश की श्रेणी में लाने का उत्तम प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था व समाधान की दृष्टि राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप बजट में व्यवस्था करना अपने कथन को वास्तविकता में परिणत करने का उदाहरण है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा रक्षा पर

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

** भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आंबटन में वृद्धि कर देश को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि भारत सुरक्षित है। हमें पड़ोसियों की धमकियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

महोदया, कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका भार आम आदमी या विशेष कर मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर पड़ सकता है वह है अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे या अन्य डाक दरें। मुझे विदित है कि इसमें कमी की जाकर जनाकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें राहत दी जाएगी। सेवाकर या टैंट हाउसों पर कर की वापसी भी आम आदमी को राहत देगी। आज हम आर्थिक दृष्टि से भूमंडलीकरण या ग्लोबलाईजेशन की चर्चा करते हैं। निश्चित ही बहुत से मामले ऐसे हैं जिन्हें अन्य देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक संबंध की दृष्टि से देखा जाना जरूरी होता है और उसी दृष्टि से आयात-निर्यात के मामले में जैसे उत्पादकर, बिक्रीकर या आयात कर आदि को सुसंगत बनाने की पूरी चेष्टा की गई है। यही कारण है कि उद्योग जगत ने इस बजट को संतुलित और व्यावहारिक बताया है। उपहार कर की समाप्ति भी एक उल्लेखनीय कदम है। बजट में कुछ नई प्राथमिकताएं की जा रही हैं। स्वेदशी को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में और विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। बिजली, परिवहन, दूरसंचार और बीमा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं और व्यवस्था भी एक परिवर्तन का संकेत देती हैं।

सभापति महोदय, कतिपय विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट को दिशाहीन और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला कहा है, लेकिन यदि बजटीय प्रावधानों को गंभीरता से देखा जाए, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिलता है। दिशाएं क्या हैं यह तय है। ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र को समुन्नत करने, देश को रक्षा के मामले में सुसज्जित करने और युवकों में आत्मविश्वास जगाते हुए बेकारी और बेरोजगारी समाप्त करने के संकल्प के साथ बजट प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा है शिक्षा की दृष्टि से उसमें किया गया आबंटन एक स्वागत योग्य कदम है। इस बजट से महंगाई बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है तथापि वैश्विक या भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के चलते कहीं कोई थोड़ा बहुत असर भले ही नजर आए, लेकिन वह हमारे प्रयासों के कारण नगण्य होगा। फिल्म उद्योग को दी गई सहायता से कई लोगों को शंका है, लेकिन उनकी आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी क्योंकि आजकल जिस प्रकार से सिनेमा जगत और उससे जुड़े लोगों की जीविका पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है वह हटेगा और दूसरी ओर इसमें उगने वाले काले धन पर भी अंकुश लगेगा। बड़ी हद तक उसकी रोक होगी।

महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक का दबाव भी हम पर होगा, किन्तु जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान है, स्वदेशी है और हमारा संकल्प है देश को आगे ले जाने का, तो हम उस पर भी काबू पाएंगे। उनके दबाव में हमारी योजनाओं में कमी माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में नई जान डालने का प्रयास किया है। अनिवासी भारतियों को भी एक अवसर दिया है कि वे अपने देश को समुन्नत बनाने के लिए आगे आएं। औद्योगिक क्षेत्र में एक आत्म विश्वास जगाने तथा निरंतर घाटे में चल रहे उद्योगों के कारण बढ़ते हुए मजदूर असंतोष को दृष्टिगत रखते हुए बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुछ विशेष व्यवस्था की है देश को पेट्रोलियम या तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी काफी कुछ कहा गया है। बजट का स्वागत व सराहना सभी ओर से हुई है। कुछ माननीय सदस्यों को यूरिया व पेट्रोल की कीमतों पर आपत्ति थी वह भी काफी हद तक दूर की गई है।

महोदया, अंत में पुनः वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों के व्यावहारिक सुझावों को देखें और तदनुरूप अपने उत्तर के समय उन पर आश्वस्त करें।

***श्री देवेन्द्र बहादुर राय** (सुल्तानपुर) : महोदय, आम बजट पर चर्चा में सहभागिता के लिए अवसर देने पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

भाजपा गठबन्धन के प्रधान मंत्री, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों और उद्योगपतियों ने सराहा है। दुनिया के राजनैतिक एंव अर्थशास्त्रीगणों ने विभिन्न उन्नतशील देशों द्वारा प्रतिबन्धों को देखकर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया है।

वर्तमान बजट पर चर्चा करने से पूर्व देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था पर विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा। सन् 1992-93 से प्रारम्भ उदारीकरण के प्रथम चरण में उद्योग क्षेत्र मे विकास तो हुआ, परन्तु कृषि क्षेत्र में केन्द्र सरकार एवं विदेशी निवेशकों ने पूंजी तो लगायी, परन्तु कृषि क्षेत्र में न तो सरकार ने और न ही विदेशी निवेशकों ने कोई पूंजी लगाई। स्पष्ट था कि कृषि क्षेत्र पिछड़ गया। जीडीपी का 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। विगत दो वर्षों से उद्योग में भी विकात की गति रुक गई है और मन्दी का दौर चल रहा है। इन सभी चुनौतियों को इस बजट ने स्वीकार किया है।

प्रत्येक बजट में कुछ कमी रह जाती है, परन्तु बजट वही अच्छा है, जिसमें दिशा हो और अच्छाइयां अधिक हों, अच्छे बजट के रूप में कृषि, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सोशियल सैक्टर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र जीडीपी का 30 प्रतिशत प्रदान करता है और उपभोक्ता वर्ग 70 प्रतिशत उपलब्ध करता है। इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री जी ने विगत वर्ष की तुलना में सिंचाई पर 517 करोड़ रुपए के स्थान पर 677 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए हैं। इसी क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी दो हजार के मुकाबले तीस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह एक सराहनीय कदम है। किसानों को क्रैडिट कार्ड देना भी एक नया कदम है।

महोदय, विगत वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया और हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, परन्तु इस बजट में 45252 के स्थान पर 61146 करोड़ रुपए (35 प्रतिशत की बढ़ोतरी) उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए जोरदार प्रयास किया गया है।

महोदय, आवास पर जो अधिक जोर दिया गया है, उसका फल इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान के रूप में मिलेगा। गरीबों को मकान, बेरोजगारों को रोजगार, सीमेन्ट, लोहा आदि उद्योगों के उत्साह का बोध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष के 4716 के स्थान पर 7047 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान करके वित्त मंत्री जी ने वर्तमान एवं नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। रक्षा बजट पर 14 प्रतिशत से ज्यादा धन देकर वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, वह वन्दनीय है। अभी कांग्रेस की सम्मानित महिला सदस्य ने कहा कि रक्षा पर ज्यादा धन देकर भाजपा के गठबन्धन सरकारों ने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर रही है। मैं आपके माध्यम से ऐसे आलोचकों को सन् 1962 के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री देवेन्द्र बहादुर राय]

भारत-चीन युद्ध की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। महोदय, उस समय की सरकार टैंक के कारखाने में ट्रैक्टर बना रही थी। हिमालय की बर्फीली सीमाओं पर सैनिकों को साधारण जूता और वर्दी दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? हमारे हजारों जवान मारे गए, लाखों वर्गमील जमीन चीन के कब्जे में चली गई। रक्षा मंत्री हटाए गए और श्री नेहरू का सम्मान गिरा। दीवाली पर करोड़ों देशवासियों की आंखों में पानी भर आया और लता जी ने रोमांचक ओर दुखदायी गीत के बोल गाए। वर्तमान बजट की आलोचना नहीं, प्रंशसा होनी चाहिए। अब न शहीदी गीत के बोल गाए जाएंगे और न किसी पर्व पर आंसु बहाए जाएंगे। गाना ही होगा, तो वीर गीत हम गायेंगे।

अंत में, महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विगत वर्ष के बजट चर्चा पर भी मैंने यह बात कही थी। इस ओर कोई प्रगति न होने के कारण मैं पुनः इस बात को यहां पर उठा रहा हूं। महोदय, पैसा एकत्रित करके लाखों रुपयों का बजट बनाया जाता है और लोगों पर टेक्स लगाया जा रहा है और उधार भी लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाम प्रकार के विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है नहीं।

महोदय, वर्ष के चार माहों में बजट बनता है और अगले सात माह 15 दिनों लगभग 30 प्रतिशत बजट खर्च होता है, जबकि 20 मार्च से 31 मार्च के बीच लगभग 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बजट खर्च होता है। यह एक क्रिमिनल वेस्टेज है। ऐसे लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करनी होगी। केवल दस दिनों में अरबों का खर्च, खर्च नहीं बल्कि हेराफेरी है। वास्तव में तीन-तीन माह पर चर्चा होनी चाहिए और देश के पैसे को लूट के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा। पीने के पानी के लिए भी तीन माह के अन्दर एक विस्तृत योजना बनायी जाए अन्यथा भविष्य में अशान्ति का मुख्य कारण पीने के पानी का अभाव होगा।

महोदय, वर्तमान बजट का मैं समर्थन करता हूं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अवसर प्रदान करने पर आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।

***श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : अध्यक्ष महादेय, मेरा नाम जनरल बजट पर बोलने के लिए सूची में था लेकिन समय के अभाव में वार्ता में भाग न ले सका। अतः मेरा भाषण एवं सुझाव को वाद-विवाद में सम्मिलित किया जाये।

अध्यक्ष महादेय, वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संसद में जो क्रांतिकारी बजट पेश किया है उसके समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से देश की आम जनता को लाभ मिलेगा, जो पचास वर्षों तक नहीं मिल पाया। इस बजट में गरीबों को, हर व्यक्ति को पानी की सुविधा, सड़कों एवं पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा मे अधिक धन खर्च करना, इन्दिरा आवास की संख्या बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार में अधिक धन देना, बंद पड़ी सिंचाई योजना को चालू करना, गांव में बिजली की व्यवस्था करना, बीमार पड़े उद्योग को ठीक करना तथा वनांचल राज्य को अलग करना, अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करना जैसे बहुदेशीय स्वर्ण रेखा परियोजना चाण्डील पश्चिम सिंहभूम के अधूरे कार्य को पूरा करना। इस प्रकार वित्त मंत्री द्वारा लाया गया बजट गरीबों के हित में है और यह सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए देश हित में लाया गया है। यह अत्यंत ही सराहनीय है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

परन्तु साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं कि सरकार धन हर विभाग को देती रही है और उस धन का दुरुपयोग होता रहा है। गरीबों के नाम पर लूट मचती रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि पैसा ईमानदारी से खर्च हो और योजनाएं समय पर पूरी हों। अन्यथा धन का दुरुपयोग होगा जैसा कि पहले होता रहा है। हर योजना को चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो अथवा इन्दिरा आवास योजना हो, जो धन केन्द्र सरकार देती है उसमें सांसद की भागीदारी अवश्य हो। सांसद की सलाह एवं अनुशंसा पर योजना स्वीकृत की जाये एवं दूसरी समीक्षा तीन महीने में हो तो योजनायें समय पर बन सकती हैं। चापाकल सिर्फ विधायकों को दिया गया है, सांसद को कुछ नहीं है। अतः सांसद को भी चापाकल का कोटा दिया जाये।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि भ्रष्टाचार पर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी योजना या कोई भी काम पूरा नहीं हो पायेगा। इसके लिए सरकार को शक्ति से पेश आना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करता है चाहे वह सरकारी नौकर हो या जन प्रतिनिधि, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी तभी भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है। बिचौलिये, दलाल हर जगह व्याप्त हैं, इन सब पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और कार्रवाई करनी होगी तभी ईमानदारी से काम हो पायेगा। इसके साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार से अपने क्षेत्र रांची की कुछ ज्वलन्त समस्याओं के समाधान करने के लिए अनुरोध करता हूं।

1. बहुदेशीय परियोजना चाण्डील, प० सिंह भूम का अधूरा कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाये।

2. एच.ई.सी. धूर्वा को अधिक कार्य निर्देश दिये जायें एवं वहां के स्तरीय पदाधिकारियों को शीघ्र हटाया जाये। अध्यक्ष यह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक दो रिटायर व्यक्ति हैं। वहां विज्ञापन द्वारा योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाये।

3. गोला, चाण्डील, भाया सिली, बन्ता, बारेन्दा सड़क को चालीस वर्षों से बन रहा है, अभी तक अधूरा है। केन्द्र सरकार उसे अपने हाथ में लेकर अधूरी सड़क एवं पुलिया का कार्य पूरा कराये।

   इसी तरह रांची शहर जिसकी आबादी दस लाख की है, बाईपास सड़क नहीं बनी है। वहां बाईपास सड़क बनाई जाये। वनांचल राज्य का बिल इसी सत्र में लाया जाये। यूरिया की बढ़ी हुई कीमत पूरी तरह समाप्त की जाये।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अध्यक्ष महादेय को धन्यवाद देते हुए इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं। धन्यवाद

***डा० रामविलास वेदान्ती** (प्रतापगढ़) : अर्थशास्त्र का सिद्धांत मांग व आपूर्ति पर आधारित है। मांग व आपूर्ति ही भोग की प्रवृति को बढ़ाती है और इसका स्रोत है—मन। इतिहास साक्षी है कि मन की निरंकुशता ही भौतिकता, स्वार्थ परायणता, विवेकहीनता, अनैतिकता, कटुता, सामाजिक वैमनस्यता आदि का कारण रही है। इसकी परिणति की संस्कृति, सभ्यता व राष्ट्र के विनाश के रूप में परिलक्षित होती रही है।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
यूनान, मिस्त्रों, रूमा सब मिट गए जहां से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वह "कुछ बात" भारतीय मनीषियों ने प्रारम्भ से अनुभव किया—मन पर अंकुश का। आवश्यकताओं को सीमा में बांधने का। अपरिग्रह के महत्व को समझने में। इस मंथन से उद्घोषित हुआ "सादा जीवन उच्च विचार" का सूक्त। यह सभी प्रयास मानवता, सभ्यता, संस्कृति को भौतिकता तथा बाजार की उपभोक्तावादी दानवों के ग्रास से बचाने के लिए किया गया।

मांग व आपूर्ति एक सिद्धांत है, किन्तु अर्थतंत्र की सुदृढ़ता उपभोग से नहीं बल्कि आय में बढ़ोतरी द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। यही कारण रहा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आशा नहीं बल्कि उपभोग पर अंकुश रखने पर बल दिया। लूट प्रवृत्ति के पोषकों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र रास नहीं आ सकते। विकासशील व गरीब देशों में अपने उत्पाद की खपत कर आर्थिक आधिपत्य की लालसा उन्हें चार्वाग के ऋणं कृत्वा घृतं पिवेति के सिद्धांत के अधिक निकट ले जाते हैं। स्मिथ, प्लूटो व अरस्तु का बाजारी गणित उन्हें अधिक व्यवहारिक लगते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में विकसित वेस्ट मीनिस्टर व्यवस्था के कारण पश्चिम के उपभोक्तावादी सोच को इस देश में अपनी जड़ों को फैलाने में सकारात्मक सहयोग मिला और सन् 1991 के राजकीय खाद ने तो दोहन की इस प्रक्रिया को फलने-फूलने में गुणात्मक संवर्धन किया।

माननीय श्री अटल जी के कुशल नैतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार के वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत पहला बजट उपभोग पर अंकुश लगाने के भारतीय मानसिकता की झांकी अवश्य प्रस्तुत करती है जब आयकर की परिधि में क्रैडिट कार्ड तथा महंगे क्लबों के सदस्यों को रखने का प्रावधान रखा गया। ढुलाई/मजदूरी करने वालों के स्थान पर चार्टर्ड एकाउंटेंट, मैनेजमेंट सलाहकार, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सचिव आदि जैसे महंगे पेशा से संबंधित लोगों को आयकर के दायरे में लाया जाना निश्चित ही स्वागत योग्य प्रयास है। मैं एक कदम आगे बढ़कर वित्त मंत्री जी ये यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आंतरिक अर्थतंत्र की सुदृढ़ता के लिए उनका मंत्रालय उन आयों पर जिनका निवेश नये संस्था को खोलने, अनुसंधान/टैक्नोलॉजी के विकास में, रोजगार उपलब्ध कराने में या राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोग हो सके, को आयकर परिधि से सर्वथा मुक्त करने पर सार्थक विचार करें। निश्चित ही इसका दूरभागी प्रभाव आंतरिक अर्थतंत्र के सुदृढ़ता पर पड़ेगा।

वैश्वीकरण ने शोषण का मीठा जहर फैलाने के उद्देश्य से नया भ्रम फैलाया-भूमंडलीकरण का। जबकि सच्चाई यह है कि समाज व राष्ट्र के उत्भव के साथ ही अंतरदेशीय व्यापार व पर्यटन अपने अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों/धर्मग्रंथों में वर्णित प्रागेतिहासिक काल में देवताओं/देवदूतों/पैगम्बरों के भ्रमण से लेकर मार्कोपोलो, वास्को-डी-गामा, सिन्दबाद, फाहियान, मेगस्थनीज, ह्वेनसांग तथा व्यापारियों/राजनयिकों द्वारा की गई यात्राएं इस कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। हां, संचार व यातायात की आज की उन्नत टैक्नोलॉजी ने समय की बचत के साथ भूमंडलीकरण के दुष्कर अवसर सभी के लिए सुगमता से उपलब्ध करा दिये हैं।

वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के माध्यम से विदेशी टैक्नोलॉजी व विदेशी निवेश के प्रलोभन दिये गए। हमने आंतरिक अर्थतंत्र/टेक्नोलॉजी अंवेषण को वरियता देने की अपेक्षा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तर्ज पर अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए विदेशी आकाओं के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिये। दौ सौ वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिछाये गए परतंत्रता के जाल को भी हम अपनी सनक में भूल गए। कितनी टैक्नोलॉजी आ पायी है विदेशों से और जो आयी भी उसका भी स्वदेशीकरण नहीं कर पाए। ढांचागत क्षेत्रों को, सुगमता से उपलब्ध आयातित टैक्नोलॉजी के हवाले कर छद्म विकास का ढिंढोरा पीटते रहे। हम यह भूल गए कि आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है। टेलीफोन यंत्र तक में हमें स्वदेशी टैक्नोलॉजी नहीं ला सके। माइक्रो-चिप्स व सैमी-कंडक्टर डिवाइसेस के लिए हमे विदेशियों पर आश्रित रहना पड़ता है। डनलप द्वारा टायर/ट्यूब टैक्नोलॉजी हस्तांतरण करने से इंकार करने के कारण ही सीएट इंडिया जैसी बड़ी कम्पनी को बिकना पड़ा। यह तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। सच्चाई यह है कि हमारी निष्क्रियता के कारण ही हमारे भौतिक विकास का रिमोट कमोवेश अब विदेशियों के हाथ में है। टैक्नोलॉजी आयी है अवश्य लेकिन आलू चिप्स में खाद्य प्रसंस्करण में, सौन्दर्य प्रसाधनों में, फूहड़पन तथा अपसंस्कृति को फैलाने में। अनुसंधान, विज्ञान व टैक्नोलॉजी मदों में उचित आबंटन कर वित्त मंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने का एक प्रयास इस बजट द्वारा किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

निठ्ठलापन के आदी व्यवस्था ने बहुत आसानी से उदारीकरण की आड़ में उधारीकरण को ही बढ़ाया है। आज स्थिति यह है कि कर के रूप में जनता से वसूले गए प्रति रुपए से लगभग चालिस पैसा ब्याज की भरपाई में ही जा रहा है, मूल ऋण तो अलग से यथावत ही है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997-98 में सरकार की कुल ऋण देनदारियां 734,000 करोड़ थी जिसमें से विदेशी ऋण 56,000 करोड़। इसका अनुपातिक उपयोग ढांचागत क्षेत्रों के बजाय रेवड़ियां बांटने या बीमार इकाइयों की देनदारियों या फिर सरकारी रिसाव में ही अधिकतर हुआ है। इन पर हमें प्रतिवर्ष 68,000 करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ता है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्याज के इस चक्रव्यूह से भारत की जनता को मुक्त करने के लिए एकमुस्त अदायगी का विकल्प अनुपयोगी सम्पत्ति के विक्रय या स्वैच्छिक कोष की स्थापना के माध्यम से ढूंढने का प्रयास अवश्य करें।

जहां तक विदेशी निवेश की बात है उसका एक उदाहरण ही यथेष्ट होगा। हम 15 अरब डालर का खर्च प्रतिवर्ष सोना आयात में करते हैं। यह तो केवल एक ही मद की बात है जबकि विदेशी निवेश मिलता है 2 या 3 अरब डालर। मैं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। दिल्ली में सबसे अधिक पान की दुकान चलाने वाले प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के चौरसिया लोग हैं। अनुमानतः उनकी मासिक आय यदि पांच हजार भी मान ली जाए तो बचत में से हजार को कम से कम वे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए भेजतें ही होंगे। दिल्ली मे अर्जित आय का कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ भी जाता है, और यह स्वाभाविक भी है। यही सिद्धांत निवेश करने वालों पर लागू होता है। भयावहता तब और भी बढ़ जाती है जब लूट संस्कृति के कारण न्यूनतम मर्यादाओं की उपेक्षा करते हुए लाभ बटोरने की अमानवीय प्रवृति हावी हो जाती है। विदेशी निवेशकों की मानसिकता में ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। एशियन टाइगर्स कहलाकर गुब्बारे की भांति फूले रहे इंडोनेशिया, थाईलैंड व मलेशिया का विदेशी निवेश पर आधारित आर्थिक सत्र हमारे सामने है। लैटिन अमरीकी देशों की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसी दशा में आसन्न संकट को देखते हुए आंतरिक अर्थ तंत्र को सशक्त करने पर अधिक बल दिया जाना ही समय की मांग है। भविष्यद्रष्टा श्री अटल जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए आंतरिक उदारीकरण की एक पहल की है। बीमा क्षेत्र को भारतीय निवेशकों के लिए खोलना उसी की एक कड़ी है। भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीयों के लिए बजट में प्रदान की गई सुविधा, निश्चित तौर पर निवेश तथा मुक्त बाजार का भारतीय संस्करण ही है। इससे आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ राष्ट्र को होगा। आठ फीसदी अनिवार्य आयात शुल्क मृतप्रायः देशी उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जबड़े से बाहर निकाल कर प्रतियोगिता की एक पृष्ठभूमि ही नहीं प्रदान करती अपितु नौकरशाही के जंजार से मुक्ति का संकल्पतता टैक्स में दी गई राहत लघु उद्योगों के विकास में रामबाण सिद्ध होगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा-निर्देश में भाजपा गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में यह घोषणा कि गांधी

[डा० रामविलास वेदान्ती]

जी के निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रावधान अपने आप में एक सकारात्मक क्रांतिकारी प्रयास है। स्वाधीनता के साथ-साथ हमारे यहां विभाजन की दो घटनाएं एक साथ हुईं। एक भौगोलिक तथा दूसरी मानसिक। एक प्रत्यक्ष तथा दूसरी अप्रत्यक्ष। भारत व इंडिया इसके दो स्वरूप हैं। भारत जहां गांवों में बसता है, 75 करोड़ आबादी वाला वह क्षेत्र जहां गांधी जी का निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति निवास करता है। इंडिया को सजाने व संवारने के लिए जिसका पल प्रतिपल शोषण होता है। साउथ व नार्थ ब्लॉक में बैठने वाले अब तक यह नहीं देख पाए कि 5 रुपये की रोजाना आय पर जीवन यापन करने वाली देश की आधी आबादी का बारह रुपये प्रति बोतल बिकने वाली बिसलरी वाटर, पेप्सी या कोला या फिर महंगे फास्ट फूड या इटालियन पीजा से कहीं कोई लेना-देना भी है या नहीं। हमने यह अनुभव किया। वित्त मंत्री जी ने बजट प्रावधानों को ग्रामों की ओर मोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। कृषि योजना व्यय पर पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी व किसान कार्ड एक उदाहरण के रूप में आज हमारे सामने हैं। मूलभूत ढांचागत क्षेत्रों को स्वातंत्र करने के लिए 35 प्रतिशत अधिक धन का बजट में आबंटन स्वावलम्बी भारत के निर्माण के प्रति हमारी वचनबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

1974 के नाभकीय परीक्षण को रोकने के लिए विदेशी निवेश जैसा कोई हौवा तब हमारे सामने नहीं था। आज परिस्थिति बदली हुई है। उदारीकरण के मसीहाओं के कारण हमारे ऊपर अनावश्यक अंकुश लगाने का प्रयास चल रहा है। हमसे आशा की जा रही है कि हम सीमित दायरे में रहें, कमजोर बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें। यह एक कुचक्र है। देश की अस्मिता की रक्षा के लिए माननीय अटल जी ने इन घुड़कियों से विचलित हुए बिना एक साहसिक निर्णय लिया। देश आज अपने को गौरान्वित महसूस कर रहा है। स्वावलम्बन की दिशा में भी लोग प्रयासरत हो रहे हैं। एक पहल वित्त मंत्री जी ने भी की है। विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करते हुए इस पर आर्थिक प्रतिबंधों की छाया भी नहीं पड़ने दी। कुछ लोग इससे बहुत हताश हैं। पहले उनका आकलन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कठोर बजट रूपी मशाले का था। उनकी शंकाएं निर्मूल हुईं। वे अब बहुत परेशान हैं, फिर विरोध का सूत्र ढूंढ ही लिया। काफी मेहनती है। रोना रोया जाने लगा कि बजट में आर्थिक प्रतिबंधों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संकुचित राजनैतिक सीमाओं के पार ही राष्ट्र निर्माण सम्भव है। यदि इस प्रकार की कोई सम्भावनाएं वास्तव में हैं तो एकजुट होकर नई अर्थ संस्कृति के निर्माण में सभी को अपना योगदान करना चाहिए न कि विरोध के लिए तर्कहीन विरोध।

हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकरण की संस्कृति के चलते पोर्ट फोलियो इन्वेस्टमेंट, डब्लू.टी.ओ. डाईरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुद्रास्फीति जैसे गूढ़ शब्द जालों में फंस कर रह गई है। तर्क दिया जाता है कि आर्थिक प्रतिबंधों से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। महंगाई इससे बेकाबू हो जाएगी। एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1991-92 में मुद्रास्फीति 16 प्रतिशत के आसपास थी और बाजार में आटा तीन रुपये दस पैसा, आलू दो रुपया, चावल परमल छः रुपये प्रति किलो तथा सरसों तेल 28 रुपये लीटर बिक रहा था। 1997 में यही मुद्रास्फीति बीस वर्षों के रिकार्ड निम्नस्तर यानि 2.97 प्रतिशत पर रही। लेकिन महंगाई में गिरावट के बजाए आटा बिका दस रुपया, आलू दस रुपया, चावल परमल बिका दस से चौदह रुपया प्रति किलो तथा सरसों तेल 42 से 45 रुपये प्रति लीटर की दर से। कहां गया मुद्रास्फीति व महंगाई का अंतर संबंध का तर्क। आंकड़ों का खेल अब बंद होना चाहिए। सच्चाई को ईमानदारी से आत्मसात करने का प्रयास होना चाहिए। निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को अपनी राय रखनी चाहिए। बजट प्रावधानों के साथ वित्त मंत्री जी ने एक रूप रेखा प्रस्तुत कर दी है। अब इस पर ईमानदारी से, सहयोग के वातावरण को बनाते हुए अमल का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। नुक्ताचीनी करने की अपेक्षा यह अधिक प्रासंगिक है कि प्रावधानों के क्रियान्ययन के लिए व्यवस्थागत दोषों से यह सदन कैसे निपटेगा। इस पर विचार होना चाहिए। देश में कार्य संस्कृति हम किस प्रकार से प्रभावी कर पाएंगे यह सोचनीय विषय है। मैं समझता हूं कि हर सरकार के समक्ष यह समस्या खड़ी होती रही है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण में राजनैतिक सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई संस्कृति हम विकसित करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे। राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि मानते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे।

इस देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हो, स्वदेशी भूमि पर स्वदेशी गोबर की खाद का उपयोग हो, यूरिया की खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। रसायनिक खाद के प्रयोग से भूमि उसर हो रही है। गोबर की खाद भूमि का आहार है। भूमि सूखी रहती है, गोबर की खाद की कमी है। आठ कि.ग्रा. गोबर से 2 क्विंटल खाद बनती है। गोबर से तरल खाद बनाकर पौधों को अधिक फायदा होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुम्बई में होती है। उस उपकरण से ही बैल का होर्स-पावर 786 वाट बिजली लगातार पैदा करता है।

भारत के प्रधान मंत्री ने नैरोबी में 18 अगस्त 91 को हुए अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में स्वीकार किया था कि हमारे बिजलीघरों जिनकी अधिकारिक क्षमता 22 हजार मैगावाट है से अधिक ऊर्जा हमारे बैल प्रदान करते हैं। यदि उनको हटा दिया जाए तो बिजली उत्पादन पर 2,540 अरब डालर का पूंजी निवेश करना पड़ेगा। इस पर भी कृषि अर्थव्यवस्था को गोबर की खाद और कंडे के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले सस्ते ईंधन की हानि होगी।

अतः गोवंश की सुरक्षा कर देश की सम्पत्ति को बचाना चाहिए। इस देश में 8 करोड़ बैल कृषि कार्य में लगे हैं। किन्तु अब कम हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में बैलों की और आवश्यकता है। पर्यावरण की दृष्टि से। यह बजट बहुत ही अच्छा है। पूर्व सरकारों ने जमकर ऋण लिए और देश को बर्बादी के पथ पर खड़ा कर दिया। आज की परिस्थिति में टैक्स द्वारा वसूले गये रुपये में लगभग 40 पैसे इस ऋण पर ब्याज की अदायगी में ही लग जाता है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1997-98 में सरकार का कुल ऋण 734,000 करोड़ था जिसमें 56,000 करोड़ रुपये विदेशी ऋण था। यदि सरकार इस ऋण को अदा कर दे तो प्रति वर्ष 68.00 करोड़ रुपये के ब्याज की बचत हो जाएगी, जिससे नहरें और सड़कें पर्याप्त बनाई जा सकती हैं।इस ऋण की अदायगी के लिए सरकार को देखना होगा। यह बजट देश की गरीबी को समाप्त कर देश में समृद्धि लाना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।

स्वत्व ही व्यक्ति की मूल ऊर्जा होती है। जिस समाज के व्यक्तियों में स्वत्व का जागरण हो जाता है वहीं राष्ट्र वैभव और गौरव को प्राप्त कर लेता है। स्वत्व के जागरण का मूल स्रोत है स्वदेशी चिंतन।

आज देश निःसंदेह आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लिये गये विदेशी कर्ज का भारी बोझ तो दूसरी

ओर नाभिकीय परीक्षण के कारण लगाए गये विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध। लेकिन इस संक्रमण काल में भी केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री ने एक स्वदेशी सर्वहितकारी बजट देकर जहां देश में स्वत्व जागरण का एक अनुष्ठान किया है वहीं सरकार के साहस, संकल्प एवं दृढ इच्छा शक्ति को भी उजागर किया है। इसीलिए तो अगर उन कथित विपक्षी नेताओं को छोड़ दें, जोकि सरकार के किसी भी कदम की आलोचना करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं कर्तव्य मानते हैं, तो पूरे देश के अधिकांश अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, सम्पादकों, आर्थिक चिंतकों से लेकर आम गरीब व्यक्ति तक ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना ही की है।

शायद यह पहला मौका है जब जमीनी हकीकतों के मद्देनजर बजट तैयार किया गया। यही कारण है कि कृषि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल्याण क्षेत्र के साथ ही स्वदेशी कुटीर घरेलू उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है। कृषि बजट पर 50 प्रतिशत की वृद्धि कर सरकार ने साबित कर दिया कि उसे सर्वाधिक चिंता देश की बृहत्तर जनता के रूप में अन्नदाताओं की है। जो इस राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की छाया में सूख रहे घरेलू उद्योग में पुनः हरित क्रांति लाने का भी ठोस प्रयास है। जिसके कारण बेरोजगार के अवसर में भी भारी वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तुओं पर कर की वृद्धि भी न्यायपरक कदम ही है। स्वदेशी के हित में 8 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है।

[अनुवाद]

***श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील** (इरन्दोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए सामान्य बजट पर अपने भाषण की प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा को परिवर्तनकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूं। महोदय, यह बजट अनोखा है तथा यही ऐसा बजट हैं जिसमें सभी भारतीयों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। यह बजट शहरों तथा गांवों में रह रहे सभी भारतीयों के लिए अच्छा है।

मैं कृषकों एवं ग्रामीण जनसमुदाय की समस्याओं के समाधान का स्वागत करता हूं। भारत की आत्मा वास्तव में गांवों मे बसती है तथा सरकार ने ग्रामीणों के उत्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक तथा समुचित उपाय किए हैं। यह संतोष की बात है कि कृषि मंत्रालय के लिए योजना आबंटन 58 प्रतिशत है। यह भी संतोष की बात है कि एक लाख ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु, 1627 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं—सिंचाई तथा जल विकास कार्यक्रम स्वागत योग्य हैं। किसानों का मनोबल तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम प्रशंसनीय हैं।

औद्योगिक क्षेत्र मे वित्तीय तथा बाजार की बाधाओं से निपटने की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। नष्ट हो रहे छोटे तथा बड़े उद्योगों के लिए केंद्रीय सरकार से सहायता स्वागत योग्य है। आम जनता की दशा को सुधारने के लिए उनकी भोजन, कपड़े तथा आवास की आवश्यकताओं का प्रबन्ध वित्त मंत्री की छवि में परिलक्षित होता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आवास के क्षेत्र में उन्होंने ये योजनाएं बनाई हैं।

यदि हम आधारभूत संरचना पर ध्यान नहीं दें तो भारत की कोई प्रगति नहीं हो सकेगी तथा बजट में आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में बजट में उठाए गए कदम अत्यधिक प्रशंसनीय हैं। इतना ही नहीं ऊर्जा, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में 35 प्रतिशत तक बजट प्रावधानों को बढ़ाने का निर्णय सुविचारित है।

शिक्षा, युवा विकास कार्यक्रमों, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा इत्यादि के लिए विचार करने तथा पर्याप्त रूप से अधिक राशि का प्रावधान करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

वित्त मंत्री ने वित्त तथा पूंजी बाजार, अनिवासी भारतीयों से पूंजी की प्राप्ति, गैर सरकारी उपक्रमों में विनिवेश, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर के संबंध में विभिन्न उत्सावर्द्धक योजनाओं पर भी विचार किया है।

मैं सभी भारतीयों के लिए इतना उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री को एक बार फिर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

***श्री इन्द्रजीत मिश्र** (खलीलाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में मंत्रालय संभाला, उसपर विचार करें तो पायेंगे कि देश का आर्थिक विकास मात्र 5 प्रतिशत रह गया है। कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन घटकर 4.2 प्रतिशत रह गया है। राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत हो गया है। पूंजी बाजार की स्थिति निराशाजनक है। रुपये की कीमत लगातार घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में साहसपूर्ण कदम उठाकर सरकार की नीतियों को लागू करने का प्रयास किया गया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास के उत्पादन की ओर आपने ध्यान दिया है। देश की सिंचन क्षमता जो अब तक मात्र 37 प्रतिशत है, उसमें पर्याप्त वृद्धि हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि सकल बजट का 58 प्रतिशत निर्धारित कर एक सामयिक कदम उठाया गया है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर 677 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है जो 1997-98 के बजट से 30 प्रतिशत अधिक है। किसान ऋण के लिए दर-दर भटकता था, उसे खेती पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण बैंकों में भ्रष्टाचार के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। सरकार ने नाबार्ड की शेयर पूंजी में 500 करोड़ की भारी वृद्धि की है जिससे कृषकों की ऋण सुविधा काफी बढ़ेगी। साथ ही सरकार ने क्रैडिट कार्ड जारी करने की योजना बनाकर किसानों को सम्मानित किया है। कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार से आग्रह है कि ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन तथा ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों को देहात में मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएं तथा सहकारी बैंकों के संविधान में संशोधन कर सहकारी बंधुओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराएं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश में रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद आज भी तमाम फाइनेंस कम्पनियां बिना किसी गारंटी के चल रही हैं तथा आए दिन अपना कार्यालय समेटकर गरीबों की गाढ़ी कमाई हजम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री इन्द्रजीत .मिश्र]

कर रही हैं। इन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा सरकारी एवं ग्रामीण बैंकों की पूंजी जमा योजना को और आकर्षक बनाने के लिए ब्याज दर में वृद्धि की जाए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना, बाल विकास परियोजनाओं आदि जो रोजगार एंव विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए तथा उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जहां का नौजवान रोजगार की कमी के कारण देश के कोने-कोने में मजदूरी तथा नौकरी के लिए दर-दर भटकता है। रोजगार न मिलने के कारण वहां का नौजवान अपराध जगत की ओर प्रवृत हो रहा है, लूटपाट बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग के नाम पर एकमात्र खाद का कारखाना गोरखपुर में है। वह भी गत कई वर्षों से बंद पड़ा है, उसे अविलंब चालू कराया जाए। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोजगार परक कारखाने लगवाने की व्यवस्था कराई जाए। इस क्षेत्र में बिजली का नितांत अभाव है। विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना केन्द्रीय स्तर पर कराई जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विकास पैकेज तैयार कराया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके विकास परक बजट के लिए पुनः बधाई देता हूं।

***श्रीमती कमल रानी** (घाटमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। यह विदित ही है कि भाजपा सरकार ने 19 मार्च, 1989 को पदभार ग्रहण किया था और उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, वह इतनी निराशाजनक थी जिसका जिक्र इस सदन में इससे पूर्व कई माननीय सांसद कर चुके हैं। विगत 50 वर्षों के दौरान भारतवर्ष में अधिकांश कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी अगर मैं कहूं कि लगभग एक परिवार का ही राज रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दौर में कृषि का नकारात्मक विकास हुआ और वर्ष 1996-97 में जो खाद्यान्न का उत्पादन 199 मिलियन टन था, वह 1997-98 में घट कर 194 मिलियन रह गया। यह उन व्यक्तियों की नीतियों का ही परिणाम है जो किसानों के विकास की बात करते थे।

औद्योगिक उत्पादन जो मंदी के कारण मात्र 4.2 प्रतिशत रह गया था और अधिक कमजोर होने लगा था। राजकोषीय घाटे की स्थिति निरन्तर बिगड़ती गई और यह सकल घरेलू उत्पादन का 7.1 प्रतिशत हो गया। उस समय आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी और देश की अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हालत में थी। विगत 50 वर्षों की नीतियों के पश्चात् यह हम बताना चाहते हैं कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है? पीने का पानी भी गांव के लोगों को यह सरकार दे नहीं पायी थी। एक नहीं, लाखों गांव देश में ऐसे हैं जहां लोग पांच-सात किमी० दूर पानी लेने के लिए जाते हैं। विद्युत की स्थिति बहुत खराब है। आज भी देश में ऐसे गांव मिलेंगे जहां लोगों को विद्युत नहीं मिल पाई है। हमें ऐसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है।

हमने जो पोखरन परीक्षण किया, उसकी वजह से विदेशी खतरे भी बढ़े हैं। देशवासियों को आशंका थी कि इस बार बहुत सख्त बजट आयेगा। देशवासियों को लग रहा था कि पता नहीं कितने टैक्स लगेंगे। पोखरन की वजह से देश की जनता मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि इस बजट में भारी कर लगेंगे लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि वे इन सारी परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए और उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसके कारण जो लोग ऐसा कह रहे थे कि बहुत टैक्स लगेंगे, उन्हें निराशा हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने उनकी आशंकाएं दूर की और वास्तव में एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसका देश के आम आदमी ने स्वागत किया है। इसका मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इसका समाज के लगभग सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

पोखरन परीक्षण के बाद, बहुत से खतरे हमारे सामने आए थे लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि उन्होंने बहुत ही गम्भीरता से बजट प्रस्तुत किया है। यह कोई हल्के-फुलके ढंग से लाया गया बजट नहीं है और न ही किसी घबराहट में लाया गया बजट है। वास्तव में, यह बजट सारी स्थितियों का आंकलन करके और आने वाले खतरे का भरपूर एहसास करने के बाद लाया गया बजट है।

आज आवास की समस्या सारे देश की प्रमुख समस्या बनकर रह गई है। किसी भी बड़े शहर या कस्बे में जाइए तो मकान की समस्या सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने मिलेगी।

आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हूं। वहां बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है और वहां पर विद्युत और पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है तथा सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र घाटमपुर में उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उपचारात्मक कदम उठाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

***श्री रामचन्द्र बैंदा** (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में जहां संसद में भी चर्चा हो रही है, वहीं बाहर सारे देश में भी इस पर चर्चा है। पहले बार आजादी के 50 साल बाद भारत के अन्तिम आदमी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी समस्याओं को तथा कुछ तथाकथित विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था के हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए कुप्रभाव आंकते हुए, वर्ष 1998-99 का बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, अटल जी की प्रेरणा से, इस सदन मे पेश किया है जिसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे कुछ मित्रों ने इस बजट को स्वदेशी छायाग्रस्त बजट कहा है। निःसंदेह उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि यह बजट स्वदेशी का पोषक है किन्तु मेरी दृष्टि में यह एक साहसिक बजट है। यह बजट पूर्व सरकारों के बजट की तुलना में उद्देश्य और प्राथमिकताओं की दृष्टि से अभूतपूर्व है। यह गरीबोन्मुख तथा विकासोन्मुख बजट है। इस बजट में कृषि के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लिए 58 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है क्योंकि हिन्दुस्तान में 6 लाख 70 हजार गांव हैं तथा भारत की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गांव में बसता है। यह 58 प्रतिशत की वृद्धि गांव में दी गई है जो राष्ट्र को एक नई दिशा देगी।

यह पहला मौका है जबकि कृषि व शिक्षा के लिए बजट आवंटन में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस सरकार के उद्देश्य और प्राथमिकताओं का यह स्पष्ट संकेत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की ग्रामीण जनता जल, जमीन और जंगल से जुड़ी हुई है जिसका बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। बड़े दुख का विषय है आज आजादी के 50 साल बाद भी हमारे देश की नदियों का पानी व्यर्थ बह रहा है और हम उस पानी को रोक नहीं पाए। आज तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, उनमें अभी तक 256 सिचाई योजनाएं बनीं, जिनमें से सिर्फ 85 सिंचाई परियोजनाएं ही हम बना पाए तथा 171 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। आज तक की सरकारों ने कभी भी इन परियोजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण कृषकों की स्थिति इस देश में चिन्ताजनक है।

मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कृषि पर आवंटन 58 प्रतिशत बढ़ाकर इस सफल रणनीति का उद्घोष किया है। मुझे विश्वास है कि इस बजट का लाभ हमारे किसानों तक पहुंचेगा और यह नीति भारत के विकास में सहायक सिद्ध होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को उचित किस्म के उर्वरक उचित दाम पर मुहैया कराने होंगे एवं उर्वरकों का मूल्य काफी हद तक स्थिर रखना होगा। अभी जो यूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, उसे कम करने का आग्रह हमने माननीय प्रधान मंत्री जी व वित्त मंत्री जी से किया था। उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि यूरिया की कीमत इस बजट में कम कर दी जाएगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि सरकार ने 58 प्रतिशत जो कृषि का बजट बढ़ाया है, वह बजट सही रूप से उसी जगह लगे जहां के लिए वह है। यह बजट बीच में लीक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो गांव में सिर्फ 10 पैसे ही लगते हैं। मेरा आग्रह है कि दिल्ली से भेजा गया पैसा गांव के विकास पर पूरा खर्च हो और बीच में उसकी कहीं लीकेज न होने पाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि किसानों के लिए नई तकनीक, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिले, इस बात का हर सम्भव प्रयास होना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि कृषि हमारे विकास की पूंजी है और कृषि से हमारा विकास, संबल और स्थिर होगा।

सिंचाई और कृषि दोनों का चोली-दामन का संबंध है। हमारे देश में आज 50 साल बाद भी 37 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन की सिंचाई होती है और यही सिंचित जमीन है। मैंने अभी पहले बताया कि आज तक कुल 256 परियोजनाएं बनी जिसमें सिर्फ 85 परियोजनाएं ही पूरी कर पाए तथा 171 परियोजनाएं अभी लम्बित पड़ी हुई हैं। आज हमारे देश में बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचता है तो कहीं देश सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हैं जब कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में उत्तर से पूर्व की ओर ढलान है जिससे बरसात के दिनों में गिरने वाला पानी नदियों के माध्यम से बिखराव करके फसल, जमीन तथा जनमानस को हानि पहुंचाता है तथा ऊंचे क्षेत्र का पानी बरसात में निचले क्षेत्रों की ओर ही आता है। इस पानी को रोकने के लिए क्या हमारे पास शिक्षाविद विद्वान नहीं हैं। जब हमारे वैज्ञानिक देश में एटम बम बना सकते हैं तो वे इस पानी को भी रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर ध्यान दें ताकि हमारी कृषि योग्य जमीन में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके। यह किसानों के लिए कीर्तिमान होगा।

मैं मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जल से संबंधित कई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। एक प्रांत का दूसरे प्रान्त से झगड़ा होता है, पानी के लिए राज्यों में कलह पैदा हो रहे हैं—हमें इन विवादों का निदान करना होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में शीघ्र ही समुचित कदम उठाएगी ताकि पानी किसानों को मिले और हिन्दुस्तान की तरक्की हो। हिन्दुस्तान की तरक्की खेत-खलियानों से होगी और खेत-खलिहान हरा भरा होगा जब कृषि के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

मैं शिक्षा पर बजट में किए गए प्रावधानों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा पर 50 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। मेरा मानना है कि शिक्षा व रोजगार का सीधा संबंध होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो नई पीढ़ी को स्वावलम्बी बनाए, न कि बेरोजगारी को उन्मुख करे। हिन्दुस्तान में आजादी के 50 साल बाद भी बेकारी की शिक्षा का प्रचलन है। इस शिक्षा से आज हमारी पुरानी संस्कृति का कोई सम्बन्ध नहीं है। आज का युवक इस पाश्चात्य शिक्षा को पाकर के अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि हमारे प्राचीन काल में जो वेदों के आधार पर शिक्षा थी वह हमारी संस्कृति पर आधारित थी। मैं शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति ही असली शिक्षा पद्धति है उसे रोजगारोन्मुख होना चाहिए।आज हमारा बी. ए., एम. ए. पढ़ा नवयुवक नौकरी के लिए दौड़ता है। शिक्षा में ऐसा समायोजन हो जिससे शिक्षा बेरोजगारी को मिटा सके और माननीय वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये का लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान करवाया है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक लड़की को पढ़ाने से दो परिवार शिक्षित हो जाते हैं। मैं हमारे शिक्षाविद् मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस शिक्षा को रोजगारोन्मुख शिक्षा बनायेंगे।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए वित्त मंत्री जी ने महत्वपूर्ण छूट दी है। मान्यवर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताविक 250 नागरिकों पर एक बिस्तर होना चाहिए। हमारे देश में आजादी के 50 साल बाद भी 29 लाख बिस्तरों की कमी है जबकि 7-8 लाख बिस्तरों की ही व्यवस्था हो पायी है और वो भी सिर्फ शहरों में जबकि हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। आज भी गांवों में हिन्दुस्तान के डॉक्टर रहना पसन्द नहीं करते वह शहरों में रहना पसन्द करते हैं, उसका कारण यह है कि आज तक देश की आजादी के 50 साल बाद भी गांवों में रहने की कोई सुविधा पिछली सरकारों ने नहीं दी। हमारे देश में डाक्टरों की कमी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गांवों में सुविधायें

[श्री रामचन्द्र गेंदा]

दें और गरीब आदमी तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए निःशुल्क व आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दी जायें। मैं सोचता हूं कि पश्चिमी देशों की नकल करके विज्ञापन पर अन्धाधुन्ध पैसा खर्च किया जा रहा है जबकि जरूरत है कुपोषण, कैंसर, टी.वी. जैसी घातक बीमारियों को खत्म करने व निदान करने की। साथ ही मैं यह चाहूंगा कि भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद) में भी रिसर्च हो, इस पद्धति को बढ़ावा दिया जाये क्योंकि आज के एलोपैथी पद्धति जिसको हमारा गरीब व्यक्ति सहन नहीं कर सकता अगर भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद) को लागू कर बढ़ावा दिया जाये तो हमारा हर नागरिक इस स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ ले सकेगा। मैं समझता हूं कि यह चिकित्सा पद्धति सस्ती है और अच्छी भी है इसलिए इसका पूरे देश में विस्तार हो।

मान्यवर, मैं अन्त में इस विकासोन्मुख व गरीबोन्मुख बजट के लिए सरकार को विशेषकर वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं और सुझावों पर विचार करेगी तथा आशा करता हूं कि नई सरकार और उसका बजट किसानों में आत्मविश्वास जगायेगा और उन्हें हरसम्भव सहायता देगा। मैं सरकार को पुनः बधाई देता हूं कि तथाकथित विकसित देशों के आर्थिक प्रतिबन्धों के बाजवजूद भी दबाव में न आकर देश को एक विकासपूर्ण एवं उद्देश्य पूर्ण बजट पेश किया है।

*श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि मुझे बजट बहस पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। यह पहली बार हुआ कि बजट ने कृषि और ग्रामीण विकास को एक विशिष्ट योग्यता प्रदान की है। यदि भारत को विश्व मंच पर अर्थव्यवस्था का वैशिष्ट कायम करना है तो हमें अपने कृषि और ग्रामों को वरीयता प्रदान करनी होगी। मुंबई के सूचकांक से जो अर्थव्यवस्था को नापते हैं, निश्चित ही वे इस बजट से निराश हुए होंगे। मैं चाहता हूं कि वे इससे नाराज न हों।

महोदय, इस बजट की आजकल विशेषतः अंग्रेजी अखवारों में बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अंग्रेजी अखवारों की यह आलोचना ही इस बजट की सबसे बड़ी प्रशंसा है। जब शुरू में यह बजट आया था तो पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस बजट की बड़ाई कर दी थी परंतु पढ़ने के बाद ज्यो-ज्यों उनको लगा कि गलती हो गई तो इस तरह का अखवारों में आने लगा, जो ठीक नहीं है।

महोदय, इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था आजादी के बाद पहले दिन से ही एक समस्या है और व समस्या यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर मनमाने साइनबोर्ड टांगते रहे हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे मन में महात्मा गांधी के प्रति सम्मान था और हम गांधीवादी अर्थव्यवस्था को साकार करने में लग गए थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ, अचानक यह अहसास हुआ कि नहीं, हमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था के वजाय समाजवादी अर्थव्यवस्था लानी चाहिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था गांधीवादी थी, समाजवादी थी या उदारवादी थी, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में मौलिक चिंतन को सदा नकारा और उसी का परिणाम यह है कि हम विदेशी पैमानों से अपनी अर्थव्यवस्था को नापते हैं, जिसकी वजह है कि अंग्रेजी अखबार एक ऐसे बजट की जो पिछले 50 वर्षों में एक अच्छा बजट आया है, उसकी आलोचना करने पर तुले हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अगला बजट पेश करेंगे तो यह जो पूरा भारतवर्ष का धन है, संपदा है और जल है, जमीन है और जंगल है, जानवर हैं, उसके आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम, एक नई दिशा वे जरूर देंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था में हमने अपने जो साइन बोर्ड बदले हैं, उसका बड़ा नुक्सान हुआ है। यह जो मंदी है, वह क्यों आई है। पिछले 50 सालों में समाजवाद के नाम पर हमारे देश की उद्यमशीलता को राहू सा लग गया है, क्योंकि केवल सरकारी उत्पाद ही नहीं, निजी उत्पादों में भी 90 प्रतिशत शेयर का खरीदार केवल सरकार रही है। अब यदि सरकार खरीदारी न करे तो भारत का उद्योग दौड़ायमान हो जाता है, डरने लगता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश की उद्यमशीलता का आह्वान करें।

महोदय, देश में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्पाद करती हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो ये उत्पादन शुल्क भी न दें तो यह कैसे हो सकता है कि इन सब पर उत्पादन शुल्क न लगे। इन पर उत्पादन शुल्क लगना ही चाहिए। माननीय वित्त मंत्री का यह निर्णय उचित है। इसमें एक बात जरूर विचारणीय है कि उत्पादन शुल्क के लिए 50 लाख टर्न ओवर की जो सीमा रखी है, जैसा महंगाई का जमाना है, उसमें वर्ष भर में 50 लाख का टर्न ओवर हो गया है, महीने का 4 लाख टर्न ओवर हो गया है, जो एक छोटी दुकान का होता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, आज सब लोग परेशान हैं। मैं उत्तर प्रदेश खुर्जा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में नोएडा जो दिल्ली से बिलकुल सटा हुआ है, जहां पर बहुत से छोटे-बड़े उद्योग धन्धे चल रहे हैं, वहां के लोग इस उत्पादन शुल्क से परेशान हैं। नोएडा में जहां टनों माल रोजाना माल बाहर जाता था, वहां के लोग चुप होकर बैठे हुए हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम वित्त मंत्री से निवेदन करके इस पर जरूर गौर करवाएंगे। खाद्य सामग्रियों को अपना नाम देकर तैयार किया और बेचा जाता है, इतने मात्र से वह ब्रांड हो जाता है और 50 लाख का टर्न ओवर बहुत कम होने से उसमें कवर हो जाता है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि सम्भव हो तो इस टर्न ओवर को कम से कम 2 करोड़ कर दीजिए। लघु उद्योगों की सीमा में उनको लाकर 2 करोड़ टर्न ओवर तक उनको उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दीजिए, इससे ऊपर उत्पादन शुल्क लिया ही जाना चाहिए।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी इन बातों पर जरूर गौर करेंगे और उपचारात्मक कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

*श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर) : मैं अपने वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देना चाहता हूं। उन्हें एक अस्पृहणीय कार्य करना था क्योंकि उन्हें विगत पचास वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का अकुशल संचालन विरासत में प्राप्त हुआ था।

अब जबकि भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा है हमारे देश के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं। मेरा मानना है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने हमारे देश के समक्ष उपस्थित जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए साहसिक प्रयास किया है। इस बजट ने बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का प्रदर्शन करते हुए विकास को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सहयोग देकर हमारी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को नया बल दिया है। आधारभूत संरचना क्षेत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नहीं होने के कारण अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी होने की बात को समझते हुए वित्त मंत्री ने इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर जोर देने का आह्वान किया है।

बजट के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा चुका है तथा मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। बजट के जिन अनिवार्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया है वह व्यापक हैं तथा इन प्रमुख विशेषताओं पर केन्द्रित हैं :

कृषि एवं ग्रामीण विकास

लघु उद्योग

उद्योग में निजी निवेश

आवास

आधारभूत संरचना

शिक्षा और युवावर्ग

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्त तथा पूंजी बाजार

अनिवासी भारतीय

सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर

महोदय, मैं फिल्म उद्योग से आया हूं और अब संसद में गुरदासपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि एक बहुत बड़ा ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से दो भिन्न-भिन्न संसार नहीं हो सकते एक तो पारलौकिक जान पड़ता है और एक यथार्थ। फिर भी यह फिल्म संसार ही है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। "मेरा गांव मेरा देश" मेरे सबसे पहले सीखने वाले पाठों में से है। चूंकि फिल्म व्यवसाय ने प्रायः मुझे भारत के अंदरूनी भागों में पहुंचा दिया और मैंने पाया कि भारत का मूलमंत्र और भविष्य उसके अपने गांवों में छिपा है। इसलिए मैं अपना सारा ध्यान बजट के उपबंधों जो कि दृष्टि और ग्रामीण विकास और फिल्म उद्योग से संबंधित है पर केन्द्रित करना चाहता है।

महोदय, मैं तहेदिल से यह विचार व्यक्त करता हूं कि यदि भारत के विकास और आर्थिक प्रगति में संभावनाओं वाला कोई क्षेत्र है तो वह है कृषि क्षेत्र। वास्तव में, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है।

पूरे संसार में अधिकता के कारण कमी आई है। सन् 2020 तक संसार की जनसंख्या 5.7 बिलियन से बढ़कर 8 बिलियन होने का अनुमान है और जनसंख्या वृद्धि के लिए खाद्यानों में बढोत्तरी 1.8 बिलियन टन से 3 बिलियन टन तक करनी पड़ेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि अनाज में आ रही इस गिरावट के कारण 2020 तक 247 मिलियन टन खाद्यानों की कमी पड़ेगी। कृषि को भविष्य में उन्हीं संसाधनों से अधिक आवश्यकता की मांग करनी पड़ेगी। संसार में मत्स्य पकड़ने का व्यवसाय 115 मिलियन टन और दूध की मात्रा 387 मिलियन टन है। हमें अधिक उत्पादन समुद्र की तुलना में जमीन से प्राप्त करना होगा। हमें जमीन से ही 80 प्रतिशत वृद्धि और बहु-फसलीय, उत्पादकता और उत्पादन से पहले के कार्यों पर जोर देना होगा।

भारत, विश्व का तीसरा कृषि उत्पादन देश है और चाय, चीनी, फलों, सब्जियों और दूध में इसका पहला स्थान है तथा चावल में दूसरा स्थान है। फिर भी हम संसार में हमारे यहां सबसे ज्यादा व्यर्थ होता है। फलों और सब्जियों का हमारे देश में 30 प्रतिशत और अनाजों का 8 प्रतिशत भाग व्यर्थ ही जाता है। हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन हमारी जनसंख्या वृद्धि से पीछे चल रहा है। सन् 2020 में हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या के पेट को भरने के लिए हमे अपने वर्तमान उत्पादन से 77 प्रतिशत तक खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना होगा।

इस परिदृश्य में मैं श्री सिन्हा जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बजट में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की। यह बात हमारे राष्ट्रीय अजेंडा में भी कही गई है कि खाद्यान्नों में उत्पादन को दोगुना किया जाये जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा है।

कृषि मंत्रालय को भेजे गए योजना आवंटन में 58 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। पनधारा विकास कार्यक्रम में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के लिए आवंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

महोदय, मेरे चुनाव अभियान के दौरान बेवजह की बात को एक मुद्दा बना दिया गया। मुझपर यह झूठा आरोप लगाया था कि मैंने पंजाब को पानी तक नहीं दिया। महोदय, मैंने पंजाब का पानी पिया है और मेरा विश्वास है कि पंजाब में हम लोगों की स्थिति अच्छी है और हमने शेष देश में रह रहे हमारे भाईयों और बहनों को दूषित जल पीना पड़ता है। इन हालातों में मैं ग्रामीण जलआपूर्ति के लिए 1627 करोड़ रुपये के आबंटन की प्रशंसा करता हूं जिससे एक लाख लोग लाभान्वित होंगे।

यूरिया के मूल्यों में सीमान्त वृद्धि का मैं समर्थन करता हूं जो कि लम्बे समय से चली आ रही मृदा की कमी दुबारा से संचय की जा सके जो कि नाइट्रोजिनियस, फास्फोरिक और पोटेसियम उर्वरकों के प्रयोग में कमी के कारण हैं।

तथापि वित्त मंत्री नैफ्था पर 8 प्रतिशत विशेष उपकर हटाने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि नैफ्था ही उर्वरक उद्योग के उत्पादन के लिए

[श्री विनोद खन्ना]

मूल रूप से कच्चा माल होता है। नैफ्था पर इस 8 प्रतिशत की उपकर वृद्धि से घरेलू उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा और कृषि क्षेत्र पर दीर्घगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि नैफ्था पर लगे 8 प्रतिशत विशेष उपकर को घटाकर इसे उपकर मुक्त कर दिया जाये।

मैं बजट में ग्रामीण ऋण के बहु-उद्देशीय प्रोत्साहन का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे कृषि क्षेत्र में सुधार की बड़ी सम्भावना है। हमारी क्षमता असीमित है। हम अपने उत्पादन को 900 मिलियन टन तक प्रति वर्ष बढ़ा सकते हैं। जिसका मूल्य 78 बिलियन डालर है और वर्तमान उत्पादन का 15 प्रतिशत है। यदि हम उत्पाकदता में अपने पड़ोसी देश चीन जैसा स्तर प्राप्त कर लें तो हम 12 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर परती भूमि के विकास पर अकेले ही बढ़ा सकेंगे। हम अपना निर्यात 10 हजार करोड़ रुपये बढ़ा सकते हैं जोकि फलों और सब्जियों को बर्बाद होने से 30 प्रतिशत तक का प्रसंस्करण कर सकते हैं।

महोदय, जैसाकि मैंने देखा है कि हमारे किसान पूरे विश्व में बड़े ही परिश्रमी हैं। वे हमारे समाज के और अर्थव्यवस्था के स्तम्भ हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें पिछले 50 वर्षों में आयी सरकारों से कभी समर्थन नहीं मिला जिसके वे काबिल हैं। इसलिए मैं एक बार फिर वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि क्षेत्र को महत्व प्रदान किया है।

महोदय, फिल्म उद्योग भी उनकी लम्बे समय से रुकी हुई मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा आभारी है। मैं फिल्म उद्योग की ओर से श्री सिन्हा जी का ध्यान कुछ असमानताओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

फिल्म उद्योग यह अनुभव करता है कि पोजिटीव और नेगेटिव रॉ फिल्म के आयात पर 8 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये चूंकि वह भारत में नहीं बनता है बल्कि इसका देश को आयात किया जाता है। दूसरी तरह से फिल्म उद्योग का यह अनुरोध है कि 8 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा शुल्क जो कि चलचित्र कैमरे, डिजिटल रिकार्डिंग और मिक्सिंग मशीनें तथा लेबोरेट्रीज प्रिन्टिंग मशीन पर लगता है वह नही लगना चाहिये। जैसा कि इनमें से कोई भी मशीन भारत में नहीं बनती है।

महोदय, जैसा कि कलर पाजिटिव और नेगेटिव जम्बो सेल्स फिल्म पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस शुल्क में कटौती को 1000 फीट अथवा 400 फीट के फिल्म रोल्स पर लागू करने की बजाय इसे आप समाप्त कर दें क्योंकि भारत में जम्बो फिल्म रोल्स आयात नहीं किए जाते।

महोदय, फिल्म उद्योग को भी यह उम्मीद है कि आयकर अधिनियम की धारा 88(II)(ग) के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा की गई परस्पर विरोधी व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने हेतु उपाय किए जायेंगे। फिल्म उद्योग का यह अनुरोध है कि भारतीय फिल्मों के निर्यात से प्राप्त आय को आयकर से छूट प्रदान की जाये जैसा कि अन्य निर्यातों से प्राप्त आय के संबंध में किया जाता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वित्त मंत्री की बजट प्रस्तुत करने पर प्रशंसा करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गत तीन दिनों से इस सभा में हुई चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु, बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले माननीय सदस्य श्री नटवर सिंह द्वारा उठाए गए अत्यंत महत्वपूर्ण मामले का जवाब देना चाहता हूं। यद्यपि, यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तथापि सरकार की ओर से मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदैव बना रहेगा तथा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा ऐसा और कोई मंच नहीं है जिसे छोड़कर किसी अन्य मंच पर कश्मीर की चर्चा के लिए भारत को बाध्य किया जाए। यही सरकार की नीति रही है और भारत सरकार का भी यही रवैया रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने आज सवेरे तीन बजे सदन छोड़ा है। बजट पर चर्चा जारी रही। कुछ वास्तव में दिलचस्पी रखने वाले, निष्ठावान सदस्य जिनमें श्री मोती लाल बोरा जैसे सभी वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं, जो बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते थे, रुके रहे।

श्री पी० शिव शंकर (तेनाली) : आपके "कुछ निष्ठावान सदस्य" कहने का अर्थ यह है कि अन्य लोग निष्ठावान् नहीं हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, मेरे कहने का यह मतलब यह नहीं था।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : अन्य सदस्य अधिक निष्ठावान हैं क्योंकि वे टेलीविजन पर कार्यवाही देख रहे थे।

श्री यशवंत सिन्हा : हमनें लंबी चर्चा की है। लगभग 56 माननीय सदस्यों ने बजट की चर्चा में भाग लिया है। बहस में हस्तक्षेप करने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य के प्रति मैं आभारी हूं। मैं विशेषकर विपक्ष के उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बजट में सकारात्मक पहलुओं की पहचान की है और सराहना की हैं। सतता पक्ष के उन माननीय सदस्यों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने बजट की खामियों को ढूंढ़कर उनसे सदन को अवगत कराया। सभा में मेरे लिए ऐसी भावना के साथ बजट पर चर्चा हुई जो कि अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है।

महोदय, कांग्रेस दल की तरफ से श्री मुरली देवरा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से बहस की शुरूआत हुई। मैं एकाग्रचित होकर लगभग उनका एक घंटे का भाषण सुनता रहा। मैंने देखा कि जब उन्होंने चर्चा आरम्भ की तो वाम मोर्चे के हमारे मित्र उनके द्वारा की गयी टिप्पणियों की सराहना करते रहे। परन्तु उन्होंने बीच में ही अपनी बात बदल दी। और जब वे बजट के अन्य पहलुओं का समर्थन करने लगे, तो वामपंथी दल चुप हो गये और वे कांग्रेस दल की तरफ से जो दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे, उससे भी विमुख हो गए।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : तत्पश्चात् दक्षिणपंथी दलों ने चर्चा शुरू की।

श्री यशवंत सिन्हा : जी, हां। मुझसे ठीक पहले मंत्री रहे श्री चिदम्बरम

ने लगभग 60 मिनट तक सभा को मंत्रमुग्ध किए रखा। मेरे सहित सबने उनकी बात बड़ी तल्लीनता से सुनी और मैंने उनके द्वारा उल्लेख किए गए बिन्दुओं पर काफी गौर किया है। मैने सभी माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किए गए बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया है। मैं चर्चा में भाग लेते हुए अब यह प्रयास करूंगा कि जितना समय मुझे मिला है, उसके अन्दर यथासंभव अधिक से अधिक बिन्दु शामिल किए जाएं। मैने कहा है कि श्री चिदम्बरम ने बहुत बेहतरीन भाषण दिया। किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषरूप से जो पहले वित्त मंत्री रह चुका हो, अपने से ठीक अगले वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर कुछ कहना जोखिम भरा होता है। मैंने यह महसूस किया है। जब मैं थोड़े समय के लिए वित्त मंत्री था और मेरे बाद जब डा० मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो मैं भी उस सदन का सदस्य था। मैंने, एक बार भी बजट चर्चा में हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री चिदम्बरम ने जो तर्क दिया है और जो मामला उठाया है, उसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, परन्तु आरम्भ में मैं दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा क्योंकि मैंने देखा कि वह इनका अनुचित लाभ उठा रहे थे। मामले की तहकीकात करने पर मैंने पाया कि उन्हें ऐसे मामलों पर अनुचित लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था।

वह इस समय सभा में मौजूद नहीं हैं। बहस में हस्तक्षेप करने के बाद वे मेरे पास आए थे और बोले कि उन्हें चेन्नई में तत्काल कुछ जरूरी कार्य है और उसके लिए उन्हें वहां जाना पड़ सकता है। विपक्ष की ओर से जिन विषयों पर 'शर्म! शर्म!' की आवाज आई थी उनमें से एक मुद्दा हथकरघा का था। श्री चिदम्बरम ने सभा को बताया कि 84 लाख लोग हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैंने इसके लिए बजट-आबंटन मे कटौती की है। वे बोले कि मैंने इस वर्ष के बजट के व्यय-विवरण में इस मद में कटौती की है। परन्तु मैंने तो पाया कि हथकरघा बजट में सिर्फ एक शीर्ष 'जनता क्लाथ स्कीम' के अंतर्गत कटौती की है। गत वर्ष के संशोधित अनुमान में 30 करोड़ रुपये के आबंटन को घटाकर इस वर्ष के बजट अनुमान में 10 करोड़ रुपये किया गया है। जब मैं इसकें विस्तार में गया तो यह कटौती इसलिए की गई क्योंकि जब श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो सरकार द्वारा राज-सहायता प्राप्त जनता क्लाथ स्कीम को बंद कर दिया गया था। अतः वित्त मंत्री ने जिस योजना को बंद कर दिया था, उसके लिए हम बजट में कोई प्रावधान नहीं कर सकते। अतः 20 करोड़ रुपये की कटौती करते हुए मैं पाता हूं कि हथकरघा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसपर किसी को कोई आपत्ति करनी चाहिए।

उनके द्वारा उठाया गया दूसरा विषय था—आधारभूत संरचना विकास वित्त निगम। इस पर मेरे मित्र श्री टी.आर. बालू ने मांग की कि सरकार तुरंत स्थिति स्पष्ट करे। श्री चिदम्बरम ने अपने वित्त मंत्री-काल में आधारभूत संरचना विकास वित्त निगम की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में बनाया गया है, तथापि बोर्ड की बैठकें अधिकांशतः मुम्बई में हुई हैं। वे बड़े नाराज थे। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। मैंने तथ्यों की जांच की है। आई.डी.एफ.सी. की पहली बैठक 5 फरवरी, 1997 को हुई थी। फरवरी, 1998 तक 12 माह की अवधि में आई. डी.एफ.सी. की आठ बैठकें हुई और उस समय श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। चेन्नई में केवल एक बैठक हुई है और शेष सभी बैठकें चेन्नई के बाहर हुई हैं जिनमें—छः मुम्बई में और एक दिल्ली में हुई। मेरे मंत्री बनने के बाद केवल एक बैठक मई में मुम्बई में हुई है। हालांकि मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, पर मुझे यह बताया गया कि आई.डी.एफ. सी. की पहली वार्षिक बैठक 26 जून को चेन्नई में हो रही है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसके लिए कोई श्रेय पाने का दावा नहीं करता हूं। उन्होंने तो पहले ही यह निर्णय ले लिया था। परन्तु इस बात के लिए मैं सदन में श्रेय लेना चाहूंगा कि मैंने आई.डी.एफ.सी. को यह निर्देश दिया था कि भविष्य में बोर्ड की सभी बैठकें यथासंभव चेन्नई में ही हों।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : यह चेन्नई में बैठकें आयोजित करने का प्रश्न नहीं था। प्रश्न तो इसका मुख्यालय चेन्नई में होने का था। मेरा प्रश्न यह था कि आप आई.एफ.डी.सी. का मुख्यालय चेन्नई में बना रहे है अथवा नही।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह तो पहले से चेन्नई में है।

जैसा कि मैंने कहा है कि बजट की सकारात्मक विशेषताओं की सराहना विपक्षी सदस्यों ने भी की है और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। परन्तु कुछ पहलुओं की कड़े शब्दों में आलोचना हुई है। बजट पर बोलते समय हमारे मित्र श्री मुरली देवरा ने तो समाचार पत्रों की उन खबरों को भी सदन में पढ़कर सुनाया कि अमुक ने इस बजट पर क्या कहा और दूसरे समीक्षक ने क्या कहा। मैं यह सोचकर आश्चर्य कर रहा हूं कि, "आखिर, मैंने इस बजट में क्या किया है कि मेरी ऐसी आलोचना हो रही है।"

यह क्या है? दूसरा उत्तर ढूंढने में अधिक समय नहीं लगा। महोदय, आलोचना इस बात को लेकर है कि मैंने इस बजट में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। श्री चिदम्बरम ने मुझसे कहा, "आप सुधार प्रक्रिया संशोधित करने की बात कभी न करें।" हमने सुधार प्रक्रिया संशोधित करने की बात कही है और हम यह तब तक कहते रहेंगे जब तक कि सुधार प्रक्रिया में संशोधन नहीं हो जाता। इस देश के, इस सरकार के वित्त मंत्री के रूप में मुझे इस बात की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि हम सुधार प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने इस देश मे किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं तथा उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं सम्बंधी तीन दिन से चल रहे वाद-विवाद को सुना है। इस सभा ने मानवीय और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने में तीन कीमती दिन लगाए हैं। जब मैं बजट भाषण दे रहा था तो मैंने कहा था कि यह सुनिश्चित करना सरकार का प्रयास होगा कि कोई किसान आत्महत्या न करे, और न ही कोई किसान इसके लिए जेल जाए।

एक समाचार पत्र में अब, मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है मैं श्री मारन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं उस समाचार पत्र का नाम नहीं बताऊंगा, और न ही उसके लेखक का नाम बताऊंगा, उसके लेखक ने क्या कहा है; मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि आप श्री सिन्हा के भाषण के प्रारम्भ में अपनी आंख बंद करके बैठते हैं तो यह श्रीमती गांधी द्वारा किले की रक्षा किए जाने के समान होगा"

उस महान महिला से तुलना करना यह मेरे लिए बहुत बड़प्पन की बात है। जब मैं यह उद्धृत कर रहा हूं कि यह सरकार ऐसी परिस्थिति

[श्री यशवन्त सिन्हा]

तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि कोई भी किसान ऋण का भुगतान न करने के कारण जेल नहीं जाए। अब आगे क्या टिप्पणी हैं? इस देश में किसान कानून से ऊपर क्यों होना चाहिए? मैं चाहता हूं सभा इस बात को नोट करे। इसमें कोई शक नहीं है कि सम्पूर्ण देश में सर्वेक्षण करना बहुत ही कठिन कार्य है परन्तु इस क्रम में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आएंगी जैसे कि किसान बैंक का ऋण अदा न करने के कारण काफी समय से जेलों मे बैठें हैं।

उनमें से अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से जेल जा सकते हैं लेकिन इन में बैंक की अदायगी न करने का कारण नहीं हो सकता। यह सोचने की बात है। आप इस सदन में किसानों के बारे में बातें करते हैं आप इसे नहीं समझेंगे। मैं इस सदन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बाहर की बात कर रहा हूं? आप नहीं समझेंगे–इसकी सराहना नहीं की जाएगी क्योंकि मैंने इस बजट में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। किस बात का संतुलन? यह संतुलन कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, लघु उद्योग, आवास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी सेवाएं, एक ओर अनिवासी भारतीयों हेतु कुछ तथा दूसरी ओर कर सुधार; वित्तीय क्षेत्र सुधार, पूंजीबाजार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सुधार, बीमा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावे के बीच में था। यह संतुलन है जो मैं इस बजट में लाना चाहता था, और यही कारण है कि इस बजट को बेकार समझा जा रहा है। मैं पुरजोर के साथ यह कहना चाहता हूं कि महोदय, जो कुछ मैंने अपने बजट भाषण में कहा है उसकी चाहे कुछ भी आलोचना हो; जब हमने इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया हैं तो हमें इससे कोई विचलित नहीं कर सकता है; हम आगे बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि यही हमारी दिशा है जिसमें सरकार देश को आगे ले जाना चाहेगी।

अतीत की भांति ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि समाज के कुछ वर्गों को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण समुदायों के हितों की अनदेखी की जाए। यह कहा गया है कि इस बात को उजागर नहीं किया गया है, ऐसा संतुलित बजट होने के कारण है। यदि यह असंतुलित होता तो यह प्रकाश में आया होता। यह एक नीरस बजट है क्योंकि मैंने इसमें आम जनता की बात कही है। इसलिए यह नीरस बजट है। मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। श्री मारन यहां नहीं हैं। कुछ समाचार पत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि बजट में दूरदर्शिता की कमी है। क्योंकि लोगों को अंधेरे में रखा गया है इसलिए बजट में दूरदर्शिता की कमी है।

महोदय, इसमें एक दर्शन है और यह वह दर्शन नहीं है जो बजट मे परिलक्षित होता है। यह वह दर्शन है जिसमें हम सभी इस सदन में एक लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं। हम लोग सुधार प्रक्रिया को लेकर हमारे विचारों में 7 वर्षो से भिन्नता व्याप्त है और मैं इसमें कोई भी रहस्य छिपा नहीं रहा हूं।

जब मैं श्री भजनलाल को कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलती हुए सुन रहा था, तो मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि वे ग्रामीण भारत के किसानों, ग्रामीण विकास के बारे में और वे उन सभी बातों को कह रहें थे जो हमने विपक्ष में रहते हुए कही। हमने पहले भी कहा था कि ये वहीं चीजें हैं जो हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में हैं कि हम सुधार लाएंगे और उदारीकरण की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन सुधारों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है और उचित क्रम जैसाकि हम समझते हैं कि हम अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हम आंतरिक अर्थव्यवस्था के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें जोकि अभी भी विद्यमान हैं और इसके पश्चात हम यह कह रहे हैं कि इसे विश्व स्तर पर महत्व दें। विश्वव्यापी महत्व जिसके बारे में हम कह रहे हैं। हम बिना सोचे समझे किए गए विश्व-व्यापीकरण के खिलाफ हैं और मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि यह हमारी नीति में जारी रहेगा।

श्री चिदम्बरम ने भी एक मुद्दा उठाया है कि इस बजट का दर्शन क्या है। आप विकास पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप अपना समय बर्बाद करके समृद्धता हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वे अपने पूर्ववर्ती डा० मनमोहन सिंह के विचारों के समर्थन का उदाहरण दे रहे थे। मैं उनसे सहमत हूं। इस दृष्टिकोण के बारे में हममें कोई भिन्नता नहीं है। उन्होंने खर्च के बारे में बताया, उन्होंने प्रगति के बारे मे बताया लेकिन यह उचित तरीका नहीं है, मैं इस बजट में योजनागत खर्च कर रहा हूं। यह उपयोग व्यर्थ नहीं है जिसे मैं बढ़ा रहा हूं जैसाकि श्री चिदम्बरम ने किया है। इस बजट में यह निवेश व्यर्थ है जिसे मैने पर्याप्तरूप से बढ़ाया है।

मैंने कहा है, महोदय, यदि मैं अपने बजट भाषण को संक्षेप में उद्धृत करूं कि जहां तक बुनियादी ढांचे का सम्बंध है, यह न केवल इन क्षेत्रों में बड़े सार्वजनिक और निजी निवेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकारी व्यय है लेकिन मैं इस निवेश की भूमिका को भी मान्यता देता हूं। मैं उस निवेश की भूमिका को मान्यता देता हूं जो निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और इस पेपर में यही कहा गया है। यह खपत व्यय नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जबकि मैंने योजना को 72,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिया है जो अब तक का सबसे अधिक है, मैं खपत व्यय की बात नहीं कर रहा हूं जबकि मैने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सम्बंध में होने वाले व्यय को बढ़ा दिया है; मैं खपत व्यय की बात कर रहा हूं। कुछ इसी तरह इस बजट के परिणामस्वरूप 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की जा रही है। जिससे मांग और बढ़ेगी।

इस बजट का दर्शन क्या है? इस बजट का दर्शन यह है कि यह मांग इस अर्थव्यवस्था के लिए क्षणिक हो सकती है और वह मांग उन ग्रामीण क्षेत्रों से उठेगी जहां हमारे अधिकांश लोग रहते हैं। यदि यह मांग ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं उठती है तो फिर कोई रास्ता नहीं है जहां केवल शहरी भारत, औद्योगिक देश, ग्रामीण भारत के बूते पर ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए, मैंने वे सभी कदम उठाए हैं। यह न केवल अच्छी सामाजिक नीति है बल्कि यह अच्छी अर्थव्यवस्था है कि मांग बढ़नी चाहिए। ऐसा केवल तब होगा जब उस तरह की मांग उठे ताकि निवेश की मांग पैदा हो। ये तब होगा जब वह क्षेत्र कुशलतापूर्वक कार्य करे ताकि निर्यात के क्षेत्र में हम प्रगति कर सके। यही इस बजट का दृष्टिकोण है।

श्री मुरली देवरा बहुत चिंत्ति थे और मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है। सामान्यत, मैं भी इससे चिंतित हूं।

कोई भी वित्त मंत्री स्टॉक एक्सचेंज के लिए बजट नहीं बनाता है, वह देश की जनता के लिए बजट बनाता हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज का अपमान नहीं कर रहा हूं ध्यान रहें, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि मेरे पूर्ववर्ती ने क्या कहा था *(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : मैं भारत के सम्पूर्ण पूंजी बाजार के बारे में बात कर रहा हूं न केवल मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। पूंजी बाजार केवल स्टॉक एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं है। तुम्हें जानना चाहिए कि *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इसी बात पर आता हूं, महोदय, मैं आंकडे देख रहा था। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र, श्री मुरली देवरा को भी उसी तरह जानकारी होगी क्योंकि वे भी मुम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गत पांच वर्षों में क्या स्थिति रही है? प्रत्येक बजट के बाद, सेन्सेक्स में भारी गिरावट आती है। डा० मनमोहन सिंह के चार बजटों में से प्रत्येक के और श्री पी० चिदम्बरम के एक बजट के पश्चात मुम्बई सेन्सेक्स किसी भी चीज की तरह नीचे चला गया। यह केवल पहला मौका था जब इन सभी पांच, छः वर्षों में केवल एक बार श्री चिदम्बरम के गत वर्ष के प्रसिद्ध 'खयाली बजट' के बाद, सेंसेक्स ऊपर गया था। महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह और उसके बाद श्री पी० चिदम्बरम द्वारा किए गए कार्यों को करने के लिए वरीयता दूंगा। मैं चाहता हूं कि यह वर्ष उसी तरह बीत जाए जिस तरह, प्रसिद्ध खयाली बजट के वर्ष को छोड़कर जब बजट सेंसेक्स के एक दम बाद ऊपर चला गया था। से पहले के वर्ष बीत गए। मैं डा० मनमोहन सिंह को अत्यधिक सम्मान देता हूं। मैं डा० मनमोहन सिंह से उस समय असहमत हुआ था जब उन्होंने कहा था; कि 'स्टॉक मार्केट' के लिए मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकता।

मैं शेयर बाजार के बारे में चिन्तित हूं। मैं अन्य बातों के साथ-साथ शेयर बाजार के बारे में भी चिन्तित हूं। और इसीलिए महोदय, बजट में हमने पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाने का सुझाव दिया है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था हम मुद्रा बाजार के लिए समान कानून बनायेंगे।

उसी दिन मेरे बजट भाषण पढ़ने के तत्काल पश्चात् मैंने यह जानने का प्रयास किया था कि बाजार, किन कारणों से नीचे जा रहा है। इसलिए मैंने शेयरों की पुनर्खरीद के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका यही कारण था। अब मेरे पूर्ववर्ती श्री पी० चिदम्बरम ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा था कि सरकार शेयरों की पुनर्खरीद के लिए वचनबद्ध है। उस सरकार ने भी इसका क्रियान्वयन नहीं किया ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आप यह भी बता दें कि चिदम्बरम साहब के समय लोन कितना बढ़ता था और आपके समय में कितना बढ़ा है।

श्री यशवंत सिन्हा : वह भी बता देंगे।

[अनुवाद]

अब, महोदय, शेयरों की पुनर्खरीद के संबंध में, मैं अपने साथियों के सम्पर्क में हूं। जब श्री पी० चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो कम्पनी लॉ बोर्ड उनके अधीन था। अब यह मेरे साथी विधि मंत्री के पास है। मैं विधि मंत्री के सम्पर्क में हूं। मैं इस बजट में किसी भी खोखले आश्वासन को दोहराना नहीं चाहता। मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि पिछले बजट में मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री महोदय पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। इसलिए महोदय जहां तक शेयरों की पुनर्खरीद की बात है मैं इस बारे में अपने साथी कम्पनी कार्यमंत्री से परामर्श करूंगा क्योंकि यह उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस प्रक्रिया में उनका परामर्श आवश्यक है। इसलिए यह कुछ भी नहीं है, मेरा अभिप्राय यह है कि हम शेयर बाजार मे बनावटी मंदी अथवा तेजी लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। शेयर बाजार का अपना एक अनुशासन होता है। बाजार का अपना रुझान होता है।

दूसरा मुद्दा बजट अनुमान से सम्बंधित है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा "आपने अनुमान लगाए हैं। आपने कहा है कि आप और अधिक राशि खर्च करने जा रहे हैं परन्तु यह सच नहीं हैं।" यह तो आलोचना है। मुझे आश्चर्य है कि श्री पी० चिदम्बरम ने भी आलोचना की। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। उन्होंने कहा, "जब श्री सी. सुब्रह्मण्यम वित्त मंत्री थे और जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तो बड़े गर्व से कहा था कि यह बजट 100 करोड़ से अधिक का है क्योंकि इन दिनों 100 करोड़ रुपये का एक महत्व था। उन्होंने कहा कि श्री यशवंत सिन्हा पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें केन्द्रीय योजना एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की है। उन्होंने यहां तक कहा "परन्तु वे उसे प्राप्त नही कर पायेंगे।"

मुझे आन्तरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई.ई.बी.आर.) के बारे में भी कहना है। आई.ई.बी.आर. प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय योजना का मुख्य भाग होता है। मैंने आंकड़े देखे हैं। प्रत्येक वर्ष इसमें गिरावट जारी है। वर्ष 1991 में यह 5.7 प्रतिशत था। फिर यह 6.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत हुआ। वर्ष 1994-95 में यह 6.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत हुआ। वर्ष 1994-95 में यह 5.8 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 में यह 8.2 प्रतिशत था। वर्ष 1996-97 में यह 1.28 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में यह 14.9 प्रतिशत था। श्री चिदम्बरम के विगत लुभावने बजट में आई.ई.बी.आर. कोष लगभग 15 प्रतिशत कम था उन्होंने कहा कि चूंकि आई.ई.बी.आर. कम था अतः आपके आकड़ों को प्राप्त नहीं किया जा सका। हमारी दुम कट गई तो सबकी दुम कटनी जरूरी है। अब मैं इस तर्क पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। श्री चिदम्बरम के इन दो वर्षों में आई.ई.बी.आर. 12.8 तथा 14 प्रतिशत था। मैं जानता हूं कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्वंय ही इस सभा में कहा था कि दो सरकारें थीं। एक सरकार आई और गई और अगली सरकार आ गई उनकी सारी योजना अव्यवस्थित हो गई मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो योजना हमने बनाई है और जो योजना आंकलन हमने तैयार किया है उसे प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर ध्यान दूंगा क्योंकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दर के अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने होंगे। महोदय, मैं व्यक्तिगत स्तर इसकी निगरानी रखूंगा बजट में जो संसाधन उनके लिए रखे गए हैं वे उन्हें आवश्य प्राप्त हों तथा पिछले दो वर्षों के निराशाजनक कार्यनिष्पादन की पुनारावृत्ति न हो।

आप पुनः कहेंगे कि खर्च घटाने और राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने इन आंकड़ों को अच्छी तरह से देखा है। अब मैं अपने आंकलन बना सकता हूं। प्रत्येक वित्त मंत्री को आकलन बनाने का अधिकार होता है और सदन को देश को और लोगों को यह अधिकार होता है कि वे यह देखें कि यह आंकलन ठीक हैं या नहीं, वास्तविक और मौलिक हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ कमियां अवश्य रही हैं। वर्ष 1993-94 में जब डा० मनमोहन सिंह ने बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि वित्तीय घाटे में 4.6 प्रतिशत होगा। वर्ष के अन्त में वित्तीय घाटा कितना रहा? यह 7.4 प्रतिशत था। परिस्थितियां बदल गई वे स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसलिए वित्तीय घाटा 7.4 प्रतिशत से भी आगे चला गया। श्री चिदम्बरम ने गत वर्ष कहा था कि वे वित्तीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक नियंत्रित रखेंगे। परिस्थितियां उनके भी नियंत्रण में नही रही वे भी कुछ नहीं कर पाये और वित्तीय घाटा 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। अब वित्तीय घाटा 5.6 प्रतिशत हो सकता है मैं इसे 5 प्रतिशत तक ले जाता। मैं भी मूल्यांकनकर्त्ता एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कह सकता हूं कि यह 5 प्रतिशत तक आ रही है।

मैं भी उसी पर आ सकता था। परन्तु मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता हूं। इसलिए मैंने इसे 5.6 प्रतिशत पर निर्धारित किया। इसे मेरा इतना ही रखने का इरादा नहीं है परंतु मैं इसे और सुधारना चाहता हूं। अगर वर्ष के अन्त तक यह दर 5.6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक चली जाती है

[श्री यशवंत सिन्हा]

तो मुझे सबसे ज्यादा निराशा होगी। परन्तु अगर यह 5.3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक आ जाये तब मैं सदन के सामने आऊंगा और यह कहूंगा कि हम कुछ अच्छा कर पाये हैं। इस बजट के प्रति मेरा ऐसा दृष्टिकोण है।

मैंने सकल घरेलू उत्पाद के व्यय के आंकड़ों को देखा है। मैंने सकल घरेलू उत्पाद के कर के आंकड़ों को भी देखा है जो अवास्तविक नहीं है। मैं सदन में उन्हें दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा।

अब, विपक्षी दलों से और इस तरफ से जो भी सदस्य बोले हैं, वे सभी प्रतिबंधों के प्रति चिन्तित हैं। इस प्रतिबंधों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इन प्रतिबंधों की चुनौती का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यही सब कुछ पूछा गया है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु मैं एक बार फिर यह बता दूं कि दबाव तो था। रुपये के बारे में, पूंजी बाजार और सभी तरह के मामले उठाये गये हैं। रुपये पर इस तरह का दबाव क्यों आया? पूंजी बाजार क्यों लुढ़क गया?

महोदय, अगर गत सात वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ है तो जैसे कि मैंने दूसरे सदन में कहा है, कि हम यह नहीं कह सकते कि हम वही स्वीकार करेंगे जो हमारे लिए लाभकारी होगा तथा जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा वह स्वीकार्य नहीं होगा। हमें अच्छे के साथ बुरे को भी स्वीकार करना होगा।

क्या यह मेरे बजट के कारण ही हुआ है कि हांगकांग में हैंगसेंग गिरा? क्या मेरे बजट के कारण ही येन डालर के मुकाबले अपने सबसे नीचे के स्तर पर 146 येन तक पहुंच गया। यह 100 से भी कम पर था। श्री नटवर सिंह जी को याद होगा कि एक समय वह था जब येन डालर के मुकाबले 100 येन से भी कम तक पहुंच गया था। आज यह डालर के मुकाबले 146 तक पहुंच गया है। ईस्ट एशिया में भी यही हुआ। हम सभी देख रहे हैं कि ईस्ट एशिया में क्या हुआ और हो रहा है। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कर देंगे तो यह सभी चीजें हमें प्रभावित करेंगी। उन चीजें का हम पर दबाव बना रहेगा और हमें उसके समाधान ढूंढ़ने होंगे। यह केवल अकेले प्रतिबंधों के कारण ही नहीं हुआ। यह सभी कुछ ईस्ट एशिया में परिस्थितियों का घटनाक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवंत सिन्हा एक मिनट रुकिए। सदस्यगण, 3.30 बजे सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य और संकल्पों को लिया जाना है। वित्त मंत्री का उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि सदन इससे समहत हो तो हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य सदन अतिरिक्त अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को पारित करने के बाद लें। मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा यह सुझाव है कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के पश्चात् ही लिया जाए। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं। आपने सहृदयपूर्वक इसे कार्य सूची में लिया है।

अध्यक्ष महादेय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। अब नियम 193 के अन्तर्गत यह चर्चा कराने का समय नहीं है। इस पर कार्य मंत्रणा समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं, आपने मारुती उद्योग में जो कुछ हुआ उस पर यहां चर्चा करने का वायदा किया था।

अध्यक्ष महादेय : श्री यशवन्त सिन्हा, आप कृपया अपनी बात कहते रहें। श्री जयपाल रेड्डी आप निश्चितरूप से स्थिति को समझें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कठिनाई क्या है? हम एक घंटे के बाद इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जवाब पूरा होने दीजिए।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : इस जवाब के पूरा होने पर नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह कह रहा था कि रुपए का अवमूल्यन होता रहा है। श्री देवड़ा को याद होगा कि फरवरी 1996 में रुपये का मूल्य एक डालर के मुकाबले 38 रुपये पर आ गया था; फरवरी 1996 में एक डालर के मुकाबले 38 रुपए। हम रुपए पर नवम्बर 1997 में पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आयी गिरावट के परिणामस्वरूप आये दबाव से अवगत हैं। हम इस गिरावट को रोकने हेतु जनवरी 1998 में संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा प्रभावों से अवगत हैं। तत्कालीन कैबिनेट के एक सदस्य श्री जयपाल रेड्डी यहां उपस्थित हैं। ये बातें होती हैं तथा यह तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उचित स्थिति बहाल करें तथा मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा तथा इस सदन के माध्यम से देश को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार करेंसी तथा मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल रखने के प्रति कटिबद्ध है। हम इसे सुनिश्चित करने हेतु जो कुछ भी किया जाना आवश्यक होगा, करेंगे।

मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। द्वितीयक बाजार में पूर्वी एशियाइ मूल्यों के कारण रिस्क प्रीमियम में 200 से 250 अंकों की वृद्धि हुई है। लेकिन इसमें प्रतिबंध लगाये जाने के बाद लगभग 100 अंकों की वृद्धि हुई है। अब यह मार्च 1998 की तुलना में 50 'बेसिक' प्वाइंट है।

प्रतिबंधों के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मेरे सहयोगी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मैं इस पर बजट की चर्चा पर उत्तर देते हुए व्याख्या करूंगा। प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन अमरीका प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का एकमात्र देश है। अन्य देशों द्वारा उनके अपने कारणों से इस देश को दी जा रही विदेशी विकास सहायता या तो स्थगित कर दी गई है अथवा बंद कर दी गई है। लेकिन किसी देश ने यह नहीं कहा है कि वह भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगा रहा है। सिर्फ अमरीका में ही एक ऐसा कानून है जिसके तहत उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना अनिवार्य है और अमरीका ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अमरीका ने आजतक प्रतिबंध के दायरे को पारिभाषित नहीं किया। अब जब मैंने यह कहा कि मैंने इस बजट में प्रतिबंधों का आकलन नहीं किया है तब मैंने क्या किया है? मेरे समक्ष क्या विकल्प था? विकल्प यह था कि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के पास जा सकता था; मैं इस सभा के समक्ष आ सकता था और यह कह सकता था कि मैं अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पारिभाषित किए जाने तक बजट को स्थगित कर रहा हूं; मैं इस बजट को तब तक स्थगित कर रहा हूं जब तक अन्य देशों द्वारा यह स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है कि वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं और इसके बाद मैं बजट पेश करता। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : कोई यह नहीं चाहता कि इसे स्थगित किया जाये।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आपके पास कोई आरम्भिक योजना होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह कह रहा हूं कि मुझसे यह पूछा गया कि मैंने बजट में प्रतिबंधों का आकलन क्यों नहीं किया है। मैं कर सकता था। ऐसा किए जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे बजटीय आंकड़े

किसी भी प्रकार से अमरीका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने अथवा किसी अन्य देश द्वारा अस्थायी रूप से ऋणों को दिया जाना स्थगित किए जाने से प्रभावित नहीं होनेवाला है। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आपका बजट राम राज्य लाएगा। कहां से लाएगा, यह तो बताइए।

श्री यशवंत सिन्हा : अंत में जब खत्म करेंगे तब बोलेंगे न।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसपर प्रतिबंधों का अथवा ऋणों का दिया जाना स्थगित किये जाने का प्रभाव पड़ा हो तथा इससे मैं इसके प्रभावों का आकलन करने पर मजबूर होता क्योंकि चल रही कोई भी परियोजना बंद नहीं हुई है और इसके लिए आवश्यक संवितरण सामान्य रूप से किया जा रहा है। हां मैने 50 बेसिस प्वाइंट का उल्लेख किया है। वाणिज्यिक कार्य में प्रतिबंधों को पारिभाषित किए जाने के बाद कतिपय प्रभाव पड़ सकता है तथा मैं इसका ध्यान रखूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को कहना चाहता हूं कि जब प्रतिबंध लगाए जाएं, जब पूरा विश्व एकजुट होकर भारत के लिए कठिनाई पैदा करें, तो-क्या वहीं अवसर होगा जब सततापक्ष और प्रतिपक्ष आपस में बंटे हों? क्या पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा होकर विश्व द्वारा दी गई चुनौती का सामना नहीं करेगा। यह देश प्रतिबंधों के प्रश्न से इसी प्रकार निपटेगा।

अब यह उल्लेख किया गया है कि यह बजट मुद्रास्फीति लानेवाला है।

[हिन्दी]

कीमतें बढ़ जाएंगी, बढ़ गई हैं।

[अनुवाद]

अब जो भी इन बातें से मतलब रखते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि मुद्रास्फीति को कई कारक प्रभावित करते हैं। इसमें से एक धन की आपूर्ति है और इसे एम-3 के रूप से जाना जाता है। दुर्भाग्यवश गत वर्ष यह निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो गया। इसमें लगभग 17.5 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। हम सब जानते हैं कि एम-3 का प्रभाव समय के बाद भी रहता है तथा यह प्रभाव इस वर्ष भी रह सकता है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)* इस वर्ष जहां तक एम-3 में बढोत्तरी का प्रश्न है, हम इसे निर्धारित 15 से 15.5 प्रतिशत के लक्ष्य पर सीमित रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं। यह एम-3 के बारे में है।

अब मैं थोक बिक्री मूल्य की बढ़ती हुई दर पर आता हूं। इसमें वृद्धि हुई है। यह लगभग 5 प्रतिशत थी, अब यह बढ़कर लगभग 6.5 प्रतिशत हो गया है। मैने इस पूरे प्रश्न का विस्तार से अध्ययन किया है। मैंने पाया है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि दो वस्तुओं यथा सब्जियों तथा फलों के कारण हुई है। केवल सब्जियां तथा फल ही क्यों? आलू की कीमत में 315 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुमारी ममता बनर्जी कल इसका उल्लेख कर रही थीं। हां, 315 प्रतिशत क्योंकि यह एक खराब वर्ष रहा है। हम सब जानते हैं, हम सब बिना मौसम वर्षा होने, शीतकाल के लम्बे समय तक बने रहने, जिसके परिणामस्वरूप ये उत्पाद प्रभावित हुए हैं और कीमतों में बृद्धि हुई है से अवगत हैं। लेकिन इससे देश के किसान ही लाभान्वित हुए हैं। हां (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं।

श्री यशवन्त सिन्हा : हां।

एक माननीय सदस्य : इससे किसान नहीं बिचौलिए लाभन्वित हुए हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, गत वर्ष आलू की बहुत अधिक फसल हुई थी। आलू की फसल खेतों में सड़ गई थी किसान भाग दौड़ करते रहे। उन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन यह मौसमी प्रभाव है।

एक माननीय सदस्य : गत वर्ष आलू 1 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था।

श्री यशवन्त सिन्हा : हां, कभी-कभी किसानों को नुकसान होता है क्योंकि अधिक फसल होती है, कभी-कभी किसानों को फायदा होता है क्योंकि इसकी कम आपूर्ति होती है। यही हुआ है। मैंने मुद्रास्फीति की दर तथा वस्तु मूल्य सूचकांक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि फलों, सब्जियों तथा कतिपय खाद्य तेलों के अतिरिक्त मुद्रास्फीति की दर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि इसमें कोई चौतरफा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसमें चौतरफा वृद्धि नहीं हो रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्री सिन्हा, कृपया मुझे क्षमा करें।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदया, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मेरा ध्यान भंग हो जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आपने दैनिक काम के संबंध में श्रीमती सिन्हा से परामर्श किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे उनसे परामर्श नहीं करेंगे। वह हमारे दल से संबंध रखती हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे मूल्य वृद्धि में आम बढ़ोत्तरी का संकेत मिलता हो। ये सभी मौसमी कारणों से हैं। हम इससे निपट लेंगे और मूल्यों को नियंत्रण के अधीन रखेंगे।

कई सदस्यों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान बजट किसान-विरोधी है। यह कैसे किसान-विरोधी है? मेरे द्वारा बजट में किसानों के लिए प्रस्तावित सभी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे पास एक प्रतिवेदन में प्रख्यात वैज्ञानिक श्री एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा इस बजट के संबंध में की गई टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि "इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि में वृद्धि होगी।" यह उनका कहना है। वह भारतीय जनता पार्टी अथवा सततारूढ़ गठबंधन के सदस्य नहीं हैं।

अब मेरी आलोचना क्यों की जा रही है? एक मुद्दा उठाया गया था वह यूरिया के बारे में था। इस ओर बैठे सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और श्री मुरली देवड़ा जिन्होंने मुम्बई में अपने अपार्टमेंट में पौधे लगा रखे हैं, के विचार के अनुसार सरकार ने 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर को भी हटाने का निर्णय ले लिया है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : राजेश जी, तालियां तो बजाइये न। ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह हमारी वजह से विदड्रा हुआ है।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (चुरू) : किसानों के दबाव के आगे आपको इसको वापस करना पड़ा है, इसका हम स्वागत करते हैं। ... *(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : इन्होंने कर तो दिया, इनको धन्यवाद देना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : हमारी बात ऐसे ही मानेंगे तो तालियां बजती रहेंगी। हमारी बात नहीं मानेंगे तो तालियां नहीं बजेंगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं इस सभा के कुछ दलों की परेशानी समझ सकता हूं परन्तु हमने यह निर्णय लिया है कि हम किसानोन्मुख बजट और हमारे विचारों के बीच थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा इसलिए हमने यह निर्णय कृषक समुदाय के व्यापक हित में लिया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपने कुछ दिया नहीं, जो बढ़ाया था, उसे हमारे दबाव पर वापस कर लिया। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने दिया क्या? आपने जो बढ़ाया, उसे वापस ले लिया। *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : मुलायम सिंह जी, इन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कम से कम इतना तो बोल दो। *(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मुलायम सिंह जी, आपने बजट को पढ़ा है क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजवीर सिंह कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि यह बजट आम आदमी के हितों का विरोधी है। अब मैं यह आशा कर सकता हूं कि आम आदमी की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है परन्तु इस बजट में सभी लोगों के लिए बहुत-सी बातें शामिल हैं। पहली बात माइक्रो बैंकिंग की है। मैंने इस बजट में माइक्रो बैंकिंग को अत्यधिक महत्व क्यों दिया है? क्योंकि गांव में रहने वाले आम आदमी को 500 रुपये का ऋण प्राप्त करना भी संभव नहीं हो पाता है। मैं जहां रहता हूं उस क्षेत्र के लोगों को जानता हूं। ऐसी भी विधवाएं और अन्य महिलाएं जो दिन में काम करती हैं और खेतों से सब्जियां जुटाकर आस-पास के शहरी इलाकों में बेच आती हैं परन्तु उन्हें सब्जियां खरीदने के लिए 500 रुपये भी नहीं मिलते हैं। ऐसे भी शिल्पकार, दस्तकार और बुनकर हैं जो अपने उपकरण खरीदना चाहते हैं और अपनी छोटी-सी दुकान खोलना चाहते हैं परन्तु उन्हें बैंक से 2000 अथवा 5000 रुपये भी नहीं मिलते क्योंकि उनका कोई 'माई बाप' नहीं होता। इसलिए मैंने 'माइक्रो बैंकिंग' व्यवस्था को लागू किया है।

मैंने यह कहा है कि हम इसे स्वयंसेवी संगठनों से चलायेंगे। मैं यह जानता हूं कि किसी भी बैंक के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोगों को तैनात करना संभव नहीं है। अतः हमें इनकी व्यवस्था करनी होगी। महोदय, मैं इस सभा के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जब वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र जायेंगे तो उन्हें स्वयं-सेवी संगठनों से इस योजना के बारे में बात करें। हमें ऐसे स्वयंसेवी संगठनों का गठन करना चाहिए। इसमें गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल करना चाहिए। हमें नए गैर सरकारी संगठन स्थापित करने चाहिए ताकि गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों, आम लोगों *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इसमें कोई नई बात नहीं है। यह तो इंदिरा जी के समय से ही चला आ रहा है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : यह कोई नई बात नहीं है, यह मध्य प्रदेश में चल रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, कुछ भी नया नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसे हम व्यापक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बजट में कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसमें बड़ी बात लगने जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के दो लाख परिवार लाभान्वित होंगे तो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी परन्तु मेरे लिए और हम सबके लिए यह तो एक बड़ी बात होगी। अतएव हम यह सब कर रहे हैं।

स्वच्छ पेयजल के संबंध में हमारी सरकार ने इस सभा को यह आश्वासन दिया है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले पांच वर्षों में देश में पेयजल उपलब्ध न होने वाला एक भी गांव न हो, अपनी ओर से भरसक कोशिश करेंगे। हम इस समस्या से लड़ने के लिए यथासंभव पुरजोर प्रयास करेंगे और पेयजल उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करेंगे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : राजस्थान में आपकी सरकार है और वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। वहां लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, उनकी सांसों से पानी गिर रहा है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : इसलिए कि भारत सरकार ने पैसे नहीं दिये *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस संबंध में आकृष्ट करना चाहूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए। कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखिए। कृपया अब और स्पस्टीकरण मत मांगिए।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं उस बात पर आ रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में बजट में दिए गए मेरे सुझावों पर हम लोगों ने चर्चा की है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आपके पास ग्रामीण लोगों को पेयजल आदि उपलब्ध कराने की योजना है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की इच्छुक नहीं है भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विस्वामुत्तीयारी कृपया अपने स्थान पर बैंठ जाइए। उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जब सार्वजनिक क्षेत्र, बीमा क्षेत्र में सुधार की बात आयी तो बिल्कुल इसी बात पर वामपंथी दलों के हमारे मित्र श्री मुरली देवड़ा बिल्कुल अलग हो गए क्योंकि वे बजट में किए गए उपायों का समर्थन कर रहे थे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह उनके व्यक्तिगत विचार थे।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा और ममताजी को भी यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार की मंशा पुनरूद्धार किए जा सकने वाले किसी भी उपक्रय को बंद करने की नहीं है और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि बंद पड़े उपक्रमों का पुनरूद्धार किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार का गठन किए जाने के बाद तीन माह से भी कम समय में हमने श्रीनगर स्थित एचएमटी की घड़ी एक–प्रो० सोज़ यहां नहीं हैं; वे जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे थे–को पुनः चालू करने का निर्णय ले लिया है। इस एकक को पुनः चालू करने के लिए हमने सरकारी धनराशि खर्च की है। हमने 791 करोड़ रुपये के ऋण को 'नान-क्युमुलेटिव प्रिफरेंस केपिटल शेयर्स' में परिवर्तित करने और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो संकट के दौर से गुजर रहा था, के पुनरूद्धार के लिए भारी राशि का नया ऋण देने का निर्णय लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आईआईएससीओ के आधुनिकीकरण के बारे में क्या हुआ?

श्री यशवन्त सिन्हा : यह मामला भी विचाराधीन है। महोदय, हमने इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया के कम्प्यूटर एकक के प्रमुख ढांचे का पुनर्गठन किया है और मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं कि क्या इनका पुनरूद्धार किया जा सकता है। परन्तु मैं आप लोगों से आग्रहपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि यह कहा गया है किसी एकक का स्वतंत्र रूप से बार-बार अध्ययन कराये जाने से इनका पुनरूद्धार नहीं हो सकता।

कुमारी ममता बनर्जी : यह तो राज्य सरकार है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां *(व्यवधान)* हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : आप क्यों बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी रुचि की बात है, उसी पर बोल रहा हूं। *(व्यवधान)* लालू जी आप बाद में बोल लेना *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के संबंध में टिप्पणी करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हमने कर्मचारियों के लिए एक बहुत आकर्षक पैकेज की पेशकश की है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : बैठे-बैठे ही सुन लीजिए *(व्यवधान)* आप लोग बोलेंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। मंत्री जी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। कलकत्ता को और चेन्नई को नम्बर वन सिटी बनाने का वादा किया है, क्या बजट में उसके लिए प्रावधान है ?

श्री यशवंत सिन्हा : वे बन गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : यह काम तो काफी पहले हो गया है।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मंत्री महोदय को इस बारे में टिप्पणी करनी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी, उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, वे अपनी बात कह चुके हैं। मैं नहीं बोला हूं। मैंने उनकी बात में कोई व्यावधान नहीं डाला था। वे पिछली रात भी बोल रहे थे। क्या जब वे बोल रहे थे, मैंने कोई व्यवधान डाला था। वे मेरी बात में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि कोई कामगार काम करना चाहता है तो हमने उसके लिए एक बहुत ही आकर्षक पैकेज की पेशकश की थी। हम यह चाहते हैं कि वह काम करें। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसे घर बैठे ही वेतन मिलता रहे और हम उसे यह कहें "आपके करने लायक कोई काम नहीं है, आप केवल बेकार बैठें, घर पर बैठे रहें और कोई काम न करें।" हम इस तरह के समाज का निर्माण नहीं करना चाहते हैं और इसलिए मैंने एक पैकेज की घोषणा की थी। अब हम उस पैकेज में सुधार लाने की सिफारिश कर रहे हैं। मैं इस सभा को यह विश्वास दिलाते हुए बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मंत्रियों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवंत सिन्हा]

के एक समूह की नियुक्ति की है ताकि कोई समस्या खड़ी न हो और जहां आवश्यक हो, कामगारों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए; जनहित में केवल उन्हीं मामलों में ऐसा कदम उठाया जाए। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम किसी भी लिहाज में मजदूरों के विरोधी नहीं हैं और इस बारे में कोई भी सुझाव देना पूर्णतः निरर्थक होगा। यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने अपनी बात पूरी करने दी *(व्यवधान)*

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : आप हमेशा उस पक्ष को बोलने का मौका देते हैं। आप इस पक्ष को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं देते हैं ? *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : वह एक महिला हैं। उन्हें अधिकार मिला हुआ है *(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मंत्री महोदय, मैं आपसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर टिप्पणी करने के लिए अनुरोध करता हूं ... *(व्यवधान)* लोग भूख के कारण मर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे स्थिति को बिगाड़ रहे हैं *(व्यवधान)* महोदय, मैं बंगाल के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं *(व्यवधान)*

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, वह हमें आश्वस्त करने वाली कौन होती हैं ? *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, उन्होंने हालात को खराब किया है *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, निर्यात के संबंध में कई सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं। श्री मुरली देवरा ने भी इस बात को उठाया है। उन्होंने यह कहा है कि हम निर्यात को महत्व नहीं दे रहे हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह एक विरला मौका है जब बजट से पहले निर्यात-आयात नीति को पेश किया गया है। आमतौर पर बजट पहले पेश होता है और निर्यात-आयात नीति बाद में पेश की जाती है। इस वर्ष विशेष परिस्थिति में मेरे साथी वाणिज्य मंत्री को अप्रैल में पहले निर्यात-आयात नीति की घोषणा करनी पड़ी और बजट बाद में जून में पेश करना पड़ा। निर्यात-आयात नीति में कई अतिमहत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की गई है। निर्यात का हमारे लिए बहुत महत्व है। अतः यह किसी भी हालत में संभव नहीं है कि निर्यात को अत्यधिक प्राथमिकता न दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कल जिन उपायों में परिवर्तन की घोषणा की थी, उसके अनुसार निर्यात के लिए दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को कम किया गया है और भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमारी क्षमता में होगा, उसे हम करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह कोई अच्छी खबर नहीं है लेकिन हम पुनः आश्वासन दिलाते हैं कि गत वर्ष अप्रैल में –10 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में, इस वर्ष कम से कम +2 प्रतिशत की वृद्धि दर अवश्य हासिल कर लेंगे। जैसे-जैसे यह वर्ष गुजरता जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम प्रस्तावित प्रयासों के फलतः निर्यात के मामले में अच्छे परिणामों को परिलक्षित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सीमेंट का दाम बढ़ गया, कड़वे तेल का दाम बढ़ गया, एडिबल आयल का दाम बढ़ गया, कमरतोड़ महंगाई है। कुछ गरीब जनता के लिए भी बोलें।

श्री यशवंत सिन्हा : रात के तीन बजे तक बैठकर बजट को डिसकस किया, तब बोलना था।

श्री लालू प्रसाद : महंगाई के बारे में भी बोलिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हरेक नीति को क्रियान्वित करके ही परख की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। यदि क्रियान्वयन के स्तर पर ही विफल हो जाते हैं तो यह बजट सफल नहीं होगा ... *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। वह हर समय व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मिट्टी के तेल के लिए नहीं बोले, मिठाई का दाम बढ़ गया, यह महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

तत्पश्चात् श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं अपनी बात पांच मिनट में खत्म करूंगा।

महोदय, बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने अपने बजट भाषण में कहा है और मैं सभा का ध्यान पुनः एक बार इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे बजट में योजना और गैर-योजना की पूर्ण संकल्पना और पूंजीगत व राजस्य की पूर्ण संकल्पना पूर्णतः गलत है। अतः इस बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारा विचार कृत्तिक बल बनाने का है जो योजना और गैर-योजना तथा पूंजीगत और राजस्य संकल्पना पर गौर करेगा। हमारे दो शीर्ष होंगे। एक 'शीर्ष' विकास और दूसरा 'शीर्ष' ''गैर-विकास'' के संबंध में होगा। इसे विकास और गैर-विकास संबंधी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सरकारी व्यय के वितरण का पता चलेगा।

हमने यह भी कहा कि केन्द्र द्वारा प्रयोजित कई योजनाएं चलाई जा

रही है। हम सब जो अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, को इस तथ्य की जानकारी है कि यदि हम किसी क्षेत्र में जाएं और वहां किसी अधिकारी से इन योजनाओं के बारे में पूछें जो वह उन याजनाओं के बारे में नहीं बता पाएगा और इन को लागू करने के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं होगी अतः महोदय, हमने यह निर्णय लिया है कि हम एकरूप ढांचा अपनाएंगे। हम योजना संबंधी प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करेंगे। दिल्ली में बैठकर कोई भी इस बात का निर्णय नहीं ले सकता है कि गांव में पहले सड़क बननी चाहिए या पहले स्कूल का भवन बनना चाहिए या पेयजल की व्यवस्था पहले होनी चाहिए अथवा और कोई सुविधा पहले होनी चाहिए। अतः यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उस स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को दी जानी चाहिए और हमारा उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास होना चाहिए। अतः व्यय का विकेन्द्रीकरण और उससे आगे प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। यह भी कार्य बल के अन्तर्गत होगा।

उसके बाद अनेक रोजगार योजनाएं हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उनकी बात में व्यवधान नहीं डालें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : हमने निर्णय लिया है कि दो तरह की योजनाएं होंगी—स्वरोजगार योजना और दिहाड़ी रोजगार योजना।

महोदय, अब मैं जो अन्य महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं उन पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे बजट में जो आठ प्रतिशत अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रस्ताव किया है उसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में चिन्ता प्रकट की है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मुझे यह लेवी वापिस ले लेनी चाहिए और कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कर भार कम किया जाए अन्यथा इससे उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो जाएगी। मुझे इस संबंध में व्यापार और उद्योग के अनेक क्षेत्रों से बहुत से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। उनका यह सुझाव है कि विशेष अतिरिक्त शुल्क को केन्द्रीय बिक्री कर दर के बराबर कम करके लगभग चार प्रतिशत किया जाए और व्यापारियों पर भी लेवी लगाई जाए। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए उनका आभारी हूं। मैंने इस मामले पर उद्योग के अनेक क्षेत्रों की ओर से प्रकट किए गए विचारों को भी ध्यान में रखते हुए इस मामले पर काफी विचार किया है। मैंने देखा है कि आम सहमति यह है कि घरेलू उत्पादकों के लिए लेवी कुछ स्तर तक औचित्यपूर्ण है और आठ प्रतिशत की दर से शुल्क का संचयी प्रभार हाल ही में रुपए की स्थिति के हिसाब से थोड़ा अधिक है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों तथा घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए मेरा प्रस्तावित शुल्क दर को आठ प्रतिशत से कम करके चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

महोदय, कुछ लोगों ने यह शुल्क व्यापारियों पर भी लगाने की मांग की है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इसका सीधा कारण यह है कि यह लेवी लगाने का औचित्य उन स्थानों पर है स्थानीय कर देय नहीं होते हैं और बेचे गए माल पर स्थानीय शुल्क लगता है। अतः मैंने उन्हें इस लेवी से मुक्त रखा है।

निर्यातकों ने भी मुझे लिखा है कि लेवी लगाने से उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। मेरा ऐसा इरादा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक निर्यात हो। अतः मैंने निर्णय लिया है कि विशेष निर्यात संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत आयात किए गए आदान और पूंजी माल पर यह विशेष अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगी। मैंने निर्यात उत्पादन के लिए आयात के लिए सीमाशुल्क में लगाई जाने वाली विशेष अतिरिक्त शुल्क में कटौती करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। मैं इस प्रयोजन हेतु वित्त विधेयक में समुचित समय पर संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

मैं केवल अपनी मंशा व्यक्त कर रहा हूं।

इस संबंध में ये परिवर्तन कल से अधिसूचित किए जाएंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि मुझे भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी बांडों पर दिए गए ब्याज पर कर में दी गई छूट की प्रस्तावित वापिसी के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विदहोल्डिंग कर आवश्यकताओं के विस्तार का सामान्य सिद्धांत ठीक है, अनके निवेशकों और संगठनों ने यह तर्क दिया है कि यह छूट बहुत लम्बे समय से दी जाती रही है और इसको समाप्त करने से परियोजनाओं, विशेष रूप से पर्यावरण में बुनियादी सुविधाओं जो इस समय डावांडोल है, की वित्त पोषण व्यवस्थाएं बाधित होंगी।

निवेश गतिविधिओं विशेष रूप से बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश को सुदृढ़ बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मामले पर फिर से विचार किया है और यह छूट जारी रखने का निर्णय लिया है। आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक में लाया जाएगा।

मुझे बजट में प्रस्तावित विशिष्ट अप्रत्यक्ष कर परिवर्तनों के संबंध में भी अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ... *(व्यवधान)* ... हम इन अभ्यावेदनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और यह विचार करेंगे कि क्या इसमें वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

इस दौरान मैंने राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उन इकाइयों को कोई कठिनाई न हो जिन्हें पहली बार कर योग्य माना गया है। अतः जब तक हम प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : क्या वे अब ऐसा करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा : फिलहाल नहीं, असुविधा से मेरा यही मतलब था।

अतः हमने ये कुछ निर्णय लिए हैं, वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान यदि विचारविमर्श के बाद कोई मुद्दा रह जाता है, तो मैं हमेशा की भांति अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करूंगा। अब हमने इस बजट में उन कुछ मुद्दों को हटा लिया है जो कुछ विशिष्ट हितों से टकरा रहे थे। मैं समझता हूं कि अब इस बजट को विपक्ष की ओर से भी सर्वसम्मति से पारित कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1995-96 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :-

मांग संख्या : 13, 14, 17, 65 और 81"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
1.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	
	13. डाक विभाग	73,52,76,021
	14. दूर संचार विभाग	60,48,91,516
	17. रक्षा सेवाएं-सेना	6,93,663
	81. लोक निर्माण कार्य	8,43,16,283
2.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
	65. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	99,150

अपराह्न 4.08 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने विनियोग विधेयक पर बोलने हेतु सूचना दी है। मेरी सूचना है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अपने सूचना दी है। नियम 218(3) के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों के बारे में अग्रिम जानकारी देनी होती है। अगर उन्हें विनियोग विधेयक पर बोलना है तो वे जिस दिन विधेयक पर बहस होनी है, सदस्यों को उस दिन दस बजे तक इस तरह की सूचना देनी चाहिए। हमें आपकी सूचना दो बजे प्राप्त हुई। इसलिए यह मान्य नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-बार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 12.6.98 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा में गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का क्या हुआ ? क्या वे इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले कृषि मंत्री श्री सोमपाल का वक्तव्य है।

अपराह्न 4.12

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गुजरात और राजस्थान में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों के चक्रवाती तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति की नवीनतम जानकारी के बारे में वक्तव्य देने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के निदेश पर माननीय गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवानी ने 11.06.98 को गुजरात के बहुत अधिक प्रभावित भागों का दौरा किये जा रहे बचाव और राहत कार्यों का मौके पर जायजा लिया जा सके।

चक्रवाती तूफान जिसने 9 जून, की सुबह पोरबंदर पर गुजरात के समुद्री तट को पार किया, कच्छ, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बनासकॉठा, सुरत, भड़ूच, बलसाड़ और नवसरी जिलों के कई भागों में व्यापक क्षति पहुंचाई। कच्छ, जामनगर और पोरबंदर में, विशेष रूप से, कच्छ जिले के कांडला में जान और माल की क्षति बहुत अधिक हुई है। आज सुबह राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मौतों की संख्या 713 तक पहुंच गई है, और 851 व्यक्ति घायल हुए हैं। दूर संचार और बिजली की संरचनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

चक्रवाती तूफान ने राजस्थान के बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिलों को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हैं, और चार व्यक्ति घायल हो गये हैं, तथा इसके अलावा, सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति की बहुत क्षति हुई है।

गुजरात की राज्य सरकार द्वारा चक्रवाती तूफान से हुई क्षति का प्राथमिक अनुमान 1200 करोड़ रु० का बताया गया है। राजस्थान से मूल्यांकन की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन, दोनों सरकारों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण और हुई हानि का अनुमान लगाया जा रहा है।

चक्रवाती तूफान की चेतावनी प्राप्त होते ही दोनों राज्य सरकारों ने कार्रवाई शुरू कर दी और मुख्यालाय से क्षेत्रीय स्तर तक सारा राज्यीय तंत्र सक्रिय बना दिया।

गुजरात में इस घटना से पहले और बाद में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के कार्य तुरंत किये गये। 28,000 से अधिक लोगों को 64 राहत शिविरों में ले जाया गया, जहां उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े, दवाइयां तथा जीवन की अन्य सभी जरूरतें मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल में चिकित्सीय सेवाओं को चुस्त बनाया गया है, और उनमें वृद्धि भी की गई हैं। जिलाधीशों को पर्याप्त धन सुलभ करा दिया गया है, और ये निदेश दिये गये हैं कि तत्काल राहत की सभी मदों पर सारा खर्च उच्च प्रधिकारियों की स्वीकृति के बिना ही वहन किया जाए। टैंकरों, जैनरेटिंग सैटों के उपयोग से जल आपूर्ति व्यवस्थाएं बहाल करने के उपाय किये गये हैं। राज्य प्रधिकारियों द्वारा बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। सभी बड़ी सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है, और 2-3 दिन के अंदर सभी गांवों को बस सेवाएं बहाल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अपराह्न 4.14 बजे

[श्री के० येरन्नायडू *पीठासीन हुए]*

सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं और गुजरात में अर्द्ध सैनिक बलों ने बचाव और बहाली कार्यों में प्राधिकारियों के साथ बहुत अधिक सहयोग किया है। सभी प्रभावित जिला मुख्यालयों में संचार प्रणालियां बहाल कर दी गई हैं, और यथाशीघ्र नगरों की संचार व्यवस्था बहाल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में तेल उत्पादों की आवश्यकता पूरी करने के लिए तेल उद्योग द्वारा आकस्मिक योजना बनाई गई है। विद्युत मंत्रालय ने महाराष्ट्र विद्युत बहाली एकक को हिदायतें जारी की हैं कि राज्य प्राधिकारियों को सब तरह की सहायता सुलभ कराएं। रेलवे प्राधिकारियों ने कांडला पत्तन पर रेल की पटरी के छतिग्रस्त भाग को ठीक करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है ताकि इसे यथाशीघ्र चालू किया जा सके।

[श्री सोमपाल]

सरकार बचाव और राहत उपाय तत्काल कर सके, इसके लिए आपदा राहत कोष केन्द्रीय अंश की गुजरात को दो किश्तें और राजस्थान को पहली किश्त जारी की जा चुकी है। प्राथमिक मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष में से 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। राजय सरकार को सलाह दी गई है कि वे एक विस्तृत ज्ञापन यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, जिसमें क्षति का मूल्यांकन और राहत और बहालों कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया हो। राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के तुरंत बाद एक केन्द्रीय दल आवश्यकता का जायजा लेने के लिए भेजा जाएगा और उनके अनुरोध पर फौरन कार्रवाई की जायेगी।

माननीय गृह मंत्री ने अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया, आपदा ग्रस्त लोगों से मिले, अस्पतालों को दौरा किया और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों तथा कांडला पत्तन न्यास पर तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई तथा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य पर आते हैं। मद संख्या 1, श्री सुशील कुमार शिंदे।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (मुकुन्दपुरम) महोदय, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री ए. सी. वोस, कृपया बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, कल मैं गुजरात के कांडला बंदरगाह, गांधीधाम, जामनगर के अस्पतालों में तथा अलग-अलग भागों के अस्पतालों में गया था। वहां जो दृश्य मैंने देखे वे दिल-दहलाने वाले थे। एक भयंकर विपत्ति गुजरात पर आई है। मुझे स्मरण आता है कि आज से 20 साल पहले एक बांध के टूट जाने के कारण मोरबी में एक भयंकर तबाही मची थी, भयंकर बाढ़ आई थी, लेकिन वह मोरबी तक सीमित थी। इस बार तो गुजरात का पूरा पश्चिमी तट और सौराष्ट्र पूरा प्रभावित हुआ है। जैसा कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक की सूचना के अनुसार 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांडला पोर्ट को देखने के बाद और वह स्थान देखने के बाद जहां पर पोर्ट था और वहां पर नमक का काम करने वाले मजदूर जो प्रायः गुजरात के नहीं थे, उड़ीसा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिम बंगाल के थे, तमिलनाडु के थे, आंध्र प्रदेश के थे, जो अलग-अलग भागों से आये थे।

वहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। वहां से 409 लाशें निकाली गईं। उनमें से शायद 100-110 की शिनाख्त हो सकी। बाकी सब लाशें अनआइडैंटिफाईड हैं। उनका क्रियाक्रम किया गया। यह भयंकर स्थिति है। मुझे उसके बारे में चिन्ता यह होती है कि ये सब डूबने के कारण हुआ। इनकी संख्या 700 है। जो एरिया पानी में डूबा हुआ है, वह बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। वहां से और भी लाशें निकलेंगी। हो सकता है, यह संख्या चार अंकों यानी एक हजार तक पहुंच जाए। बहुत से मजदूर जिन के पास काम नहीं है, वे अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। मैंने इस बारे में रेल मंत्री से बात की। रेल मंत्री ने इस बात की स्वीकृति दी। उन्होंने वहां के रेल अधिकारियों को सूचित किया है कि इसमें जो भी मजदूर काम करते थे, वे अगर अपने घर उड़ीसा या तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो उनको गांधीधाम या अहमदाबाद के स्टेशन से जाने के लिए फ्री पास दिए जाएं।

एक माननीय सदस्य : आप उनके खर्चे वगैरह की भी व्यवस्था कर दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसकी भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हमने गुजरात सरकार से कहा है कि वह जो कुछ खर्च करना चाहे, करे। केन्द्र सरकार भी वह खर्चा वहन करेगी। जैसा कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने 500 करोड़ रुपये मांगे हैं। इस बारे में एक प्रक्रिया निश्चित है। 4-5 दिन बाद जब पूरा इवैल्यूएशन और असैसमैंट हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है तो यहां से एक अधिकारी दल जाएगा जो बातचीत करने के बाद केन्द्र को रिपोर्ट देगा। फिर निर्णय हो सकेगा कि हम कितनी सहायता कर सकते हैं।

मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वहां की सरकार, सरकारी एजेंसियां और सेना के तीनों अंग बहुत लगन से राहत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रसन्नता का एक विषय और है कि गैर सरकारी संस्थाएं भी बहुत लगन के साथ इस कार्य में जुटी हैं। मुझे गुजरात का पूरा अनुभव है। वहां मोरवी की बाढ़ आई थी। उसके बाद सूरत में प्लेग आया था। वहां ये दो भयंकर विपत्तियां आई थीं। उसमें इसी प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिल कर काम किया था। आज की मोरवी बाढ़ से पूर्व मोरवी से बहुत अच्छा है। आज का सूरत प्लेग आने से पूर्व के सूरत से बहुत अच्छा बना है। वहां जो भयंकर विपत्ति आई, उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। एक बंदरगाह का आप दृश्य देखें तो लगेगा कि 1000-1200 करोड़ रुपये का नुकसान यहीं हो गया है। बहुत बड़ी-बड़ी पांच क्रेनें साइक्लोन में खत्म हो गई और विकृत होकर डैस्ट्रॉय हो गई। हमें यह देख कर आश्चर्य होता है। मैं आशा रखता हूं कि सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और जनता मिल कर पूरे कच्छ और सौराष्ट्र के भाग में ऐसा कोई कार्य करेगी कि चक्रवात के आने से पहले जो स्थिति थी, उससे ज्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी। हम लोग उसमें जितना कुछ कर सकेंगे, करेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं। वक्तव्य पर अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। मैं श्री सुशील कुमार शिंदे को उनका विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेने का आग्रह करता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जिस बात की मैं अनुमति दे रहा हूं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएंगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वक्तव्य पर किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं है। आपको इसकी जानकारी है। मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं तथा उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। मैं इस विषय पर किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय कृषि राज्य मंत्री सभा पटल पर वक्तव्य रख चुके हैं तथा माननीय गृह मंत्री भी इस विषय पर वक्तव्य दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : इस साइक्लोन के आने से राजस्थान भी प्रभावित हुआ है लेकिन राजस्थान के बारे में गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापित महोदय, कृषि मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें गुजरात और राजस्थान दोनों का विस्तार से जिक्र है। मैं स्वयं गुजरात का प्रतिनिधि हूं, इसलिए केवल गुजरात गया था। यह विषय मेरा नहीं है, इसलिए मैंने राजस्थान का उल्लेख नहीं किया... *(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने साइक्लोन से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई, उससे हम संतुष्ट हैं। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : इस चरण पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। कार्यसूची में यह कहा गया है कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा तीन बजे अपराह्न होगी। *(व्यवधान)* कार्यसूची के अनुसार इस पर तीन बजे अपराह्न चर्चा होनी थी। इस पर तीन बजे अपराह्न में चर्चा नहीं हुई। हमें यह नहीं बताया गया कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कम से कम अब गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू होना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेख आचार्य : हमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कल यह बताया गया था कि इस पर चर्चा की जायेगी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम पिछले तीन या चार दिनों से इस मामले को उठा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य संपन्न कराना हमारा अधिकार है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि इस विषय पर कब चर्चा की जायेगी। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके हैं कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने के लिए समय नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्यों?

श्री बसुदेव आचार्य : दूसरे हर कार्य के लिए समय है किंतु इस मद के लिए समय नहीं है। वे ऐसा क्यों चाहते हैं कि मारुति करार से संबंधित इस चर्चा को अनुमति नहीं दी जाये?

सभापति महोदय : इस पर बाद में किसी दिन चर्चा हो सकती है।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): सरकार जानबूझकर चर्चा से बच रही है। सरकार के पास हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा है कि यह विषय भविष्य में भी चर्चा के लिए विचारणीय रहेगा। गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री करुणाकरण कुछ कहना चाहते हैं।

श्री के० करुणाकरण (तिरुअनन्तपुरम) : महोदय, यहां पर अध्यक्षपीठ इस सभा के अधिकारों के संरक्षण के लिए है। अध्यक्षपीठ द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को कार्यसूची में सम्मिलित किया था तथा इस पर तीन बजे दिन में चर्चा होनी थी। मैं समझ सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को सामान्य बजट पर चर्चा का जवाब देना है। इसकी समाप्ति पर पीठ को हमें बताना चाहिए कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा किस समय की जाएगी।

मुझे यह कहते हुए क्षोभ है कि हम महसूस करते हैं यह किसी तरह से बचने का प्रयास है। उन्हें मारुति समझौते पर से पर्दा हट जाने का भय है। मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं। उन्होंने यह सब अत्यधिक जल्दबाजी में किया है। अनावश्यक हड़बड़ी अपराध है यह इस मायने में अपराध है कि इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आप मामले में मत जाइये। मैंने आपको विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री के० करुणाकरण : महोदय, हम अध्यक्षपीठ से अपने अधिकारों की रक्षा की आशा करते हैं, अतएव, अध्यक्षपीठ को यह बताना चाहिए कि किस समय चर्चा की जायेगी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा की सहमति से।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : किसी भी समय सभा की सहमति नहीं ली गई (व्यवधान) गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद भी चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इस पर बाद में चर्चा हो सकती है। सभा में एक परम्परा रही है कि गैर सरकारी सदस्यों सम्बंधी कार्यवाही में से समय की कटौती नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस विषय पर चर्चा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद भी की जा सकती है। *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। *(व्यवधान)* नियम 194(1) के अंतर्गत *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, नियम 194(1) के अनुसार, "यदि अध्यक्ष का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाये कि विषय विलम्बनीय है और सभा में जल्दी उठाये जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा।"

महोदय, यहां नोटिस स्वीकार किया जा चुका है तथा यह कार्यसूची में सूचीबद्ध भी है। कार्यसूची के अनुसार इस पर तीन बजे चर्चा होनी है। इसे स्थगित किया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए इस पर सभी की सहमति नहीं ली गई है। माननीय वित्त मंत्री ने उत्तर देने के लिए एक घंटे का समय लिया है।

एक बार वक्तव्य हो जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाए। यह एकमात्र उपलब्ध उचित रास्ता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हमें सतता पक्ष को अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का विनिर्णय चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं निर्णय दूंगा। मैं पहले दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा तब बाद में निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : मंत्री जी, आप इस पर चर्चा कराने से क्यों डर रहे हैं ? *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : आप हमारी बात सुनने से डरते क्यों हैं? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले मंत्री जी बात सुनें, फिर मैं अवसर दूंगा।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 26 की ओर आकृष्ट करता हूं। यह गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय आवंटन के बारे में है। नियम है

"शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत किए जायेंगे।"

श्री बसुदेव आचार्य : तब इसे 3.30 बजे क्यों नहीं किया गया?

श्री राम नाईक : उन्हें क्यों जल्दी है?

जब इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होना है तो वह सदन की सहमति से किया जाना है। इस मामले में बजट पर चर्चा और उत्तर के समय को सदन की सहमति से बढ़ाया गया था; और जब वह पूरा हो जाए तो सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा की जाएगी। नियम मे प्रयुक्त शब्द 'जायेंगे' है 'जा सकते हैं' नहीं हैं *(व्यवधान)* गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु आबंटित समय में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसे हमेशा प्राथमिकता मिलती है केवल तब नहीं मिलती जब परिस्थितियां विशेष हों और पूरा सदन इस बारे में सहमत हो। अब बजट पर चर्चा समाप्त हो गई है अतः गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा की जाएगी। हमें नियमानुसार चलना है। *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : वरिष्ठ मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त जी यहां बैठे हैं। वे उत्तर नहीं देना चाहते *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोस जी, आप हर एक अवसर ले रहे हैं। मैंने आपको अवसर दे दिया है। अब आप बैठ जाइए। श्री जयपाल रेड्डी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जयपाल रेड्डी जी जो कुछ बोलेंगे उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए०सी० जोस : महोदय, उद्योग मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : क्योंकि वे विना सभापति की अनुमति लिए बोल रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, वे इससे बचना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं बच नहीं रहा हूं। मै केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मैं यहां बैठा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, हमने नोटिस दिया था; बल्कि नियम 193 के अन्तर्गत मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने ही सबसे पहले नोटिस दिया था। जब मंत्री जी ने वक्तव्य दिया तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। तब से हर रोज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी दोनों को इस विषय पर चर्चा के लिए सहमत होना पड़ा।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : क्या वे मजबूर हुए हैं? वे इसमें स्वतंत्र हैं। *(व्यवधान)* महोदय, ये केवल गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा के समय को गंवाना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैं निर्णय चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं एक गैर सरकारी सदस्य हूं और मुझे कहने का समान अधिकार है। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं किसी के भाषण में व्यवधान नहीं डालता। कृपया मेरे भाषण के दौरान व्यवधान न करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपके मित्रगण ऐसा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सभापति को सम्बोधित करके कहें। बीच में अन्य बातें क्यों हो रही हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभापति जी, पृष्ठ 16 पर एक तारक चिन्ह लागाकर कहा गया है :

> "अपराह्न 3 बजे अथवा कार्य की पूर्ववर्ती मदों के निपटान पर जो भी पहले हो, की जाएगी।"

इसे वित्त मंत्री जी के उत्तर से पूर्व प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : मुद्दा क्या है ...*(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि उन्हें अधिक जानकारी हैं तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेने को तैयार हूं।

सभापति महोदय : वे काफी अनुभवी हैं। उन्हें बोलने दीजिए। आप उन्हें अनावश्यक रूप से क्यों टोक रहे हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सदन के किसी भी माननीय सदस्य से सीखने को तैयार हूं। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं।

मेरा निवेदन है कि इसे वित्त मंत्री जी के उत्तर से पूर्व किया जाना चाहिए था। लेकिन बजट के महत्व वगैरह को समझते हुए हम सब सहमत थे। और अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया था। उस समय हमें स्वाभाविक रूप से ऐसा लगा था कि इसे बाद में शीघ्र आरम्भ किया जाएगा, अध्यक्ष जी ने विचार व्यक्त किया कि इसे महत्व दिया जाए और बाद में आरम्भ किया जाए। क्या मैं नम्रतापूर्वक आपको यह बतला दूं कि सदन की मंजूरी के बिना कोई भी आदेश-पत्र का उल्लंघन नहीं कर सकता? अध्यक्ष जी ने तो केवल एक विचार व्यक्त किया था। वह प्रासंगिक उक्ति से अधिक और कुछ नहीं था। वह अध्यक्ष जी की सहमति से नहीं किया गया था। अतः इस मद को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की महत्ता का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों और गैर सरकारी सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं। इसका पहले पुनर्निर्धारण किया गया था। इसे अब भी पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। इसे बाद में भी आरम्भ किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

मैं अपने वरिष्ठ साथी, श्री सिकन्दर बख्त जी, जिनका मैं इस आश्चर्यजनक कार्य को पूरा करने के कारण के अलावा व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता हूं, को यह बताना चाहूंगा कि उन्हें ऐसी छाप छोड़ने से बचना चाहिए कि वे बाद-विवाद से बच रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैं निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी जानते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पहले ही दिये गए निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर बाद में विचार किया जा सकता है। अतः मैं गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को कम नहीं करना चाहता। मैं इस समय को कम नहीं कर रहा हूं। अतः अब गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं; माननीय अध्यक्ष जी ने पहले ही निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* सदन की मंजूरी ली गई थी।

सभापति महोदय : उन्होंने इसे बाद में चर्चा हेतु नियत किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। मैं अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहता।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या नियम 193 के अंतर्गत सूचिबद्ध मामले पर गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के उपरांत चर्चा की जाए?

सभापति महोदय : श्री आचार्य, क्या आप गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पेश करना चाहते हैं अथवा नहीं? कृपया मुझे बताएं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पेश करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पेश कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पेश करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सबको विदित है कि माननीय अध्यक्ष ने एक निर्णय दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप रिकार्ड देखिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक सुझाव दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि सभी की राय हो तो हम इस मद को सायं 6 बजे के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 26 में कहा गया है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री करूणाकरन, यदि सभा की सहमति होती है तो हम इस मद को सायं 6 बजे के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, क्रम सूची पत्र पहले ही परिचालित कर दिया गया हे *(व्यवधान)* सभा का कार्य क्रम सूची पत्र के हिसाब से होना चाहिए। ... *(व्यवधान)* महोदय, यह नहीं बदला जा सकता ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष ने पहले ही इस पर अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम इस मद को 6 बजे के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको इस पर अभी कोई रुख अख्तियार करना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह पहले से ही कार्य सूची में है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे पता है कि यह कार्य सूची में है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इस पर सभा की राय अभी इसी वक्त जान सकते हैं। इसमें कठिनाई क्या है? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप चाहें तो हम यह मद सायं 6 बजे के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभा के विषयों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता ... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, कृपया सदन की सहमति ले लीजिए। ... *(व्यवधान)* सभा की सहमति ली जानी चाहिए *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, उसका निर्णय 6 बजे किया जाना है। वे इतने बेचैन क्यों हैं? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार भी यही चाह रही है। हम इसे सायं 6 बजे के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम सायं 6 बजे के बाद इसका निर्णय कर सकते ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सभा की सहमति अभी लेने में क्या कठिनाई है? ... *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : पीठ ने पहले ही व्यवस्था दे दी है ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप सभा को इस तरह से चलाना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सरपोतदर, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन : यह कोई अच्छी बात नहीं है। वे इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम हुक्म नहीं चला रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : यह कोई तरीका नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हम आपका सहयोग मांग रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमें आपकी तरह बराबर का अधिकार है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैडम, एक मिनट रुकिए। इस तरह तो हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का समय नष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री के० करूणाकरन : महोदय, लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 26 में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों हेतु समय के आवंटन के बारे में कहा गया है कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री करूणाकरन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, आप क्यों समय किल करवा रहे हैं। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस इस तरह से किल किया जा रहा है। यह कोई तरीका नहीं है कि जब मन आए सीनियर मैम्बर्स किसी भी विषय पर उठ कर खड़े हो जाएं और बोलने लगें और आप उन्हें सुनने लगें। यह बिलकुल गलत तरीका है। पहले ही एक घंटा बर्बाद हो चुका है। मेरा आग्रह है कि बिना किसी और विलंब के तुरंत प्राइवेट मैम्बर्ज बिजनैस टेकअप किया जाए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह क्या है? आप वही चीज बार-बार दोहरा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, सभा का समय क्यों नष्ट किया जा रहा है? हम इस मुद्दे को सायं 6 बजे के बाद ले सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का एक घंटा पहले ही नष्ट किया जा चुका है *(व्यवधान)* कुछ वरिष्ठ सदस्य एक ही मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : वे एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं *(व्यवधान)* महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को लेकर टालमटोल करने की इस प्रवृत्ति का जबर्दस्त विरोध करता हूं *(व्यवधान)* इसे टाला नहीं जाना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम इस मद को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के बाद लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इसे कहने में एक घंटा लग गया।

सभापति महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों को लेगी। पुरःस्थापन के लिए विधेयक। श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 4.49 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमाति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.50 बजे

[अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.51 बजे

[अनुवाद]

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.52 बजे

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक*

(धारा 33 में संशोधन)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमाति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, आसाधरण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 12.6.1998 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, आसाधरण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 12.6.1998 में प्रकाशित।

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.52½ बजे

[अनुवाद]

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 51 में संशोधन)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.53 बजे

[अनुवाद]

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.54 बजे

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 51ख का अंतःस्थापन)

सभापति महोदय : सभा में अब संविधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर चर्चा की जायेगी। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहन सिंह को बुलाने के पूर्व हमें इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना होगा।

*भारत के राजपत्र, आसाधरण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 12.6.1998 में प्रकाशित।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, दो घंटे का समय ठीक है।

सभापति महोदय : अतः इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान के और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, मेरा संशोधन भारतीय संविधान की धारा 51 में एक नयी उपधारा 51बी जोड़ने की है, जो इस प्रकार है :

[अनुवाद]

"प्रत्येक राजनैतिक दल और प्रत्याशी, चाहे वह प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया हो अथवा नहीं, का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा या संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में किसी धर्म के नाम पर, धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करके अथवा लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट न मांगें जाएं।"

[हिन्दी]

मैंने अपने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ इसके कारण और उद्देश्य लिखे हैं।

मैंने लिखा है :

[अनुवाद]

"यह देखा गया है कि चुनावों के दौरान कुछ राजनैतिक दल और प्रत्याशी धर्म के नाम पर अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मांग रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति निरंतर चलती रही तो समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक हैं कि संविधान में संशोधन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाए। तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रत्येक राजनैतिक दल और प्रत्याशियों का यह मूल कर्तव्य बनाया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किसी भी चुनाव में धर्म के नाम पर अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट न मांगे जायें। यद्यपि संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इस कर्तव्य का उल्लंघन दंडनीय नहीं है, तथापि संविधान में ऐसे उपबंध के अंतःस्थापन से राजनैनिक दल और प्रत्याशी नैतिक रूप से इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए बाध्य हो जाएंगे।"

[हिन्दी]

भारत के संविधान में फण्डामेंटल ड्यूटीज का जो अध्याय है, उसमें हमने एक धारा जोड़ने की कोशिश की है। भारतीय संविधान की 1976 तक ऐसी मान्यता थी कि यह केवल अधिकार प्रधान संविधान है और इस संविधान में जनता के मौलिक अधिकार क्या होंगे, केवल इसकी विवेचना थी। लेकिन 1976 के बाद एक पूरा अध्याय जोड़ा गया जो नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि धारा 51ए में सिटीजन के कर्तव्य दिये हुए हैं। उसमें कहा गया है :-

[अनुवाद]

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों से समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।"

[हिन्दी]

यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो अधिकारों का अध्याय है उसमें थोड़ी सी कमी की गई क्योंकि कर्तव्यों का अध्याय जोड़ने से पहले भारत के संविधान में एक धारा 31ए थी और इस धारा के अनुसार

[अनुवाद]

कोई संगठन या संस्था जिसका आशय अथवा जो ऐसी स्कीम का भाग है जो भिन्न-भिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई अथवा क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों या समुदायों के बीच सदभाव को खतरे में डालने अथवा विघटन करने का है तो उसे राष्ट्र विरोधी घोषित किया जा सकता है और सरकार ऐसे संगठन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

[हिन्दी]

ऐसा उस समय था और इस धारा के तहत बहुत से ऐसे संगठन जो उस जमाने में धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते थे, उन संगठनों को प्रतिबंधित करने के अधिकार संविधान की धारा 31बी के तहत थी। लेकिन आपातकाल के बाद भारत की संसद ने इस धारा को भारत के संविधान से निकाल दिया। जब भारत के संविधान से इस धारा को निकाल दिया गया, सिर्फ इस नाम पर कि भारत के लोकतंत्र में सरकार को किसी भी संगठन को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और आपातकाल के सारे प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए उस जमाने की सरकार ने उन संगठनों को प्रतिबंधित किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

इस भावना को देखते हुए जो उस जमाने की सरकार और संसद आई, उस संसद ने संविधान से उस धारा को खत्म कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे हम देखते हैं कि इस धारा के खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने अपना यह अधिकार मान लिया, अपना यह कर्तव्य मान लिया कि साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करें, जातिगत और धार्मिक वैमनस्य को पैदा करें, जो राजनैतिक मुद्दे हैं, गरीबों के जो सवाल हैं, उन सवालों पर वोट मांगने के बजाए धार्मिक मुद्दों को ही उभारकर वोट मांगने का काम करते हैं। इससे सामाजिक सदभाव, भारत का भाईचारा, आपसी प्रेम-मोहब्बत और भारत की एकता को चुनौती मिलने लगी। ऐसी स्थिति में संविधान में एक नया प्रावधान किया जाना आवश्यक है और उसी भावना से मैंने इस अध्याय को जोड़ने का यह विधेयक इस सदन के समक्ष विचारार्थ रखा है। मैंने अपना संविधान संशोधन रखते हुए इस बात की अपेक्षा की है कि यह सरकार के लिए मैनडेटरी नहीं होगा, किसी भी संगठन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देने का मेरा इरादा नहीं है। मैं केवल इसलिए कि जैसे हमने कर्तव्य पालन के लिए एक अध्याय जोड़ा है, कर्तव्य पालन का ही वह अध्याय, जिसमें लिखा जा रहा है कि हमारे देश की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे और मूल्य हैं, उसको चुनौती न मिले। उसको चुनौती तब नहीं मिलेगी जब इस बात का भी एक अध्याय हो, एक धारा हो कि हम ऐसे संगठन और ऐसे उम्मीदवार को यह कह सकें कि आप धार्मिक आधार पर, सामाजिक वैमनस्य पैदा करके, जातिगत दुर्भाव पैदा करके वोट मांगने का काम न करें। जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत का नया संविधान लिखा जाने लगा। भारत के राष्ट्र नेताओं ने, हमारे संविधान बनाने वालों से, भारत की संसद से कुछ अपेक्षाएं की और अपेक्षा करते हुए भारत के महान् राष्ट्र नेता पंडित जवाहरवाल नेहरू ने कहा–

[अनुवाद]

"इस सभा का सबसे पहला कार्य, भारत को स्वतंत्र कराना, नया संविधान बनाना, भूख से मरने वाले लोगों को भोजन देना, नंगे लोगों को कपड़े देना, प्रत्येक भारतीय को उसकी क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए भरपूर अवसर देना है।"

[हिन्दी]

भारत के महान राष्ट्र पुरुष, जिन्होंने देश की आजादी में भारत का साहसिक ढंग से नेतृत्व किया, जिनका भारत के संविधान को बनाने में जबरदस्त मार्गदर्शन था, उन्होंने हमसे अपेक्षा की कि जो इस देश के भूखे-नंगे हैं, उनको वस्त्र पहनाने, उनके पेट में भोजन देने, इस तरह के कुछ काम हम करें जिससे इस देश की गरीब जनता को भरपेट भोजन

[श्री मोहन सिंह]

मिल सके, मकान मिल सके, कपड़ा मिल सके। लेकिन हम अपने इस उद्देश्य को भूलकर अपना सारा योगदान, अपना सारा मनोयोग इस देश में धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट लेने की ओर बढ़ रहा है। हम अपनी दिशा से भटक रहे हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसीलिए उस समय कहा था कि समय और परिस्थिति के अनुसार, जब भी हमारे देश को आवश्यकता हो, भारत की आने वाली पीढ़ी संविधान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सके। इसका अधिकार हम भारत की जनता और संविधान बनाने वालों को देकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा--

[अनुवाद]

"हम अपना एक संविधान बनाएंगे और मुझे आशा है कि यह एक अच्छा संविधान होगा लेकिन क्या इस सभा में उपस्थित कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि जब स्वतंत्र भारत का उदय हुआ होगा तो क्या वह किसी चीज से बंधा भी होगा, यहां तक कि यह सभा भी उसी चीज से बंधी होगी? स्वतंत्र भारत अपने आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पाएगा। यह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा मुझे नही मालूम। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो संविधान अब हम बना रहे हैं वह दस या बीस साल से अधिक चलने वाला नहीं है।यदि हम आज इसे नहीं बनाते हैं तो आगे भविष्य में भी नहीं बना पाएंगे। हम क्रांतिकारी परिवर्तन के कगार पर खड़े हुए हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन प्रत्येक दिशा में होगा, क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा को ठेस पहुंचती है तो वह एक अनोखे ढंग से काम करने लगती है। संविधान के मामले में भी यही बात है। हो सकता है यह सभा ऐसे संविधान का निर्माण करे जो आजाद भारत की इच्छाओं के अनुरूप न हो। यह सभा अगली पीढ़ी अथवा उन लोगों को जो हमारे उद्देश्यों को सही ढंग से आगे बढाएंगे, किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकती।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि जिस काम को हम करना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी 10-20 वर्ष के बाद इसी चीज का निरंतर रूप से पालन करेगी, ऐसी गारंटी आज हम नहीं दे सकते। इसलिए हम अपने संविधान को ऐसा लचकदार बनाएं कि आने वाले समय और परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन करने का अधिकार हमारी भावी पीढ़ी में रहे। आज उस परिवर्तन की घड़ी हमारे समाज के सामने आ गई क्योंकि जगह-जगह जो झगड़े हो रहे हैं, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं, राजनैतिक लोगों की उसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है, राजनैतिक पार्टियां जो उन मुद्दों से अनन्तकाल से दूर रहती थीं, पिछले 7-8 वर्षों से उनका यह मुद्दा होने लगा है। यह अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में, जहां गरीबों की इतनी लम्बी संख्या है, जिस देश के ऊपर दुनिया के सभी लोगों की, मजबूत राष्ट्रों की, महान राष्ट्रों की बद-दृष्टि है, हम उस देश की तरक्की की ओर से अपना ध्यान हटाकर मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो धर्म का मामला है, वह निश्चित तौर पर व्यक्तिगत साधना का सवाल है, निजी मान्यता का सवाल है। हम राजनीति के जरिए उसे समाज को थोपने का काम नहीं कर सकते। इस चीज को हमारे देश के महान राष्ट्र नायक, इस सदी और इस सदी के बाद के हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। 1893 में इस देश के एक महान व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द जी, जिनको शिकागो के होने वाले धर्म सम्मेलन में निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन वे वहां पहुंच गए। वे मैले-कुचैले वस्त्र में थे। उनको वहां निमंत्रण नहीं था। लेकिन अमरीका के ही कुछ लोगों ने, जो सभी धर्मों का दुनिया का महान सम्मेलन हो रहा था, उन्हें निमंत्रित करने के लिए वहां ले गए। जब वे वहां बोलने के लिए खड़े हुए और ज्यों ही उन्होंने "अमरीका के भाइयो और बहनों" कहा तो उस पूरे सम्मेलन में सबसे अधिक किसी का स्वागत हुआ तो उस महान विभूति का नाम स्वामी विवेकानन्द था। स्वामी जी ने उस समय धर्म की जो परिभाषा की, उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

''मनुष्य आज भी सदा की भांति सभी मानवीय क्रियाकलापों में, अच्छाई, बुराई में, ईश्वर को न जानते हुए भी उसकी खोज करता रहा है जोकि वास्तव में ईश्वर को पाने का असफल प्रयास है।

वास्तवितकता तो यह है कि मनुष्य प्रकृति से पहले ही पवित्र है लेकिन अब इस ईश्वरत्व को बुराइयों ने ढक लिया है। जीवन का मात्र एक उद्देश्य है, वह है ईश्वरत्व की प्राप्ति।

दैव साक्षात्कार ही धर्म है। सभी धर्म उसी परमसत्य का बखान करते हैं, यद्यपि कथन अक्सर उसे छुपा देते हैं। वेदान्त साक्षात्कार के उस उद्देश्य पर बल देता है किन्तु उसे प्राप्त करने की विविध रीतियों को स्वीकार करता है। साक्षात्कार जानयोग या मानसिक नियंत्रण या निःस्वार्थ कार्य या ईश्वर प्रेम या योग संयोजन से किया जा सकता है।

दुनिया के महान धर्म प्रणेता दैव साक्षात्कार के जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आदर्श रूप में वे मानव को प्रेरित करते हैं और कृपापूर्वक उसे साक्षात्कार में सहायता करते हैं।...''

[हिन्दी]

उनके कहने का मतलब यह था कि दुनिया के सार विशिष्ट लोगों ने, जिस किसी भी धर्म के मानने वाले थे, गॉड को रियलाईजेशन का जो रास्ता बनाया, वही ह्यूमैनिटी का रास्ता है और वही असली धर्म है। उन्होंने कहा-

[अनुवाद]

"... प्रत्येक आत्मा में दैवी शक्ति है। लक्ष्य होता है इस दैव का बाह्य या आन्तरिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा प्रकटीकरण। इसे कार्य द्वारा या आराधना या मानसिक नियंत्रण या दर्शन या इनमें से एक या सभी के द्वारा करें और स्वतंत्र रहें। यही धार्मिक सिद्धांतों की पूर्णता है। अनुष्ठान, मंदिर या स्वरूप तो गौण हैं।"

[हिन्दी]

उन्होंने आगे फिर कहा ''आई एम ही'' :

[अनुवाद]

"... वेद कहते हैं 'मैं ही वह हूं'। यह सत्य कि वही एक है जिसमें

पदार्थ और आत्मा एकाकार होते हैं जिसे वे ईश्वर या ब्रह्म या अल्लाह या किसी और नाम से पुकारते हैं, हम उसके परे नहीं जा सकते। परम सिद्धांत का खाका हमारे लिए पहले ही तैयार किया गया है। हमारा कार्य है कि इसे पूरा करें, इस पर कार्य करें, इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें। हमें अभी कार्य करना है ताकि हर एक धर्मप्रणेता बन जाए।"

[हिन्दी]

उनके कहने का मतलब यह था कि एक ही आत्मा मनुष्य मात्र में विद्यमान है और इस मनुष्य मात्र को हम साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़कर मनुष्य मनुष्य को अलग करने की कोशिश करते हैं और मनुष्य की अनेकता ही समाज के विघटन का कारण बनती है। हमारे संविधान के अनुसार हमारा समाज एक सैकुलर समाज है। संविधान के प्रिएम्बल में हमने समाजवाद को स्वीकार किया, हमने धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने की कल्पना की, उस संविधान की रक्षा के लिए जब हम लोग विधान सभा और लोक सभा में आये तो लोक सभा और विधान सभा में समाज को बांटने वाले जो साम्प्रदायिक नारे हैं, व्यक्ति-व्यक्ति में झगड़ा पैदा करने वाले जो जातिगत नारे हैं, उन नारों को आधार बनाकर चुनाव लड़ें, यह एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए पवित्र मंशा से इस सदन के विचारार्थ में अपने विधेयक को प्रस्तुत करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि सदन के सभी सदस्य अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ इस उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन के सामने मेरे इस विधेयक को, जो 12वीं लोक सभा का पहला निजी विधेयक है, प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई, जिससे मेरा दिमाग कुछ विचलित हो गया, इसलिए जितनी बातें मुझे कहनी चाहिए, मैं नहीं कह पा रहा हूं।

आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : माननीय सभापति जी, हमारे सम्माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने अपना जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहन सिंह जी ने जो संविधान संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं कि उस पर बहुत गंभीर विचार किये जाने की आवश्यकता है। भारत के संविधान को जब बनाया गया तो नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों, फण्डामेंटल ड्यूटीज के सम्बन्ध में उसमें कोई चैप्टर नहीं था। 1976 में जब हिन्दुस्तान में इमरजेंसी लगी तो 1975 और 1976 के पीरियड में संविधान के अन्दर कुछ संशोधन किये गये थे। उनमें से एक संशोधन यह था कि संविधान में जहां पहले फण्डामेंटल राइट्स होते थे, उस समय मूलभूत कर्तव्यों का चैप्टर भी शामिल किया गया। मैं आपात स्थिति में छात्र जीवन में था। आपात स्थिति को और उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का हमने हर चीज के लिए विरोध किया था, परन्तु एक बात जिसे शायद सारा देश सहमत था और वह इस बात से सहमत था कि संविधान के अन्दर एक ऐसा चैप्टर जारी किया गया, लागू किया गया, शामिल किया गया, जो नागरिक के कर्तव्यों की भी व्याख्या करता था, उसका प्रावधान करता था। लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरी बात की गई कि नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, उनका विवरण तो दिया गया, उसका चैप्टर तो शामिल किया गया, लेकिन उन विवरणों को, उन कर्तव्यों को कचहरी के माध्यम से कैसे लागू किया जाये, इस बात की ओर चिन्ता नहीं की गई और फण्डामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य शामिल करने के बावजूद भी किसी ऐसी चीज का प्रावधान नहीं किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसका पालन कैसे किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि धारा 51 में बहुत सारी ऐसी फण्डामेंटल ड्यूटीज हैं, जो चैप्टर 2(ए) धारा 51(ए) के अन्दर आते हैं, जो बहुत आवश्यक थीं, आपने उसका जिक्र किया।

बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना चाहते हैं, राष्टीय गीत का अपमान करना चाहते हैं। उसके अन्दर इस बात की व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा। मैं समझता हूं कि एक सबसे अच्छी फण्डामेंटल ड्यूटी इसमें शामिल की गई, वह प्रत्येक हिन्दुस्तान के नागरिक का एक परम कर्तव्य बनाया गया :

[अनुवाद]

अब मैं अनुच्छेद 51क(ज) का उद्धरण देता हूं :

"व्यक्तिगत और सामूहिक गतिवधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाईयों को छू ले।"

मैं समझता हूं यह प्रत्येक नागरिक को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य था।

[हिन्दी]

आज हमें खुशी है कि मोहन सिंह जी उसके अन्दर एक और चैप्टर शामिल करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी राजनैतिक दल पर, किसी भी व्यक्ति पर धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। मैं भी मोहन सिंह जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि यह अच्छी बात आप संविधान के अन्दर लागू करना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1951 की धारा 123 और सब धारा सात के अन्दर पहले से ही इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगता है, यदि कोई व्यक्ति साम्प्रदायिकता के नाम पर वोट मांगता है, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक सिंबल के नाम पर वोट मांगता है तो चुनौती देने पर उसका चुनाव रद्द हो जाता है। एक नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग न्यायालयों के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, जहां धर्म के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने से आपका चुनाव अवैध हो जाता है, रद्द हो जाता है। यह प्रावधान सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में ही नहीं है। यह प्रावधान म्युनिसिपल एक्ट में है, कारपोरेशन एक्ट में है, ग्राम पंचायत एक्ट में है और जो बाकी सारे अन्य एक्ट हैं, उनके अन्दर भी पहले से ही प्रावधान हैं।

मैं श्री मोहन सिंह जी से विनती करना चाहता हूं कि जहां हम आपकी भावना से सहमत हैं, यह बात सही है कि धर्म और जाति के नाम पर देश को नहीं बांटा जाना चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ आपको भारत के संदर्भ

[श्री सत्य पाल जैन]

में इन दोनों तीनों शब्दों की पहले पूरी व्याख्या करनी होगी। आप अगर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पोलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, यह उसकी फण्डामेंटल ड्यूटी होगी। सबसे पहले हमको इस बात पर विचार करना होगा कि अगर इसकी उल्लंघना होती है तो क्या हम किसी कानून में इसको लागू कर सकते हैं और यदि हम किसी कानून में लागू नहीं कर सकते तो क्या संविधान के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाये, जिसको हम लागू नहीं करवा सकते तो उससे स्थिति और खराब होती है। आपने धर्म के सम्बन्ध में कुछ बाते कहीं, मैं उनसे सहमत हूं, उसमें शायद कोई दो राय वाली बात नहीं होगी। रिलीजन अंग्रेजी का शब्द है, धर्म इसका सही अनुवाद नहीं है। हमारे यहां धर्म और रिलीजन दो अलग-अलग चीजें हैं। रिलीजन विदेशी, वेस्टर्न साइड से आया हुआ शब्द है। यहां जो धर्म का मतलब है वह आपके कर्तव्यों से है, आपकी मोरल ड्यूटी से है। हम बहुत बार कहते हैं कि राजा का धर्म है कि प्रजा के लिए वह किसी भी सीमा तक कुर्बानी करने को तैयार हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह वाक्य आप चुनाव के अन्दर नहीं कह सकते। पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, माता का धर्म है, पति का धर्म है, हमारे यहां जो धर्म है, उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आप किस चीज को रिलीजन के नाम पर वोट मांगना मानेंगे, इस बात की व्याख्या करनी पड़ेगी।

इस मुल्क के अन्दर बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारी उप-जातियों के लोग हैं और उन उप-जातियों के लोगों की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, अगर हम इसकी व्यवस्था बिना सोचे समझे कर देते हैं तो क्या हम यह मानकर चलें कि मान लीजिए आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जिनका अपना पूजा पद्धति का ढंग है। पंजाब के अन्दर रहने वाले हमारे सिख भाई हैं, जिनका अपना पूजा पद्धति का ढंग है, जिनकी अपनी पार्टी है। अन्य राज्यों के अन्दर ऐसी पार्टियां हो सकती हैं, वे चाहे किसी किस्म की साम्प्रदायिक बात नहीं करती और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने सम्प्रदाय को, अपनी जाति को अगर वे आर्गेनाइज करना चाहते हैं तो क्या हम उनको भी चुनाव लड़ने से रोक देंगे, इस बात पर हमको विचार करना पड़ेगा? अगर यह संशोधन हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, बिना गहराई में जाकर हम इस पर विचार करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे लीगल काम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसके अन्दर भी जो प्रतिबन्ध है, वह व्यक्ति के अपने धर्म या जिनसे वोट मांग रहा है, उसके धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबंध है :

[अनुवाद]

"कोई उम्मीदवार अपने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता और न्यायालयों ने 'अपने धर्म' को कई बार परिभाषित किया है कि इसका मतलब 'उम्मीदवार का धर्म' या मतदाताओं का धर्म होगा।"

कई बार इसका नुकसान होने की जो संभावना हमें हो सकती है, अगर हम इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर जेन्युइनली भी किसी धर्म के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी भी निन्दा करना चाहे तो वह उस परिधि के अन्दर आ सकता है। मान लीजिए कि कैंडीडेट मुसलमान है और वोटर मुसलमान नहीं है और मान लीजिए कि वोटर भी मुसलमान है और कोई व्यक्ति यह कहे कि नहीं, फलां प्रान्त के अन्दर सिखों के साथ ज्यादती हो रही है या फलां प्रान्त के अन्दर ईसाइयों के साथ ज्यादती हो रही है तो क्या हम उसको भी प्रतिबन्धित करना चाहेंगे? आज रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट इस बात की चिन्ता नहीं करता। हमारे बहुत सारे ऐसे हिन्दू भाई हैं, सदन के अन्दर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हकों के लिए लड़ रहे हैं। वोट मांगने वाला भी हिन्दू है, जिनसे वोट मांगा जा रहा है, वह भी हिन्दू है तो क्या उनके सामने यह बात नहीं कह सकते कि वहां सिखों के साथ ज्यादती हो रही है या आप यह बात नहीं कह सकते कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है या आप यह बात नहीं कह सकते कि ईसाइयों से ज्यादती हो रही है। क्या महाराष्ट्र के अन्दर चुनाव लड़ते समय हमारे शिवसेना के भाई आन्ध्र प्रदेश का जिक्र नहीं कर सकते, पंजाब का जिक्र नहीं कर सकते, तमिलनाडू की जिक्र नहीं कर सकते? इसके जो गम्भीर परिणाम हैं, इनको समझने की कोशिश करिये। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मोहन सिंह जी, आपकी भावना से हम सहमत हैं, पर इसके जो लीगल आस्पैक्ट्स हैं, इसके जो लीगल कांसीक्वेंसेज हैं, आप उनपर भी विचार करने की कोशिश करें।

इसलिए मेरा मत यह है कि इस प्रस्ताव पर और गम्भीर होना चाहिए, इसके लीगल आस्पेक्ट स्टडी किए जाने चाहिए। अच्छा रहेगा विधि मंत्रालय इस सम्बन्ध में और काम करे और मोहन सिंह जी इस पर विचार करने के बाद इसको और स्पैसिफिक करने की कोशिश करें।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप उम्मीदवार और राजनैतिक दल दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन है, वह अलग से गवर्न होता है। इसके लिए अलग से रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1956 है, जो पोलिटिकल पार्टीज की, इलैक्टरोल्स की, वोटर्स की रजिस्ट्रेशन डील करता है। उसके अंदर किसी किस्म का ऐसा प्रतिबंध नहीं है। राजनैतिक दल अगर कोई ऐसी बात करता है तो जो कंडीशंस ले डाउन की हुई हैं, उनके अंदर इसको लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इसकी पूरी व्याख्या नहीं करेंगे, इसको इंफ्रोर्स करने में, इस क्लाज को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। हम इसकी भावना से सहमत हैं, परंतु इस पर गम्भीरता से विचार करें। इसको राजनीति का मुद्दा न बनाएं। इसको सभी राजनैतिक दलों के लोग और मंथन करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचें ताकि इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनाई जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कोनिजेटी रोसैया।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : सबसे पहले मैं आपको 1998-99 के लिए बजट प्रस्तावों पर कुछ कहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : यह बजट पर चर्चा नहीं है। यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक है। श्री मोहन सिंह ने संविधान में *[अनुवाद]* संशोधन हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित किया है।

(व्यवधान)

श्री केनिजेटी रोसैया : मैं आपसे और सदन से क्षमा चाहता हूं। मैं अभी-अभी आया हूं। मैंने सोचा बजट चर्चा चल रही होगी।

सभापति महोदय : श्री वारकला राधाकृष्णन।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मुझे विधेयक की प्रति अभी प्राप्त हुई है। इसकी संविधान के प्रावधानों के अधीन एक मौलिक अधिकार बनाया जाना है। अपने विद्वान मित्र के प्रति यथोचित सम्मान प्रकट करते हुए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसे संविधान में शामिल नहीं किया जा सकता। यह मुख्यतः प्रक्रिया का मामला है और इसे कानून द्वारा सुलझाया जाना है।

उदाहरणार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को लें जिसमें चुनाव कराने के लिए प्रावधान हैं, चुनाव अधिकारी क्या हैं यह बताया गया है और सम्पूर्ण भारत में चुनाव कराने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, बताया गया है। मैं उनसे और इस संशोधन को लाने में शामिल सदस्यों से सहमत हूं। यह अच्छा है। लेकिन इसे अन्य साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन करके प्राप्त किया जा सकता है। यह लागू किये जाने योग्य भी है। इसकी मान्यता भारतीय संविधान के समान ही है और हमारे न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय किया है। चुनाव तक रद्द कर दिये जाते हैं और उम्मीदवार की पात्रता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं और न्यायालय कहता है कि वह उम्मीवारी के लायक नहीं है।

हाल ही में, अगर मुझे ठीक से याद है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त नें एक प्रावधान दिया था कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति और दोषी पाए गए व्यक्ति विधान सभा या संसद, यथास्थिति, के सदस्य बनने के योग्य नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने भी इसे किया था और वह चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार लोगों को इस संबंध में आदेश दे रहा है। हर कोई यह जानता है कि चुनाव कराने के लिए धार्मिक भावनाएं आधार नहीं होनी चाहिए।

मैं अपने विद्वान मित्र से निवेदन करूंगा कि इसे ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। अंततः हमारे संविधान में 'राजनीतिक दलों' के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उसमें इस विषय पर नागरिक सम्बंधी मूल सिद्धांतों के आधार पर चर्चा है।

यदि आप पूरे संविधान का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उसमें किसी एशोसिएशन अथवा किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक दलों के आचरण को संविधान में शामिल करना आवश्यक नही है। यह प्रक्रिया संबंधी मामला है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियिम का अंग बन सकता है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिना किसी संशोधन के एक अधिसूचना जारी की है। यदि मुझे ठीक से याद है तो इस अधिनियम में प्रावधान हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेदों की तरह लागू किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में निर्णय दिए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है और न्यायालयों द्वारा उसकी उम्मीदवारी को भी अवैध घोषित किया जा सकता है। जब ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं तो इसे भी उक्त कानून में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 51(क) में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के साथ वर्तमान संशोधन को जोड़ना उचित नहीं होगा।

संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य निरूपित नहीं किए हैं। उन्होंने केवल मौलिक अधिकारों की बात की है। दो तरह के मौलिक अधिकार जिनमें कुछ वादयोग्य हैं। और कुछ वादयोग्य नहीं हैं। वादयोग्य मौलिक अधिकारों को याचिकाओं के रूप में न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है जबकि गैर-वादयोग्य मौलिक अधिकार राज्य की नीति के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के अंग होंगे। उदाहरण के लिए समान नागरिक संहिता का विवादास्पद मुद्दा अभी भी गैर-वादयोग्य मौलिक अधिकार का मुद्दा है। यह अभी भी राज्य की नीति का नीतिनिर्देशक सिद्धांत है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। काम का हमारा अधिकार मौलिक अधिकार नही है। यह केवल एक गैर-वादयोग्य मौलिक अधिकार है और यह केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में हो सकता है। इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। मैं न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकता हूं कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। न्यायालय मेरी इस बात को नहीं सुनेगा। इसका कारण यह है कि यह गैर-वादयोग्य है। यहां पर यह अनुच्छेद 51(क) का एक गैर-वादयोग्य मौलिक अधिकार है। तथापि, जब हमने मौलिक अधिकारों का निर्णय किया उस समय मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था।

इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे मित्र बाद के अनुच्छेद 51(ख) को इसमें शामिल करने के लिए कह रहे हैं। यह किसी नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह किसी राजनीतिक दल अथवा एशोसिएशन का मौलिक कर्तव्य हो सकता है। अनुच्छेद 51(क) किसी नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मेरे माननीय मित्र एक संशोधन के माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें किसी राजनीतिक दल अथवा निकाय या एशोसिएशन को ऐसे व्यक्ति को चुनाव में न उतारने की बात हो जो धार्मिक भावनाओं और ऐसी अन्य बातों का प्रचार कर रहा हो।

अतः यह व्यक्तियों के समूह या राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक एशोसिएशन को सौंपा गया कार्य है। इसका अनुच्छेद 51(क) भाग चार-क में दिए गए मौलिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है। अतः यह केवल इसी कारण से समीचीन नहीं होगा कि संविधान में 'राजनीतिक दल' अथवा 'निकाय' अथवा 'एशोसिएशन' शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। यह तभी अप्रासंगिक होगा जब हम यह अनुच्छेद संविधान के उस भाग में शामिल कर दें।

अतः मेरे विद्वान मित्र, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक का सम्मान करते हुए मैं, इस विधेयक का विरोध करने के लिए मजबूर हूं। यह संविधान का अंग नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 51(क) के बाद ऐसा प्रावधान जोड़ना अनुचित और अवैधानिक होगा और यह प्रासंगिक नहीं है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे इस संशोधन विधेयक के संबंध में यही निवेदन करना है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मोहन सिंह जी द्वारा संविधान की धारा 51बी में संशोधन करने के लिए जो विधेयक विचार करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसकी भावना के साथ सहमत हूं। भावना यह कि राजनीति में धर्म को नहीं जोड़ा जाना

[कुमारी ममता बनर्जी]

चाहिए और कोई कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। यह सच है कि हमारे देश में इसके बारे में बहुत सारे कानून हैं लेकिन दुख की बात है कि उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है। आजादी के बाद इस देश में बहुत सारी सरकारें आईं, लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है, जो हमारे संविधान के अन्तर्गत है और इलैक्ट्रोरल रिफार्म्स में भी इस बात को कहा गया है। इलैक्ट्रोरल रिफार्म्स के संबंध में एक कमेटी बनाई गई है, आशा है वह समिति इस बारे में विचार करेगी और इस चीज को गम्भीरता से लेगी। इस विधेयक पर ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मोहन सिंह जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उससे सहमत हूं।

बाबासाहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के संविधान को बहुत अच्छी तरीके से बनाया था। स्थिति बदल रही है और हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। हमारे देश मे विभिन्न विचारों के लोग हैं। इन सब बातों को देखते हुए, संविधान में 78वां संशोधन भी किया गया। मैं एक बात सदन में कहना चाहती हूं। अब से तीन साल पहले मैंने मानवी के बारे में लिखा था और कहा था कि अगर कोई महिला 78 स्थानों से फटी साड़ी पहनती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा था कि संविधान में संशोधन के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी विचार करे और धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूं, पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल विल है और वह ठीक से कामयाब होती है, तो इस तरह के बिल को लाने की जरूरत नहीं है। अगर पोलिटिकल विल नहीं होगी, तो आप चाहे जितने ही संशोधन संविधान में करें, पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में करें, इलैक्ट्रोरल रिफार्म्स में करें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर राजनीतिक लोगों को इस बारे में चिन्ता है, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होगी।

महोदय, हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। हमारे देश में बहुत सारी भाषायें हैं, बहुत सारी रीतियां हैं और हमारे साउथ की बात एक है और नार्थ की बात एक है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारतीयों की अपनी भावनाएं हैं, उत्तर भारतवासियों की अपनी भावनाएं हैं, पूर्व के लोगों की अपनी भावनाएं हैं और पूर्वोत्तर के लोगों की अपनी भावनाएं हैं। हम सब एक हैं। हमें प्रसन्नता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

[हिन्दी]

हमारे देश में बहुत धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, इन सबके होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था - युनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। महात्मा गांधी ने कहा था - ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सम्मति दे भगवान। इकबाल ने कहा था - सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा। राजीव जी ने कहा था- मेरा भारत महान। ये सब हमारे देश के नारे हैं। इतना होने पर भी हम देखते हैं, चुनावों के समय फतवा जारी होता है। क्यों होता है? चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन फतवा जारी नहीं होना चाहिए। जो लोग चुनाव के समय फतवा निकालते हैं, वे लोग कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते हैं, सोसायटी के लिए काम नहीं करते हैं, शिक्षा के लिए काम नहीं करते है, पीने के पानी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन बैठे-बैठे फतवा जारी कर देते हैं। किसी भी जाति के लोग हों, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्ख हो और चाहे ईसाई हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, आपस में रहना भाई-भाई। हमारे देश का यह नारा होना चाहिए।

मैं दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूं। अभी हमारे राज्य में चुनाव हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूं, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। हम लोगों को झगड़ा करने की आदत सी हो गई है। हमारा इतना इशारा ही काफी है कि मैं क्या कहने जा रही हूं। हमारे क्षेत्र में जाकर लोगों से कहने लगे कि ममता बनर्जी को वोट न दो। क्यों? क्योंकि वह कुरान को जला देगी। कुरान की तो मैं इज्जत करती हूं। हमारे देश में महिलाओं के बारे में कहा जाता है।

[अनुवाद]

राजनीतिक नेता का ऐसा भाषण देना उचित है।

[हिन्दी]

यदि कोई दंगा फसाद होता है, तो हम लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता है। हम लोग लड़ते हैं। कहा जाता है कि हिन्दू-मुस्लिम के टुकड़े-टुकड़े कर दो, सिख-ईसाई के टुकड़े-टुकड़े कर दो। कहते हैं कि हम लोग ज्यादा सैक्युलर हैं। जो लोग ज्यादा सैक्युलरिज्म की बात कहते हैं।

[अनुवाद]

मुझे यह कहने के लिए खेद है कि वह धर्मनिर्पेक्ष लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

ये लोग छुपे रुस्तम हैं और इसी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा सैक्युलरिज्म की बात कहते हैं। इसलिए मैं मोहन सिंह जी से कहना चाहती हूं कि खाली वोट के समय हिन्दू-मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए और वोट के बाद फिर माइनोरिटी का मसला ले लेते हैं और कहते हैं कि उनके लिए एक परसेंट की व्यवस्था है। हमारे संविधान में लिखा है-

[अनुवाद]

बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के संरक्षक हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में प्रत्येक अल्पसंख्यक है। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं, मैं वहां बहुसंख्यक हो सकता हूं किंतु बिहार, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात तथा असम में अल्पसंख्यक हो सकता हूं। किंतु हम इसका आदर करते हैं क्योंकि

[हिन्दी]

हमारी जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि हमें इन लोगों का ध्यान रखना होगा। यह सच है कि मुस्लिम को माइनोरिटी कहा जाता है, सिक्ख को माइनोरिटी कहा जाता है, ईसाई को माइनोरिटी कहा जाता है। मैं चाहती हूं कि उनके डेवलपमेंट के लिए चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। यह हम लोगों की गलती है और आप चाहे कितने की बिल ले आइए, जब तक पोलिटिकल विल नहीं होगी, यह काम नहीं हो सकता है। हम लोग 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कहते हैं। यह व्यवस्था पंचायतों में तो हुई है, म्युनिसिपैलिटी में तो हुई है। जो महिलायें चुनाव

में लड़ती हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या रिजर्वेशन उनकी प्रोटैक्टर है? क्या 33 प्रतिशत उनकी प्रोटैक्टर है। चुनावों में जो महिलायें चुनाव लड़ती हैं, उनका रेप करके मर्डर कर दिया जाता है।

यह क्या महिलाओं का प्रोटैक्शन है, यह प्रोटैक्शन नहीं है। हमारे देश में एस.सी.एस.टी. का तो रिजर्वेशन है लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता है। गांधी जी ने कहा था "अस्पृश्यता अपराध है।" यह कहना कि वह राजनैतिक पार्टी अनटचैबल है या वह पार्टी अनटचैबल है ठीक नहीं है। जब आप एक को अनटचैबल नहीं मानते हैं तो राजनैतिक पार्टी को अनटचैबल कहना ठीक नहीं है। राजनैतिक पार्टी से राजनैतिक रूप से ही लड़ा जाना चाहिए। धर्म के नाम पर लड़ना ठीक नहीं है। इसमें खाली एक राजनैतिक पार्टी से कहना ठीक नहीं, सारी पार्टियों का दिल ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को अनटचैबल न समझें। बालागौड़ा जी मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन क्या उनको हिन्दू वोट नहीं देते हैं। मैं हिन्दू हूं लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम हैं।

[अनुवाद]

वे मुझे वोट देते हैं क्योंकि मैं मुसीबत में हमेशा उनके पास जाता हूं। मैं सदैव उनकी समस्याओं पर गौर करता हूं। यह हमारी परम्परा है, यह हमारा रिवाज है।

[हिन्दी]

मैंने हैदराबाद में जहां दंगा हुआ, देखा है कि कोई हिंदू या मुस्लिम दंगा नहीं कराता है, गुंडे दंगा-फसाद कराते हैं। वे गुंडे समाज के गद्दार हैं। कोई भी गुंडा राजनैतिक पार्टी के लिए असैट नहीं हो सकता है। आज धर्म के साथ जात का नाम भी जुड़ रहा है। पहले कभी जात का सवाल खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है कि कौन किस कास्ट का लीडर है। मुलायम सिंह एक कास्ट का लीडर है, लालू प्रसाद एक कास्ट का लीडर है।

[अनुवाद]

कुछ अन्य पार्टियां भी हैं। वे भी दूसरी जातियों के मसीहा हैं।

[हिन्दी]

बालागौड़ा जी और मुलायम सिंह मुस्लिम कास्ट का लीडर है। यह सब क्या है? हम समझते हैं कि आपस में मेल-मिलाप के साथ रहना बहुत अच्छा होता है। इसलिए राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इसको मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इलैक्शन रिफोर्म की चर्चा हो रही है तो हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन बातों पर अच्छी तरह से ध्यान दे। हमारे यहां पीपल्स ऑफ रिप्रिजेंटेशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें हाई कोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति क्रीमनल है उसको टिकट नहीं मिलेगा। आप देखिये कि कितने क्रीमनल हैं जो एम.एल.ए., एम.पीज. बन जाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उनके लिए हमारा कानून तो है, हम कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए एक शेर है, "मौसम बदले, बहार बदले, जमाने की हर चीज बदले, लेकिन राजनीति के लीडर लोगों की आदत क्यों न बदले"। अगर उसकी आदत बदले तो इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। यी सारी चीजें हम आपस में बैठकर हल कर सकते हैं। जहां चाह वहां राह। मैं यह भी सोचती हूं कि माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन देना हमारा रक्षा कवच है, दलितों को प्रोटेक्शन देना हमारा रक्षा कवच है। यह हमारे संविधान में है कि

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को समुचित आदर मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, या कोई और भी हो, हम किसी को बांटना नहीं चाहते हैं। बांटना आसान है लेकिन लोगों को आपस में जोड़ना मुश्किल है। इसलिए आइये, इस हाउस में हम एक चीज पर तो विचार करें कि चुनाव के दौरान हम ऐसा कुछ न करें कि हमारा देश बंट जाए, राजनीति बंट जाए, हमारे दिल बंट जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।

जो बात मोहन सिंह जी ने कही है वह हम लोगों के दिल की बात कही है। राजनीति के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। राजनीति-राजनीति है, धर्म-धर्म है। लेकिन जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं मै उनको कंडम करती हूं। हमें यहां बैठाकर आपस में ऐसा फैसला करना चाहिए जिसको मानकर चलना हर आदमी के लिए हकीकत हो। अगर हम मिलकर नहीं चलेंगे तो आने वाले दिनों में भी यह बिल पास करके, प्राइवेट मैम्बर बिल लाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हिन्दुस्तान की आजादी के लिए किसी एक कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया था बल्कि सब लोगों ने मिलकर साथ दिया था, सारे धर्म के लोगों ने, सारी कम्युनिटी के लोगों ने साथ दिया था।

[अनुवाद]

हमारे देश में हर तरह के रेजीमेन्ट हैं। हमें अपने रेजीमेन्टों पर गर्व है। इसलिए सभी नेताओं तथा सदस्यों–बुजुर्गों व युवाओं-से मेरा यह अनुरोध होगा कि हमें स्वंय को सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बांटना चाहिए।

[हिन्दी]

वोट की राजनीति में आर्थिक इश्यूज को कैसे हल किया जाए और कैसी हमारी सोसाइटी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

किन्तु हम आर्थिक तथा सामाजिक मामलों पर विचार नहीं करते हैं। हम मतदान पेटी में स्वयं को सिर्फ बांटते हैं–कौन हिन्दू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है तथा कौन सिक्ख है। उसके बाद गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। क्योंकि *(व्यवधान)*

श्री टी० गोविन्दन (कासरगोड) : पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का क्या भविष्य है?

सभापति महोदय : कृपया आप पहले सुनिए। यदि आप बीच में बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको समय दूंगा ।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। मैं उन्हें बताती हूं। हमारा भविष्य उज्जवल है। क्या आप यह जानते हैं? हमने कई बाधाएं पार की हैं। हमारी पार्टी केवल पांच महीने पुरानी है। इस पार्टी का गठन एक जनवरी को हुआ था। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? इस बार हमें ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रतिशत वोट मिले हैं।

महोदय, पंचायत चुनावों में 95 लोग मारे गए। बिहार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ तथा आप कहते हैं कि बिहार की स्थिति सबसे बुरी है। इस समय पश्चिम बंगाल की स्थिति बिहार से भी बुरी है। याद रखें कि आज तक चुनावों में 95 लोग मारे जा चुके हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला से बलात्कार किया गया तथा उसे नंगा घुमाया गया। उसका नाम शबीरां बीबी है। वह गांव परासर विष्णुपुर, जिला-दक्षिण 24 परगना, सालदत बेगम पुलिस थाना, जिला हावड़ा की रहने वाली है। उसके बाल काटकर, उसको नंगा करके घुमाया गया। अनुसूचित जाति की एक महिला हमारी उम्मीदवार थी तथा उसने चुनाव लड़ा था। उसका नाम चपला सरदार है। उसके साथ बलात्कार किया गया तथा उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। क्या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं?

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : इनमें से कितने आर.एस.पी. तथा कितने फारवर्ड ब्लॉक के थे?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि सी.पी.एम. के लोग चंबल के डकैतों की भांति गए।

[हिन्दी]

घोड़े पर चढ़कर गया, जाकर उसके पांव काट दिए, उसके हाथ काट दिये, उसका मुंह बांध दिया और उसके बाद उसको जलाया।

[अनुवाद]

मृतकों की संख्या 95 से भी अधिक है-सी.पी.एम. के 4, सी.पी.आई. के 1, आर.एस.पी. का भी 1, टी.एम.सी. के 57 तथा भा.ज.पा. के 40 । क्या अब आप संतुष्ट हैं? महोदय, उन्होंने पूछा है इसलिए मैं ये विवरण प्रस्तुत कर रही हूं।

वे ग्रामवासियों को एक लाख रुपया देने को कहते हैं। अन्यथा, उन्हें गांव में आने की अनुमति नहीं है। पीने को पानी नहीं है। हम लोगों ने एक लंगर शुरू किया है। यहां तक कि आपके मित्र भी मारे जा रहे हैं। आप जाइये और देखिए। यही कारण है कि मैं यह कहती हूं कि राजनीति तथा धर्म दो अलग-अलग चीजें हैं। हमें एक साथ बैठना चाहिए, हमें एक बात कहनी चाहिए तथा हममें एकता होनी चाहिए।

महोदय, मैं अनुभव करती हूं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलना चाहिए। उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के पक्ष में हूं। यदि आप मुझसे दूसरा कारण पूछें तो मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें मात्र एक प्रतिशत रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्हें किसी प्रभार का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं अल्पसंख्यकों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही आरक्षण के पक्ष में हूं। निःसंदेह भारत में 11 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक हैं। मेरे राज्य में यह प्रतिशत देश के प्रतिशत से अधिक है। यह 28 प्रतिशत है। किंतु उनके लिए रोजगार के अवसर मात्र एक प्रतिशत हैं। इसीलिए, मैं श्री मोहन सिंह में यह बात भी रिकार्ड करना चाहती हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ आरक्षण होना चाहिए। हमें लोगों का हित देखना चाहिए तथा राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए।

[हिन्दी]

वोट बैंक बांटने के लिए नहीं बल्कि हम लोग चाहते हैं कि हम आपस में भाई-बहन की तरह रहें, हम एक साथ काम करें, जिस काम की तरफ इशारा है। "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।"

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मोहन सिंह जी ने जो बिल रखा है, उसके प्रति उनका इरादा ठीक है। वे सभी पार्टियों को इससे इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे वे धार्मिक भावना भड़का कर चुनाव न लड़ें। वह 51वें संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। हमारे संविधान मे ऐसी पार्टियों का कोई जिक्र नहीं है जो धार्मिक भावनाएं भड़का कर वोट प्राप्त करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल्स एक्ट में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कोई पॉलिटिकल पार्टी धार्मिक भावना न भड़का सके। अभी हमने चुनाव लड़ा। उसमें इस बात की हिदायत दी गई कि ऐसी कोई धार्मिक भावना नहीं भड़कायी जाएगी जिससे राष्ट्र को कोई नुकसान हो। जब हम चुनाव सभाओं में जाते हैं तो उसके पहले हर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे में जाकर मस्तक टेकता है। वे देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे लोग इस बात को अमूमन मानते हैं। वे धार्मिक स्थलों में मस्तक टेकने के लिए जाते हैं।

जहां तक धार्मिक भावनाओं से इलैक्शन लड़ने का सवाल है, मैं समझता हूं कि धार्मिक भावना नहीं भड़कानी चाहिए। जो रिस्पोंसिबल पार्टियां हैं, वे सभी अपनी पार्टियों में इस बात को रखें कि वह धार्मिक भावना न भड़काएं। चुनाव प्रक्रिया और संविधान मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम ऐसी कोई बात न करें। यहां बहुत सी बातें कही गई। चुनावों में जात-पात का मसला खड़ा किया जाता है-चाहे पंचायत या नगरपालिका के चुनाव हों, असेम्बली के चुनाव हों या संसद के चुनाव हों, हर जगह यह कोशिश होती है कि हम लोगों को भड़का कर बांटने की कोशिश करें। वे अपने वोट पक्के करने के लिए ऐसा करते हैं। मेरे विचार में हम ऐसा करके वोटों को डिवाइड करते हैं और साथ ही राष्ट्र को विभाजित करते हैं। हम सांसद इसको ठीक कर सकते हैं।

अपराह्न 5.52 बजे

[**डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** *पीठासीन हुए*]

मोहन सिंह जी ने संविधान में संशोधन करने की जो बात कही है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई किसी की भावना को भड़काता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उसके खिलाफ पैटिशन भी दायर की जा सकती है। इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए।

ममता जी ने कहा कि विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनका अपना-अपना धर्म है। उनके मुताबिक वे चुनाव लड़ते हैं। उनकी अलग-अलग जातियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो टिहरी गढ़वाल का इलाका है जो कि देहरादून के पास है, उसके साथ मेरा चुनाव क्षेत्र लगता है। वह क्षेत्र ट्राइबल है लेकिन वहां ट्राइब्स नहीं रहते। हमारे यहां एक पत्नी प्रथा है। उस इलाके में खास करके ट्रांसगिरी के इलाके में एक पत्नी के पांच पति हैं। इस तरह का उनका कस्टम है। सब का अपना-अपना कस्टम होता है। अगर उनकी भावना को भड़काया जाएगा और कहा जाएगा कि उन्होंने उसूल के खिलाफ काम किया है तो यह ठीक नहीं होगा। वे लोग अपने रीति-रिवाजों से बहुत सुखी हैं। वे खुश रहते हैं। उत्तर प्रदेश का यह इलाका ट्राइबल इलाका है लेकिन हमारा ट्राइबल इलाका नहीं है। कई बार उनकी धार्मिक भावना को भड़काया जाता है। इसको रोकने के लिए मैं भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई संशोधन हो सकता है तो वह किया जाए। अगर कोई किसी की जाति को भड़का कर राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि कभी भी राष्ट्र

इससे मजबूत नहीं होगा। हम सब एक हैं, भाई लोग हैं, हमें आपस में प्यार से रहना है और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

प्राइवेट मैम्बर्स जो प्रस्ताव लाते हैं, उसमें जो भावना होती है, वह उनकी आत्मा से निकलती है। इससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। उनकी भावना बहुत शुद्ध होती है। मोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को कहा है। मैं इनकी भावना की कद्र करता हूं। उन्होंने अच्छी भावना से कहा है कि इसमें संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि कोई राजनीतिक लाभ न उठाए। आज इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। हम इसको कैसे बंद करेंगे? भावना भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां धार्मिक संस्थाएं अलग हैं और राजनीतिक मंच अलग है। आज अधिकतर लोग धार्मिक हैं—चाहे वह मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। जब हम ओथ लेते हैं तो कोई ईश्वर के नाम से ओथ लेता है कोई सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता है। हमें इलैक्शन से पहले ओथ दिलायी जाती है। इस बिल में भड़काने की जो बात कही गई है, मैं समझता हूं कि भड़काने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस पर लम्बा-चौड़ा बोलने वाली कोई बात नहीं है। आपने घंटी भी बजा दी है। मोहन सिंह जी अच्छी भावना से बिल लाए हैं। इसमें जहां तक हो सके, अमैंडमैंट करने की कोशिश हो। इस बिल की भावना अच्छी है। अच्छी भावना होने से ही आदमी का आगे काम बनता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जिससे संविधान में संशोधन हो सके। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मोहन सिंह ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। यह विधेयक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पर समग्र रूप से चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि इसके प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

हमारा संविधान धर्म-निरपेक्ष है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को एक केन्द्रीय स्वरूप दिया है और उन्होंने संविधान में संघात्मकता गणतंत्रात्मक सरकार, धर्म-निरपेक्षता, संसदीय शासन प्रणाली और संविधान का प्राधिकार जैसी मूल विशेषताओं की व्यवस्था की है।

धर्मनिरपेक्षता के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि देश का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा और सभी लोग विचार की स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार होंगे तथा सभी लोगों को किसी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा।

धर्म-निरपेक्षता हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब कभी कोई राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति साम्प्रदायिकता फैलाता है अथवा किसी धर्म विशेष का प्रचार करते हुए वोट मांगने की कोशिश करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं क्योंकि हम यह मानते हैं कि धर्म प्रचार के सहारे वोट मांगना अपराध है और इसे रोका जाना चाहिए।

धर्म क्या है? धर्म तो पारलौकिक और सर्वशक्तिशाली सतता मे आस्था की भावना है। जो लोग ऐसी मान्यता रखते हैं वे मानते हैं कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है।

अपराह्न 6.00 बजे

यहां कई धर्म हैं। परन्तु हमें यह जानना चाहिए कि धर्म समाज से बनता है। समाज में विकास होने पर विशेष समय पर धर्म का उद्भव होता है जैसेकि भगवद्गीता की रचना उस समय हुई जब बौद्धों और हिन्दुओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। अतएव हिन्दुओं को बौद्धों से बचाने के लिए भगवद्गीता का उद्भव हुआ। जो लोग विकासवाद के सिद्धांत के कट्टर समर्थक हैं वे कहते हैं कि आदिकाल में कोई धर्म नहीं था। इसके बाद कुछ स्वार्थी लोगों के विचारानुसार देश की स्थापना की गई तो उस समय समाज में धर्म पैदा हुआ। अतएव प्रत्येक धर्म समय विशेष की सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पन्न होता है।

धर्म व्यक्ति विशेष से संबंधित है। यह समूह विशेष से संबंधित नहीं है। किसी धर्म विशेष को मानने वाले किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई अन्य धर्म भी अपना सकता है। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध गुरू श्री रामकृष्ण परमहंस एक वर्ष या इससे भी अधिक समय तक इस्लाम धर्म को अपनाया था। उन्होंने एक वर्ष या इससे अधिक समय तक ईसाई धर्म को भी अपनाया। इन सभी धर्मों को अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह, प्रभु और ईश्वर सभी एक ही हैं। हमें ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए जो धर्म के नाम पर समाज में लोगों में भेदभाव की भावना फैलाते हैं। ईश्वर अथवा ऐसी ही किसी बात के नाम पर वोट मांगने वाले को मौका नहीं देना चाहिए।

महोदय, अब छः बज चुके हैं। मुझे दस मिनट और लगेंगे। क्या मुझे बोलने की अनुमति दी जाएगी? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए केवल दो घंटे की अवधि नियत की गई है। कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सुधीर गिरि : अब छः बज चुके हैं। गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा केवल छः बजे तक जारी रहेगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बीदुरई) : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सभा की छः बजे के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप सभा की राय पूछ सकते हैं।

सभापति महोदय : हमने इस विषय पर चर्चा 4.50 बजे आरम्भ की थी। गैर-सरकारी कार्य के लिए ढाई घंटे की अवधि नियत है। अतएव इसे 7.20 बजे तक जारी रखना होगा।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : इससे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के मामल पर सायं छः बजे विचार करने का निर्णय लिया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : इससे पहले अध्यक्षपीठ द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मारुति उद्योग से संबंधित मुद्दों पर नियम 193 के अधीन सायं छः बजे चर्चा की जायेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसके लिए दो घंटे का समय दिया गया है, अभी छः बजे हैं, यदि सभी माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। चूंकि इस विधेयक पर चर्चा थोड़ी देर से शुरू हुई थी, यह प्राइवेट मेम्बर विधेयक है, उसके लिए दो घंटे दिये हैं। यह 4.50 पर

शुरू हुआ है, उसके पहले बजट डिस्कशन था और दो घंटे इसको पूरे नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : इससे पहले अध्यक्षपीठ द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम इस विधेयक पर बाद में चर्चा करेंगे और छः बजे नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा सदन की सहमति से नियम 193 के अधीन छः बजे चर्चा किए जाने की घोषणा की गई थी। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्षपीठ द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नियम 193 के अधीन छः बजे चर्चा शुरू की जाएगी। अतः, हमें अब चर्चा शुरू करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : इस पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समाप्त होने के बाद चर्चा की जायेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह अध्यक्षपीठ का निर्णय था। ...*(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : यदि नियम 193 के अधीन चर्चा किए जाने का अवसर नहीं दिया गया तो सदस्यों के अधिकारों का उलंघन होगा *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आचार्य जी, यदि गैर सरकारी विधेयक साढ़े तीन पर शुरू होता है तो छः बजे यह पूरा हो जाता है। यदि छः बजे प्राइवेट मैम्बर बिजनेस पूरा हो जाता है तब तो ठीक था लेकिन यह 4.50 पर शुरू हुआ है। अतः माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन तो ठीक नहीं है। अगर कहें तो इसके बाद 193 ले लेंगे।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, अभी दो घंटे का समय पूरा नहीं हुआ है इसलिए इसको चलने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप एक-एक करके बोलिये, अगर सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सभापति महोदय, मैं जब से यहां बैठा हूं मैंने तीन हजरात को इस कुर्सी पर तशरीफ रखते देखा। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार यह इश्यू तीन बजे लिया जाना था या बजट रिप्लाई के इमीडिएट बाद में लिया जाना था। इस वक्त चेयर की विसडम के अनुसार यह फैसला हुआ था या यह तय हुआ था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बयान खत्म कर लेंगे तो यह लिया जायेगा, वह बदल गया। उसके बाद दूसरे सभापति महोदय, ने तय किया कि यह छः बजे लिया जायेगा। इस वक्त आप तीसरी बात कर रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ पता तो चले, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ठिकाने की बात तो पता चले। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : माननीय सभापति महोदय, जब प्राइवेट मैम्बर बिजनेस का समय दो घंटे अलॉटिड है और यह पूरी तरह से वैधानिक तौर पर सही है, क्योंकि यह 4.50 पर शुरू हुआ है तो इस पर बहस पूरी होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, इस विधेयक को अगले सत्र तक जारी रखा जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन नियम 193 के अधीन चर्चा अभी शुरू की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो समय प्राइवेट मैम्बर के लिए अलॉटिड था, उस समय को पूरा होने के बाद अगर हम नियम 193 पर डिस्कशन शुरू करें तो अच्छा रहेगा। ...*(व्यवधान)* बीच में कैसे होगा? अगर हम 193 को अब शुरू करेंगे तो प्रइवेट मैम्बर बिजनेस को फिर से कैसे लेंगे, यह कैसे संभव है?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से संबंधित इस विधेयक को अगले सत्र में भी रखा जा सकता है *(व्यवधान)* ... लेकिन अध्यक्षपीठ का यह निर्णय था कि नियम 193 के अधीन छः बजे चर्चा शुरू की जायेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर यह साढ़े तीन बजे शुरू होता तो छः बजे प्राइवेट मैम्बर बिजनेस समाप्त हो चुका होता, लेकिन यह साढ़े तीन बजे शुरू नहीं हुआ इसलिए इसके समाप्त होने के बाद लिया जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० करुणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : मैं यहां उपस्थित था। माननीय मंत्री महोदय भी वहां उपस्थित थे। तब सभापति महोदय ने सभा के विचारों को जानने के बाद और सभा की असहमति से यह निर्णय लिया था कि इस पर 6 बजे अपराह्न चर्चा प्रारम्भ होगी। अब 6 बज चुके हैं। यदि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा करने के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाना था तो इस पर अपराह्न 3.30 बजे चर्चा की जानी चाहिए थी। अतः अब अध्यक्षपीठ को सभा की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यदि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य ठीक 3.30 बजे शुरू होता, तो नियम 193 के अधीन चर्चा ठीक 6.00 बजे प्रारंभ हो सकती थी, किन्तु हमारे विपक्षी

एवं कम्युनिस्ट सदस्यों ने ऐसा नहीं होने दिया और गैर सरकारी कार्य 4.50 बजे शुरू हुआ है तथा इसके लिए न्यूनतम दो घंटे निर्धारित किए गए हैं इसलिए नियम 193 के अधीन सूचना पर 6.50 बजे विचार किया जा सकता है। उससे पहले नहीं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस मामले को जटिल क्यों बना रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठिए। चूंकि अशासकीय कार्य 3.30 बजे शुरू नहीं हुआ इसलिए 193 के अधीन सूचना पर 6.00 बजे विचार नहीं किया जा सकता। पहले जो दो घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं, उनको पूरा होने दीजिए। उसके बाद नियम 193 के अधीन सूचना पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

मैं सभा की राय पुनः जानना चाहता हूं। यदि सभा सहमत हो तो हम अगले विषय पर चर्चा प्रारम्भ करें।

अनेक माननीय सदस्य : सभा इस पर सहमत नहीं है।

सभापति महोदय : सभा में इस समय आम सहमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने बुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : आप सभापति महोदय को बार-बार धन्यवाद क्यों कह रहे हैं?

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : यह शालीनता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसी मुद्दे पर सभा की राय केवल एक बार ली जा सकती है। आपके सभापति के रूप अध्यपक्षपीठ पर आसीन होने से पहले पूर्व सभापति महोदय ने सभा की राय ली थी और यह निर्णय लिया था कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा चाहे किसी भी स्थिति में हो, इस विषय पर चर्चा 6 बजे की जाएगी। अतः एक ही दिन एक ही विषय पर सभा की दूसरी बार राय लेना विधिसम्मत नहीं है।

सभापति महोदय : मैं यह जानने के लिए सभा की राय ले रहा हूं कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक की स्थिति क्या होगी, इसलिए मुझे सभा का मत जानना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में एकमत नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें समय आवंटित किया गया था लेकिन हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह निर्णय सभापति महोदय द्वारा लिया गया था। ... *(व्यवधान)*

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : वे इस चर्चा को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि वे तथ्यों को छुपाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय तैयार हैं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : यह एक गम्भीर मामला है ... *(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी : यह सही नहीं है।

श्री अनिल बसु : आप बहुत गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, इस पर हाउस एग्री नहीं करता है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सही नहीं है।

सायं 6.16 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य, श्री एस० जयपाल रेड्डी और कुछ और माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री ए०सी० जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, अध्यक्षपीठ का निर्णय है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही चर्चा पूरी होने के बाद बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : यह निर्णय कार्यवाही वृत्तांत में है।

श्री ए०सी० जोस : कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें श्री करूणाकरन की बात सुननी चाहिए।

श्री के० करूणाकरन : महोदय, इस समय आप सभापति हैं। हम सभापति महोदय द्वारा दिए गए निर्णय को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया निर्णय मानेंगे। आपके पूर्ववर्ती सभापति महोदय ने यह निर्णय दिया था कि इस विषय पर 6 बजे चर्चा होगी ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति महोदय, यह हम आपके ऊपर छोड़ते हैं जो आप डिसाइड करेंगे हमें वह मंजूर होगा। ... *(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति महोदय, यह सरकार नियम 193 में चर्चा कराने से डर रही है और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने से बचना चाहती है। यह ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र विरोधी कार्य है। ... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : देखिए, जैसा आप डिसकस करना चाहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी तब से बैठे हैं। वे भी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं ... *(व्यवधान)* सभापति जी, मैंने कल भी कहा था कि तीन दिन से लगातार एक पक्ष आ रहा है और मंत्री जी जो कहना चाहते हैं, वह पक्ष भी आना चाहिए। इसके लिए मैंने मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी और वह तैयार हो गये। लेकिन एक स्थिति पैदा हो गयी है और मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि हमारे लोग प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस पर बोलना चाहते हैं इसलिए आप इस पर आधा घंटा और डिसकशन कर लीजिए। *(व्यवधान)* उसके बाद हम उसे ले लेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : सभापति ने यह निर्णय लिया था कि इस विषय पर 6 बजे चर्चा की जाएगी ... *(व्यवधान)* आप इसे हर बार क्यों बदल रहे हैं? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम निर्णय को नहीं बदल रहे हैं। हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पर आधा घंटा और चर्चा की जाए। तब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि उस पर 6 बजे चर्चा शुरू की जाएगी ... *(व्यवधान)* आप कार्यवाही वृत्तांत देखिए। सभापति महोदय ने यह निर्णय लिया था कि इस विषय पर 6 बजे चर्चा प्रारम्भ की जाएगी। इसलिए हम यहां बैठे हुए हैं। अब 6 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। अतः इस विषय पर अब चर्चा शुरू की जानी चाहिए। अब इस पर चर्चा करने में क्या कठिनाई है? ... *(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बीदुरई) : माननीय सदस्यों को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गैर-सरकारी सदस्य विधेयक की अपनी महत्ता है। इस संबंध में परम्परा यह है कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा करने के लिए ढाई घंटे का समय आबंटित किया जाता है और यदि हम उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो यह एक खराब उदाहरण होगा। गैर-सरकारी सदस्य अपना अधिकार खो देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य चाहते थे कि नियम 193 पर चर्चा 6 बजे प्रारम्भ की जानी चाहिए। सभापति महोदय ने यह निर्णय दिया था कि इस पर 6 बजे चर्चा प्रारम्भ की जाएगी। ... *(व्यवधान)* आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे माननीय सदस्य गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पर बोलने का अपना अधिकार खो दें? यदि हम एक गलत उदाहरण स्थापित करेंगे, एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रत्येक शुक्रवार को सदस्य अपना अधिकार खो बैठेंगे। यह मेरा विनम्र सुझाव है। ... *(व्यवधान)* यह उन पर निर्भर करता है ... *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, पिछले सप्ताह भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। हमने गैर-सरकारी विधेयक पर की जाने वाली चर्चा को शुक्रवार से मंगलवार के लिए बदल दिया था ... *(व्यवधान)*

डा० एम० तम्बीदुरई : मैं भी यह बात कह रहा हूं। आप इस तरह का उदाहरण स्थापित न करें। अन्यथा हम अपना अधिकार खो बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप आधा घंटा इस पर और डिस्कशन करा लीजिए। ... *(व्यवधान)* आप हमारा यह कहना मान लीजिए ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० एम० तम्बीदुरई : यह गैर सरकारी सदस्यों को प्राप्त सुविधा है। गैर सरकारी सदस्यों को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम परंपरा का उल्लघंन नहीं कर रहे हैं। हम आधा घंटे के अन्दर गैर सरकारी सदस्य कार्य पूरा कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है ... *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : सरकार नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराने के लिए तैयार है।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को : यह मुद्दा तो कार्य सूची में था। सरकार इस पर चर्चा कराने से बच रही है ... *(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी बात को सुना जाए। हम अध्यक्षपीठ से कुछ कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आप यह समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री महोदय चर्चा को टालना चाह रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। अध्यक्षपीठ की ओर से कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है।

इसीलिए नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कराए जाने संबंधी सूचना दी गई थी। कार्य सूची में इस पर 3.00 बजे चर्चा कराए जाने का उल्लेख था। हमने मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने की छूट प्रदान कर दी थी। अब हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे लिए उतनी ही उदारता का परिचय दे। परन्तु अफसोस है कि वह चर्चा को टालना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : चर्चा को कौन टालना चाह रहा है? हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० चाक्को : हम गैर सरकारी सदस्यों के विशेषाधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केवल कामकाज में व्यवधान पैदा करने के लिए ही नहीं है ... *(व्यवधान)* यह दुर्भाग्य की बात है कि संसदीय कार्य मंत्री ऐसा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सामान्य बजट पर चर्चा समाप्त हो जाए और हम उसका समर्थन करें। अब तो वह भी हो चुकी है और उनको लग रहा है कि उनकी समस्याएं भी समाप्त हो चुकी हैं और इसीलिए वे हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 15 मिनट से आप बहस कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* अगर आप प्राइवेट मेम्बर बिजनेस पर डिस्कशन शुरू कर लेते तो वह अब तक खत्म हो जाती। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : हमने इस पहलू पर बहस करते हुए समय बर्बाद कर दिया है *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० चाक्को : आप चर्चा कराने में हिचक क्यों रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री के० करूणाकरन : इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अध्यक्षपीठ द्वारा पहले तीन बजे का समय निश्चित किया गया था और दुर्भाग्य से वह समय सरकारी कामकाज में चला गया इसलिए हम इसे स्थगित करने के लिए सहमत हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मेम्बर बिजनेस है।

(व्यवधान)

श्री के० करूणाकरन : माननीय मंत्री भी इस बात से सहमत हैं और उनका कहना है कि हम 6 बजे तक का समय ले सकते हैं। अब यदि हमें चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह बहुत बुरा होगा क्योंकि यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगा। इसीलिए वे इस पर चर्चा कराने से डर रहे हैं और इस बारे में बहुत भयभीत हैं। *(व्यवधान)* तभी तो वे चर्चा नहीं कराना चाहते। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं ऐसी बात नहीं है। वे भी इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं। वे तो आप से आधा घंटा इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० करूणाकरन : सरकार राष्ट्र की सम्पत्ति को कौड़ियों के दाम प्राइवेट पार्टियों को बेच रही है। हम उसे ऐसा करने देना नहीं चाहते। हम इस सभा से उठकर बाहर चले जाएंगे।

सायं 6.28 बजे

(इस समय श्री करूणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मुझे जवाब देने दीजिए। *(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं। अभी करूणाकरन जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप एलाव करें तो मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि किस तरह से मारुति में भ्रष्टाचार हुआ है और कैसे-कैसे हुआ, 10 परसेंट शेयर कैसे ट्रांसफर हुए और किस तरह से सुजूकी को मालिकाना हक दिया गया, सब नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से 10 परसेंट शेयर इन्होंने सुजूकी के पक्ष में किये, वे सब चीजें आपके सामने आयेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी तो सुबह से तैयार बैठे हुए हैं। मैंने यह कहा था कि आप प्राइवेट मैम्बर बिजनेस पर केवल आधा घंटा और बहस करा लीजिए। अगर वह मेरा कहना मान गये होते तो अब तक बहस शुरू हो सकती थी। *(व्यवधान)* इसका मतलब यह है कि वह बहस चाहते ही नहीं हैं। वे केवल बदनाम करना चाहते हैं। वे तथ्यगत दूसरा पक्ष निकालना चाहते हैं। मैंने कल खुद माना क्योंकि पिछले तीन दिन से एक पक्ष आ रहा था जैसे इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हो गया, सैलआउट हो गया। *(व्यवधान)* दूसरा पक्ष लोगों के सामने नहीं आ रहा था इसलिए मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की कि वह दूसरा पक्ष भी सामने रखें। *(व्यवधान)* हम तो इंटरेस्टिड हैं लेकिन प्राइवेट मैम्बर बिजनेस का अपना महत्व है इसलिए आपने अपनी रूलिंग दी। मैंने अपने मैम्बर्स को समझाया हालांकि ये मान नहीं रहे थे लेकिन मैंने उनको मनाया कि आप इस पर आधे घंटे और बहस करा लीजिए। अगर वह उस बात को मान लेते तो बहस शुरू हो जाती क्योंकि साढ़े छः हो गये हैं। इससे स्पष्ट है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इनको यह लगता है कि अगर स्थिति साफ हो गयी, कुछ कहने के लिए रह नहीं जायेगा इसलिए आरोप लगा रहे हैं।

यह इनकी राजनैतिक चाल है जिसके कारण इन्होंने वाक आउट किया है। मैंने यह बात इसलिए कही है क्योंकि अब यदि ये स्टेटमैंट देंगे तो कहा जाएगा कि औपोजीशन की ऐबसैंस में दी। इसलिए मुझे लगता है कि स्पीकर साहब से बात करके अगले सैशन में हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो उनका आरोप है कि हम बहस नहीं करना चाहते, आपने देखा कि मंत्री जी राज्य सभा के नेता हैं लेकिन सुबह से लोक सभा में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि अपनी बात कह सकें। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन हम उनकी बात सुनना चाहते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : फिर यह आरोप आएगा कि उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया। इसलिए मैं यही रिक्वैस्ट करूंगा, स्पीकर साहब ने पहले जो बात कही थी, इस ईशू को ऐलाइव रखा जाए और जब हाउस रीअसैम्बल हो, उस समय लाया जाए। हम इसके लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमारा दामन बिल्कुल साफ है। यह सरकार जवाबदेह है, यह सरकार पारदर्शक है, इसलिए कभी भी बहस कर सकती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस ही चलेगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बीदुरई) : जी हां, अपराह्न 7.20 बजे तक यही चलेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस समय आप प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस जारी रखिए और सदस्यों को इस इशू को ऐलाइव रखकर पूरा समय दीजिए। जिस समय 3 जुलाई को हाउस फिर से रीअसेम्बल हो; इस समय इसे लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, वास्तव में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के लिए निर्धारित समय में से समय लेना गलत था। हमें इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। *(व्यवधान)* यह गलती हमने की है। *(व्यवधान)* कारण चाहे जो भी हो हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जो समय इसके लिए रखा गया था, वह तीन बजे का था। आशा थी कि तीन बजे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे, तीन से साढ़े तीन तक का समय वे लेंगे और साढ़े तीन से छः बजे पी. एम.बी. हो जायेगा। लेकिन सुबह से जिस तरह से मुलायम सिंह तथा और माननीय सदस्यों ने डेढ़ घंटा समय *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज को जारी रखते हैं।

डा० एम० तम्बीदुरई : जी हां, अपराह्न 7.20 बजे तक।

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरी को बोलना था लेकिन अब वह यहां पर नहीं हैं इसलिए अब श्री आदित्यनाथ जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक 1998 के नए अनुच्छेद 51ख का अंतःस्थापन का जो विधेयक यहां पर रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से इस विधेयक में प्रावधान है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी भी प्रकार की भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए, निश्चित ही यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर धर्म की जो व्याख्या हुई है और बराबर इस सदन के माध्यम से हो रही है, एक बहुत गलत संदेश आम जनता के बीच जा रहा है। हमारे ही एक सदस्य ने यहां पर धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं कहना चाहता हूं कि धर्म को एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता रही है। हमारे इस देश से यह मंत्र भी हुआ था—

वेदाः विभिन्न स्मृतियो विभिन्न
नासो मुनियरस्यः मतम् विभिन्नम्
धर्मस्य तत्वम् निहितिम् गुहायाम्
महाजन् एन गत् सः पन्था।

लेकिन दुर्भाग्य है कि धर्म के उस तत्व को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भी सैकुलर का अर्थ हम बराबर धर्म ही लगाते रहे हैं और जिस धर्म ने पूरे समाज को नैतिकता के आधार पर, सदाचार के नाम पर, कर्तव्य के आधार पर समाज को नैतिकता का एक पाठ पढ़ाया है, उसे जोड़ने वाला जो नियम है, जब हम उस धर्म को ही समाज से अलग करे देंगे तो समाज की क्या अवस्था होगी। निश्चित ही मैं समझता हूं कि आज हम धर्म, जाति और अन्य भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीकि रोटियां सेकते हैं।

यहां पर अल्पसंख्यकों की बात भी हुई थी। क्या अल्पसंख्यक वही लोग हैं जहां हिन्दू बहुमत में हैं, वहां जो मुसलमान कम संख्या में हैं, क्या कश्मीर का हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं है? क्या कश्मीर के उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं के बारे में, जो आज तीन-साढ़े तीन लाख से अधिक की संख्या में शरणार्थी के रूप में जगह-जगह भटक रहे हैं, उनके बारे में सोचने की फुर्सत इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को कभी आई है या पूर्वोतर के राज्यों में जो कुछ हो रहा है, मिजोरम में रियांग जनजाति के 51,000 से अधिक शरणार्थियों को मिजोरम से निकाल दिया गया है, लेकिन क्या कभी यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों ने उस पर सोचने की कोशिश की। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक बना दिया गया है। पूर्वोतर के राज्यों में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती, कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में यहां चर्चा क्यों नहीं होती। यदि अल्पसंख्यकों की बात होनी है तो 1984 में इस देश में जो हुआ था, क्या वे सिख अल्पसंख्यक इस देश में नहीं हैं? इस देश की जनता की भावनाओं के साथ हम तब खिलवाड़ नहीं करते जब सदन में इतनी उदंडता होती है। . . . *(व्यवधान)* इस देश की जनता की भावनाओं के साथ क्या हम तब खिलवाड़ नहीं करते जब यहां कोई सदस्य किसी समस्या को उठाना चाहते हैं लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जाता, उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। क्या इस देश की करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता। हमें निश्चित ही इस बारे में सोचना पड़ेगा। . . . ** . . *(व्यवधान)*

आज इस बात की आवश्यकता है कि जो कुछ हो रहा है, इस सदन के माध्यम से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए था, करोड़ों की जनता के बीच जाना चाहिए था कि वास्तव में देश की संसद के माध्यम से जो कुछ भी पारित होकर जाएगा, वह उपयुक्त होगा। . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण को संक्षिप्त कीजिए।

श्री आदित्यनाथ : सभापति महोदय, मुझे खुद देर हो रही है। मुझे जाना है, सात बजे मेरी गाड़ी है, मैं केवल इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित ही इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, होना चाहिए और यह प्रावधान बहुत पहले से है। धर्म क्या है? यदि हम अपने देश की जनता के स्वाभिमान को जगाने का कार्य करते हैं तो हमें साम्प्रदायिक कह दिया जाता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कह दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों का घोणणा पत्र ही केवल जातीयता के नाम पर होता है, जो लोग जातीय भावनाओं को भड़काते हैं, क्या वे गलत नहीं करते, क्या उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? हम कहते हैं होना चाहिए, जो लोग भावनाएं भड़काने का कार्य करते हैं, उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन इसे लागू कौन करेगा? इस बारे में कौन सोचेगा? यहां देखा जाता है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जामा मस्जिद में फतवा जारी करवाने के लिए जाते हैं। क्या वह गलत नहीं है, क्या वह धर्म के आधार पर नहीं आ जाता? इस देश में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात है, शाह बानो वाले केस में संविधान कहां चला गया था। संविधान के 44वें अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था भी है कि इस देश के हर नागरिक के लिए समान कानून बनना चाहिए, समान संहिता होनी चाहिए। आज इस देश में समान संहिता नहीं है। हम बात तो करते हैं लेकिन एक तरफ बात करते हैं। हमने कभी देश और समाज को सामने रखकर वास्तव में धर्म के उस तत्व को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करते हुए निश्चित ही इसका समावेश होना चाहिए लेकिन ईमानदारी से उस पर अमल भी होना चाहिए। इस देश

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

में आज आजादी के पचास वर्षो बाद भी धर्मान्ध हो रहा है। इस देश का बटवारा किस आधार पर हुआ था, हम इस बात को भूल गए। केवल राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हम कह देते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात हमने नहीं की जो कश्मीर में हैं, पूर्वोत्तर के शेष भारत में हैं या देश के किसी अन्य भाग में हैं। इस देश ने हमेशा ''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' का संदेश दिया है। इस देश ने ही ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का संदेश पूरे विश्व को दिया है और यह संदेश हमारी संसद के माध्यम से, इस संसद में बैठने वाले हर सदस्य के माध्यम से गूंजना चाहिए लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अन्त:करण में झांकना होगा।

हमें अपने आपमें सुधार करना होगा और राजनीति के ऊपर उठाकर कार्य करना होगा। निश्चित ही जब हम इसको केवल दूसरों पर लागू करने के लिए नहीं, पहले अपने आप पर लागू करने की बात सोचेंगे, तभी हम कामयाब हो पाएंगे, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी, नहीं तो कानून बनते रहेंगे, लेकिन वे कानून केवल गरीब के लिए, केवल निरीह के लिए, किसी कमजोर तक ही सीमित रह जायेंगे, उन लोगों के लिए नहीं रह पायेंगे, जो लोग सड़कों से लेकर संसद तक इस संविधान के साथ खिलावाड़ करते हैं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस पर पूर्ण बहस कराने के लिए हर सदस्य की राय ली जानी चाहिए, एक व्यापक बहस इस पर हो, इस संशोधन के साथ इसमें धर्म के मूल तत्व पर सही विचार होना चाहिए, मैं इस बिल के समर्थन में अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मोहन सिंह जी जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेकर आये हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : और खुद ही नदारद हो गये।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : विडम्बना इस बात की है कि उनको यहां रहना चाहिए था। उनके पक्ष में माननीय सदन की क्या भावनाएं हैं, सदन के सदस्य क्या कहना चाहते हैं, वह मेरे मित्र ने कह दिया।

कोई बात नहीं, अपनी भावनाओं को मैं अवश्य व्यक्त करूंगा। माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है। कुछ माननीय सदस्यों ने धर्म और राजनीति को अलग करने के लिए तो देखा है, लेकिन उन्होंने धर्म की परिभाषा को नहीं देखा। धर्म इस देश का प्राण है, इस समाज का प्राण है। जो व्यक्ति धर्म से अलग हो जाता है, मैं समझता हूं कि उसके पास कोई पूंजी नहीं रहती। मैंने इस बात का अनुभव किया है और यही मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उनका समर्थन मैंने सिर्फ इस बात के लिए किया है कि इस देश की परम्परा पर वे बोले तो जरूर, पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाये, वह मेरी राय में ठीक नहीं है। आप धर्म की परिभाषा को देखिये कि धर्म क्या चीज है। इस देश के अन्दर धर्म परम्परा से प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब से राजनीति प्रारम्भ हुई है, उससे पहले से भी धर्म जुड़ा हुआ रहा है, अंग रहा है, प्राण रहा है। धर्म इस देश की ढाल है, धर्म हमारे समाज की ढाल है। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ज्यूडिशियरी में जब कोर्ट की बात आती है तो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट भी गीता पर हाथ रखवाकर कसम लेता है कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा, वह सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। यह धर्म कहां बोलेंगे। संसद के जितने भी गलियारे हैं, जितने भी कर्व बने हुए हैं, जितने गेट बने हुए हैं, उन सब पर लिखा हुआ है, धर्म की परिभाषा लिखी हुई है : ''जहां सुमति तहं सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहं विपति निदाना'' अनेकों इस तरीके की इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी वही दोहे लिखे हुए हैं। संसद के इस पूरे प्रांगण में जहां से राजनीति प्रारम्भ हो रही है, हम सब तरीके की व्यवस्था करते हैं, कांस्टीट्यूशन के प्रावधान करते हैं, राजनीति के कानून बनाते हैं, यहां भी धर्म की परिभाषा लिखी हुई है। धर्म हमसे अलग कैसे हो सकता है? मैं बड़ी रैस्पोंसिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति बोध नहीं है, अपने कर्म के प्रति बोध नहीं है, वह आदमी कब, कहां, किस प्रकार से गलती कर सकता है, यह नहीं कहा जा सकता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वह व्यक्ति अपने सिद्धांत का पालन नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान है, वह अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र और समाज के प्रति रैस्पोंसिबिलिटी के साथ हर बात को कहेगा। धर्म की जो व्याख्या की गई है, इससे मैं काफी कुंठित हूं। इसकी व्याख्या इस सदन में माननीय सदस्य कर रहे थे कि जम्मू-कश्मीर को उठाकर देख लीजिए, उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, उनको उठाकर देख लीजिए, जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, उसके साथ वहां क्या व्यवहार होता है। हमारे देश के अन्दर 90 करोड़ की आबादी है और शीघ्र यह आबादी एक अरब की होने जा रही है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों में जिन अल्पसंख्यकों की बात हम करते हैं, हम लोग मेहमान की तरह उनका पालन करते हैं, हर चीज की उनके लिए व्यवस्था करते हैं। आप दुनिया के दूसरे देशों को उठाकर देख लीजिए, वहां अल्पसंख्यकों की पोजीशन क्या है और हिन्दुस्तान के अन्दर पोजीशन क्या है?

मोहन सिंह जी जो बिल लाये हैं, मैं राजनैतिक पार्टियों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ संशोधन करना है, मैं रूलिंग पार्टी का सदस्य हूं, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल ले आये, जिसके ऊपर व्यापक चर्चा हो और तब अगर संशोधन कराना है तो संशोधन करवाना चाहिए। जिस देश के अन्दर राजनैतिक पार्टियों में तमाम भ्रष्टाचारी करप्शन कर रहे हैं, जिन पर 20-20 मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें पार्टियां टिकट दे रही हैं और वे जीतकर लोक सभा के अन्दर आ रहे हैं, उनसे आप समाज के प्रति क्या अपेक्षा करेंगे ? उनके प्रति क्या अपेक्षा करेंगे राज के प्रति, वे क्या समाज को देंगे और क्या राज को देंगे। ऐसे लोगों के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है। कोई राजनैतिक दल ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट देता है तो उस पार्टी के संविधान को, उसकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। एक-एक सासंद दस-दस, बीस-बीस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लाखों-करोड़ लोग हमारी ओर देखते हैं। चाहे इस दल के लोग हों या उस दल के हों, अगर उनमें से कोई धार्मिक भावना भड़काकर, जातीय आधार पर विजयी होने का प्रयास करता है तो उसे निश्चितरूप से सजा मिलनी चाहिए। अगर इस चीज पर आगे चलकर व्यापक चर्चा नहीं हुई तो यह देश जातीय आधार पर बंट जाएगा। आज जातीयता का जहर बहुत अधिक फैल रहा है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, नहीं तो यह देश अलग-अलग कम्युनिटी में बंट जाएगा। अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं। मैं उन्हीं की बात को हिन्दी में कहना चाहता हूं, क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि छुआछूत को खत्म करने का प्रयास होना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन लाना चाहिए।

[श्री प्रभुदयाल कठेरिया]

देश की जनता की आशाएं संसद के प्रति लगी हुई हैं, लेकिन उनको न्याय नही मिल पाता। मैजोरिटी के आधार पर सरकार चलती है, लेकिन देखने की बात है कि नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक में कितने ही गरीबों की आहें दबी हुई हैं। गरीबों को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो यह देश जातीयता के आधार पर बंट जाएगा। जातीयता का जहर धार्मिक भावनाओं को भड़काने से भी ज्यादा खतरनाक है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीयता के आधार पर कुछ लोग रोटियां सेंक रहे हैं।

धर्म हमारा प्राण है, हमारे देश की ढाल है। हमें धार्मिकता को कैसे बनाए रखना है, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं मोहन सिंह जी द्वारा लाए इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जातीयता ज्यादा आक्रामक है, पहले हमें उसको देखना चाहिए। मैं इस सदन में तीसरी बार जीतकर आया हूं। दसवी लोक सभा से देखता आ रहा हूं कि जो वास्तविक कमजोर व्यक्ति है, उसको ठीक से न्याय नही मिलता। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल लाए, जिसमें पूरे सदन की भावना को ध्यान मे रखते हुए उसमें धर्म और संविधान को न जोड़कर सही व्यवस्था हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी (बारपेटा) : माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि एक दुखद घटना के बाद हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि सभापति महोदय द्वारा समय-समय पर की गई टिप्पणी, विनिर्णय नहीं, के कारण यह समस्या पैदा हुई। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में गैर सरकारी सदस्यों के अधिकार जो किसी दिन के लिए आरक्षित किये गए हैं, का हनन कभी नहीं होना चाहिए। यदि कुछ मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए। सभा की विशिष्ट अनुमति के बिना जल्दबाजी में घोषणा करके गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा स्थगित नहीं की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप भविष्य के लिए एक पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करें। एक बार ऐसा होता है, फिर लोग यह कहने लगेंगे कि ऐसा उस परिस्थिति में हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया गया है–संविधान में प्रयुक्त शब्दों के विशेष उल्लेख के साथ इसमें संशोधन का प्रस्ताव। धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र तथा गणतंत्र शब्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन संविधान जो सरल रूप में अपनाया गया उसमें सभी चीजें समाहित हैं जो आज कही जा रही हैं।

तथापि हमारे दृष्टिकोण का मूल प्रजातंत्र रहा है। कानून या संविधान में किसी हद तक परिवर्तन हमारे दृढ़संकल्प में परिवर्तन नहीं ला सकता है। आप यह व्याख्या कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है तथा धर्म क्या है। लेकिन क्या आप इस प्रकार से समाज में इसे लागू कर सकते हैं ताकि यह हमारी राजनीतिक गतिविधियों में प्रदर्शित हो सके? संविधान के कई संशोधनों में विषयवस्तु तथा स्वरूप में विरोधाभास सामने आया है। अब हमारे देश में यह संकट उत्पन्न हो गया है कि संसदीय प्रजातंत्र, कैबिनेट प्रणाली तथा संसदीय प्रणाली इस देश में चल सकती है या नहीं? हम किस प्रकार धर्म की व्याख्या करने जा रहे हैं? कई वक्ताओं ने जिसमें कुमारी ममता बनर्जी भी शामिल हैं ने यह विचार प्रकट किया है कि धर्म में कोई टकराव नहीं है। एक माननीय मंत्री ने संत रामकृष्ण परमहंस देव को उद्धृत करते हुए कहा–*जोतो मथ तोतो पथ* यह सच है। यह धर्म की दर्शनात्मक व्याख्या है। सभी धर्मों में शांति की बात कही गई है। हम इस्लाम में विश्वास करते हैं, जिसके नाम का अर्थ ही शांति है। विरोधाभास सामाजिक संविदाओं के अंतर्गत धर्म का पालन करने में आता है। आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं तथा आप किस प्रकार इसका सामना करेंगे? किसी व्यक्ति द्वारा धर्म का पालन करने में ही अन्य धर्मों के साथ विरोधाभास सामने आता है। यह कहा जाता है कि जब भारत में धर्मावलंबी लड़ते हैं–ऐसा नहीं कहा जा सकता है। धर्मों की लड़ाई होती है–जंगलराज कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कभी-कभी धर्म की भीड़ में हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें दूसरे स्वाभाविक रूप से आहत होते हैं।

हम भारत में सैकड़ों साल से देख रहे कि मस्जिद के सामने ड्रम बजाकर या गाय का वध करते हुए प्रदर्शन करने का अधिकार जिससे दूसरे नागरिकों की धर्म की भावना आहत होती है हमारी राजनीति का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। लेकिन यदि जंगल का कानून लागू किया जाता है जैसा कि न्यायविदों द्वारा समझा जाता है, तो किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं था जिससे समाज को आहत करके ऐसा किया जा सके। अतएवं, मैं यह विधेयक प्रस्तुत लाने वाले से यह आग्रह करूंगा कि वह संशोधन के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाएं। एक मूल्भूत संशोधन किया जाना चाहिए। हम यह अनुभव करते हैं कि टुकड़ों में संशोधन करने से वे और अधिक संशोधन होंगे परन्तु इसके मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा।

इस सनय, हम इस गंभीर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां हमारे संविधान में प्रदर्शित प्रजातंत्र, पार्टियों के आधार पर कार्यपालिका सरकार को चला सकती है। मैं यह संशोधन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से यह आग्रह करूंगा कि इस संशोधन की पुनः जांच की जाए कि वास्तव मे कार्यपालिका सरकार को चलाने में सक्षम है।

वे कहते हैं कि मिली-जुली सरकार का समय आ गया है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मिली-जुली सरकार स्थायित्व देगी। मैं सभा को दो दशक पूर्व श्री वसंत साठे द्वारा रखे गए विचारों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जब उन्होंने पूछा था कि क्या समय आ गया है जब सरकार के संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन लाया जाये।

हाल में कुछ घोषणाएं की गई हैं कि क्या राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार हमारे देश मे कार्यपालिका सरकार को चलाने के लिए आवश्यक हो गई है। मैंने हल्के-फुल्के ढंग से यह विचार रखा था कि इस पर लंबी चर्चा हो कि किस स्वरूप में इस देश की संवैधानिक सरकार चलाई जा सकती है।

सत्तापक्ष के मेरे दोस्तों द्वारा टिप्पणी की गई है कि धर्म को राज व्यवहार के मूल से अलग नही किया जा सकता है। कोई भी इस बात पर बहस नही कर सकता है कि धर्म जैसा हम समझते हैं, तथा नैतिकता का उन संस्थाओं से कोई टकराव है जो पूरी तरह नैतिक आधार पर चलाई जाती हैं। अतएंव मेरा आग्रह है कि इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता उस पहलू का भी परिक्षण करें।

सभापति महोदय : यदि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो आप बाद में बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था और वह समय पूरा होने जा रहा है। यदि सदन चाहता है कि इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए तो जो 7 बज कर 20 मिनट तक का समय आज के लिए निर्धारित है वह आज दिया जाएगा और शेष इसके लिए जो अगला दिन निर्धारित होगा उस समय दिया जाएगा। हम जो निर्धारित समय है तब तक आज बैठेंगे। क्या सदन इससे समहत है?

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आप समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महादेय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी : महोदय, मैं अपना भाषण धन्यवाद देते हुए तथा इस अपील के साथ समाप्त करता हूं कि सभा इस विधेयक पर वृहत् परिप्रेक्ष्य में विचार करे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, आज हमारे सदन के बहुत विद्वान सदस्य मोहन सिंह जी के गैर-सरकारी संविधान (संशोधन) विधेयक, संख्या 32 पर चर्चा हो रही है। मैं इस विधेयक की चर्चा के दौरान जिन मुद्दों और बिन्दुओं की ओर आपका और माननीय प्रस्थापक सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह वास्तव में संसदीय लोकतंत्र के लिए, और जिस संविधान के तहत हम काम कर रहें हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महादेय, इस सदन में पवित्र आसंदी के ऊपर एक शब्द अंकित है–"धर्मचक्र प्रवर्तनायः।" मैं जिस दिन जनता द्वारा चुन कर इस पवित्र माननीय सदन में आया था तो सबसे पहले मुझे इसी शब्द ने प्रेरित किया था। माननीय सदस्य को याद होगा कि इसी भारत में कुछ दिन पहले धर्म और राजनीति पर एक बहस छिड़ी थी, उस समय की सरकार ने, श्री नरसिंह राव के मंत्रिमंडल ने इस प्रकार का एक बिल इम्पोज़ करने का और एनएक्टमेंट करने का फैसला किया था। उस समय पूरे देश में यह बात चली थी कि किसी एक दल विशेष को राजनीतिक कारणों से कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कोई न कोई बाधा उत्पन्न की जाए।

सायं 7.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, जिस नये आर्टिकल की आपने इस संविधान संशोधन में बात की है उसकी ओर इस सदन का ध्यान इसी आर्टिकल के 51(ए) में जो फंडामैंटल ड्यूटीज हैं, उसके सब-सैक्शन (ई) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट है:

[अनुवाद]

मैं अनुच्छेद 51(ङ) उद्धृत करता हूं:

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो . . ."

[हिन्दी]

उसी अनुच्छेद में यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का अनुच्छेद न जोड़ा जाए तो उसका औचित्य तो देखना चाहिए और धर्म जो हमारे जीवन के एक-एक अंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जुदा नहीं हो सकते। बार-बार यह कहा जाए कि धार्मिक रंग लग जाता है तो मैं समझता हूं कि उसको पब्लिसाईज करने का ही यह तरीका है। माननीय सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर भारत के संविधान के विषय में एक रिव्यू हो जाए। हमारी नयी सरकार के लॉ-मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, जो स्वयं डिप्टी-स्पीकर रहे हैं। वह स्पष्ट करेंगे कि एक संविधान के लिए क्या रिव्यू हो सकता है। इस बात को नेशनल एजेंडे में शामिल किया गया है। मैं आपका ध्यान एक शब्द की ओर दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि "धर्मों-धर्मा-रक्षितः"। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जब हम धर्म और राजनीति की बात करते हैं तो हमें तय कर लेना चाहिए कि हम धर्म को किस रूप मे देखते हैं। माननीय सभापति जी, यह जो हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद भारत के संविधान में रिलीजन शब्द का अनुवाद जो राजभाषा प्रकाशन की किताब है उसमें धर्म लिखा हुआ है। उसमें भी बारीकी से जाया जाए तो धर्म का अनुवाद रिलीजन नहीं हो सकता। यह बहुत व्यापक शब्द है। इस शब्द को यदि हम ठीक तरह से आत्मसात करें तो मैं समझता हूं कि इसको पोल्टिसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक में माननीय सदस्य के द्वारा जो उद्देश्य और कारणों का जिक्र आया है, उसमें भी यह कहा गया है कि "प्रस्ताव किया जाता है कि प्रत्येक राजनैतिक दल और प्रत्याशी को यह मूल कर्तव्य बनाया जाए कि वे निश्चित करें कि उनके द्वारा किसी भी चुनाव में धर्म के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वोट न मांगे जाएं। हम वेस्ट-मिनिस्टर प्रणाली में काम कर रहे हैं जिसमें मतों का निश्चित ही महत्व है। इस प्रकार किसी पर और कभी भी आप आरोप लगा सकते हैं। यहां पर कई एक माननीय सदस्य हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर आते हैं। आप कहेंगे कि यह तो धर्म विशेष का प्रतीक है। उसे तो जीवन से अलग होना पड़ेगा, दुनिया से अलग होना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आप इतने गंभीर सदस्य होकर भी इस तरीके से आधा-अधूरा संशोधन विधेयक लाए हैं जो मेरी समझ से परे है। इसलिए आपकी उपस्थित में मैं अनुरोध करता हूं कि आप धर्म और राजनीति के लिए एक नया जनमत बनाएं कि आखिर उससे कैसे जुदा हो सकते हैं। महात्मा गांधी का उद्धरण इस सदन में हमेशा कोट किया जाता है।जो राजनीति धर्म-विहीन होगी, उस राजनीति की कोई दिशा नहीं होगी, जो राजनीति धर्म से विमुख होगी उस राजनीति का अंत कहां होगा, इसका अंदाजा किसी के द्वारा नही लगाया जा सकता। माननीय सभापति महादेय, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप इस विषय पर कोई संविधान संशोधन लाते हैं तो उसको उसी रूप मे मैच्योरिटी के साथ लाएं। जो सरकार आज बैठी है, जो संविधान पर एक नये ढंग से, नये स्वरूप पर बात करना चाहती है, संविधान को बदलने की बात नहीं है। हम 50 वर्षों में हुए बदलाव की समीक्षा करना चाहते हैं, उस पर अपने सुझाव दें।

अंत में, मैं इस विधेयक का इस रूप में विरोध करते हुए कि इसका कोई औचित्य नहीं है अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : माननीय सभापति जी, माननीय मोहन सिंह जी जो संविधान संशोधन संबंधी बिल लाए हैं, यह एक विडम्बना है। उनके दिल की सोच कुछ है और उसमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। जिस देश में हम जीते हैं, वहां धर्म की अपनी एक विशेषता है। पति-पत्नी के बीच धर्म का पालन होता है, बेटे और पिता के बीच धर्म का पालन होता है, व्यापारी का एक धर्म है, नौकर का एक धर्म है और राजनेता का एक धर्म है। धर्म अच्छे रास्ते पर चलने के लिए दिया जाने वाला मार्ग है। अगर धर्म से शासन चलेगा तो देश का बहुत जल्दी भला होगा । ऐसे क्षुद्र विचार कि धर्म जातीयता को बढ़ावा देता है और इसके कारण देश को बड़ी क्षति हो रही है, गलत हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म की बहुत अच्छी रूपरेखा बनाई है। उन्होंने केवल व्यक्ति और राजकीय क्षेत्र के लिए ही इसकी रूपरेखा नहीं बनायी है बल्कि प्राणी, पशु-पक्षी ओर अलग-अलग समाज के लोगों के बीच में कैसे एक प्रकार का संयम पैदा किया जाए, इसकी भी रूपरेखा बनायी है। हमारे देश की एक परम्परा है। कई लोग गलत राजनीति का रास्ता धारण कर चुके हैं। जातीयंता करने वाले लोग धर्म को बदनाम करते हैं। इस घेरे में कई लोग फंस कर धर्म की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। इस संविधान संशोधन में सोच और शब्दों का प्रयोग एकदम विपरीत है। जिस दिन धर्म से शासन चलेगा, उस दिन देश में खुशहाली आएगी। जिस राजनीति को कुछ लोग थर्ड क्लास की राजनीति कहते हैं, जातीयता की राजनीति कहते हैं, उनसे देश को बचाया जाए, इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्य द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

आदरणीय ममता जी ने एक अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत पसन्द आई। उन्होंने एक साड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक साड़ी को 78 बार फ़ाड़ कर पहना जाए तो सह अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए पिछले 50 सालों में जितने छोटे-मोटे संशोधन हुए हैं, उनके कारण राजनीतिक रूप बदल गया है।

हमारे नेशनल एजेंडा में एक नई सोच है। उसमें कहा गया है कि संविधान पर चिंतन होगा। देश की भलाई के लिए जो अच्छी-अच्छी चीजें हैं, उनको एक बार फिर से जोड़ा जाए, रोज एक नया संशोधन न लाया जाए। नेशनल एजेंडा में नीति है, जिस पर हमें पहल करनी है। इसके लिए तुरन्त समिति बनायी जाए। उसके पास आप अपने विचार भेजें। जिन चीजों के कारण आज की राजनीति घृणित हो रही है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। इससे निश्चित रूप से देश में एक नया परिवर्तन आएगा। आज के परिवेश में जब मैं बार-बार 'धर्म' शब्द का अपमान होते देखता हूं तो मेरा मन रो उठता है। धर्म एक विशिष्ट शब्द है। इसकी अपनी मर्यादा, मान और विशिष्टता है। यह इन्सान को महान बनाता है। इसी में देश की आत्मा छिपी है। धर्म से जीवन चलेगा तो देश का ही कल्याण नहीं होगा बल्कि मानव जाति का कल्याण होगा। सृष्टि के वास्तविक समातोलन के साथ देश का विकास होगा। हमें यही दृष्टिकोण अपनाना है। माननीय सदस्य जो संविधान संशोधन लाए हैं, मैंने पहले कहा कि माननीय सदस्य की सोच कुछ है, और शब्द दूसरे उपयोग किए गए हैं इस कारण इसकी धरती में उन शब्दों का जोड़ नहीं जमता।

इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन के बारे में वह पुनर्विचार करें और जो अपनी सरकारी नई नीति है उसको कमेटी के द्वारा देश के संविधान के बड़े-बड़े विद्वानों से उस पर विचार करायें। वहां हम अपने विचार भेजेंगे और निचोड़ के रूप में परिवर्तन करने के लायक जो भी चीजें कल संसद में आयेंगी और दो-तिहाई मत से पास होंगी तो वे बहुत दिनों तक हमारे लिए लाभदायक बन सकती हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं कि धर्म इस देश की आत्मा है, धर्म से ही व्यक्ति चलना चाहिए, राजनीति चलनी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति को इस दिशा में अपने आपको ढालना चाहिए। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि हमारे संविधान के 51वें अनुच्छेद को और के साथ जो आपने जोड़ने की कोशिश की है, आज की परिस्थिति में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे यह कहने के बाद आपको भी अनुभव हुआ होगा कि आपके मन के सोच कुछ और हैं और इन शब्दों के प्रयोग के कारण उसके अर्थ कुछ और निकल रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने बहुत सहज रूप से कहा कि इस संशोधन को धर्म और राजनीति से दूर रखना चाहिए। जब कांग्रेस की सत्ता इस देश में चल रही थी तो इसी शब्द को लेकर हड़बड़ी में उन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की। सारे देश में यात्रा चली, यात्रा के समय सारे देश का जनमत एक हो गया। बाद में क्या हुआ, जो लोग उस बिल का समर्थन करना चाहते थे, उनकी आंख खुल गई कि हम गलत चीज का समर्थन करने जा रहे हैं, यह तो कल हमें ही महंगा पड़ सकता है, तब कांग्रेस का यह बिल खटाई में पड़ गया। उसी के एक छोटे प्रतीक के रूप में आपने इसे लाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं यह चाहूंगा कि अगर हम अपने देश की आत्मा पर इस धर्म शब्द को अलग ढंग से जोड़ते जायेंगे तो यह एक प्रकार का आघात होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन-पद्धति, भारतीय परम्परा, भारतीय मूल्य तथा यहां के विचारों को यह स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में राजनीति में जो घृणित विषय आ रहे हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर, पिछड़े हुए लोगों के नाम पर या किसी और चीज को मुद्दा बनाकर अपने क्षुद्र राजनीतिक मतलब को पूरा करना चाहते हैं। जिसके विरोध में आपके मन में तीव्र भावनाएं हैं, इसलिए हमें अपने संशोधन को दूसरे ढंग से लाना होगा, दूसरे ढंग से ही अपने विचारों को प्रस्तुत करना होगा, तभी आपके मन की भावनाओं को साकार रूप दिया जा सकेगा। परंतु जिस स्वरूप में आपने इस संशोधन को लाने की कोशिश की है, मेरी दृष्टि में यह मानने लायक नहीं है, इसमें कहीं-कहीं कमियां हैं जिनका मैंने यहां उल्लेख किया है। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य इसके बारे में पूर्ण विचार करेंगे, यह अपेक्षा करते हुए मैं अपने विचारों को यही पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

रात्रि 7.13 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

> **"राज्य सभा के प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमों के उप-नियम 186 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग रेलवे संख्यांक 2, विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 जून, 98 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"**

रात्रि 7.14 बजे

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 51ख का अंतःस्थापन) – *जारी*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : आदरणीय सभापति जी, मैं पहले तो भारत माता के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं और फिर इस सम्मानीय सभा से माफी मांगता हूं कि भारत मां का सपूत होते हुए भी मैं कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण अपना भाषण राष्ट्रभाषा में नहीं दे सकता। 1967 से मेरे राज्य में हिन्दी है ही नहीं चूंकि मैंने अपनी शिक्षा, बगैर हिन्दी के पूरी की है, अतः हिन्दी सीखना मेरे लिए बहुत कठिन है।

इसी तरह से तुष्टीकरण हर क्षेत्र में व्याप्त है। निःसंदेह कश्मीर के तुष्टीकरण के कारण देश के सामने आज एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान के तीन युद्ध कश्मीर समस्या के कारण हुए थे। इस तरह से जिस क्षेत्र में भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है वहां हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अत्याधिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। इससे समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जाती है।

मैं संविधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए अपने मित्र मोहन सिंह का धन्यवाद करता हूं। व्यापक परिप्रेक्ष्य में श्री मोहन सिंह बड़े उदार लगते हैं, मगर सही मायने में वह ऐसे नहीं हैं। भारत के इतिहास में नेता सर्वदा युवाओं से हकीकत छुपाने का प्रयास करते हैं ताकि देश का वास्तविक इतिहास युवाओं को मालूम नहीं हो सके। अब तक देश ने महात्मा गांधी से अच्छा राजनेता पैदा नहीं किया। मगर महात्मा गंधी भी देश के विभाजन को नहीं रोक पाए। यह ईस बात को दर्शाता है कि तुष्टीकरण से तथा किसी की पीठ थपथपाने से बात नहीं बनती। अतः जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो, हमें उससे दृढ़ता से निपटना चाहिए। और जब भी किसी के द्वारा अधर्म किया जाता है तब भी हमें दृढ़ता से निपटना चाहिए। मेरा विचार है कि भारत एक महान देश है। इसकी संस्कृति बड़ी गौरवमयी है तथा इसकी विरासत प्रभावशाली है। भारतीयों के जीवन से धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म कदापि पाप नहीं होता है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है तो उसके अधिक ईमानदार और पूर्ण मानव होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। मैं समझता हूं कि धर्म को सही प्रकार से समझना चाहिए और इसे अधिक उदार और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि श्री मोहन सिंह सभी के साथ परामर्श करें ताकि इस विधेयक के वास्तविक आशय को पूर्ण किया जा सके। हालांकि उन्होंने जातिवाद पर कुछ नहीं कहा है जो समाज को अनेक छोटे-छोटे समूहों में बांट रहा है और उस जातिवाद पर आधारित उच्च्य पदों पर आसीन शक्तिशाली लोग राजनीतिक तौर पर देश को लूट रहे हैं। वे अपने को किसानों का, यादवों का नेता कहते हैं मगर यही नेता गौ चारा के लिए रखे गये धन को लूट रहे हैं। यद्यपि वे अपने को यादवों का नेता कहते हैं।

जहां तक इतिहास के बारे में जानता हूं तो मैं यह कहूंगा कि कंश ने भी गौ-चारा को लूटने का पाप नहीं किया और जो लोग गौ चारा लूट रहे हैं वे अपने को यादवों का नेता कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह विचार है कि गाय को नुकसान पहुंचाने वाला यादव कभी नहीं हो सकता, मगर वे फिर भी अपने को यादवों का नेता कहते हैं।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा 3 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 7.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998/12 आषाढ 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।